सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2019-20

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2019–20

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

(सीआईएन : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगाा हाउस, राँची – 834 029, झारखंड

भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

1.1 संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन करना।

1.2 ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय :

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना ।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनीकिकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिक निकासी हेतु वैज्ञानिक खोज से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस–पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सी एस आर क्रियाकलाप विशेषकर आस–पास के गाँवों में स्वास्थ्य, सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ाना।

विषय – सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबन्धन	1
2.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	3
3.	सूचना – वार्षिक आम बैठक	4
4.	संचालनात्मक आँकड़े	7
5.	वित्तीय स्थिति	13
6.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	17
7.	निगमिक प्रशान पर प्रतिवेदन	63
8.	निदेशकगणों का पार्श्वदृश्य	75
9.	सांविधिक अंकेक्षक द्वारा निगमित प्रशासन पर प्रमाण पत्र	80
10.	सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	81
11.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	87
12.	निदेशक प्रतिवेदन से संबंधित अनुलग्नक	89
13.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	118
14.	स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणाम	124
15.	31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलोन तुलन–पत्र	127
16.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन लाभ एवं हानि लेखा	129
17.	वर्ष 2019–20 के लिए स्टैण्डअलोन नकद प्रवाह विवरण	131
18.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	134
19.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	191
20.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट –1 सहित)	221
21.	समेकित वित्तीय परिणाम	239
22.	31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन–पत्र	242
23.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा	244
24.	वर्ष 2019–20 के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण	246
25.	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	249
26.	समेकित वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	306
27.	समेकित वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट –1 सहित)	336
28.	फार्म एओसी–1	350

निदेशक मण्डल

(17 अगस्त, 2020 को)

श्री गोपाल सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

निदेशकगण

श्री एन. के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री वी. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तक./संचा.)

श्री भोला सिंह
निदेशक (तक./परि. एवं यो.)

श्री विनय रंजन
निदेशक (कार्मिक)

अंशकालीक निदेशकगण

श्री मुकेश चौधरी
निदेशक, कोयला मंत्रालय

श्री आर. पी. श्रीवास्तव
निदेशक (का. एवं औ.सं.)

अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशकगण

श्री सुभाउ कश्यप
एम.बी.बी.एस.

श्रीमती जाजुला गौरी
अधिवक्ता

श्री शिव अरोड़ा
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

श्री हरबंस सिंह
पूर्व महानिदेशक एपेक्स, जीएसआई

स्थायी आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा
सीओएम, पू.म.रे., हाजीपुर

श्री अबुबकर सिद्दिकी पी.
सचिव (खान एवं भूगर्भ), झा. स.

श्री रवि प्रकाश
कम्पनी सचिव

वर्तमान प्रबंधन

17 अगस्त 2020 को
(अर्थात 64वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह

कार्यकारी निदेशकगण

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तक./संचा.)
श्री भोला सिंह	:	निदेशक (तक./परि. एवं यो.)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री मुकेश चौधरी	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री सुभाउ कश्यप	:	एम.बी.बी.एस.
श्रीमती जाजुला गौरी	:	अधिवक्ता
श्री शिव अरोड़ा	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
श्री हरबंस सिंह	:	भूतपूर्व निदेशक, जेनरल एपेक्स, जी. एस. आई.

स्थायी आमंत्रितगण

श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबधंक पूर्व मध्य रेलवे
श्री अबुबकर सिद्दिकी पी	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखंड सरकार, राँची

कम्पनी सचिव

श्री रवि प्रकाश

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.03.2012 से प्रभावी)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त) (06.07.2013 से 30.04.2019 तक)
श्री एन. के. अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त) (18.07.2019 से प्रभावी)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तकनीकी) (15.05.2018 से प्रभावी)
श्री भोला सिंह	:	निदेशक (तकनीकी) (15.01.2019 से प्रभावी)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक) (08.06.2015 से 31.12.2019 तक)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक) (24.01.2020 से प्रभावी)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (05.02.2018 से 14.11.2019 तक)
श्रीमती रीना सिन्हा पुरी	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (29.11.2019 से प्रभावी)
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	(का. एवं औ. सं.), सीआईएल कोलकाता (19.02.2018 से प्रभावी)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल	:	भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) डी/ओ एक्सपेण्डिचर (14.11.2015 से 16.11.2019 से प्रभावी)
श्री सुभाउ कश्यप	:	एम.बी.बी.एस. (13.12.2018 से प्रभावी)
श्रीमती जाजुला गौरी	:	अधिवक्ता (10.07.2019 से प्रभावी)
श्री शिव अरोड़ा	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (10.07.2019 से प्रभावी)
श्री हरबंस सिंह	:	भूतपूर्व निदेशक, जेनरल एपेक्स, जी. एस. आई. (10.07.2019 से प्रभावी)

स्थायी आमंत्रितगण

श्री एस. के. बर्णवाल	:	सचिव (खान एवं भगर्भ विभाग) झारखंड सरकार (16.11.2016 से 03.05.2019 तक)
श्री अबुबकर सिद्दिकी पी.	:	सचिव (खान एवं भगर्भ विभाग) झारखंड सरकार (03.05.2019 से प्रभावी)
श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे (24.05.2016 से प्रभावी)

कम्पनी सचिव	:	श्री रवि प्रकाश (13.07.2017 से प्रभावी)

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक	आन्ध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक
कॉरपोरेशन बैंक	देना बैंक
इंडियन ओसरसीज बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक	एचडीएफसी बैंक

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कं.
न्यू अनंतपुर
राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स वी. रोहतगी एण्ड कं.
प्रथम तल, सर्जना भवन, मेन रोड, राँची, झारखंड

मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखंड

मेसर्स एल. के. सर्राफ एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखंड

मेसर्स संजय बजोरिया एण्ड एसोसिएट्स
राँची – 834001, झारखंड

लागत अंकेक्षक

मेसर्स निरन एण्ड कं.
इएसइन डेन, 475, आइगिनिया
एशियन प्लाजा इन्ट्री, खंडगिरी
भुवनेश्वर – 751019, ओडीसा

शाखा लागत अंकेक्षक

मेसर्स मोउ बनर्जी एण्ड कं.
बैकुंठ अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर,
गोपालपुर, आसनसोल – 713 304
जिला – पश्चिम बर्धमान, प. बंगाल

मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं.
27 ए एण्ड सी, एमहर्स्ट स्ट्रीट,
कोलकाता – 700 009
प. बंगाल

मेसर्स टिप्सगो एण्ड कं.
38 ए, हिमालयन पब्लिक स्कूल
सर्कुलर रोड़, मैत्रीपुरम,
गोरखपुर–273 012, उत्तर प्रदेश

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
प्रथम तल, रघुनन्दन साहु भवन, ड्यूरियन फर्नीचर के बगल में, अरगोडा–कडरू रोड, अशोक नगर के सामने, राँची – 834002

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखंण्ड)

सूचना

संदर्भ सं. : सचि.सीएस / 3(4) / एजीएम–64 / 2020 / 203 दिनांक : 14.08.2020

64वीं आम वार्षिक बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की 64वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, अगस्त माह के 17वें दिन, 2020 को 11:30 पूर्वाह्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची–834029, झारखंड में निम्नलिखित कार्य हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य आडियो–विजुवल (ओएवीएम) माध्यम से आयोजित की जाएगी।

(क) सामान्य कार्य :

1. विचारार्थ एवं अंगीकरण हेतु :

   ए. कम्पनी की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी सहित 31 मार्च, 2020 तक अंकेक्षित तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां तथा वर्ष 2019–20 के लिए महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ, सांविधिक अंकेक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मंडल का प्रतिवेदन।

   बी. कम्पनी की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणी सहित 31 मार्च, 2020 तक अंकेक्षित तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां तथा वर्ष 2019–20 के लिए महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ, सांविधिक अंकेक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मंडल का प्रतिवेदन।

2. वित्त वर्ष 2019–20 हेतु कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के किये गए भुगतान को अंतिम भुगतान के रूप में सुनिश्चित करना।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति :

   ए. श्री वी. के. श्रीवास्तव (डीआईएन– 8155817) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अंतर्गत रोटेशन अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर अहर्ता प्राप्त होने के कारण स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

   बी. श्री भोला सिंह (डीआईएन–07788963) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अंतर्गत रोटेशन अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर अहर्ता प्राप्त होने के कारण स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

4– वित्तीय वर्ष 2019–20 आगामी वर्षों के लिए सांविधिक अंकेक्षकों / शाखा अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु।

(ख) विशेष कार्य :

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतुः

1. कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीसीएल मुख्यालय एवं सीसीएल के क्षेत्रों में अंकेक्षण हेतु लागत लेखा परीक्षकों के मेसर्स निरन एवं कं., मुख्य लागत अंकेक्षक, मेसर्स मोउ बनर्जी एवं कं., मेसर्स बंदोपाध्याय भौमिक एवं कं., मेसर्स टिप्सगो एवं कं., शाखा अंकेक्षक के जेब खर्च मानदेय एवं प्रतिपूर्ति की दिनांक 21–09–2019 – 19–10–2019 को संपन्न 477वीं – 478वीं बोर्ड की बैठक निदेशक मंडल में एतदद्वारा संपुष्टि की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार ऊपर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल
के आदेश से

(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

दिनांकः 14.08.2020
एजीएम का स्थानः पंजीकृत कार्यालय।

पंजीकृत कार्यालयः दरभंगा हाउस

रांची 834029 (झारखंड)

सीआईएन : U10200JH1956GOI000581

टिप्पणी :

1. राष्ट्र में व्याप्त कोविड–19 के कारण उत्पन्न महामारी से उत्पन्न वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 को पढ़ा जाए एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत क्रमशः सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 5 मई, 2020(उक्त के लागू होने के पश्चात किसी सांविधिक संशोधन या पुनरधिनियमन सहित) एवं अन्य लागू कानून एवं विनियम, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के अंशधारकगण, निदेशकगण एवं अंकेक्षकगण सभा में उपस्थित एवं/या मतदान करने का अधिकार रखते हैं एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो–विजुवल (ओएवीएम) माध्यम से उपस्थित एवं/या मतदान कर सकतें हैं। उक्त स्तर पर सभा में लिए गए मदों पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति ई–मेल के माध्यम से gmcompsectt.ccl@coalindia.in/ cosectt.ccl@gmail.com पर भेज सकतें हैं। प्रतिनिधि के नामांकन की सुविधा नहीं होगी। यद्यपि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसार ओसी या ओएवीएम द्वारा प्रतिभागिता एवं मतदान हेतु सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है। वीसी या ओएवीएम द्वारा बैठक हेतु लिंक कंपनी अधिकृत मेल आईडी पर पूर्व में ही उपलब्ध कराया जाएगा एवं बैठक प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व बैठक से जुडने की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं नियत समय पर बैठक के प्रारम्भ से 15 मिनट बाद तक बंद नहीं होगी।

2. अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 101(1) के अनुसार, अल्पावधि में आम वार्षिक बैठक बुलाने की स्वीकृति लिखित या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रदान करें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार ऊपर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण यहाँ भी संलग्न है।

4. सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज एवं अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 64वें वार्षिक आम बैठक के पूर्व सभी कार्य दिवसों पर व्यावसायिक अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 171(1)(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान आवश्यक पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखा जाता है, जो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक के दौरान उपलब्ध रहेगा।

वितरण :

ए) कोल इंडिया लिमिटेड, (द्वारा अध्यक्ष, सीआईएल), कोलकाता

बी) श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल, कोलकाता

सी) श्री आर.पी.श्रीवास्तव, निदेशक (का/औ. सं), सीआईएल, कोलकाता

डी) श्री गोपाल सिंह, अ.प्र.नि., सीसीएल, रांची

ई) श्री शिव अरोड़ा, अध्यक्ष, अंकेक्षण समिति, सीसीएल

एफ) मेसर्स के.सी. तक एंड कंपनी, रांची, सांविधिक अंकेक्षक

जी) मेसर्स निरन एंड कं, भुवनेश्वर, मुख्य लागत अंकेक्षक

एच) मेसर्स कांत सनत एंड एसोसिएट्स, रांची, सचिवालय लेखा परीक्षक

आई) समस्त निदेशकगण

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक की सूचना का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक की संपुष्टि।

3 जून 2011 को कंपनी (लागत अंकेक्षण रिपोर्ट) नियम, 2011 अधिसूचित किया गया था। ये कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुपालन रिपोर्ट और 2012–13 और उसके बाद से लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था।

सीसीएल की यह लागत लेखांकन नीति कोल इंडिया लिमिटेड की समग्र लागत लेखांकन नीति का हिस्सा है।

क्रमशः 21–09–2019 और 19–10–2019 को आयोजित 477वीं और 478वीं बैठक में सीसीएल बोर्ड की मंजूरी के साथ, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मुख्यालय और सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लागत अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित लागत अंकेक्षक नियुक्त किए गए–

लेखा परीक्षकों की सूची	क्षेत्र	भाग ए (लागत लेखा परीक्षा) के लिए शुल्क	भाग बी (आइसीसीएस समीक्षा) के लिए शुल्क	कुल
मेसर्स निरन एण्ड कं.	(मुख्यालय, बरका सयाल, सीडब्ल्यूएस, अरगडा, रजरप्पा, कोलकाता कार्यालय के लिए)	(ए. बी)	200000	600000
मेसर्स मोउ बनर्जी एण्ड कं.	(कथारा, धोरी के लिए)	149000	75000	224000
मेसर्स बन्द्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं.	(एनके, पिपरवार, राजहारा, मगध आम्रपाली, बी एंड के क्षेत्र के लिए)	193000	96500	289500
मेसर्स टीप्सगो एण्ड कं.	(चरही, कुजू और गिरिडीह क्षेत्रों के लिए)	177000	88500	265500
कुल		919000	460000	1379000

यात्रा और जेब खर्च के वास्तविक व्यय प्रतिपूर्ति की सीमा कुल खर्च का 50% तक है। लागू करों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प रुचि या संबंध नहीं है।

बोर्ड ने वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु संकल्प प्रस्ताव की अनुशंसा की है ।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल
के आदेश से

(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

दिनांकः 14.08.2020
एजीएम का स्थानः पंजीकृत कार्यालय।

पंजीकृत कार्यालयः दरभंगा हाउस
रांची 834029 (झारखंड)
सीआईएन : U10200JH1956GOI000581

संचालनात्मक आंकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन (मि. टन)									
भूमिगत	0.703	0.315	0.405	0.74	0.85	0.84	0.96	1.02	1.09
खुली खदान	66.186	68.407	63.000	66.31	60.47	54.81	49.06	47.04	46.91
योग	66.889	68.722	63.405	67.05	61.32	55.65	50.02	48.06	48.00
(ख) ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर)	103.356	100.490	95.622	102.63	106.78	97.38	59.02	63.31	65.68
2. ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)									
स्टील	0.039	0.00	0.00	0.03	0.34	0.65	0.32	1.07	4.04
बिजली	46.648	45.37	42.22	37.24	33.52	33.41	32.10	31.56	33.68
सीमेंट	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
उर्वरक	0.143	0.09	0.15	0.22	0.24	0.24	0.27	0.64	0.95
अन्य	11.732	13.80	15.73	10.83	12.40	10.23	9.00	8.98	9.25
वाशरी को कोल आपूर्ति	8.770	9.19	9.41	12.61	13.09	10.81	10.43	10.63	0.00
कोलियरी खपत	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
योग	67.332	68.45	67.51	60.93	59.59	55.34	52.12	52.89	48.04
3. औसत श्रमशक्ति	38695	39919	41467	42919	44346	45849	47406	49076	51156
4. उत्पादकता :									
(क) प्रति व्यक्ति / प्रति वर्ष औसत (टन)	1728.62	1721.54	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81	1055.14	979.30	938.32
(ख) प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस) :									
(i) भूमिगत (टन)	0.540	0.214	0.194	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33	0.32
(ii) खुली खदान (टन)	10.060	9.740	9.372	9.81	8.91	7.56	6.26	6.09	5.79
(iii) समग्र (टन)	8.490	8.093	7.195	7.23	6.51	5.46	4.64	4.42	4.19
5. लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना									
(i) प्रति मानव पाली अर्जन (₹)	4003.35	3794.70	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87	2377.57	2174.95	1862.96
(ii) निबल / शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्य (₹प्रति टन)	1249.82	1125.09	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43	1079.17	1020.42	1038.67
(iii) निबल / शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (₹प्रति टन)	1547.08	1497.68	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90	1414.86	1423.22	1258.70

वित्तीय स्थिति (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2018–19	2017–18 (पुनर्लिखित)	2016–17 (पुनर्लिखित)	2015–16 (पुनर्लिखित)
ए.	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ					
	(ए) संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	4,670.11	2,496.09	2,421.09	2,426.40	2,541.98
	(बी) प्रगतिशील पूँजी कार्य	736.75	2,355.18	1,640.62	1,141.23	303.40
	(सी) आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	448.45	405.43	260.67	237.16	201.14
	(डी) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	4.37	5.74	2.16	3.59	5.25
	(ई) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
	(i) निवेश	32.00	32.00	32.00	32.00	–
	(ii) ऋण	0.55	0.66	0.47	0.59	0.92
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,787.15	1,467.73	1,534.00	723.05	1,533.01
	(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	843.44	1,039.09	1,047.58	771.88	725.03
	(जी) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	620.07	1,123.94	1,679.39	1,269.85	119.38
	कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)	**9,142.89**	**8,925.86**	**8,617.98**	**6,605.75**	**5,430.11**
बी.	चालू परिसंपत्तियाँ					
	(ए) भंडारसूची	1,233.36	1,353.66	1,349.23	2,096.26	1,491.26
	(बी) वित्तीय परिसंपत्ति					
	(i) निवेश	0.48	52.56	–	–	–
	(ii) व्यापार प्राप्य	2,492.11	1,095.13	1,121.00	1,673.79	1,359.93
	(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	117.94	244.55	161.98	325.07	1,968.58
	(iv) अन्य बैंक शेष	490.85	841.51	1,194.23	1,349.08	2,090.19
	(v) ऋण	–	–	–	–	–
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	591.44	628.38	537.60	367.89	383.26
	(सी) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	62.42	–	–	–	–
	(डी) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,399.05	2,575.01	2,093.56	1,525.93	1,258.73
	कुल चालू परिसंपत्ति (बी)	**7,387.65**	**6,790.80**	**6,457.60**	**7,338.02**	**8,551.95**
	कुल परिसंपत्ति (एबी)	**16,530.54**	**15,716.66**	**15,075.58**	**13,943.77**	**13,982.06**
	इक्विटी और देयता					
ए.	इक्विटी					
	(1) निर्गत, अभिदत्त एवं पेड–अप इक्विटी शेयर पूँजी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	(2) पूँजी प्रतिदान शेष	–	–	–	–	–
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष					
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीद	–	–	–	–	–
	जारी बोनस शेयर	–	–	–	–	–
	अंतिम शेष	–	–	–	–	–
	(3) पूंजीगत संचय	–	–	–	–	–
	(4) सामान्य संचय					
	प्रारंभिक शेष	2,153.70	2,068.48	2,029.00	1,958.94	1,863.20
	सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	92.39	85.22	39.48	70.06	95.74
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	–	–
	जारी बोनस शेयर	–	–	–	–	–
	अंतिम शेष	2,246.09	2,153.70	2,068.48	2,029.00	1,958.94

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)
वित्तीय स्थिति
भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019—20	2018—19	2017—18 (पुनर्लिखित)	2016—17 (पुनर्लिखित)	2015—16 (पुनर्लिखित)
	(5) प्रतिधारित उपार्जन					
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	1,914.58	653.43	215.71	3,272.50	3,505.07
	समायोजन	-	-	308.64	-	-
	वर्ष के लिए लाभ	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
	विनियोजन :					
	सामान्य संचय से/को अंतरण	(92.39)	(85.22)	(39.48)	(70.06)	(95.74)
	अन्य संचयों में अंतरण	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	(294.22)	(297.04)	(531.10)	(3,634.04)	(1,711.74)
	अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
	निगमित लाभांश कर	(60.48)	(61.06)	(108.12)	(739.80)	(348.47)
	वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	जारी बोनस शेयर	-	-	-	-	-
	अंतिम शेष	3,315.24	1,914.58	653.43	215.71	3,272.50
	(6) **अन्य विस्तृत आय**					
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	134.44	154.13	52.39	40.66	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निबल कर)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	अंतिम शेष	(109.80)	134.44	154.13	52.39	40.66
	(7) **अन्य इक्विटी (ए)**	5,451.53	4,202.72	2,876.04	2,297.10	5,272.10
	(8) **कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी**	6,391.53	5,142.72	3,816.04	3,237.10	6,212.10
	(9) गैर–नियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
	(10) **कुल इक्विटी**	6,391.53	5,142.72	3,816.04	3,237.10	6,212.10
	देयता					
बी.	**गैर–चालू देयताएं**					
	(ए) वित्तीय देयताएं					
	(i) उधारी	-	-	-	1,200.00	-
	(ii) व्यापार देयताएं	-	-	-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	81.21	70.61	60.09	60.20	49.05
	(बी) प्रावधान	4,116.22	3,411.37	3,324.05	2,305.81	2,344.82
	(सी) आस्थगित कर देयताएं (निबल)	-	-	-	-	-
	(डी) अन्य गैर–चालू देयताएं	578.07	540.84	438.46	183.83	165.43
	कुल गैर–चालू देयताएं (बी)	4,775.50	4,022.82	3,822.60	3,749.84	2,559.30
सी.	**चालू देयताएं**					
	(ए) वित्तीय देयताएं					
	(i) उधारी	-	-	150.00	1,103.78	929.00
	(ii) व्यापार देयताएं	1,404.78	484.15	487.01	416.34	507.68
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	439.21	502.75	367.64	834.99	173.50
	(बी) अन्य चालू देयताएं	2,577.22	4,556.45	4,903.02	2,722.84	2,132.51
	(सी) प्रावधान	942.30	1,007.77	1,529.27	1,878.88	1,467.97
	कुल चालू देयताएं (सी)	5,363.51	6,551.12	7,436.94	6,956.83	5,210.66
	कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए+बी+सी)	16,530.54	15,716.66	15,075.58	13,943.77	13,982.06

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

आय एवं व्यय का विवरण
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2020	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
ए.	**से आय**					
1.	सकल विक्रय (कोयला)	16,768.33	16343.92	15,728.80	14,899.71	13,658.81
	घटाव : एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवियां	5,125.69	5069.93	4,910.91	4,470.83	3,106.59
2.	निबल विक्रय	11,642.64	11,273.99	10,817.89	10,428.88	10,552.22
3. (i)	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चाज्र	—	—	—	—	—
(ii)	बालू भराई एवं सख्ती कार्य हेतु सब्सिडी	—	—	1.05	1.42	0.49
(iii)	परिवहन ओर लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	597.39	562.51	428.62	344.52	280.65
(iv)	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निबल)	340.69	343.40	102.55	—	—
(v)	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निबल)	—	—	—	—	—
3.	अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	938.08	905.91	532.22	345.94	281.14
4. (i)	निवेश एवं जमा का ब्याज	143.44	115.29	264.81	258.78	332.00
(ii)	म्युचुअल फंडों से लाभांश	3.15	4.92	10.59	23.25	31.38
(iii)	अन्य गैर–संचालन आय	458.86	192.82	233.56	279.44	101.71
4.	अन्य आय	605.45	313.03	508.96	561.47	465.09
	कुल (ए)	13,186.17	12,492.93	11,859.07	11,336.29	11,298.45
बी.	**के लिए प्रदत्त/प्रावधानित**					
1. (i)	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	3,866.92	3,755.20	3,754.14	3,442.45	3,133.76
(ii)	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान	673.03	699.23	448.80	383.91	376.39
(iii)	ग्रेच्युटी	144.50	246.45	1,014.03	161.84	158.84
(iv)	अवकाश नकदीकरण	201.70	193.60	66.38	202.39	106.23
(v)	अन्य	374.15	234.38	195.20	211.14	234.70
1.	कर्मचारी लाभ व्यय	5,260.30	5,128.86	5,478.55	4,401.73	4,009.92
2.	उपभुक्त सामान की लागत	762.94	796.28	715.02	799.50	807.63
3.	तैयार माल भंडार में बदलाव/प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	126.37	(23.44)	512.66	(612.61)	(135.99)
4.	बिजली एवं ईंधन	226.86	231.02	277.35	290.92	294.40
5.	सामाजिक निगमित उत्तरादायित्व में व्यय	52.89	41.14	37.90	30.29	212.90
6.	मरम्मत्ति	347.09	374.57	326.69	205.39	233.38
7.	संविदात्मक व्यय	1,604.04	1,322.13	1,294.38	1,320.99	1,158.07
8.	वित्त लागत					
	छूट का अनवाईनडिंग	75.09	69.53	67.21	68.11	64.88
	अन्य वित्त लागत	0.53	5.72	103.60	3.77	12.38
9.	मूल्यहास/अमूर्तिकरण/क्षति	490.39	344.28	351.52	372.63	400.58
10.	स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	180.41	347.60	284.51	91.03	(225.83)
11.	प्रावधान एवं राइट ऑफ	35.52	93.95	1.73	471.50	280.72
12.	अन्य व्यय	1,091.02	1,069.09	1,020.46	1,521.74	1,082.82
	कुल (बी)	10,253.45	9,800.73	10,471.58	8,964.99	8,195.86
13.	**कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (ए–बी)**	2,932.72	2,692.20	1,387.49	2,371.30	3,102.59
14.	अपवादात्मक वस्तु	—	—	—	—	—
15.	**कर पूर्व लाभ**	2,932.72	2,692.20	1,387.49	2,371.30	3,102.59
16.	घआव : कर व्यय	1,084.97	987.73	579.71	984.19	1,179.21
17.	**वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ**	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
18.	समाप्त संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	—	—	—	—	—
19.	संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लाभ/(हानि) में अंश	—	—	—	—	—
20.	**वर्ष के लिए लाभ**	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
21.	**अन्य विस्तृत आय**					
	ए. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	(326.38)	(30.27)	155.59	20.05	65.49
	(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	(82.14)	(10.58)	53.85	8.32	24.83
	बी. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—	—	—
	(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—	—	—
22.	**अन्य कुल विस्तृत आय**	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ/(हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04
23.	**आरोप्य लाभ :**					
	कंपनी के स्वामी	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—
		1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
24.	**अन्य आरोप्य विस्तृत आय**					
	कंपनी के स्वामी	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—
		(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
25.	**कुल आरोप्य विस्तृत आय :**					
	कंपनी के स्वामी	1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—
		1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2019-20	2018-19	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17 (पुनर्लिखित)	2015-16 (पुनर्लिखित)
(ए)	परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित					
(1)	(i) ₹ 1000/– प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरधारकों की निधि					
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	(बी) आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	2,246.09	2153.70	2068.48	2029.00	1958.94
	(सी) संचित लाभ	3,205.44	2049.02	807.56	268.10	3313.16
	निबल संपत्ति	**6391.53**	**5142.72**	**3816.04**	**3237.10**	**6212.10**
	(डी) पूंजीगत शेष	—	—	—	—	—
	शेयरधारकों की निधि	**6391.53**	**5142.72**	**3816.04**	**3237.10**	**6212.10**
(2)	(i) चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	—	—	1500.00	—
	(ii) चालू परिपक्वता दीर्घकालिक उधारी छोड़	—	—	—	1200.00	—
(3)	(i) सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	6,568.64	3960.35	3531.70	3190.10	2940.32
	(ii) संचित मूल्यह्रास/क्षति	1,898.53	1464.26	1110.61	763.70	398.34
	(iii) निबल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4,670.11	2496.09	2421.09	2426.40	2541.98
(4)	(i) चालू परिसंपत्ति	7,387.65	6790.80	6457.60	7338.02	8551.95
	(ii) चालू देयताएं	5,363.51	6551.12	7436.94	6956.83	5210.66
	(iii) **निबल चालू परिसंपत्तियाँ/कार्यशील पूंजी**	**2024.14**	**239.68**	**(979.34)**	**381.19**	**3341.29**
(5)	(i) **नियोजित पूंजी (3 (iii) + 4 (iii))**	**6694.25**	**2735.77**	**1441.75**	**2807.59**	**5883.27**
	(ii) निबल पूंजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	1,189.57	2766.35	1903.45	1381.98	509.79
	(iii) **सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूंजी (5 (i) + 5 (ii))**	**7883.82**	**5502.12**	**3345.20**	**4189.57**	**6393.06**
(6)	(i) व्यापार प्राप्य	2,492.11	1095.13	1121.00	1673.79	1359.93
	(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	117.94	244.55	161.98	325.07	1968.58
	(iii) अन्य बैंक शेष	490.85	841.51	1194.23	1349.08	2090.19
(7)	(i) कोयले का अंत स्टॉक (निबल)	1103.27	1229.85	1206.37	1925.17	1313.62
	(ii) भंडार एवं कलपुर्जों का अंत स्टॉक (निबल)	125.51	119.15	137.92	164.78	172.54
	(iii) अनय अंत स्टॉक (निबल)	4.58	4.66	4.94	6.31	5.10
(बी)	लाभ/हानि संबंद्ध					
(1)	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	3,498.73	3111.73	1909.82	2815.81	3580.43
	(ii) सकल लाभ (पीबीडीआईटी)	3,008.34	2767.45	1558.30	2443.18	3179.85
	(iii) कर पूर्व लाभ	2,932.72	2692.20	1387.49	2371.30	3102.59
	(iv) वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	1,847.75	1704.47	807.78	1387.11	1923.38
	(v) निबल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	1,553.53	1407.43	276.68	(2246.93)	211.64
	(vi) कुल विस्तृत आय	1,603.51	1684.78	909.52	1398.84	1964.04
(2)	(i) कोयले का सकल विक्रय	16,768.33	16343.92	15728.80	14899.71	13658.81
	(ii) निबल विक्रय	11,642.64	11273.99	10817.89	10428.88	10552.22
	(iii) उत्पादन का विक्रय मूल्य	11,516.27	11297.43	10305.23	11041.49	10688.21
(3)	बेचे गए सामान का विक्रय मूल्य (निबल विक्रय–पीबीटी)	8709.92	8581.79	9430.40	8057.58	7449.63
(4)	कुल व्यय	10,253.45	9800.73	10471.58	8964.99	8195.86
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	5,260.30	5128.86	5478.55	4401.73	4009.92
	(ii) उपभुक्त सामग्री की लागत	762.94	796.28	715.02	799.50	807.63
	(iii) बिजली एवं ईंधन	226.86	231.02	277.35	290.92	294.40
	(iv) वित्तीय व्यय एवं मूल्य ह्रास	566.01	419.53	522.33	444.51	477.84
(5)	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	63.58	66.36	59.59	66.63	67.30
(6)	(i) वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	38990	40000	41467	42919	44346.00
	(ii) सीएसआर व्यय	52.89	41.14	37.90	30.29	212.90
	(iii) प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (₹ '000)	13.57	10.29	9.14	7.06	48.01
(7)	अभिवृद्धित मूल्य	10526.47	10270.13	9312.86	9951.07	9586.18
	(i) प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (₹ '000)	2699.82	2567.56	2245.88	2318.60	2161.68

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019—20	2018—19	2017—18 (पुनर्लिखित)	2016—17 (पुनर्लिखित)	2015—16 (पुनर्लिखित)
ए.	**लाभकारित अनुपात**					
1.	**प्रतिशत के रूप मे निबल विक्रय**					
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	30.05	27.60	17.65	27.00	33.93
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	25.84	24.55	14.40	23.43	30.13
	(iii) कर पूर्व लाभ	25.19	23.88	12.83	22.74	29.40
2.	**प्रतिशत के रूप में कुल व्यय**					
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	51.30	52.33	52.32	49.10	48.93
	(ii) उपभुक्त सामान की लागत	7.44	8.12	6.83	8.92	9.85
	(iii) बिजली एवं ईंधन	2.21	2.36	2.65	3.25	3.59
3.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)**					
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	52.26	113.74	132.47	100.29	60.86
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	44.94	101.16	108.08	87.02	54.05
	(iii) कर पूर्व लाभ	43.81	98.41	96.24	84.46	52.74
4.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)**					
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	44.38	56.56	57.09	67.21	56.00
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	38.16	50.30	46.58	58.32	49.74
	(iii) कर पूर्व लाभ	37.20	48.93	41.48	56.60	48.53
5.	**कार्य संचालन अनुपात (निबल विक्रय – पीबीटी/निबल विक्रय)**	0.75	0.76	0.87	0.77	0.71
बी.	**तरलता अनुपात**					
	1. चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएं)	1.38	1.04	0.87	1.05	1.64
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएं)	1.15	0.83	0.69	0.75	1.36
सी.	**टर्नओवर अनुपात**					
	1. पूंजीगत टर्नओवर अनुपात					
	(i) निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूंजी)	1.74	4.12	7.50	3.71	1.79
	(ii) निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूंजी	1.48	2.05	3.23	2.49	1.65
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निबल)					
	(i) सकल विक्रय	1.78	0.80	0.86	1.35	1.19
	(ii) निबल विक्रय	2.57	1.17	1.24	1.93	1.55
	3. निबल विक्रय के अनुपात के रूप में					
	(i) व्यापार प्राप्य	0.21	0.10	0.10	0.16	0.13
	(ii) कोयले का भंडार	0.09	0.11	0.11	0.18	0.12
	4. कोयले का भंडार					
	(i) माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	1.15	1.31	1.40	2.09	1.47
	(ii) माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.52	1.72	1.54	2.87	2.12
	(iii) माह की संख्या अनुसार निबल विक्रय	1.14	1.31	1.34	2.22	1.49
डी.	**संरचनात्मक अनुपात**					
	1. दीर्घकालिक ऋण : इक्विटीगत शेयर पूंजी	—	—	—	1.28	—
	2. दीर्घकालिक ऋण : निबल संपत्ति	—	—	—	0.37	—
	3. निबल संपत्ति : इक्विटी	6.80	5.47	4.06	3.44	6.61
	4. निबल अचल संपत्ति : निबल संपत्ति	0.73	0.49	0.63	0.75	0.41
ई.	**शेयरधारकों का ब्याज**					
	1. शेयर का अंकित मूल्य (₹) (निबल संपत्ति/इक्विटी की संख्या)	6799.49	5470.98	4059.62	3443.72	6608.62
	2. प्रति शेयर लाभांश (₹)	313.00	316.00	565.00	3866.00	1821.00

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 से सूची III के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए			
		2015	2014	2013	2012
(क)	**स्वामित्व वाली :**				
	सकल अचल सम्पत्ति	5459.57	5116.32	4805.64	4778.18
	घटाव : अवक्षयण एवं क्षति	3705.82	3502.93	3407.82	3290.34
(1)	निबल अचल सम्पत्ति	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
(2)	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	583.38	509.71	321.96	259.15
(3)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	620.47	566.31	579.37	502.51
(4)	गैर–चालू निवेश	0.00	9.43	18.85	28.27
(5)	लम्बी अवधि के ऋण और अग्रिम	111.58	70.75	208.66	171.16
(6)	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	810.05	520.05	0.00	0.00
(7)	चालू परिसंपत्तियाँ				
	(i) (क) कोयला, कोक आदि की भंडार	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ख) भण्डार ओर स्पयेर की भंडार	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ग) अन्य संपत्ति सूची	5.73	4.87	5.74	4.95
	(ii) प्राप्य राशियां (निबल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(iii) नकद और नकद के समान	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
	(iv) चालू निवेश	403.79	605.10	109.42	9.42
	(v) कम अवधि के ऋण और अग्रिम	827.17	729.48	577.04	576.65
	(vi) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	526.01	434.77	439.54	370.68
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (7)	**8521.30**	**7680.77**	**7478.95**	**7553.11**
(8)	घटाव चालू देयताएँ और प्रावधान	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
	व्यापार भुगतान योग्य	108.46	91.32	78.99	74.39
	अन्य चालू देयताएं	2662.20	2774.77	2362.29	2468.81
	अल्पकालिन के प्रावधान	1410.84	1384.58	1576.17	1808.78
	अल्पकालिन के ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	निबल चालू परिसंपत्तियाँ (7–8)	4339.80	3430.10	3461.50	3201.13
	कुल (क)	8219.03	6719.74	5988.16	5650.06
(ख)	**देनदारी**				
	(1) दीर्घकालीन ऋण	0.00	0.00	69.92	87.54
	(2) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	34.34	32.37	17.09	3.26
	(3) दीर्घकालीन प्रावधान	2372.31	2184.42	1893.07	2121.88
	कुल (ख)	**2406.65**	**2216.79**	**1980.08**	**2212.68**
	निबल मूल्य (क–ख)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	द्वारा प्रतिनिधित्व				
1	इक्विटी पूंजी	940.00	940.00	940.00	940.00
2	संचय	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
3	लाभ / हानि (+) / (–)(अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निबल मूल्य (1–3)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	लगाई गई पूंजी	**6093.55**	**5043.49**	**4859.32**	**4688.97**

आय तथा व्यय का विवरण

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा
वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 से सूची III के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए			
		2015	2014	2013	2012
(ए)	**से आय**				
	सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	घटाव : लेवी (एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवी)	2306.44	1937.36	2023.86	1473.22
1	निबल बिक्री	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
2	अन्य आय (ए से डी)	597.54	624.94	681.64	565.28
	(ए) सैंड स्टोइंग ओर सुरक्षात्मक कार्य की सहायिकी	0.35	1.74	2.01	2.53
	(बी) परिवहन से वसूली और लोडिंग खर्च	252.98	228.56	199.47	203.89
	(सी) बैंक जमा पर ब्याज	251.47	300.47	359.81	293.31
	(डी) अन्य गैर संचालित आय	92.74	94.17	120.35	65.55
	कुल (क)	**10072.53**	**9180.95**	**9237.88**	**8097.40**
(बी)	**को भुगतान/के लिए प्रावधान**				
1	कर्मचारी लाभ व्यय	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ए) वेतन, वेजेज, भत्ते, बोनस आदि	2777.98	2669.31	2454.02	2244.21
	(बी) पीएफ में अंशदान और अन्य निधि	366.87	340.44	383.30	245.80
	(सी) ग्रेच्युटी	101.53	67.46	177.06	481.61
	(डी) छुट्टी का नकदीकरण	168.36	23.97	102.43	167.69
	(ई) अन्य	482.45	408.02	405.66	353.19
2	स्टॉक में वृद्धि/कमी	(112.07)	36.74	275.71	(86.50)
3	कल्याण व्यय*	0.00	76.73	63.31	24.56
4	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	48.87	0.00	0.00	0.00
5	उपभोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
6	ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
7	ठेकेदार (मरम्मत सहित)	1166.96	724.06	669.13	638.37
8	वित्तीय व्यय	1.08	7.98	7.55	3.58
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	312.55	254.10	235.21	220.80
10	प्रावधान एवं राइट ऑफ	170.98	182.66	279.36	183.37
11	ओवरबर्डेन हटाने का समायोजन	(44.77)	241.66	(43.53)	188.59
12	अन्य व्यय	742.46	632.71	584.23	659.66
13	पिछली अवधि का समायोजन	33.11	(11.27)	(23.67)	(40.49)
	कुल (बी)	**7332.19**	**6655.08**	**6554.32**	**6127.16**
	वर्ष के लिए लाभ (ए–बी)	**2740.34**	**2525.87**	**2683.56**	**1970.24**
	लाभ पर कर	969.73	854.11	797.95	650.69
	लाभांश (अंतरिम एवं प्रस्तावित)	354.74	1003.05	1131.37	791.74
	लाभांश पर कर	71.85	173.84	183.54	128.44
	सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	274.03	252.59	268.36	197.02
	सीएसआर के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	27.26	24.00	23.76
	एसडी के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	2.28	1.72	0.00
	बी/एफ पिछले वर्ष से	1973.78	1761.04	1484.42	1305.83
	प्रतिधारण आय में समायोजन**	34.59	-	-	-
	तुलन पत्र पर संचित लाभ/हानि स्थानांतरित	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	संचित लाभ और हानि (रिजर्व में स्थानांतरण के पूर्व)	3283.21	2255.91	2055.12	1705.20

* कम्पनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल ।।। के अनुपालन में, सीएसआर व्ययों के वित्तीय विवरण को नोट–25 में अलग से दिया गया है एवं कल्याण व्ययों को उनकी प्रकृति अनुसार नोट–24 अर्थात कर्मचारी लाभ व्यय एवं नोट – 31, अन्य व्ययों में डाला गया है।

2014–15 वित्तीय वर्ष के पूर्व सीएसआर के व्ययों को कल्याण व्यय के शीर्ष में डाला जाता था।

** 01.04.2014 से प्रभावित कम्पनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल ।। के अनुपालन में, जो मूल्यह्रास से संबंधित है, वर्ष 2014–15 में प्रतिधारित आय को 34.59 करोड़ कम दर्शाया गया है।

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा
वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 से सूची III के अनुसार

(ए) वित्तीय सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए			
		2015	2014	2013	2012
(ए)	**परिसंपत्ति एवं देयताओं से संबंधित**				
(1)	(i) प्रत्येक ₹ 1000/– के इक्विटी शेयर की संख्या	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरहोल्डर निधि				
	(क) इक्विटी	940.00	940.00	940.00	940.00
	(ख) आरक्षित	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
	(ग) जमा हुई लाभ/हानि (+)/(–)(अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निबल मूल्य	5812.38	4502.95	4008.08	3437.38
(2)	(क) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता सम्मिलित	0.00	0.00	86.90	104.32
	(ख) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता के अलावा	0.00	0.00	69.92	87.54
(3)	लगाई गई पूंजी	6093.55	5043.49	4859.32	4688.97
(4)	(i) निबल स्थाई परिसंपत्तियां	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
	(ii) चालू परिसंपत्तियां	8521.30	7680.77	7478.95	7553.11
	(iii) चालू देयताएं	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
(5)	(क) व्यापार प्राप्य (निबल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(ख) नकद एवं नकद समतुल्य	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
(6)	क्लोजिंग स्टॉक :				
	(क) भण्डार और स्पेयर्स (निबल)	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ख) कोयला और कोक आदि (निबल)	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ग) अन्य सामग्री	5.73	4.87	5.74	4.95
(7)	भण्डार और स्पेयर्स के औसत स्टॉक (निबल)	157.03	148.43	148.27	145.22
(बी)	**लाभ हानि से संबंधित**				
(1)	(क) सकल मार्जिन	3053.97	2786.55	2924.86	2192.89
	(ख) कर से पहले लाभ	2741.42	2532.45	2689.65	1972.09
	(ग) कर से पहले लाभ	2740.34	2525.87	2683.56	1970.24
	(घ) निबल लाभ (कर के बाद	1770.61	1671.76	1885.61	1319.55
	(ड.) निबल लाभ (कर और लाभांश के बाद)	1344.02	494.87	570.70	399.37
(2)	(क) सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	(ख) निबल बिक्री (लेवी के बाद)	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
	(ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	9587.06	8519.27	8280.53	7618.62
(3)	बेचे गए सामान का मूल्य (निबल बिक्री–लाभ)	6734.65	6030.14	5872.68	5561.88
(4)	(क) कुल खर्च	7332.19	6655.08	6554.32	6127.16
	(ख) कर्मचारी लाभ खर्च	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ग) उपयोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
	(घ) ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
	(ड.) वित्तीय मूल्य और मूल्य ह्रास	313.63	262.08	242.76	224.38
(5)	भण्डार और स्पेयर्स की औसत उपयोगिता (सकल) प्रति माह	69.80	61.16	52.14	48.11
(6)	(क) वर्ष के दौरान लगाई गई औसत श्रमशक्ति	45849	47406	49076	51156
(7)	(क) मूल्य जुड़ाव	8471.30	7519.02	7296.51	6776.45
	(ख) मूल्य जुड़ाव प्रति कर्मचारी (₹ '000)	1847.67	1586.09	1486.78	1324.66

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा
वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 से सूची III के अनुसार

(बी) वित्तीय अनुपात/प्रतिशतता

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए			
		2015	2014	2013	2012
(ए)	**लाभकारिता अनुपात**				
(1)	निबल बिक्री % के अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	32.23	32.57	34.18	29.11
	(ख) सकल लाभ	28.93	29.60	31.43	26.18
	(ग) कर से पहले लाभ	28.92	29.52	31.36	26.16
(2)	कुल खर्च के प्रतिशत अनुसार				
	(क) कर्मचारी लाभ खर्च	53.15	52.73	53.74	57.00
	(ख) उपयोगिता सामग्री का मूल्य	11.42	11.03	9.55	9.42
	(ग) ऊर्जा एवं ईंधन	3.79	4.01	5.47	4.33
	(घ) ब्याज एवं मूल्यह्रास	4.28	3.92	3.68	3.63
(3)	लगाई गई पूंजी % के अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	50.12	55.25	60.19	46.77
	(ख) सकल लाभ	44.99	50.21	55.35	42.06
	(ग) कर से पहले लाभ	44.97	50.08	55.23	42.02
(4)	संचालन अनुपात (बिक्री–लाभ/बिक्री)	0.71	0.70	0.69	0.74
(बी)	**तरलता अनुपात**				
	(1) चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएं)	2.04	1.81	1.86	1.74
	(2) द्रुत प्रभावी अनुपात (द्रुत प्रभावी परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएं)	1.71	1.52	1.55	1.38
(सी)	**कारोबार अनुपात**				
	(1) पूंजी टर्नओवर अनुपात (निवल बिक्री/लगाई गई पूंजी)	1.55	1.70	1.76	1.61
	(2) व्यापार प्राप्य, माह की संख्या अनुसार				
	(क) सकल बिक्री	1.49	2.15	1.74	1.44
	(ख) निबल बिक्री	1.86	2.63	2.15	1.72
	(3) निवल बिक्री				
	(क) व्यापार प्राप्य	0.15	0.22	0.18	0.14
	(ख) कोयला, कोक, धुला कोयला आदि का स्टॉक	0.12	0.12	0.13	0.18
	(4) भण्डार ओर स्पेयर्स का स्टॉक				
	(क) औसत स्टॉक/वार्षिक खपत	0.19	0.20	0.24	0.25
	(ख) मासिक खपत की संख्या पर अंतिम स्टॉक	2.39	2.41	2.87	3.05
	(5) कोयला, कोक, धुले कोयले आदि का स्टॉक				
	(क) माह की संख्यानुसार उत्पादन मूल्य	1.48	1.50	1.60	2.17
	(ख) माह की संख्यानुसार बिके माल का मूल्य	2.10	2.12	2.25	2.98
	(ग) निवल बिक्री माह की संख्यानुसार	1.49	1.50	1.55	2.20
(डी)	**संरचनात्मक अनुपात**				
	(1) ऋण इक्विटी	0.00	0.00	0.07	0.09
	(2) ऋण : निबल मूल्य	0.00	0.00	0.02	0.03
	(3) निवल मूल्य : इक्विटी	6.18	4.79	4.26	3.66
	(4) निवल स्थाई परिसम्पत्तियां : निबल मूल्य	0.30	0.36	0.35	0.43
(ई)	**शेयरधारकों का ब्याज**				
	(1) शेयर की बुक वैल्यु (₹) (निवल मूल्य/इक्विटी की संख्या)	6183.38	4790.37	4263.91	3656.79

निदेशकीय प्रतिवेदन

प्रति,

अंशधारकगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकीय मंडल की ओर से अंकेक्षित वित्तीय विवरणी सहित कंपनी की 64वीं वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उक्त के सापेक्ष प्रबंधान के उत्तर के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षित लेखा पर समीक्षा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

1. उत्पादन

वर्ष 2018–19 की वास्तविक आंकड़ों तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

विवरण	2019–20		2018–19	प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एमटी)	76.363	66.186	68.407	–3.247
भूमिगत खदान से (एमटी)	0.637	0.703	0.315	123.363
कुल (एमटी)	**77.000**	**66.889**	**68.722**	**–2.667**
ओबीआर (एमएम³)	**108.000**	**103.356**	**100.490**	**2.852**
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (एमटी)	1.406	0.761	0.805	–5.466
प्रेषण (एमटी)	–	0.764	0.807	–5.328
धुला कोयला (नॉन–कोकिंग)				
उत्पादन (एमटी)	7.242	6.480	6.631	–2.274
प्रेषण (एमटी)	–	6.503	6.637	–2.018
उत्पादकता (ओएमएस–टीई)				
खुली खदान	10.19	10.06	9.74	
भूमिगत खदान	0.42	0.54	0.21	
कुल	8.56	8.49	8.09	

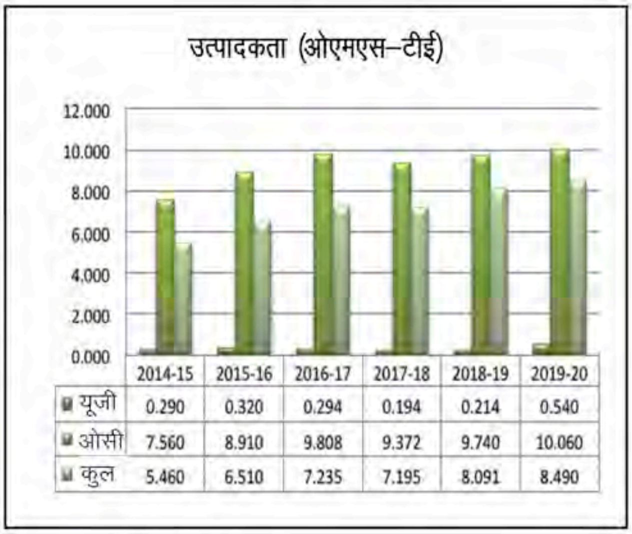

2. वाशरी का प्रदर्शन

आपकी कंपनी कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोयले के परिष्करण व्यवसाय में है। यहाँ कोकिंग कोल के परिष्करण/बेनीफिशिएशन हेतु चार एवं गैर–कोकिंग कोयले हेतु दो गैर–कोकिंग कोल वाशरियां अवस्थित हैं। हालाँकि, 05–09–2019 के बाद स्वांग कोकिंग कोल वाशरी का परिचालन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार, गिद्दी और करगली नॉन कोकिंग कोल वाशरी क्रमशः 06–09–2019 और 2019–20 के पश्चात परिचालन में नहीं हैं।

1. वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीएल के सकल लाभ में कोयला वाशरियों का योगदान 394.14 करोड़ रहा है।

उपलब्धियां – वित्तीय वर्ष 2019–20 :

1. वि.व. 2019–20 में कोकिंग कोल वाशरियों में परिष्कृत पॉवर कोयले की उत्पादकता गत वर्ष 33.19% से बढ़कर 33.84% हो गयी ।
2. वि.व. 2019–20 में गैर–कोकिंग कोल वाशरियों में परिष्कृत कोयले की उत्पादकता गतवर्ष 97.96% से बढ़कर 99.40% हो गई।
3. वि.व. 2018–19 की तुलना में वि.व. 2019–20 में कोकिंग कोल वाशरियों में परिष्कृत पॉवर कोयले की उत्पादकता प्रतिशत 45.58% से बढ़कर 48.58% हो गयी ।
4. वि.व. 2019–20 में कोकिंग कोल वाशरियों के 7.615 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष स्टील कारखानों को 7.646 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया है।
5. वि.व. 2019–20 में कोकिंग कोल वाशारियों ने 10.934 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष विद्युत–संयंत्रों को 11.418 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया है।
6. वि.व. 2019–20 में गैर–कोकिंग कोयला वाशरियों ने 64.803 लाख टन उत्पादन के सापेक्ष विद्युत–संयंत्रों को 65.030 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया है।

कोकिंग कोल परिष्करण इकाइयाँ :

1. वि.व. 2018–19 में 8.047 लाख टन के सापेक्ष परिष्कृत मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) का उत्पादन वि.व. 2019–20 में 7.615 लाख टन रहा।

2. मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वि.व. 2019–20 में कोकिंग कोल कोयला वाशरियों को 138.17 करोड़ रु की हानि हुई।

3. विगत वर्ष की तुलना में वि.व. 2019–20 में वॉशरीवार उत्पादन और परिष्कृत कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है:

वाशरी	उत्पादन (लाख टन)		उपज प्रतिशत	
	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19
कथारा	1.171	0.681	29.763	20.411
स्वांग	0.936	0.885	40.275	23.464
रजरप्पा	3.398	3.314	32.914	38.897
केदला	2.110	3.167	35.632	36.755
कुल	7. 615	8. 047	33. 838	33. 192

गैर–कोकिंग कोयला वाशरियां:

1. वि.व. 2019–20 के दौरान 64.801 लाख टन परिष्कृत गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया ।

2. वि.व. 2019–20 के दौरान गैर–कोकिंग कोल कोयला वाशरियों का लाभ में योगदान रु 532.31 करोड़ रहा।

3. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में वॉशरीवार उत्पादन और परिष्कृत गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है:

वाशरी	उत्पादन (लाख टन)		उपज प्रतिशत	
	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19
पिपरवार	64.405	64.308	99.832	99.413
गिद्दी	0.398	0.881	58.659	50.807
करगली	बंद	1.122	बंद	88.393
कुल	**64. 803**	**66. 311**	**99. 404**	**97. 961**

नवीन वाशरी इकाईयों की स्थापना से संबद्ध उपलब्धियां :

1. कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार 14% राख अवयव प्रतिशतता पर धुले कोयले के उत्पादन हेतु देशज कोकिंग कोयले के परिष्करण की व्यवहार्यता का विस्तृत तकनीकी–आर्थिक अध्ययन 3.0 मि.ट. न्यू कथारा का और 4 मि.ट. बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वॉशरियों में किया गया ताकि इस्पात उत्पादकों द्वारा कोकिंग कोयले के आयात को न्यूनीकृत किया जा सके ।

सं	वाशरी	18 % राख पर प्रयोगात्मक उपज	मात्रा	धुले कोकिंग कोयले के रू. 6500/ टन लागत पर अनुमानित वार्षिक लाभ	14% राख पर प्रयोगात्मक उपज	मात्रा	धुले कोकिंग कोयले के रू. 6500/ टन लागत पर अनुमानित वार्षिक लाभ
1.	3.0 मि.ट.व. न्यू कथारा वाशरी	60.6	1.82	491.7	39.2	1.176	382.6
2.	4.0 मि.ट.व. बसंतपुर–तापिन	37.9	1.516	317.8	23.9	0.956	217.6

तदनुसार, 3.0 मि.ट./वर्ष न्यू कथारा और 4 मि.ट./वर्ष बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वॉशरी के सफल बोलीकर्ता(बीओओ संचालक) यथा मेसर्स एकेए लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (लीड बोलीकर्ता) और मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (लीड बोलीकर्ता) क्रमशः ने ग्राहकों की माँग के अनुसार 14–15% राख अवयव पर परिष्कृत कोयले का उत्पादन करने के लिए अपना अनुबंध प्रस्तुत किया है।

2. सीसीएल बोर्ड ने 03.02.2020 को आयोजित अपनी 483वीं बैठक में 3 मि.ट./वर्ष न्यू कथारा और 4 मि.ट./वर्ष बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना हेतु दिनांक 05.03.2019 को निर्गत पूर्व–विद्यमान आशय–पत्र को अनुमोदन प्रदान किया है।

3. 3 मि.ट./वर्ष न्यू कथारा कोकिंग कोल वाशरी हेतु संशोधित खान योजना, कोयले की नवीनतम विशेषताओं सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 21.3.2020 को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. 4 मि.ट.व. बसंतपुर–तापीन कोकिंग कोल वाशरी के जल संतुलन, नवीनतम कोयला विशेषताएं, ईएमपी सहित ट्रेफिक लोड स्टडी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को देने के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है।

3. प्रेषण :

वर्ष 2019– 20 में कच्चे कोयले का सकल प्रेषण 67.332 मि.टन रहा। विगत वर्ष की तुलना में माध्यमवार प्रेषण निम्नानुसार है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2019–20	2018–19	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	35.649	30.544	16.71%
सड़क	22.913	28.709	–20.19%
वाशरी को फीड	8.770	9.193	–4.60%
कोलियरी खपत	0.00026	0.00030	–14.00%
कुल प्रेषण	**67.332**	**68.446**	**–1.63%**

वि.व. 2019–20 में रेल के माध्यम से सीसीएल ने कोयला उठाव में 16.71% की वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्रेषण 68.121 मिलियन टन रहा। वर्ष 2019–20 में कोयले एवं इसके विभिन्न उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण निम्नलिखित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	स्वच्छ कोयला	धुला कोयला शक्ति	नन–कोकिंग धुला कोयला	स्लरी	रेजेक्ट्स	कुल
पावर	46.648	0.000	0.166	6.320	0.000	0.000	53.134
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	0.039	0.765	0.976	0.182	0.000	0.000	1.961
उर्वरक	0.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.143
अन्य	11.732	0.000	0.000	0.000	0.188	0.961	12.883
कुल	58.562	0.765	1.142	6.503	0.188	0.961	68.121

* अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई–ऑक्शन, भूतपूर्व नॉन–कोर ग्राहक, स्पंज लोहा, सी.पी.पी. एवं राज्य ऐजेंसियाँ ।

4. कोयला भंडार :

दिनांक 31.03.2019 को 13.302 मिलियन टन कोयला–भंडार की तुलना में 31 मार्च 2020 को अपरिष्कृत कोयले का भंडार 13.45 मिलियन टन था ।

(सभी उत्पादक ईकाइयों, कोयला वाशरियों एवं कोक संयंत्रों में अपरिष्कृत कोयला–भंडार सहित)

5. सकल विक्रय तथा विक्रय–प्राप्ति :

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का सकल विक्रय रूपये 16768.33 करोड़ एवं विक्रय–प्राप्ति रूपये 15969.07 करोड़ रही (सभी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि सहित) । 31 मार्च 2020 तक कर्जदारों (कुल) की क्षेत्रवार सारणी निम्नवत है :

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पावर	2629.86	1338.09
स्टील	946.42	800.20
अन्य	40.33	40.33
कुल	**3616.61**	**2178.62**

6. एचइएमएम की संख्या एवं उपलब्धियां :

31.03.2019 की तुलना में सीसीएल की मशीनीकृत खुली खदानों में 31.03.2020 को एचईएमएम की संख्या निम्नवत है :

एचईएमएम	निम्न तिथि पर आबादी	
	31.03.2020	31.03.2019
शॉवेल	95	104
डम्पर	366	421
डोजर	164	164
ड्रिल	118	116
कुल	**743**	**805**

एचईएमएम	% उपलब्धता			% उपयोगीकरण		
	मानदंड	वास्तविक		मानदंड	वास्तविक	
		2019–20	2018–19		2019–20	2018–19
शॉवेल	80	77.1	75.2	58	43.8	40.9
डम्पर	67	72.9	72.9	50	36.6	35.4
डोजर	70	80.9	73.0	45	19.3	20.8
ड्रिल	78	85.9	83.3	40	21.2	28.2

7. प्रणाली धारिता उपयोगिताः

01.04.19 में मूल्यांकन किया गया 2019–20 के लिए कुल प्रणाली क्षमता (एमएम³)	01.07.19 में मूल्यांकन (पुनरीक्षित) किया गया 2019–20 के लिए कुल प्रणाली क्षमता (एमएम³)	ओसी माइंस द्वारा उत्पादन की उपलब्धि (2019–20)			% क्षमता उपयोगीकरण	
		कोयला (एमटी)	ओबीआर (एमएमक्यू)	सम्मिलित (एमएमक्यू)	2019–20	2018–19
203.12	199.10	66.186	103.71	145.528	72.73	80.40

8. कोयला विपणनः

8.1 एएपी के अनुसार मांग पूर्ती

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	विगत वर्ष पर वृद्धि %
	2019–20	2019–20	2019–20	2018–19	2018–19	2018–19	
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	3.62	1.916	53%	3.114	1.5	51%	19.75%
पावर	60.145	53.134	88%	51	52.375	103%	1.45%
उर्वरक	0.45	0.143	32%	0.35	0.087	25%	64.37%
अन्य	12.785	12.683	101%	14.236	14.611	103%	-11.83%
कुल	77	68.121	88%	68.7	68.674	100%	-0.81%

8.2 वैगन लोडिंग :

वर्ष 2019–20 एवं 2018–19 में कोलफील्डवार लोडिंग की वस्तुस्थिति निम्न सारणी में दी गयी है :

(रेक / दिन)

रेलवे फील्ड्स	2019–20	2018–19	विगत वर्ष पर वृद्धि %
साउथ कर्णपुरा	5	6.2	–19.35%
नार्थ कर्णपुरा	21	15.2	38.16%
उप–कुल कर्णपुरा	**26**	**21.4**	**21.50%**
झरिआ	7.6	8.1	–6.17%
पू.म.रेलवे कुल	**33.5**	**29.5**	**13.56%**
गिरिडीह	0.2	0.4	–50.00%
पू. रेलवे कुल	**0.2**	**0.4**	**–50.00%**
रांची	0.6	0.7	–14.29%
द.पू. रेलवे	**0.6**	**0.7**	**–14.29%**
सीसीएल कुल	**34.4**	**30.6**	**12.42%**

8.3 कोयले की ई–नीलामी

वि.व. 2019–20 के दौरान स्पॉट ई–नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

अवधि	ई–नीलामी योजना	पेशकश की मात्रा (मिलियन टन)	दर्ज मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचित कीमत पर लाभ (रू. लाख में)	अधिसूचित कीमत पर % लाभ
2019–20	रेल	0	0	0	0
	सड़क	5.075	3.852	65575	106
	स्लरी	0.308	0.258	2987	54
	रिजेक्ट्स	0.237	0.237	3676.4	170
कुल		5.620	4.347	72239	104

9. कोयले का चूर्णन :

2019–20 में फीडर ब्रेकरों और कोल हैंडलिंग प्लांट के माध्यम से अनुमानित 8.95 मिलियन टन कोयले का चूर्णन किया गया है । वित्त वर्ष 2020–21 में 1.5 टन/वर्ष क्षमता युक्त 5 फीडर ब्रेकर क्रय करने का प्रस्ताव प्रक्रियागत है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020–21 में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/परियोजनाओं में खदान आगत विस्फोटित इनपुट कोयले (रॉम कोयले) को (–)100 मिमि के आउटपुट को 3 प्रकार के आकार में करने हेतु 1.5 मि.टन/वर्ष क्षमता के 13 इकाईयां 400 टन/घंटे (प्रत्येक की निर्धारित क्षमता) युक्त सेमी–मोबाइल / स्किड माउंटेड क्रशिंग / साइजिंग / ब्रेकिंग इकाइयों की उपकरण आपूर्ति, संयंत्र लगाने, प्रारंभ करने, संचालन एवं रखरखाव सहित पुर्जों तथा उपभोज्य सामग्रियों आदि सहित की निविदा को रिस्क गेन शेयरिंग बेसिस पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में, तीन सीएचपीयों यथा मगध सीएचपी (20 मि.ट/वर्ष) अनुमानित मूल्य रू. 521.10 करोड़, साइलो सहित आम्रपाली सीचपी (12 मि.ट/वर्ष) – अनुमानित मूल्य रू. 305.86 करोड़ एवं साइलो सहित उरीमारी सीएचपी (7.5 मि.ट/वर्ष) – अनुमानित मूल्य रू. 286.49 करोड़ की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन को सीआईएल/सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। 03 (तीन) सीएचपीयों के निर्माण–कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है तथा वित्त वर्ष 2020–21 में दिए जाने की संभावना है।

उक्त सीएचपीयों की स्थापना से खदानों में कन्वेयर बेल्ट द्वारा रेल वैगनों तक कोयले का परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ–साथ इसके अनुप्रयोग से कोयला परिवहन में ट्रकों/टिपरों आदि की आवश्यकता समाप्त होगी।

10. तुलन गृहों का प्रदर्शन

सीसीएल की वर्तमान रोड–वेब्रिजों के स्थानांतरण से परिसंपत्ति का कुशल उपयोग । प्रेषण को गति प्रदान करने हेतु मगध और आम्रपाली जैसी अतिमहत्वपूर्ण परियोजनाओं में रोड–वेब्रिजों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई है । साथ ही वर्धित लक्ष्य को पूरा करने के लिए चार (04) रोड–वेब्रिजों को बो–कर. क्षेत्र मे स्थानांतरित किया गया है।

02 की संख्या में रेल–वेब्रिजों की स्थापना बालूमाथ साइडिंग में की गई है, जो टोरी–शिवपुर मार्ग पर वजनीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ती करेगा। वित वर्ष 2019–20 में 04 स्थानों पर नवीन 120 इन–मोशन रेल–वेब्रिजों की स्थापना की गई हैं – तारमी साइडिंग, केडीएच साइडिंग बालूमथ साइडिंग लाइन संख्या 1 एवं लाइन संख्या 4 में। 06 इन–मोशन रेल–वेब्रिजों की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

सीसीएल में भविष्यगत क्रय के उद्देश्य से रोड वेब्रिजों की तकनीकी विशिष्टताओं को 05 वर्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) एवं वृहत आकार के वाहन को समायोजित करने तथा स्थापना पश्चात गुणवत्ता पूर्ण सेवा सहित 60 टन (प्लेटफॉर्म आकार 9 मी ग4.5 मी) से 100 टन (प्लेटफॉर्म आकार 16 मीटर ग 3.5 मीटर) में स्तरोन्नत किया गया है ।

उपर्युक्त स्तरोन्नत विशिष्टता युक्त 100 टन भार–क्षमता के 36 रोड–वेब्रिज क्रय किए गए हैं। 06 वर्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के साथ आरडीएसओ मानक सुनिश्चित करने वाले 140 टन क्षमता के 14 रेल–वेब्रिजों का क्रय किया गया है।

वेब्रिज संचालन में सुधार और ब्रेकडाउन अवधि को कम करने हेतु सीसीएल में रोड एवं रेल–वेब्रिज के संचालन और रखरखाव से सम्बद्ध एक मानक संचालन प्रक्रिया क्रियान्वित की गई है।

10.1 सीसीएल की सौर परियोजनाएं :

दिन में ऊर्जा मांग को कम करने के लिए हरित ऊर्जा के रूप में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना के लिए कार्रवाई की गयी है। सीसीएल,मुख्यालय के दरभंगा हाउस में मेसर्स भेल द्वारा 400 कि.वाट.पीक की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की सफलतापूर्वक स्थापना की गयी है । सीसीएल द्वारा गांधीनगर अस्पताल, सीआरएस, बरकाकाना और अधिकारी आवास,कथारा में क्रमशः कुल क्षमता 220 कि.वाट.पीक, 125 कि.वाट.पीक और 125 कि.वाट.पीक वाले सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना एवं कमीशनिंग कर ली गयी है। रूफटॉप सौर परियोजनाओं के अतिरिक्त सीसीएल द्वारा पिपरवार में 20 मेगा वॉट पीक सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य आदेश प्रक्रियागत है जिसकी वर्तमान वित वर्ष 2020–21 में स्थापित होने की आशा है। अब तक, सीसीएल ने स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 7.2 लाख यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। 1 किलो वॉट आवर सौर ऊर्जा उत्पन्न होने से 0.932 किलोग्राम कार्बनडाइऑक्साइड (सीओ) का उत्सर्जन कम होता है। अतः, सीसीएल ने अब तक 671 टन कार्बनडाइऑक्साइड (सीओ) का उत्सर्जन कम किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित वर्ष 2020–21 में सीसीएल की अपने विभिन्न कमान क्षेत्रों में 80 मेगा वॉट पीक भू–आलंबित सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की योजना है। कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में सीआईएल की सहायक कंपनियों में 3000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाएं बंजर तथा पुनरुद्धारित रिक्त भूमि में स्थापित की जाएगी।

10.2 कन्टीनियुअस माइनर प्राद्योगिकी के साथ चुरी भूमिगत परियोजना का संचालन प्रारंभ ।

दिनांक 24.03.2019 से इस परियोजना का संचालन प्रारंभ किया गया है। कन्टीनियुअस माइनर प्राद्योगिकी का प्रयोग करने वाली यह सीसीएल की प्रथम वृहत भूमिगत परियोजना है। उपकरण आपूर्ति और फेस उपकरण का संचालन नौ वर्षों के लिए किराया प्रणाली पर उपलब्ध किया गया है।

इस परियोजना के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित विभागीय इंस्टालेशन किए गए :

क) 08 की संख्या में फेस से सतह तक 1000 मिमी बेल्ट कन्वेयर सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना।

ख) 33 केवी फीडर के दो आरेखण सहित 33 किलोवाट की नवीन उर्जा आपूर्ति प्रणाली ।

ग) पीवी–200 समकक्ष वेंटिलेशन पंखों की स्थापना (संचालन हेतु 01 एवं आपातोपयोगी 01)।

घ) मैन एंड मटेरियल के परिवहन के लिए नवीनतम तकनीकी युक्त ट्रैकलेस सिस्टम अंगीकृत किया गया है एवं मेसर्स वीएलआई डीजल पीटीवाई लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया को संख्या 055–22–1–02–20–142 दिनांक 17.03.2020 के अनुसार 08 वर्षों का सीएएमसी (व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध) के साथ 02 एफएसवी (फ्री स्टीयरेड व्हीकल) की खरीद का आदेश दिया गया ।

उपर्युक्त के अलावा, सामग्री परिवहन के लिए 10 टन–एमयूवी (मल्टी यूटिलिटी व्हीकल) की निविदा पुनः की जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व की निविदा मे कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

परियोजना पर्यवेक्षण, भूमिगत कोयला परिवहन, भूमिगत पम्पिंग, वेंटिलेशन, विद्युत आपूर्ति आदि की जिम्मेदारी सीसीएल की है।

10.3. ऊर्जा–उपभोग में गिरावट :

(क) 2018–19 के दौरान सीसीएल में विद्युत उपभोग 711.33 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे थी जबकि 2019–20 में सीसीएल द्वारा विद्युत उपभोग 710.09 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे रही। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में ऊर्जा उपभोग में खपत में 0.17% की गिरावट आई है। सीसीएल के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम 0.91 शक्ति गुणांक बरकरार रखा गया। हाल में खरीदे गए अधिकाधिक कैपेसिटर बैंक की प्रतिस्थापना एवं एचपीएसवी लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट के पूर्ण प्रतिस्थापन से इसे अधिक कार्यक्षम बनाया जा रहा है ।

(ख) मगध–आम्रपाली क्षेत्र के मगध एवं आम्रपाली खुली खदानों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर प्रगति ।

1. दिनांक 28.05.2019 को आयोजित सीसीएल बोर्ड की 473वीं में मगध खुली खदान परियोजना के ग्राम कामता में 2.50 एमवीए, 132केवी/33केवी सब–स्टेशन का डीवीसी द्वारा जमा आधार पर मगध ओसीपी के अनुमोदित संशोधित परियोजना प्रतिवेदन 2008 अनुसार निर्माण कार्य का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, क्षेत्र द्वारा 18.09.2019 को संशोधित अदायगी अनुसूची अनुसार 10% जमा किया गया। दिनांक 01.10.2019 को डीवीसी द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी। वर्तमान में डीवीसी द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग की जा चुकी है एवं डीवीसी द्वारा शीघ्र ही निविदा प्रकाशित की जाएगी। यह सब–स्टेशन हाल में ही अनुमोदित मगध ओसीपी(51 मि.ट.) एवं आम्रपाली ओसीपी (25मि.ट) के संशोधित परियोजना प्रतिवेदन की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। डीवीसी 132 केवी उत्तरी कर्णपुरा एनटीपीसी टंडवा लाइन से विद्युत प्रदान करेगा।

2. सितंबर '19 में मगध आम्रपाली की सभी साइडिंग यथा बुकुरु, फूलबसिया एवं बालूमाथ साइडिंग में सक्षम अनुमोदन के पश्चात 20 केवीए की विद्युतीय ऊर्जा, 11 केवी जेवीबीएनएल ओवरहेड लाइन के माध्यम से ली गई है तथा शिवपुर साइडिंग में कार्य प्रगति पर है।

3. फरवरी, 2020 में सीसीएल बोर्ड के अनुमोदन पश्चात 250 केवीए की आपातकालीन ऊर्जा, 11 केवी जेवीबीएनएल ओवरहेड लाइन के माध्यम से मगध ओसीपी (कुंडी पैच) और आम्रपाली ओसीपी (बिंगलट) हेतु ली गई है। चमातू पैच को जेबीवीएनएल की 250 केवीए विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है एवं मई 2020 मिलने तक होने की संभावना है।

11. उपभोक्ता संतुष्टिः

मुख्य ध्येय – 'उपभोक्ता संतुष्टि' की केन्द्रीय विचारधारा अनुरूप सीसीएल ने कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता युक्त 100% चूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए हैं। सीसीएल मुख्यालय तथा प्रत्येक क्षेत्र में सुप्रशिक्षित अधिकारी युक्त पूर्ण विकसित गुणवत्ता–प्रबंधन विभाग है । मुख्यालय सहित प्रत्येक क्षेत्र में सैम्पलिंग तथा विश्लेषण हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं सुसज्जित प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं।

कोयला मंत्रालय और सीआइएल के निर्देशानुसार ईंधन आपूर्ति समझौते के अन्तर्गत विद्युत गृहों को प्रेषित कोयले की सैंपलिंग तथा विश्लेषण सीएसआईआर–सिम्फर द्वारा की जाती है। फॉरवर्ड ऑक्शन(उर्जा), लिंकेज ऑक्शन (गैर–उर्जा) एवं स्पॉट ऑक्शन आदि के माध्यम से डिस्पैच कोयले की थर्ड पार्टी सैम्पलिंग एवं विश्लेषण क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा की जा रही है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु यहाँ उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध है। गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

12. वर्ष 2019–20 में सीसीएमसी विभाग की उपलब्धियां/प्रदर्शन :

1. वित्त वर्ष 2019–20 में सी.एम.पी.डी.आई.एल के सहयोग से सी.सी.एल की 31 खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग की गई,एवं ईधन संरक्षण के लागू करने हेतु उनकी अनुशंसा समस्त संबंधित क्षेत्रों में परिचालित किए गए।

2. सी.सी.एल की परियोजनाओं में डीजल खपत की निरंतर एवं सख्त निगरानी के परिणामस्वरुप कुल डीजल खपत एवं विशिष्ट डीजल खपत में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में एच.ई.एम.एम. में कुल डीजल खपत 49897 किलो लीटर रही जबकि वित्त वर्ष 2018–19 में यह 51811 कि.ली. थी। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्त–वर्ष 2019–20 में 1914 किलो लीटर डीजल खपत में कमी आई है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में दर्ज की गई विशिष्ट डीजल खपत 0.98 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि सीएमपीडीआइएल द्वारा निर्धारित 1.08 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर की तुलना में 9.26 प्रतिशत अधिक है।

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिजली की कुल खपत 710.09 एमकेडब्ल्यूएच रही, जबकि वित्त वर्ष 2018–19 में यह 711.33 एमकेडब्ल्यूएच थी, यह दर्शाता हैं कि वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना से वित्त वर्ष 2019–20 में 1.24 एमकेडब्ल्यूएच कम बिजली खपत हुई है और इस प्रकार इसमें 0.17 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

4. सी.सी.एल की विभिन्न परियोजनाओं से इंजन एवं ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होने वाले 154 तेल नमूनों को परीक्षण हेतु आईओसी,एचपीसीएल और बीपीसीएल को प्रेषित किया जाता है तथा उन रिपोर्टों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबधित परियोजनाओं को अग्रेषित किया जाता है।

5. प्रयुक्त विभिन्न तेलों के विश्लेषण हेतु तीन पार्टिकल काउंटर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं एवं टीएएन, टीबीएन, नमी की मात्रा निर्धारित करने वाले यंत्र खरीदे गए हैं. एचईईएमएम के विभिन्न उप–उपस्करों की अवधि पूर्व खराबी से रोकथाम एवं लुब्रीकेटिंग तेलों में मिलावट की जांच हेतु सीसीएल में तीन आरआर शॉप उत्तरी तापिन, कथारा और डकरा में लगाने की प्रक्रिया जारी है।

6. वर्ष 2019–20 की वार्षिक ऊर्जा लेखा का एक पुस्तक संकलन कि गई है और प्रकाशन की प्रक्रिया मे है।

7. सी.सी.एल के उरीमारी एवं अशोक परियोजना में डीजल वितरण मशीन का ऑटोमेशन प्रथम चरण में पूर्ण किया गया एवं द्वितीय चरण में भी रजरप्पा, परेज (पूर्व), तापिन (उत्तरी), करमा, पिपरवार, केडी हेसालॉन्ग एवं पुरनाडीह परियोजना में डीजल वितरण यंत्र को स्वचालित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। तृतीय चरण में गिद्दी, कथारा, खासमहल, स्वांग में एटीजी का कार्य प्रगति पर है।

8. आईटी पहल के रूप में, समस्त डीडीयू में सीसीटीवी लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजल वितरण इकाइयों में डीजल की प्राप्ति, निर्गम, भंडारण एवं खपत से सम्बद्ध मानक संचालन प्रक्रिया निर्मित की जा चुकी है एवं अनुपालन हेतु सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में परिचालित की जा चुकी है। क्षेत्रों द्वारा प्रतिमाह अनुपालन प्रतिवेदन सीसीएमसी एवं सतर्कता विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष से, सीआईएल अंकेक्षण अवलोकन के अनुपालन में सीसीएल की उन खानों में जहां विद्युत ऊर्जा की असामान्य खपत है, का विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण सीएमपीडीआई के साथ किया जाएगा।

10. जागरूकता उत्पन्न करने एवं ज्ञानवर्धन हेतु बो.एवं कर., रजरप्पा तथा बरका सयाल क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया।

13. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार :

डिजिटल भारत युग में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार किसी भी संगठनात्मक निकाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीसीएल के इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग द्वारा कई नवोन्मेषी योजनाएं कार्यान्वित की गयीं है जिनके क्रियान्वयन से दैनिक संप्रेषण, डाटा अंतरण सुगम हुआ है तथा हमारे वृहत प्रसरित क्षेत्रों के परस्पर संबंध घनिष्ठ तो हुए हीं हैं साथ ही उनके अनुप्रयोग से कोयला प्रेषण एवं परिवहन में पारदर्शिता आई है। कुछ प्रमुख कार्य निम्न अनुसार हैः

13.1 सीसीएल कमान क्षेत्र में आरएफआईडी युक्त सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली और जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टमः

सुरक्षित खानों की उत्पादकता अधिक होती है अतएव सीसीएल ने जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली की सहायता से सुरक्षित, उत्पादक और प्रभावकारी बनाने की पहल की है। कोयला मंत्रालय ने जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के माध्यम से सभी खदानों के भीतर एवं खदानों से रेलवे साइडिंग यात्री जाने वाले समस्त कोयले की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

सीआइएल पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तकनीक के अनुप्रयोग पर लगातार बल दे रहा है, साथ ही साथ कर्मचारियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं कोयला उत्पादन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा 36 करोड़ की लागत से एकीकृत प्रणाली प्रतिस्थापित की गयी है। कार्यादेश में विभागीय और प्राइवेट ट्रकों, डम्परों एवं टिप्परों की ट्रैकिंग, 112 रोड वेब्रिजों में सीसीटीवी सह आरएफआईडी निगरानी प्रणाली, 52 परियोजना कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में 24 X 7 नियंत्रण कक्ष एवं सीसीएल मुख्यालय, रांची में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सम्मिलित है। यह परियोजना दो साल के लिए किराए पर कार्यान्वित की गयी है एवं दो चरणों में उक्त परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है :

प्रथम चरण– उत्तरी कर्णपुरा तथा पिपरवार क्षेत्र

द्वितीय चरण– अन्य सभी क्षेत्र (अरगड़ा,बोकारो एवं करगली, बरका सयाल, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, कुजू और रजरप्पा)

जी.पी.एस/जी.पी.आर.एस. वाहन ट्रैकिंग प्रणाली

आर.एफ.आई.डी युक्त समेकित जी.पी.एस/जी.पी.आर.एस. वाहन ट्रैकिंग प्रणाली युक्त स्वचालित बूम–बैरियर आदि एवं वेब्रिजों के नियंत्रण/निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली परिचालित की गयीं है। परियोजना का रेंटल फेज 01.06.18 से प्रारंभ हो चुका है। चूंकि, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त इन्टरनेट लीज लाइन बैंडविड्थ की उपलब्धता है, केन्द्रीयकृत निगरानी सीसीएल, मुख्यालय से सीसीएल की समस्त 112 रोड वेब्रिजों की सीसीटीवी सजीव फुटेज की निगरानी की जा रही है। डैशबोर्ड अलर्ट का विश्लेषण क्षेत्र तथा सीसीएल, मुख्यालय से किया जा रहा है एवं उत्पन्न अलर्ट–संख्या न्यून करने हेतु क्षेत्र स्तर पर कृत कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट ली जा रही है। यह योजना चोरी रोकने तथा संपूर्ण डिस्पैच की परिचालन क्षमता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रणाली को लागू करने से श्रमिकों और खानों के आसपास काम करने वाले लोगों की सुरक्षा में सुधार करने में सहायता प्राप्त होती है, ट्रक चालकों द्वारा ड्राइविंग नियमों के अनुपालन में सुधार और अनियंत्रित वाहन परिचालन के कारण होने वाली दुर्घटना, ट्रक की गति में नियंत्रण और ओवरलोडिंग से बचाव होता है।

मगध–आम्रपाली क्षेत्र में, वाहन ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित किया गया है, जहाँ तत्काल में 150 जीपीएस उपकरण लगाए गए हैं। बाकी क्रियान्वित के अधीन हैं।

13.2 सीसीएल का वैन/लैन नेटवर्क

केंद्रीकृत इकाइयों एवं रांची स्थित मुख्यालय सहित सीसीएल 12 क्षेत्रों में कार्यरत है। वैन/लैन की कनेक्टिविटी दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, वेब्रिजों (भूमार्ग एवं रेल), क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाइयों में प्रदान की जाती है। सभी इकाइयों, परियोजनाओं, रोड तथा रेल वेब्रिजों और सीसीएल के क्षेत्रीय भंडार से सीसीएल(मुख्यालय) को डेटा ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध है। मेसर्स

टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 5 साल के लिए किराये के आधार पर सीसीएल में वैन लगाया गया। मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एमपीएलएस, वीएसएटी और आईएलएस के लिए बैंडविड्थ की सेवा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक कमान क्षेत्र, क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाईयों को ओएफसी या आरएफ लिंक के माध्यम से 2 एमबीपीएस का एमपीएलएस दिया जाता हैं और सीसीएल (मुख्यालय) में 10 एमबीपीएस का एमपीएलएस और 10 एमबीपीएस आईएलएल लिंक है, जिसकी आवश्यकता अब नहीं है। वैन पॉइंट 176 स्थानों पर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय के सभी वैन पॉइंट में लैन पोर्ट के न्यूनतम 20 पोर्ट हैं और सभी परियोजना कार्यालयों में लैन के 5 पोर्ट दिये जाते हैं। भविष्य में किसी भी डेटा आधारित नेटवर्क का विकास लैन/वैन प्लेटफॉर्म के संचार नेटवर्क पर ही किया जायेगा।

यह प्रणाली पहले से ही स्थापित है एवं सितंबर 2015 से कार्यान्वित है। यह वास्तविक समय में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोर, परियोजना कार्यालयों, केंद्रीय अस्पताल, माइन रेस्क्यू स्टेशन, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों के मध्य ऑनलाइन डेटा एक्सचेंज को सुनिश्चित करेगा। सीसीएल में सुरक्षा, दक्षता और चोरी की रोकथाम में इस कनेक्टिविटी का उपयोग जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आरएफआईडी सहित सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ किया जाएगा। यह प्रणाली सभी परियोजना कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीसीएल, मुख्यालय से वास्तविक समय पर वाहनों की निगरानी प्रदान करती है।

13.3 सेकेंडरी वैन नेटवर्क

सीसीएल के समस्त कमान क्षेत्रों में बेहतर वैन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मेसर्स टीसीआईएल की मौजूदा वैन नेटवर्क के अतिरिक्त दिनांक 26.02.2018 को मेसर्स बीएसएनएल को कार्य–आदेश जारी किया गया। कुल 57.09 करोड़ रुपये की लागत के साथ इस नेटवर्क के अंतर्गत 5 साल तक किराये पर 279 लिंक उपलब्ध रहेंगे। सीसीएल मुख्यालय में 100 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक और एमआरएस, रामगढ़ में स्टैंडबाय सर्वर के लिए 40 एमबीपीएस एमपीएलएस वीपीएन लिंक प्रदान किया गया है। 10 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक का उपयोग समस्त क्षेत्रीय मुख्यालय, केंद्रीय इकाइयों और क्षेत्रीय स्टोर को सीसीएल मुख्यालय जोड़ने के लिए किया जाएगा। सीसीएल के सम्बद्ध क्षेत्रों एवं विक्रय कार्यालयों, परियोजना अधिकारी कार्यालय, इकाइयों, रोड और रेल वेब्रिज के ऑनलाइन कार्यों हेतु 2 एमबीपीएस लिंक का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण एवं क्रियान्वित कर ली गयी है। सीसीएल के कमान क्षेत्रों में उक्त नेटवर्क पर ई–ऑफिस को नेटवर्क सुविधाएं प्रदान की गयी है। उक्त वैन नेटवर्क के उपयोग से सीसीएल ई–ऑफिस की उपयोगिता में अग्रणी अनुषंगी कंपनी है।

13.4 सीसीएल कमान क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी :

कोयला मंत्रालय और सीवीओ, सीआईएल के निर्देशानुसार कोयला चोरी की किसी भी संभावना की रोकथाम के लिए सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है। सीवीओ, सीआईएल के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से कवर किया जा रहा है। स्टोर्स, विस्फोटक मैगजीन, प्रवेश–निकास बिंदु, रेल वेब्रिज और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है।

सीसीएल कमान क्षेत्रों के सभी मुख्य स्थलों पर 1688 सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहें हैं। सीसीएल कमान क्षेत्रों में सीसीटीवी के माध्यम से रेलवे साइडिंग और कोयला डंप/हीप की निगरानी की जा रही है। समस्त क्षेत्र के कैमरों को क्षेत्रीय मुख्यालय से नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा गया है तथा इसकी केंद्रीयकृत निगरानी की व्यवस्था सीसीएल मुख्यालय एवं सीआईएल मुख्यालय में की गयी है। यह कार्य बरका सायल, ढोरी एवं हजारीबाग क्षेत्र में पूर्ण किया जा चुका है एवं अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर है।

13.5 इंटरनेट लीज लाइनः

सीसीएल द्वारा सीसीएल मुख्यालय और समस्त क्षेत्रों में विभिन्न इन्टरनेट प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न बैंडविड्थ की इंटरनेट लीज लाइन प्रदान की है। सीसीएल मुख्यालय में प्रदत्त इंटरनेट भी वैन/लैन के माध्यम से केंद्रीकृत इकाइयों तथा सभी आवश्यक स्थानों पर दिया गया है। इंटरनेट लीज लाइनों का व्यापक उपयोग वाई–फाई, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, वीटीएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–खरीद/ई–निविदा, वेब ब्राउजिंग इत्यादि में किया जाता है । बरका सयाल एवं मगध–आम्रपाली में नए आईएलएल कनैक्शन लिया गया है।

सीसीएल, मुख्यालय में लैन–वितरण हेतु मेसर्स सिफी टेक्नॉलोजी लिमिटेड से 310 एमबीपीएस बैंडविडथ आईएलएल क्रय किया गया है। इसके अलावा मेसर्स ऑरिन्ज बिजनेस सर्विसेज द्वारा जीपीएस/जीपीआरएस, आरएफआईडी, विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एवं बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु आईएलएल बैंडविड्थ प्रदान किया गया है। गिरीडीह एवं रजहारा के अलावा समस्त क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एमबीपीएस का आईएलएल बैंडविडथ है।

13.6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली : मुख्यालय एवं क्षेत्र

सीसीएल के समस्त 12 क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल, मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित एवं परिचालित है। रिकॉर्डिंग सर्वर एवं सेंट्रल स्ट्रीमिंग के साथ मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू) सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थापित है। सभी दूरस्थ स्थानों में 01 वीडियो एंडपॉइंट के साथ एक पब्लिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट प्रदान किया गया हैं। यह प्रणाली आईएलएल पर काम करती है, जिसके कारण सीआईएल(कोलकाता) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के एमसीयू और सार्वजनिक आईपी की किसी भी वीसी सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, समस्त कार्यकारी निदेशकों, सीवीओ कक्ष एवं गिरिडीह क्षेत्र में वीसी प्रणाली के विस्तार हेतु 9 विडियो एंडपॉइंट्स एवं यूपीएस खरीदे गए। अप्रनि निवास कार्यालय एवं गांधीनगर अस्पताल में वीसी प्रणाली लगायी गयी है। इस प्रणाली की सहायता से लॉकडाउन अवधि में भी अविरल प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता हुई है।

13.7 स्मार्ट–क्लासः

सीसीएल एवं बीसीसीएल की "मेरे लाल" और "मेरी लाडली" के लिए वीडियो इंटरैक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट–क्लास हेतु मेसर्स बीएसएनएल को कार्य–आदेश दिया गया। सीसीएल एवं बीसीसीएल के 08 स्थानों पर

वीडियो इंटरएक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट क्लासरूमों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस स्मार्ट क्लास के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को इंजीनियरिंग एवं बोर्ड स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिली है।

13.8. क्रय गतिविधियाँ

- वॉकी टॉकी (747 नग), वीएचएफ सेट (60 नग), एवं रिपीटर स्टेशन (8 नग) जैसे वायरलेस उपकरण के लिए 1,15,41,757.00 रुपये की राशि की आपूर्ति आदेश दिया गया है। एवं इनकी आवृत्ति लाइसेंस मंजूरी डब्ल्यूपीसी, डीओटी से प्राप्त किया गया है। सीसीएल कमांड क्षेत्र में ब्लास्टिंग, सीआईएसएफ के संचालन कार्य, खुली खान सञ्चालन, सेफ्टी, कोल वाशरी संचालन एवं अन्य सयंत्र और रखरखाव कार्यों जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन वायरलेस उपकरणों का उपयोग सीसीएल में किया जाएगा।
- विभाग ने प्रोजेक्टर सहित प्रोजेक्टर स्क्रीन, मल्टीफंक्शन उपकरण, इनवर्टर, ईपीएबीएक्स के लिए स्पेयर कार्ड, यूपीएस, एलईडी टीवी आदि आइटमों की क्रय सफलतापूर्वक की है।

14. सुरक्षाः

35 वर्षों से अधिक अनुभव प्राप्त महाप्रबंधक (सुरक्षा) के नेतृत्व में सत्यनिष्ठ एवं विविध क्षेत्रों के अनुभवी तथा तकनीकी जानकार पदस्थापित आधिकारी से निहित आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा कंपनी के खानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने 66.9 मि.ट. कोयले का उत्पादन में शून्य जनहानि की उपलब्धि प्राप्त कर एक मील का पत्थर स्थापित किया है।

कम्पनी ने वर्ष 2015 और 2016 के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' प्राप्त करके सुरक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, जिसके लिए दिसम्बर 2019 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा सीसीएल को 3 खदानों के लिए सम्मानित किया गया, जिसका विवरण निम्नांकित हैः

वर्ष	खदान के प्रकार	श्रेणी	खदान के नाम	पुरस्कार
2015	खुली खदान परियोजना	एल.आई.एफ.आर.एम. –टाइप–3	जारंगडीह	उप–विजेता
2015	खुली खदान परियोजना	एल.आई.एफ.आर. ओ. –टाइप–3ए	आम्रपाली	उप–विजेता
2016	खुली खदान परियोजना	एल.आई.एफ.पी. –टाइप–3	सिलेक्टेड ढोरी खदान 1 (कल्याणी परियोजना)	उप–विजेता
2016	खुली खदान परियोजना	एल.आई.एफ.आर. ओ. –टाइप–3बी	जरंगडीह	विजेता

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, विभाग द्वारा कई पहल किये गए जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

14.1. सुरक्षा प्रबंधन योजना

खुली खदानों एवं भूमिगत खानों के सम्बद्ध खतरों को देखते हुए डीजीएमएस अधिकारियों, खदान और आईएसओ के सिमटार्स (एसआईएमटाआरस) प्रशिक्षित विशेषज्ञों के संगठित प्रयासों से सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। सुरक्षित संचालन प्रक्रिया बनाकर संबंधित कर्मियों को वितरित की गई है। आवधिक अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह एक अवरिल प्रक्रिया है।

14.2. सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को रोटेशन के आधार पर निदेशक (तक./संचा.) या निदेशक (तक./यो. एवं परि.) की अध्यक्षता में सीसीएल सुरक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ किसी क्षेत्र विशेष में आयोजित की जाती है। यह बैठक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सीसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्षगण, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और आईएसओ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न होती है।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि तथा आईएसओ नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित बैठक से 15 दिन पूर्व उस क्षेत्र विशेष के प्रत्येक खदान का निरिक्षण किया जाता है। निरिक्षण के आधार पर प्रत्येक खदान की खामियों को दूर करने के लिए खदान प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित परियोजना अधिकारी और प्रबंधक द्वारा पॉवरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से की जाती है।

14.3. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक

प्रत्येक महीने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित बैठक में की जाती है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पर निदेशक (तक./संचा.) या निदेशक (तक./यो. एवं परि.) द्वारा की जाती है एवं इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी तथा आईएसओ अधिकारीगण शामिल होते हैं।

14.4. सुरक्षा समिति का सुदृढीकरण

पिट सुरक्षा समिति की बैठकें उन खदानों में आयोजित की जाती हैं जिनमें क्षेत्रीय महाप्रबंधक सम्मिलित होते हैं। त्रिपक्षीय समिति के ट्रेड यूनियन सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है। प्रत्तेक खदान में, जहाँ विभागीय और संविदात्मक दोनों का संचालन होता है उसमें संविदात्मक श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। एक वैकल्पिक बैठक प्रथ्मिक्तः ठेकेदार की कर्मशाला में आयोजित की जाती है और ठेकेदार के कर्मियों के प्रतिनिधितों की अधिकतम भागीदारी बल दिया जाता है।

यह सर्वाधिक प्रभावशाली मंच है जहाँ प्रतिभागी जमीनी स्तर पर अपना बहुमूल्य सुझाव देते हैं।

14.5. आईएसओ का सुदृढीकरण

दो सिम्तार्स प्रशिक्षित अधिकारियों और एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पदस्थापन से आइएसओ को सुदृढ़ किया गया है। आईएसओ, सीसीएल मुख्यालय में ई–7 रैंक अधिकारी की अध्यक्षता में स्ट्रेटा नियंत्रण कोषांग स्थापित किया गया है। जिनकी सहायता दो वरिष्ठ खनन अधिकारीगण कर रहे है।

इसके अलावा 10 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (भूवैज्ञानिक) को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

वे अपने दैनिक कार्य हेतु संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

14.6. सुरक्षा ड्राइव

आईएसओ द्वारा संचालित विभिन्न सुरक्षा अभियान इस प्रकार हैंः

(क) उत्खनन कार्यशाला पर सुरक्षा अभियान।

(ख) कैंटीन में कामकाज, स्वच्छता, विश्राम स्थल में पेयजल की व्यवस्था और व्यू–प्वाइंट हेतु सुरक्षा अभियान।

(ग) अग्निशमन की तैयारियों से संबंधित सुरक्षा अभियान एवं एचईएमएम को अग्निशमन युक्त करना।

(घ) मई'19 में खुली खदानों में मॉनसून तैयारियों से संबंधित सुरक्षा अभियान।

(ङ) मई 2019 के महीने में भूमिगत खदानों के मानसून की तैयारी पर सुरक्षा अभियान।

(च) सीसीएल की समस्त खदानों का सुरक्षा अंकेक्षण अगस्त महीने से प्रारंभ हुआ तथा 31 दिसंबर 2019 तक पूर्ण किया गया।

(छ) प्रत्येक क्षेत्र में महाप्रबंधक स्तरीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम के नेतृत्व में हाई वॉल के अध्ययन हेतु सुरक्षा अभियान चलाया गया।

(ज) समस्त खदानों में लोटो(एलओटीओ) का कार्यान्वयन एवं सब–स्टेशनों में सुरक्षा अभियान चलाया गया।

14.7. सुरक्षा कार्यशाला

डीजीएमएस के परामर्श से विद्युत सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई।

14.8. कृत्रिम पूर्वाभ्यास

आईएसओ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में समय–समय पर खदान प्रबंधन द्वारा प्रत्येक भूमिगत खदान में कृत्रिम पूर्वाभ्यास किया जाता है।

आईएसओ अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कृषिम पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गयाः

(क) दिनांक 13.11.2019 को सारुबेरा के भूमिगत खदान में।

(ख) दिनांक 13.09.2019 एवं 24.10.2019 को ढोरी खास के भूमिगत खदान में।

(ग) दिनांक 08.11.2019 को चुरी भूमिगत खदान में।

(घ) दिनांक 27.04.2019 एवं 12.02.2020 को केदला भूमिगत खदान में।

14.9. केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) पोर्टल

सीएसआईएस पोर्टल पर खदान प्रबंधक द्वारा समस्त सूचनाएं, आंकड़े एवं डेटा जैसे सांविधिक श्रमशक्ति, सांविधिक दस्तावेज, प्रशिक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदन, दुर्घटना/घटनाएँ आदि अपलोड किये जाते हैं। इसे अद्यतन करने तथा अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आईएसओ अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है।

14.10. अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा लेखा

अगस्त 2019 में सीआईएल एमओयू लक्ष्य के अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा अंकेक्षण कार्य आरम्भ किया गया।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ई–8 रैंक में पदस्थापित अधिकारी के नेतृत्व में 10 ऑडिट टीमों का गठन किया गया। कुल 518 मापदंडों के आधार पर अंकेक्षण कार्य किया गया एवं 266 त्रुटियाँ चिह्नित की गईं, जिनका विधिवत अनुपालन 31.12.2019 तक कर लिया गया, अतः शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई।

14.11. वैधानिक श्रमशक्ति

वर्ष 2019–20 के दौरान वैधानिक श्रमशक्ति की कमी को पूर्ण करने हेतु व्यवहृत पहल निम्नांकित हैं :

(क) 188 खनन सिरदारों की नियुक्ति एवं पदस्थापन सीसीएल की विभिन्न खदानों में किया गया है।

(ख) 83 इलेक्ट्रिशियनों की नियुक्ति एवं पदस्थापन सीसीएल की विभिन्न खदानों में किया गया है।

(ग) 27 विभागीय इलेक्ट्रीशियनों की पदोन्नति विद्युत पर्यवेक्षक के पद पर की गयी।

(घ) 75 जूनियर ओवरमैन पद हेतु भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

(ङ) 09 विभागीय उम्मीदवारों को माइनिंग सिरदार के पद पर पदोन्नति देने पर विचार किया गया।

14.12 सुरक्षा प्रदर्शन

विवरण	अप्रैल 2019–मार्च 2020	अप्रैल 2018–मार्च 2019
संघातक दुर्घटना	0	7
मृत्यु	0	10
गंभीर दुर्घटना	4	8
गंभीर चोट	4	14
मृत्यु दर प्रति मि. क्यू. मी. सम्पूर्ण (ओ.बी+कोयला) (भूमिगत+खुली खदान परियोजना)	0	0.04
	0.06	0.17
मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैन–शिफ्ट, सम्पूर्ण	0	0.36
गंभीर आघात दर प्रति मि. क्यू. मी.	0.03	0.11
गंभीर आघात दर प्रति 3 लाख मैन–शिफ्ट	0.15	0.59

14.13. वैज्ञानिक अध्ययन

सीएमपीडीआईएल को 47 खदानों हेतु निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध 34 खुली खदानों की पिट तथा डंप वलन की स्थिरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया।

सीएमपीडीआईएल द्वारा एक भूमिगत खदान का स्ट्रैटा कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग प्लान (स्काम्प) का निर्माण किया गया है एवं अन्य पाँच का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, विभिन्न भूमिगत खदानों से खदान–वायु के 712 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

14.14. सुरक्षा उपकरणों का क्रय

वर्ष 19–20 के दौरान कैपिटल सुरक्षा वस्तुओं के क्रय आदेश का मूल्य

क्रम सं	सुरक्षा उपकरण	संख्या	राशि
1	3–डी लेजर स्कैनर	4	9,88,40,222
2	चार्जर सहित एलईडी कैप लैंप	3924	1,30,33,566
3	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	32	1088000
	कुल		**11,29,61,788**

(क) 30138 जोड़े कैनवास खनन जूते खरीदे गए।

(ख) 11500 पानी की बोतलें खरीदी गई।

(ग) 1660 जोड़े नी बूट खरीदे गए हैं।

(घ) 130 मि.ट एमएस प्लेट(6 मिमी) का क्रय किया गया।

(ङ) 20 मिमि 150 मि.ट. टीएमटी बार का क्रय किया गया।

14.15 सुरक्षा जागरूकता हेतु डाक्यूमेंट्री फिल्म

श्रमिकों के मध्य जागरूकता के वर्धन के उद्देश्य से पिंडरा खुली खदान एवं मगध खुली खदान में संघातक दुर्घटनाओं के विषय पर दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में समस्त वीटीसी में वृहत प्रदर्शन हेतु निर्मित की गईं।

15. कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंधः

15.1 कार्मिक प्रबंधन

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की श्रम–शक्ति संख्या 39222 की तुलना में दिनांक 31.03.2020 की वर्तमान श्रम–शक्ति 38168 है। 31.03.2019 की तुलना में 31.03.2020 को श्रम–शक्ति निम्न सारणी में श्रेणीवार प्रदर्शित है :

वर्ग	31.03.2020	31.03.2019
अधिकारी	2224	2361
सुपरवाइजरी	3263	3165
अत्यधिक कुशल /कुशल	12202	13005
कुशल / कुशल (पीआर)	15506	15524
कुशल /अकुशल (पीआर)	980	1075
अनुसचिवीय कर्मचारी	3573	3720
अन्य	420	372
कुल	**38168**	**39222**

अतः वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की सकल श्रम–शक्ति की संख्या में 1054 की कमी हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 2001 की कमी दर्ज की गयी। उक्त वर्ष की विद्यमान श्रम–शक्ति में 947 नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई।

ह्रासः

श्रम–शक्ति में कटौती	कर्मचारियों की संख्या(31.03.2019)
सेवानिवृत्ति	1520
वी.आर.एस(जीएचएस)	0
मृत्यु	381
निष्कासन / बर्खास्तगी	21
इस्तीफा	28
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	51
चिकित्सीय अयोग्यता	0
अन्य	0
कुल कटौती	**2001**

वृद्धिः

श्रम–शक्ति में वृद्धि	कर्मचारियों की संख्या(31.03.2019)
9.3.0 के तहत नियुक्ति	454
9.4.0 के तहत नियुक्ति	1
मृतक अधिकारियों के आश्रितो की नियुक्ति	2
भू–विस्थापन के अंतर्गत नियुक्ति	138
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	49
पुनर्नियुक्ति	5
नयी भर्ती	298
अवार्ड केस	0
अन्य	0
कुल	947

15.2 वर्ष 2019–20 के लिए भर्ती विभाग की मुख्य उप्लब्धियाँ :

- वित्त वर्ष 2019–20 में मुख्य रूपेण सांविधिक पदों पर सीधी नियुक्ति की गयी तत्पश्चात गैर–सांविधिक तथा पैरा–मेडिकल पदों को सम्मिलित किया गया। विवरण निम्नवत है –

पद	नियुक्ति
माइनिंग सिरदार	188
इलेक्ट्रिशियन(गैर खनन)	82
फार्मासिस्ट	2
तकनीसियन(पैथोलाजी)	4
जूनियर सैनीटरी इंस्पेक्टर	2
कुल	278

- कंपनी में कैरियर वृद्धि के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए आंतरिक भर्ती की गई जिसमें एक विभागीय उम्मीदवार का चयन तकनीशियन (ऑडियोमेट्री) के पद पर किया गया।
- जूनियर ओवरमैन के 75 पदों के लिए रोजगार सूचना विज्ञापित की गयी थी। उक्त की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- ओएमआर मशीन के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। ओएमआर मूल्यांकन की विस्तारित सुविधा का उपभोग आईआईसीएम कांके द्वारा कोल इंडिया प्रबंधन प्रशिक्षु प्रोबेशन क्लोजर परीक्षा के लिए भी किया जा रहा है।

16. मानव संसाधन विकास विभाग

16.1 वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा परिकल्पित सैद्धांतिक एवं प्रयोगकीय कौशल के विकास को अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदात्मक कर्मियों के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों के मध्य संश्लेषित करने में मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल की मुख्य भूमिका है तथा माननीय ऊर्जा एवं कोयला मंत्री ने भी अपने दौरे के दौरान विभाग की सराहना की।

माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी
मानव संसाधन विभाग, सीसीएल, रांची के दौरे पर

जहां तक प्रशिक्षण एवं विकास का संबंध है, मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल का प्रश्रय मुख्यतः दो केंद्रीय क्षेत्रों पर है:

क. ज्ञान वर्धन

ख. कौशल विकास

ज्ञान वर्धन परिक्षेत्र के अंतर्गत प्रबंधन कार्यात्मक के क्षेत्र, कार्यात्मक अधिकारियों को परस्पर सम्बद्ध (क्रॉस फंक्शनल) इनपुट प्रदान करना, अधिकारियों हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं नव नियुक्त अधिकारियों हेतु अभिप्रेरण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ई–ऑफिस का प्रशिक्षण, मानक संचालन प्रक्रिया हेतु जागरूकता कार्यक्रम, गैर–वित्त कार्मिकों के लिए वित्त, बचाव और सुरक्षा कार्यक्रम आदि मा.सं.वि. के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल में आयोजित किए गए हैं।

पर्यवेक्षकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम

फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों का कौशल विकास तथा कर्मचारियों हेतु कौशल स्तरोन्नत्तिकरण कार्यक्रम प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल के नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हिंदी कार्यशाला, कंप्यूटर बोध कार्यक्रम, कौशल विकास सेमिनार, डॉक्टरों के लिए कार्यक्रम तथा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कार्यात्मक कौशल विकास कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा और सीईटीआई, बरकाकाना, प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि. में आयोजित किए गए हैं। यह विभाग भी रोजगारोन्मुखी कौशल विकास करने हेतु हितधारकों को कौशल प्रदान करने के लिए तत्पर है।

उपर्युक्त के अलावा, अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को वर्ष पर्यंत विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल वर्धन हेतु प्रशिक्षण के लिए बाहरी संस्थानों में भेजा जाता है।

कर्मचारियों के लिए कम्प्युटर अवेयरनेस प्रोग्राम

उपरोक्त के आलोक में, मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल की वर्ष 2019–20 की लब्ध उपलब्धियां निम्नलिखित हैं –

- सीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों से पहले बीटीटीआई, भुरकुंडा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई कोर्स शुरू किया है। विगत बैचों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कोर्स से करने वाले छात्रों को विभिन्न एजेंसियों और संगठनों द्वारा नौकरी प्रदान की गयी है। वर्तमान में 38 छात्र बीटीटीआई, भुरकुंडा में उक्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही सीसीएल की विभिन्न इकाइयों/परियोजनाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं।

बीटीटीआई में माइनिंग सिरदार क्लास में भाग लेते हुए अभ्यार्थीगण

- उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति के अंतर्गत सीएसआर विभाग के सहयोग से अ.जा./अ.ज.जा एवं परियोजना प्रभावित जन(पैप) से संबद्ध छात्रों को माइनिग सिरदार परीक्षा के योग्य बनाने के लिए भूमिगत खानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में 2016 में अ.जा./अ.ज.जा बैच के 38 छात्रों को माइनिग सिरदार परीक्षा हेतु आहर्ता प्राप्ति हेतु हमारे भूमिगत खादानों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और वर्तमान में उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

- कर्मचारियों के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा में भी आयोजित किए गए हैं; जैसे सामान्य जागरूकता एवं सुरक्षा कार्यक्रम, कैरियर विकास कार्यक्रम, विस्फोटक हैंडलिंग कार्यक्रम और मानसून की प्रारम्भिक तैयारी कार्यक्रम आदि । 665 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य से, बीटीटीआई, भुरकुंडा ने 692 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने की उपलब्धि प्राप्त की है।

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को गति प्रदान करने हेतु सीईटीआई, बरकाकाना में परियोजना प्रभावित जन एवं अन्य के लिए कौशल विकास केंद्र विकसित करने की पहल की गई है। कंपनी ने अपने कमान क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना प्रभावित जन के कौशल को विकसित करने की एक पहल प्रारंभ की है जिससे सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सकें। संस्थान द्वारा केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना में छह महीने की अवधि का इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड में सैद्धांतिक एवं अंतरूकार्य सहित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात, खनन क्षेत्र कौशल परिषद, दिल्ली द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण बहु–कौशल विकास केंद्र, बरकाकाना द्वारा प्रदान किया जा रहा है जोकि एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाता है एवं एससीएमएस / एनएसडीसी, नयी दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। दिनांक 30/06/2018 तक ऐसे 5 बैच सफल घोषित किए गए हैं एवं एनएसडीसी द्वारा उन्हे प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। 10/12/2018 को प्रारंभ बैच–6 में 39 प्रतिभागी हैं जिसका पाठ्यक्रम दिनांक 06/06/2019 को पूर्ण हो गया है।

सीईटीआई, बरकाकाना में इलेक्ट्रिशियन एवं वेल्डर ट्रेड के क्लास

- डंपर, ड्रिल, पेलोडर, मोटर ग्रेडर, ऑपरेटर जैसे एचईएमएम ऑपरेटरों को विभिन्न बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारियों की प्रारंभिक सैद्धांतिक कक्षाएं सीईटीआई, बरकाकाना में संचालित की जाती है एवं तत्पश्चात व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर एचईएमएम संचालन में उनकी दक्षता जाँचने हेतु परीक्षा योजित की जाती है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा, परियोजना प्रभावित जन को प्रशिक्षण एवं बेसिक ऑपरेटर कोर्स के अतिरिक्त कंपनी के अनुभवी कर्मचारियों हेतु विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें उन्हें सीईटीआई / सीआरएस बरकाकाना के प्राध्यापकों सहित ओईएम / ओईएमएस द्वारा विभिन्न तकनीकी प्रगति / सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के वार्षिक लक्ष्य 340 प्रतिभागियों में से सीईटीआई, बरकाकाना ने वर्ष 2019–20 में 399 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

एचईएमएम ऑपरेटरर्स के लिए बुनियादी प्रशिक्षण

- वर्ष 2019–20 के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कार्यकारी अधिकारियों के प्रबंधकीय एवं कौशल विकास और कर्मचारियों के कौशल स्तरोन्नतिकरण हेतु प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल, रांची, क्षेत्रीय जीवीटीसी, बीटीटीआई, भुरकुंडा, सीईटीआई, बरकाकाना, एसआईटी, रांची में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान 10,103 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों के साथ–साथ प्रबंधन महाविद्यालयों के छात्रों को इस उद्योग के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी हेतु क्षेत्रों का दौरा एवं भ्रमण करवाया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र दौरा

- उपरोक्त के अतिरिक्त, सीसीएल देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के इंजीनियरिंग / एमबीए / बीबीए / एमसीए / बीसीए और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को निःशुल्क इंटर्नशिप / व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर देता है। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 2407 छात्रों को सीसीएल के कॉर्पोरेट मुख्यालय, क्षेत्रों, परियोजनाओं और इकाइयों में उक्त अवसर प्रदान किए गए।

अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षण :

- वर्ष 2019–20 के दौरान यह सीसीएल एवं कोल इंडिया के मध्य हुए एमओयू के आधार के अनुसार सीसीएल की संविदा कर्मियों सहित कुल श्रमशक्ति की 2.5ः श्रमशक्ति को अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्रदान करने की वचनबद्धता थी। मानव संसाधन विकास विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 2.5ः अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य की

क्र. सं.	सीसीएल की कुल श्रमशक्ति (संविदाकर्मियों सहित)	2019–20 में प्रशिक्षित अपरेंटिसों की कुल संख्या	वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षित अपरेंटिसों का प्रतिशत
01	44432	1402	03.16%

समझौता ज्ञापन मापदंड संबद्ध उपलब्धियाँ

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीआईएल के साथ सीसीएल के विभिन्न एमओयू मापदंडों को भी निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता के साथ–साथ महिला कर्मचारियों हेतु कार्य एवं जीवन संतुलन विषयों पर मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कुल 15 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान, सर्वोत्कृष्ट 5ः अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु देश के विभिन्न सर्वोत्कृष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा गया। डीजीएमएस के निर्देशों के अनुपालन हेतु खनन, विद्युत और मैकेनिकल पर्यवेक्षकों के अभिमुखी कार्यक्रम प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि.वि., सीसीएल,रांची में आयोजित किए गए।

महिला कर्मचारियों के लिए वर्कलाईफ बैलेंस कार्यक्रम

- योग एवं ध्यानय प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि.वि. में आयोजित समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अंतर्निहित अंग बन गया है तथा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि.वि. में आयोजित समस्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों के लिए जीवनशैली एवं कार्यस्थल योग प्रशिक्षण सत्र अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाते हैं।

एमटीसी, मानव संसाधन विभाग, सीसीएल में वाह्य योगा सत्र

- वर्ष–2019–20 के दौरान सीसीएल, आईआईसीएम, सर्वोत्कृष्ट संस्थानों और अन्य बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में मानव संसाधन विभाग ने प्रशिक्षण और सेमिनार आयोजन बजट मद की राशि 20,00,00,000/– से 13,00,00,000/– की राशि खर्च की है।

भविष्यगत योजनाएँ

- विभिन्न ट्रेडों से कुल श्रमशक्ति की न्यूनतम 5% अपरेंटिसों की प्रयुक्ति (संविदाकर्मी सहित)
- जीवीटीसी में अवसंरचना का स्तरोन्नत्तिकरण
- व्याख्यान कक्ष और कंप्यूटर लैब में आधुनिक ऑडियो–विजुअल उपकरण के क्रय एवं प्रतिस्थापन से प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल के बुनियादी ढांचे का विस्तार
- प्रवेशकीय स्तर के ऑपरेटरों का प्रशिक्षण और मौजूदा शॉवेल, डम्पर और डॉजर ऑपरेटरों के कौशल वृद्धि हेतु बहुआयामी एचईएमएम सिमुलेटर का क्रय।
- सीसीएल के मौजूदा अधिकारियों के मध्य से आंतरिक प्राध्यापक और प्रशिक्षकों का एक समूह विकसित एवं निर्मित करना
- रेड–क्रॉस संस्था के सहयोग से सीसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करना
- प्रबंधकीय मुद्दो पर आउटरीच कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्षम अधिकारियों को भेजना
- सीसीएल के मगध–अम्रपाली और रजहरा क्षेत्रों में जीवीटीसी का निर्माण
- मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल, रांची में उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण

17. कल्याण

'झारखंड का आभूषण'– सीसीएल, झारखंड राज्य की प्रथम मिनीरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनी है। कोयला उत्पादन के साथ कल्याण को समाहित कर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सदैव सार्वभौम विकास को लक्ष्य किया है। कंपनी ने "गरीबों, ग्रामीणों और श्रमिकों का सर्वांगीण विकास" को केंद्र में रखते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पेय जल और स्वच्छता को सम्मिलित कर बहुआयामी कल्याणकारी दृष्टिकोण अंगीकृत किया तथा कंपनी के इन उद्देश्यों के अनुरूप सीसीएल का कल्याण विभाग अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वाहन कर रहा है।

मुख्य क्षेत्रः

❖ जलापूर्ति राष्ट्रीयकरण के पश्चात जलापूर्ति में अत्यधिक सुधार हुआ है। उपयोग हेतु शोधित, स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए। वर्तमान में 10 जल प्रशोधन संयंत्र, 78 दाब प्रशोधन संयंत्र, 182 डीप बोर–होल विद्यमान है, इनके अतिरिक्त, अरगडा, बोकारो एवं करगली, कथारा और हजारीबाग क्षेत्र में छह (6) जल प्रशोधन संयंत्र प्रस्तावित हैं, साथ ही, गोविंदपुर चरण–2, कथारा क्षेत्र में मल प्रशोधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा।

❖ चिकित्सीय सुविधाएँ: सीसीएल में चिकित्सीय सेवा त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान कि जाती है। प्राथमिक स्तर पर सेवा डिस्पेन्सरी के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय अस्पताल/केंद्रीय अस्पतालों के द्वारा द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

यहाँ चार केंद्रीय अस्पताल अवस्थित है :

- गांधीनगर अस्पताल, रांची
- केन्द्रीय अस्पताल, रामगढ़
- केन्द्रीय अस्पताल, ढोरी
- केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी कर्णपुरा

(ए) अवसंरचनाः

क्रम सं.	चिकित्सीय अवसंरचना	संख्या
1	**अस्पताल**	
	केंद्रीय अस्पताल	04
	रीजनल अस्पताल	05
	क्षेत्रीय अस्पताल	10
2	**शैय्या**	892
3	**डिस्पेंसरी**	63
4	**डॉक्टर**	215
5	**एम्बुलेंस**	80 (65 संख्या किराये पे एवं 15 कंपनी के)

(बी) केंद्रीय अस्पतालों में मूल्य संवर्धित सेवाएं:

(i) केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर में प्रत्येक महीने हृदय–रोग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक लगाया जाता है। इस क्लीनिक में मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली के हृदय–रोग विशेषज्ञ डॉ.राजीव राठी तथा यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के हृदय–रोग विशेषज्ञ डॉ. पी. के.कुचलकांति गांधीनगर अस्पताल में परामर्श देते हैं।

(ii) गांधी नगर अस्पताल में 17 शैय्या युक्त सघन चिकित्सा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है :

ए.	आई.सी.यू.	: 06
बी.	सी.सी.यू.	: 05
सी.	डायलिसिस	: 03
डी.	रिकवरी	: 03

❖ **शिक्षा** : अपने कार्मिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सीसीएल विशेष महत्व देता है।

- सीसीएल कमान क्षेत्र में संचालित विद्यालयों का विवरण :

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यालयों की सं.	छात्रों की कुल सं.	सीसीएल वार्ड	नन सीसीएल वार्ड
1	डीएवी	14	23758	7133	16625
2	केन्द्रीय विद्यालय	01	500	99	401
3	पी एम एस	44	10125	3376	6749

- वर्ष 2019–20 में निजी प्रबंधन विद्यालयों सहित विद्यालयों को प्रदत्त अनुदान :

कंपनी	राशि (2019–20)
सीसीएल	पूर्ण वित्तपोषित डीएवी विद्यालय(07) : 20.73 करोड़
	निजी प्रबंधन स्कूल : 1.25 करोड़
	केन्द्रीय विद्यालय : 3.38 करोड़

- **छात्रवृति** : सीसीएल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मेघावी छात्रों को छात्रवृति प्रदान करता है, वर्ष 2019–20 का विवरण निम्नानुसार हैं :–

सीआईएल छात्रवृति

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	
		2018–19	2019–20
1	व्यय	रु. 7.65 लाख	रु. 5.98 लाख
2	छात्रों की संख्या	343	270

- **शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति** : एन.सी.डबल्यू.ए–X के तहत कर्मचारियों के बच्चों हेतु :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	
		2018–19	2019–20
1	व्यय	रु. 53 लाख	रु. 48.04 लाख
2	छात्रों की संख्या	54	74

❖ **क्रीड़ा :**

अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और कमान क्षेत्र के निवासियों हेतु खेल कूद पर सीसीएल विशेष ध्यान एवं महत्व देता है। समस्त खेलों की पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गई है। विभिन्न खेलों के आयोजन के अतिरिक्त खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु कोचिंग शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2019–20 में, रांची जिले में आमंत्रण अंतर विद्यालय महिला एवं पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। सीसीएल द्वारा सीआईएल अंतर कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट 2019–20 की मेजबानी की गयी। इनके अतिरिक्त, सीआईएल खेल कैलेंडर के अनुसार, समस्त खेल–कूद के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

2019–20 में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीः

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्थान
	अंतर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता	
1	सांस्कृतिक सम्मेलन	बोकारो एवं करगली
2	हॉकी	कुजू
3	वॉलीबॉल	रजरप्पा
4	कबड्डी	हजारीबाग
5	टेबल टेनिस	रांची
6	बेडमिन्टन	रांची
7	फुटबॉल	नॉर्थ कर्णपुरा
8	क्रिकेट	कथारा
	सीआईएल अंतर कम्पनी खेलकूद प्रतियोगिता	
1	क्रिकेट	रांची
	कायाकल्प खेलकूद	
1	कायाकल्प महिला एवं पुरूष फुटबॉल टूर्नामेंट	रांची
2	महिला एवं पुरूष अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	नॉर्थ कर्णपुरा
3	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	पिपरवार
4	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	अरगड़ा
5	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	कुजू
6	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	हजारीबाग
7	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	कथारा
8	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	ढ़ोरी
9	अंतर ग्रामिण फुटबॉल टूर्नामेंट	बोकारो एवं करगली
	कोचिंग/अभ्यास शिविर	
1	हॉकी	रांची
2	वॉलीबॉल	रांची
3	फुटबॉल	अरगड़ा
4	क्रिकेट	रांची
5	बेडमिन्टन	रांची
6	ऐथलिट्स	रांची

वर्ष 2020–21 की भावी योजनाएं

(ए) अंतर क्षेत्रीय खेलकूद :

क्र.सं.	आयोजन
1	सांस्कृतिक सम्मेलन
2	चेस
3	कैरम
4	क्रिकेट
5	वॉलीबॉल
6	फुटबॉल
7	एथलेटिक्स
8	टेबल टेनिस
9	बेडमिन्टन
10	कबड्डी
11	हॉकी

(बी) अंतर कम्पनी खेल–कूद : कोल इंडिया कैलंडर के अनुसार खेल–कूद

(सी) अभ्यास/कोचिंग शिविर

चेस	कैरम
क्रिकेट	वॉलीबॉल
फुटबॉल	एथलेटिक्स
टेबल टेनिस	बेडमिन्टन
कबडडी	हॉकी
सांस्कृतिक	

(डी) कम्पनी खेलकूद के अतिरिक्त :

1. सभी क्षेत्रों में अंतर ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट
2. रांची में अंतर विद्यालय कायाकल्प महिला एवं पुरूष फुटबॉल टूर्नामेंट
3. सिमडेगा में अंतर पंचायत हॉकी
4. मुख्यालय एवं क्षेत्र में बच्चों हेतु खेलकूद

❖ **कल्याण बोर्ड की बैठकः** कल्याणकारी सुविधा की उपलब्धता की समीक्षा, कल्याणकारी सुविधाओं की नियमित निगरानी एवं स्तरोन्नत्तिकरण हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को कंपनी कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।

❖ **बाह्य एजेंसियों को अनुदान** : बाह्य एजेंसियों के अनुदान की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने हेतु विभाग द्वारा एक नीति का निर्माण किया गया है ।

❖ **भोजनालय** : कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में कर्मचारियों हेतु भोजनालय की उपलब्धता एवं निगरानी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यकता अनुरूप भोजनालयों के निर्माण का सामयिक निरीक्षण तथा उपलब्ध भोजनालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा कैंटीन की क्षेत्रवार उपलब्धता की जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	क्षेत्र	कैंटीन
1	अरगडा	3
2	बोकरो एवं करगली	4
3	बरका–सयाल	2
4	चरही	6
5	सीडब्ल्युएस /सीआरएस बरकाकाना	1
6	केन्द्रीय अस्पताल रामगढ़	0
7	एमआरएस रामगढ़	0
8	ढ़ोरी	4
9	कथारा	4
10	कुजू	4
11	मगध एवं आम्रपाली	1
12	नॉर्थ कर्णपुरा	4
13	पिपरवार	4
14	रजहारा	1
15	रजरप्पा	2
16	गिरीडीह	1
17	सीसीएल मुख्यालय (गांधीनगर सहित)	2
	कुल	**43**

❖ **क्लब को प्रदत्त अनुदानः**

1. कार्मिकों को रियायती दर पर विभिन्न कार्यक्रम/समारोह के आयोजन के लिए क्लब उपलब्ध कराया जाता है।
2. समान अनुदान सीसीएल अधिकारी क्लब एवं मनोरंजन क्लब को दिया जाता है।

❖ **सम्मान समारोहः**

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह प्रत्येक महीने के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, समस्त बकाया सहित अन्य उपहार भी दिये जाते है।

❖ **सीसीईबीएफएस योजना के अंतर्गत लाभः** इस योजना के अंतर्गत, सोसाइटी के सदस्य कर्मचारियों (उनके वार्ड/आश्रितों) की सहायता तथा विभिन्न लाभ प्रदान किया जा रहा है।

2019–20 लाभ/भुगतान का विवरणः सोसायटी सदस्यों को मृतक लाभ– 316 (कुल राशि रु. 158 लाख); सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चाँदी के सिक्के– 1120(कुल राशि रु. 56 लाख) वितरित किए गए। अस्वस्थता लाभ – 6 व्यक्ति (कुल राशि रु 3.55 लाख)।

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :

विभिन्न लाभकारी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सीसीएल ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, वंचितों तथा अन्य हितधारकों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। सीएसआर के अधीन 8–85 आयु–वर्ग हेतु निर्दिष्ट लाभकारी योजनाओं का निर्माण किया गया है।

उक्त गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, सीएसआर के नियम, लोक उद्यम विभाग, कोयला मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देश तथा उत्तरवर्ती संशोधनों के उपरांत, सीआईएल सीएसआर नीति के अनुरूप अपनाई गई है।

वि.वर्ष 2019–20 में सीएसआर मद में क्षेत्रवार व्यय (रु लाख में) निम्नांकित है:

क्र. सं.	क्षेत्र	व्यय (लाख रुपए में)	एमओयू के खिलाफ फंड विज्ञप्ति	कुल व्यय (रु लाख में)
1	खेल प्रचार	1512.91	0.00	1512.91
2	पेय जल	572.91	0.00	572.91
3	शिक्षा	205.56	0.00	205.56
4	कौशल विकास	193.26	0.00	193.26
5	स्वास्थ्य	176.72	564.00	741.73
6	ग्रामीण विकास	165.77	0.00	165.77
7	स्वच्छता	84.23	1739.00	1823.23
8	पर्यावरण और सतत विकास	56.77	0.00	56.77
9	सामाजिक कल्याण	15.69	0.00	15.69
10	सीएसआर ओवरहेड्स / प्रशासनिक व्यय	1.06	0.00	1.06
कुल		**2984.88**	**2303.00***	**5288.89****

क्र. सं.	परियोजना नाम	स्वीकृत राशि / परियोजना मूल्य (रु लाख में)	वित्तीय वर्ष 19–20 में जारी राशि (रु लाख में)
1	राइट्स– झारखंड के 200 रेलवे स्टेशनों में प्री–फैब्रिकेटेड शौचालय ब्लॉक के लिए	4844.00	1739.00
2	एम्स– दो शोध परियोजनाओं के लिए	629.00	339.00
3	461 आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए	691.00	225.00
कुल			**2303.00***

**(अन–अंकेक्षित)

किए गए कुल व्यय रु 52.8 करोड़ में से स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं शिक्षा पर रु 33.42 करोड़ (अर्थात 63.21%) का व्यय किया गया। वित्त वर्ष 2019–20 में लोक उद्यम विभाग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर निध ारित 60% व्यय के मानदंड का अनुपालन किया गया है।

18.1 खेल प्रोत्साहन :

सीसीएल सीएसआर कोष और झारखंड सरकार के संयुक्त निवेश से खेल अकादमी के परिचालन हेतु झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) का गठन गया। 2024 ओलंपिक में देश को गौरवान्वित करने के परम उद्देश्य से वर्तमान में 8–12 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 437 (233 लड़के और 204 लड़कियाँ) स्पोर्ट्स कैडेट आवासीय सुविधाओं के साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा एवं खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कैडेट्स को 10 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है – एथलेटिक्स, कुश्ती, तीरंदाजी, फुटबाल, ताईक्वान्डो, निशानेबाजी, भारोत्तोलन एवं साइकिल चालन। राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेल अकादमी के कैडेटों नें अद्यतन 280 स्वण,166 रजत एवं 150 कांस्य पदक प्राप्त किया है। खेल अकादमी की फ्लोरेंस बारला ने कजाकिस्तान में आयोजित अंडर–19 एथलेटिक मीट 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

फ्लोरेंस बारला, कैडेट, स्पोर्ट्स एकेडमी

वित्त वर्ष 2019–20 में खेल अकादमी में प्रवेश हेतु झारखंड राज्य के 24 जिलों से लगभग 3.24 लाख आवेदन प्राप्त हुए। पारदर्शी तथा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के उपरांत वर्ष 2019 में प्रथम 100 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बच्चों (50 लड़कों और 50 लड़कियों) को शामिल किया गया है।

माननीय खान एवं कोयला मंत्री स्पोर्ट्स कैडेट को संबोधित करते हुए

वित्त वर्ष 2019–20 में सीएसआर अंतर्गत खेल अकादमी के संचालन में रु. 1461.6 लाख का व्यय हुआ।

अन्य गतिविधियों, जिसमे फुटबॉल मैच, खिलाडियों का प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स किट का वितरण आदि सम्मिलित है, उनके मद में कुल 51.31 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट

18.2. पेयजल

वर्ष 2019–20 में सीसीएल कमान क्षेत्रों के परि.प्र.व्य.(पीएपी), निवासियों, ग्रामीणों आदि के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 572.91 लाख रु. खर्च किए गए।

(ए) **पेयजल स्रोतों का विकासः** कमान क्षेत्रों के गांवों में नलकूप, कूप, डीप बोरिंग, गांव में पाइप द्वारा जलापूर्ति, जल प्रशोधकों की स्थापना आदि :

गतिविधियां	नग	व्यय (रु लाख में)
नलकूप	33	23.80
कूप	24	55.20
डीप बोरिंग एवं सबमर्सिबल पंप	41	115.27
सौर ऊर्जा चालित डीप बोरिंग	34	352.28
जल पाइपलाइन वितरण	3	5.74
टैंकर के माध्यम से जल–वितरण	4	19.81
जल प्रशोधक का अधिष्ठापन	1	0.8
कुल		**572.91**

सीएसआर के द्वारा सीसीएल कमांड क्षेत्र में पेयजल की सुविधाएं

(बी) मगध–आम्रपाली में जल एवं विद्युत आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के दूरवर्ती गांवों में **सौर–ऊर्जा चालित 24 डीप बोरवेल की स्थापना** की गयी।

18.3 शिक्षाः

(ए) सीसीएल के लाल और लाडलीः

इस योजना के अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी और अन्य राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय एवं अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नामांकन निमित्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए झारखंड राज्य स्थित कमान क्षेत्र के गांवों से 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्र और छात्राओं का चयन एवं प्रशिक्षण दिया गया। चयनित छात्र/छात्राओं को, 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली' हॉस्टल में निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन के साथ झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों से एक स्कूल में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की निःशुल्क कोचिंग एवं स्कूली शिक्षा जाती है तथा 03 क्षेत्रों में वीसी केन्द्रों पर निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।

16 में से 11 छात्रों ने जेईई मेन्स–2019 में सफलता प्राप्त की जिसमे सर्वाधिक प्रतिशतकता 99.25 रही तथा 80% से अधिक छात्रों ने 12वीं कक्षा में 85% अंक प्राप्त किया हैं।

सीसीएल के लाल–लाडली का रथ द्वारा प्रोमोशन

सीसीएल के लाल–लाडली के छात्र–छात्राएं

(बी) कायाकल्प पब्लिक स्कूलः

सीएसआर के अंतर्गत, सीसीएल ने समाज के निर्धन तथा वंचित वर्ग के 30 छात्रों के साथ 'कायाकल्प पब्लिक स्कूल' प्रारम्भ किया गया। इन बच्चों के अभिभावक भीख मांगने, कचरा बीनने जैसे छोटे–मोटे काम करते हैं। वर्तमान में छात्रों की वर्तमान संख्या 55 है। इन छात्रों को परिवहन, अध्ययन सामग्री, कपड़े, पुस्तक से लेकर पौष्टिक अल्पाहार एवं मध्याह्न भोजन तक की पूरी सुविधा दी जाती है। छात्रों को योग एवं शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती है और उन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वे आत्मनिर्भर, सच्चे तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके।

दो वर्षों की अवधि में, छात्रों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अच्छी आदतें, अंग्रेजी एवं हिंदी में पढ़ने–लिखने के साथ साथ छात्रों में स्वच्छता का भाव भी विकसित हुआ है। छात्र भविष्य में योग्य व जिम्मेदार नागरिक बनने की इच्छा रखतें हैं। वर्ष 2019 में, द्वितीय बैच की 30 सीटों में नामांकन हेतु कुल 2500 आवेदन प्राप्त हुए। इन छात्रों ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और वार्षिक खेल दिवस जैसे कई कार्यक्रमों में अन्य स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर अदाकारी करते कायाकल्प पब्लिक स्कूल के छात्र

(सी) सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों को शैक्षणिक समर्थन : वर्ष 2019–20 में शिक्षा के प्रसार हेतु शैक्षणिक समर्थन यथा निर्धन/वंचित विद्यार्थियों को गोद लेना, शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में आधारभूत संरचना का विकास, स्कूल किट का वितरण आदि किया गया।

छात्रों के बीच वर्दी का वितरण

मगध–आम्रपाली क्षेत्र में शैक्षणिक सहायता के लिए स्कूल छोड़ने वालों को गोद लेना

मगध–आम्रपाली क्षेत्र में परियोजना प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए सीएसआर के तहत स्कूल बस किराए पर लिया जाना

18.4 कौशल विकास

ए. भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई)

सीसीएल, वर्ष 2015 से भुरकुंडा स्थित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति सहित 04 वर्षीय माइनिंग सिरदार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह योजना वर्ष 2019 में पूरी हो गई है।

बी. कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी/सीईटीआई), बरकाकाना

सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को बहु कौशल विकास केंद्र, बरकाकाना में छमाही इलेक्ट्रिशियन एवं वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 6 प्रशिक्षु बैचों का नामांकन किया गया है। ऑटो–इलेक्ट्रीशियन हेतु छात्रों का प्रवेश प्रक्रियागत है।

सी. अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कई अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण का नाम	लाभुकों की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	ड्राइविंग प्रशिक्षण	24	1.88
2	ब्यूटीशियन प्रशिक्षण	146	4.04
3	कंप्यूटर प्रशिक्षण	365	12.62
4	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	178	5.57
5	मोबाइल मरम्मतीकरण	125	4.35
6	सिलाई प्रशिक्षण	126	5.11
7	माइनिंग सिरदार प्रशिक्षण	38	14.30
8	वेल्डर/इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण	62	5.47
9	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	320	3.76
10	सिलाई मशीन वितरण	270	11.83
11	रोजगार विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	40	1.99
कुल		1694	70.92

प्रशिक्षुओं के बीच टेलरिंग ट्रेनिंग प्रमाण–पत्र का वितरण

सीएसआर के तहत ब्यूटिशियन ट्रेनिंग

डी. सिपेट के माध्यम से झारखंड के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) तथा वंचित युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण।

केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(सिपेट) तथा सीआईएल के मध्य समझौता ज्ञापन अनुसार सिपेट द्वारा प्लास्टिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न चरणों में 240 उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी सीसीएल को दी गई।

सीसीएल द्वारा समापन–सत्र में कुल 120 छात्रों में से 110 छात्रों को महाराष्ट्र एवं राजस्थान स्थित प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनियों में नियुक्ति–पत्र प्रदान किया गया।

सिपेट प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग प्रमाण–पत्र के साथ नियुक्ति पत्र देते सीसीएल के सीएमडी

ई. जोन्हा,झारखंड में कौशल विकास केन्द्र: ग्रामीण युवाओं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जोन्हा में 1.71 करोड़ रुपये की लागत से कौशल विकास केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

18.5 स्वास्थ्य

ए. दो अनुसंधान परियोजनाओं हेतु एम्स तथा वन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन।

(i) झारखंड के मूल आदिवासी समुदाय की दृष्टि, हृदय सम्बद्ध बीमारियों तथा मानसिक स्वास्थ्य पर ईंधन के रूप में लकड़ी एवं बायोमास द्वारा भोजन बनाने के संबंध का मूल्यांकन करने हेतु।

{परियोजना लागतः रु. 217.27 लाख, अवधिः 3 वर्ष, स्थानः झारखंड के रांची, हजारीबाग और कोडरमा जिले, विषयों की संख्याः 400}

इस परियोजना से जनजातीय आबादी हेतु वैकल्पिक ईंधन के उपयोग हेतु प्रोटोकॉल निर्माण में सहायता होगी जिससे उनकी जीवन–प्रत्याशा में वृद्धि होगी।

(ii) मानव उपभोग एवं पोषण हेतु कचनार (वैज्ञानिक नाम– बौहिनिया वेरीगेट प्रादेशिक नाम– कोनार) का पारंपरिक प्रयोगः भारत में झारखंड राज्य के आदिवासी जिलों में जानपदिक रोग विज्ञान सम्बद्ध अध्ययन किया गया।

{परियोजना लागतः रु.411.52 लाख, अवधि : 3 वर्ष, स्थानः झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले, विषयों की संख्याः 400}

सीसीएल को परियोजना का मुख्य प्रायोजक / राजस्व भागीदार के रूप में प्रषेपित किया जाएगा; वित्तीय लाभ, यदि कोई हो, जिसे भविष्य में अनुसंधान परियोजना के परिणाम के कार्यान्वयन के आधार पर अर्जित किया जा सकता है, तो उस आय को एम्स एवं सीसीएल के मध्य समान रूप से साझा किया जाएगा तथा परियोजना से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का पेटेंट सीसीएल और एम्स के संयुक्ताधिकार में होंगे । आय, यदि कोई हो, सीएसआर परियोजनाओं में पुनर्निवेश किया जाएगा।

बी. झारखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों का स्तरोन्नतिकरण।

सीसीएल की बोर्ड ने 691.50 लाख रुपये की कुल लागत से रांची (150), रामगढ़ (150), बोकारो (100) और हजारीबाग (61) जैसे जिलों में 461 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तरोन्नतिकरण हेतु स्वीकृति दी।

150 एडब्लूसी के अपग्रेडेशन के लिए डीसी, रामगढ़ एवं सीसीएल के बीच एमओयू

डीपीई के कार्यालय ज्ञापन सं. 08 / 0002 / 2018–निदेशक (सीएसआर) दिनांक 10–12–2018 के अनुसार सरकार द्वारा चयनित वार्षिक थीम पर सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और एस्पिरेशनल जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्ष 2019–20 का वार्षिक थीम स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण था।

सीसीएल, झारखंड के 8 जिलों (रांची, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, पलामू) में संचालित होता है। उक्त सभी जिले भारत के 112 आकांक्षी जिले एवं झारखंड राज्य के 19 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं।

सी. अलिम्को के माध्यम से कृत्रिम अंग का वितरण।

दिव्यांगजनों के उत्थान के प्रति सीसीएल की प्रतिबद्धता को देखते हुए, वर्ष 2018–19 में सीसीएल और अलिम्को के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना के तहत, वित्त वर्ष 2019–20 में सीसीएल कमान क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को सीसीएल सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 25. 00 लाख की लागत से 81 लाभार्थियों को सहायता तथा उपकरण वितरित किये गए।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल, जिला उपयुक्त, रांची तथा एएलआईएमसीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में अभावग्रस्त लोगों को सहायता एवं उपकरणों का वितरण।

डी. सीसीएल द्वारा वर्ष 2019–20 में सावन महोत्सव के दौरान, देवघर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु लाभान्वित हुए ।

मेगा हेल्थ कैम्प, देवघर में मरीजों की स्वास्थ्य सेवा

ई. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुल 689 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 1,49,795 से अधिक मरीजों को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिला ।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित चिकित्सा शिविरों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	शिविर	संख्या
1	नेत्र जांच शिविर	5
2	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	411
3	विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र	197
4	मधुमेह शिविर	16
5	एनीमिया जांच शिविर	14
6	हृदय रोग शिविर	10
7	सीओपीडी अस्थमा कैंप	22
8	स्वास्थ्य मेला	10
9	अन्य चिकित्सा शिविर	4
	कुल	689

मगध–आम्रपाली एवं सीआरएस बरकाकाना क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर

एफ. सीसीएल कमान क्षेत्र के गांवों में कंपनी के चिकित्सकों द्वारा **निःशुल्क ओपीडी सेवाएं एवं दवाइयाँ सीएसआर डिस्पेंसरियों** के माध्यम से दी जा रहीं है। उक्त के संचालन में लगभग रु 3.28 लाख का व्यय हुआ है।

18.6. ग्रामीण विकास

निम्नलिखित गतिविधियों हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीएल के कमांड क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढाचों के विकास में 165.77 लाख रुपये का व्यय किया गए हैं ।

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	गतिविधि / इकाई की संख्या	व्यय की राशि (रु.लाख में)
1	सड़क का निर्माण (पीसीसी / डब्ल्यूबीएम)	9000 मी.	123.80
2	सौर उर्जा लाइट का प्रतिष्ठापन	3	6.82
3	शेड का निर्माण	2	7.06
4	घाट का निर्माण	3	8.53
5	सामुदायिक भवन का निर्माण	3	11.68
6	विकासात्मक कार्य	1	0.44
7	सीसीटीवी कैमरे का प्रतिष्ठापन	1	0.98
8	पुल का निर्माण	2	6.47
	कुल		**165.77**

सीएसआर के तहत हेंदेगढ़त (हजारीबाग) में कम्युनिटी हॉल के निर्माण

18.7 स्वच्छता

ए. झारखंड में 200 रेलवे स्टेशनों पर पूर्वनिर्मित शौचालयों की स्थापना।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर ने यात्रियों, नियमित आवागमन करने वाले लोगों, विक्रेताओं तथा निकटवर्ती आबादी हेतु रेलवे स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था में सुधार को लक्ष्य करते हुए झारखंड के 200 रेलवे स्टेशनों के संचालन क्षेत्रों में पूर्व निर्मित शौचालयों की स्थापना की परियोजना का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया । सीसीएल, राइट्स एवं द.पू.रे के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 01–10–2019 को किया गया अवधिः 01 वर्ष, कार्यादेश अनुसार अनुमानित परियोजना लागतः रु 48.44 करोड़,

प्रत्येक शौचालय खंड में 3 पुरुष, 3 महिला तथा 01 दिव्यांग शौचालय सहित 01 सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन और 01 कंडोम वेडिंग मशीन होंगे।

राइट्स, एसईआर एवं सीसीएल के बीच एमओयू

स्थापना उपरांत, उक्त संपत्ति सम्बद्ध रेलवे रेलवे को सौंप दी जाएगी, जो जल एवं विद्युत आपूर्ति आदि सहित शौचालयों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था के उत्तरदायी होंगे।

बी. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पहल (स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छता ही सेवा)

स्वच्छ भारत अभियान के अंग के रूप में, मुख्यालय एवं सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में थीम आधारित स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया जाता है। 2019 की थीम 'एकल उपयोग प्लास्टिक के लिए

कहो ना' पर सीसीएल मुख्यालय तथा कमान क्षेत्रों में अभियान अवधि के दौरान कई अभिनव और अनूठी गतिविधियां आयोजित की गयी।

अनूठी गतिविधियों की कुछ झलकियाँ :

स्कूली छात्रों के बीच बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता

स्कूली छात्रों को पौधा वितरण

स्वच्छता जागरूकता हेतु स्कूल को
डस्टबिन एवं सफाई वस्तुओं का वितरण

ट्रक चालक को स्वच्छता कीट वितरण

"से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक" के थीम पर स्वच्छता रैली

सीसीएल कमांड क्षेत्र में सफाईमित्र को स्वच्छता कीट वितरण

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर किशोरावस्था छात्राओं के लिए सत्र

सीसीएल कमांड क्षेत्र एवं मुख्यालय में स्वच्छता के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा

स्वच्छता ही सेवा के दौरान कांके डैम जलाशय की सफाई

"सिंगल यूज प्लास्टिक" के दुष्प्रभाव के प्रति
जागरूकता पैदा करने हेतु भेंडर मार्केट में नुक्कड़ नाटक

नारियल पानी एवं जूस विक्रेताओं में
कागज से निर्मित स्ट्रॉं का वितरण

बी. एण्ड के. क्षेत्र के स्कूलों के लिए सोप बैंक

सी. **सफाई अवसंरचना का विकास** : उपरोक्त के अतिरिक्त, 2019–20 की नियमित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों का निर्माण, नालियों का निर्माण/नवीनीकरण आदि किया गया है ।

हजारीबाग क्षेत्र में सामुहिक शौचालय

18.8 पर्यावरण एवं संवहनीय विकास

पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण भी सीएसआर का कार्यक्षेत्र रहा है एवं इसके अंतर्गत क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियां हैं :

ए. **12 तालाबों का गहरीकरण एवं नवीनीकरण** रु 39.78 लाख की लागत से किया गया।

बी. **कुजू में वृक्षारोपण**, बरकासयाल में **चेक डैम से गाद निष्कर्षण**, पिपरवार में **वर्षा जल संचयन** आदि कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए ।

पीपरवार क्षेत्र में चेक डैम

वृक्षारोपन को बढ़ावा देने हेतु पौधों का वितरण

18.9 समाज कल्याण :

अलिम्को द्वारा व्हील चेयर एवं अन्य उपस्करों के वितरण के अतिरिक्त, राज्य प्रशासन के माध्यम से रु 12.14 लाख की लागत से व्हील चेयर का वितरण किया गया। सीसीएल द्वारा पिपरवार में एक पुनर्वास केंद्र चलाया जा रहा है एवं नगड़ी स्थित वृद्धाश्रम में एक हाल सहित दो कमरे बनाए जा रहें है।

18.10. कोविड राहत कार्य :

आकस्मिक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान कमान क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से सीसीएल ने दैनिक मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अन्न का पाकेट, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताहांत में, सीएसआर के माध्यम से रु 60 लाख की राहत सामग्री का वितरण किया गया। कुजू क्षेत्र में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों ने ग्रामीणों के मध्य वितरण हेतु मास्क बनाया। सीसीएल अस्पताल को कोविड–19 के विरूद्ध तैयार करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा पीपीई किट, थर्मल स्कैनर, मास्क, दस्ताने आदि का क्रय किया गया।

परिचालन क्षेत्रों के जरूरतमंदों को सीसीएल सहायता का प्रसार करने में जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमारे नोडल सीएसआर अधिकारी, वस्तुतः सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दिया।

उक्त समस्त सीएसआर यत्नों से न सिर्फ अंशधारक लाभान्वित हुए अपितु एक जिम्मेदार सार्वजनिक उद्यम के रूप में कंपनी की छवि को भी सुदृढ़ किया।

कोविड 19 में घर पर निर्मित मास्क के वितरण हेतु टेलरिंग प्रशिक्षण में प्रशिक्षित महिलाएं मास्क बनाते हुए

ग्राम स्वच्छता

कोविड लॉकडाउन के दौरान खाद्य पैकेटों का वितरण

18.11. पुरस्कार एवं प्रशस्ति

ए. अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में "खेल अकादमी, खेल गांव,रांची" को राष्ट्रीय प्राथमिकता के खेल प्रोत्साहन क्षेत्र में अद्वितीय योगदान हेतु प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरूस्कार विजेतागण
भारत के मानीय राष्ट्रपति के साथ

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीमारमण से राष्ट्रीय सीएसआर पुरूस्कार 2019 प्राप्त करते हुए सीएमडी, सीसीएल

बी. सीसीएल सीएसआर के तहत कार्यान्वित खेल अकादमी को अनुसूचित जनजाति बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया।

भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति
सीएमडी, सीसीएल को पुरूस्कृत करते हुए

सी. 11 दिसंबर को फिक्की, फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में माननीय खेल मंत्री, ओडिशा सरकार के कर कमलों द्वारा **'खेलों को प्रोत्साहित करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र)' फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया।**

डी. **खेल अकादमी हेतु स्कोप उत्कृष्टता : सीएसआर टाइम्स अवार्ड्स 2019 में खेल प्रोत्साहन पहल के लिए सीसीएल, रांची को खेल अकादमी हेतु सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम से सम्मानित किया गया है।.**

ई. **"आकांक्षी जिलों में सुधार"** कॉन्क्लेव में सीसीएल की प्रतिभागितारू लोक उद्यान एवं भारी उद्योग विभाग द्वारा 3 मार्च 2020 को, द अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित "केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सीएसआर पहल" में सीसीएल ने आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

श्री अमिताभ कान्त, सीईओ, नीति आयोग कॉनक्लेव में सीसीएल स्टाल का उद्घाटन करते हुए

18.12 आगामी योजनाएँ : वर्तमान में चल रहीं सीएसआर परियोजनाओं के साथ–साथ सीसीएल की वर्ष 2020 में निम्नलिखित गतिविधियों के क्रियान्वयन की योजना है:

1. तीन क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट।
2. सभी परिचालन क्षेत्रों में वृहत पैमाने पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र।।
3. सभी परिचालन क्षेत्रों में कायाकल्प पब्लिक स्कूल का निर्माण।
4. क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल।
5. केदला यूजी खदान से गांव में पाइप द्वारा जलापूर्ति।
6. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रसव–पूर्व प्रतीक्षालय।
7. चतरा में डिजिटल क्लासरूम।
8. कक्षा 9वीं से सीसीएल के लाल–लाडली के लिए शिक्षण कार्यक्रम।
9. सीसीएल के तीन क्षेत्रों में खेल अकादमी।
10. टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में सुधार।
11. सिपेट के माध्यम से प्लास्टिक इंजीन्यरिंग में 320 पीएपी का चयन एवं प्रशिक्षण।
12. 150 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इन्सीनरेटर की स्थापना।

19. समाधान योजना

सीसीएल में कार्यरत या सेवानिवृत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, उपभोक्ताओं या सीसीएल से संबंधित किसी व्यक्ति के शिकायत निवारण हेतु दिनांक 27.04.2012 को एक शिकायत केन्द्र की स्थापना की गई। शिकायत कर्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में, टोलफ्री नं. 18003456501, ऑनलाइन, वाट्सएप सेवा नम्बर 7250141999, ट्विटर, सीसीएल के अखाड़ा में सीधा संवाद या कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर मौखिक शिकायत कर सकते है। शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर क्रम संख्या दी जाती है एवं शिकायत की प्रकृति अनुसार उक्त के निवारण हेतु एक संभावित तिथि तय कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। संबंधित विभागाध्यक्ष को दूरभाष द्वारा शिकायत प्राप्ति की सूचना दी जाती है। इसके अन्ततः, संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र में शिकायत संलग्न कर अनुरोध किया जाता है कि पत्र में प्रदत्त समयसीमा के भीतर ही शिकायत का निवारण करें। विभागाध्यक्षों द्वारा उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें दूरभाष द्वारा एवं लिखित अनुस्मारक भेजा जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया उत्तर यदि संतोष जनक पाया जाता है तो शिकायत कर्ता को फोन के माध्यम के साथ–साथ लिखित सूचना भी दी जाती है। अगर विभागाध्यक्ष का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस मामले को समीक्षा के लिए पुनरू विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाता है और यदि जवाब पुनः असंतोष पाया जाता है तो मामला स्थाई समिति के पास पुनरीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। मामले के पुनरीक्षण पश्चात, यथोचित अनुशंसा सहित स्थाई समिति एवं महाप्रंधक समाधान मामले को निदेशक मंडल के समक्ष विमर्श हेतु प्रेषित करते हैं।

वर्ष 2019–20 में समाधान सेल की उपलब्धियां

वर्ष 2019–20 में समाधान सेल को कुल 452 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमे से 419 शिकायतों का निवारण किया गया फलस्वरूप उपलब्धि प्रतिशतता 92.69% रही।

सीसीएल को 2924(स्थापना पश्चात) शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 2898 मामलों का निवारण किया गया है, फलस्वरूप सकल उपलब्धि प्रतिशतता 90.75% रही है।

20. 31.03.2020 तक सामाजिक ओवरहेड पर पूंजीगत व्यय :

31.03.2020 तक, हमारे कंपनी द्वारा सामाजिक ओवरहेड संपत्तियों पर व्यय किए गए संचयी राशि रू. 632.00 करोड़ है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	2019–20	2018–19
i)	भवन	507.14	498.50
ii)	संयंत्र एवं मशीनरी	67.13	63.17
iii)	फर्नीचर एवं साज सज्जा	30.38	27.21
iv)	वाहन	7.26	7.28
v)	विकास	20.10	19.98
कुल		**632.00**	**616.14**

21. वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय परिणाम निम्नांकित है:

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2018–19
i.	संचालन से राजस्व	12580.72	12179.90
ii.	अन्य आय	605.45	313.03
iii.	सकल राजस्व	13186.17	12492.93
iv.	मूल्यह्रास, ब्याज को छोड़कर व्यय	9687.44	9381.20
v.	मूल्यह्रास, ब्याज से पहले लाभ	3498.73	3111.73
vi.	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	490.39	344.28
vii.	ब्याज	75.62	75.25
viii.	कर से पहले लाभ	2932.72	2692.20
ix.	कर व्यय	1084.97	987.73
x.	कर से पहले निबल लाभ	1847.75	1704.47
xi.	अन्य व्यापक आय	(326.38)	(30.27)
xii.	अन्य व्यापक आय पर कर	(82.14)	(10.58)
xiii.	कंपनी के स्वामीयों के लिए लाभ	1847.75	1704.47

आपकी कम्पनी के निदेशकमण्डल ने रू. 249.22 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (पिछले वर्ष रू. 297.04 करोड़)। 2019–20 में कुल लाभांश रू. 294.22 करोड़ (रू. 1000/– के 9400000 इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्रति इक्विटी शेयर रू. 313, पिछले वर्ष रू. 316)।

22. पूंजीगत व्यय

ए. विगत वर्ष में रू. 1377.27 के मुकाबले वर्ष 2019–20 के दौरान स्टैण्डअलॉन पूंजीगत व्यय रू. 1117.48 करोड़ रहा। वर्ष 2019–20 में पूंजीगत व्यय का क्रमवार विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	2019–20	2018–19
i)	भूमि	79.91	26.57
ii)	भवन	38.29	108.36
iii)	संयंत्र एवं मशीनरी	116.12	133.69
iv)	फर्नीचर एवं साज सज्जा	1.55	3.34
v)	कार्यालय उपकरण	16.87	13.68
vi)	रेल कोरिडोर एवं रेलवे साइडिंग	664.41	848.92
vii)	वाहन	0.06	0.12
viii)	अन्य खनन के लिए बुनियादी संरचना	200.26	238.40
ix)	सॉफ्टवेयर	0.01	4.19
कुल		**1117.48**	**1377.27**

ख. विगत वर्ष में रू. 1356.83 के मुकाबले वर्ष 2019–20 के दौरान समेकित पूंजीगत व्यय रू. 1130.88 करोड़ रहा। वर्ष 2019–20 में पूंजीगत व्यय का क्रमवार विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	2019–20	2018–19
i)	भूमि	79.91	26.57
ii)	भवन	38.29	108.36
iii)	संयंत्र एवं मशीनरी	116.12	133.69
iv)	फर्नीचर एवं साज सज्जा	1.59	3.34
v)	कार्यालय उपकरण	16.87	13.68
vi)	रेल कोरिडोर एवं रेलवे साइडिंग	677.77	828.48
vii)	वाहन	0.06	0.12
viii)	अन्य खनन के लिए बुनियादी संरचना	200.26	238.40
ix)	सॉफ्टवेयर	0.01	4.19
कुल		**1130.88**	**1356.83**

टिप्पणी :

1. पू. म. रेलवे से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर रेलवे साइडिंग के अग्रिम पूंजीकरण, समर्थित परिसंपत्ति के लिए टोरी–शिवपुर रेलवे साइडिंग पर व्यतित राशि रू. 412.39 करोड़ है।

इस प्रकार आपकी कंपनी को ''कैपेक्स'' मानदंड में उत्कृष्ट श्रेणी की प्राप्ति हुई है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य रू. 850 करोड़ की तुलना में रू. 1117.48 करोड़ (स्टैण्डअलॉन) एवं रू. 1130. 88 करोड़ (समेकित) की उपलब्धि प्राप्त हुई है।

23. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में)

क्रम सं	विवरण	2019–20	2018–19
i)	कायले पर रॉयल्टी	1208.27	1500.05
ii)	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	28.30	27.68
iii)	डीएमएफ (राज्य निधि)	371.18	338.78
iv)	बिक्री कर/वैट	0.81	2.16
v)	स्टोईंग एक्साइज ड्यूटी	–	–
vi)	आय कर	911.68	1224.77
vii)	लाभांश कर	60.48	61.06
viii)	सेवा कर	1.06	0.52
ix)	स्वच्छ उर्जा सेस	–	–
x)	कोयले पर सेन्ट्रल एक्साइज	9.31	2.55
xi)	जीएसटी	2812.32	3319.52
xii)	अन्य	20.52	34.93
	कुल	**5423.93**	**6512.02**

24. पूंजीगत संरचना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और पेड–अप शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात रु.1100.00 करोड़ एवं रु. 940.00 करोड़ क्रमशः 31 मार्च, 2020 को कम्पनी की निबल संपत्ति रु. 6391.53 करोड़ है जो 31 मार्च, 2019 को रु. 5142.72 करोड़ थी ।

24.1 ऋण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है।

25. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 31.03.2020 तक सीसीएल में 158.13 मी टन की स्वीकृत क्षमता के साथ वर्तमान में 19 और पूर्ण हो चुकी 26 खनन परियोजनाएं हैं। सीसीएल की वर्तमान परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और क्षमता क्रमशः 5416.45 करोड़ और 105.34 मिलियन टन है। सीसीएल की पूरी हो चुकी परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और क्षमता क्रमशः 2971.60 करोड़ और 52.79 मिलियन टन है। 44.37 कि.मी. लम्बी टोरी, शिवपुर रेलवे लाइन (डबल लाइन) एक गैर–खनन परियोजना है जिसकी स्वीकृत पूंजी रु. 2399.07 करोड़ है।

पूरे किए गए सीसीएल के कुल 26 चालू खनन परियोजना का विवरणः

परियोजनाओं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (रुपए करोड़ों में)	स्वीकृत क्षमता (मि.ट./वर्ष)
रु 150 करोड़ से अधिक	5	2124.90	29.25
रु 50 करोड़ से रु 150 करोड़ के बीच	7	609.35	14.45
रु 20 करोड़ से रु 50 करोड़ के बीच	1	35.54	1.00
रु 2 करोड़ से रु 20 करोड़ के बीच	13	201.79	8.09
कुल	26	2971.60	52.79

सीसीएल के कुल 19 कार्य प्रगतिशील खनन परियोजना का विवरणः

परियोजनाओं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (रुपए करोड़ों में)	स्वीकृत क्षमता (मि.ट./वर्ष)
रु 150 करोड़ से अधिक	10	5044.84	97.21
रु 50 करोड़ से रु 150 करोड़ के बीच	2	238.64	4.70
रु 20 करोड़ से रु 50 करोड़ के बीच	1	46.78	0.80
रु 2 करोड़ से रु 20 करोड़ के बीच	6	86.19	2.63
कुल	19	5416.45	105.34

19 वर्तमान परियोजनाओं में से हुरीलौंग भूमिगत खदान परियोजना क्रमशः वन्य स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण शुरु नहीं की जा सकीं। कल्याणी ओसीपी सीसीएल की वर्तमान परियोजनाओं में से एक है, और जिसका आरम्भ वन्य स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

शेष 17 परियोजनाओं में से चार विस्तृत परियोजनाएं जैसे कि उत्तरी उरीमारी ओसीपी (7.5 मि.ट.), तेतरियाखार ओसीपी (2.5), मगध ओसीपी (51/70) और आम्रपाली ओसीपी नियत समय पर है, और 13 अन्य परियोजनाओं के विलम्ब का कारण निम्नानुसार हैं :

- क. भूमि का सत्यापन।
- ख. वन्यभूमि स्वीकृति और साइट सौंपने संबंधी।
- ग. पर्यावरण स्वीकृति।
- घ. कोयला निष्कासन की समस्या।
- ङ. पुनर्वास और स्थानांतरण के मुद्दे।
- च. सुरक्षा कारण।

सीसीएल की वर्तमान गैर–खनन परियोजनाओं का विवरण

टोरी – शिवपुर न्यू बीजी डबल रेल लाइन (टोरी –बिराटोली और बिराटोली – महुआमिलन सहित रेल लाइन कनेक्टिविटी (अनुमानित लागत मूल्य रु. 2399.07 करोड़):

मार्च 2018 को कोल ट्रैफिक मूवमेंट के तहत टोरी से बालूमाथ स्टेशन (19.3 किलोमीटर लंबाई) तक की एकल रेलवे लाइन का उद्‌घाटन हुआ तथा कोयला प्रेषण प्रारंभ हुआ । इसके बाद, बुकरू और फुलबसिया साईडिंग रेल लाइन पर से कोल ट्रैफिक मूवमेंट शुरू किया गया । टोरी से शिवपुर तक एकल रेलवे लाइन से संबंधित सिविल कार्य पूरा हो चुका है और टोरी से शिवपुर तक डबल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्यों पूरा हो गया। ईसी रेलवे द्वारा अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर हैं। रेलवे द्वारा बिराटोली – महुआमिलन सतह रेल लाइन कनेक्टिविटी की गई है और टोरी–बिराटोली रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है । रेलवे द्वारा टोरी – शिवपुर न्यू बीजी रेल लाइन कार्य तथा टोरी–बिराटोली और बिराटोली – महुआमिलन रेल लाइन कनेक्टिविटी सहित कुल परियोजना लागत 2626.26 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (मि.ट./वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (रुपए करोड़ों में)	अनुमोदन का दिनांक
1	कोतरे– बसंतपुर ओसी	5.00	861.0624	11.02.20 को आयोजित 399वीं सीआईएल बोड
2	*आम्रपाली ओसीपी (25/35 मि.ट./वर्ष)	25ध35	5136.15	11.02.20 को आयोजित 399वीं सीआईएल बोड
3	मगध ओसीपी (51/70 मि.ट./वर्ष)	51ध70	7254.37	11.02.20 को आयोजित 399वीं सीआईएल बोड
4	हेंडेगीर ओसी	4	435.64	03.02.20 को आयोजित 483वीं सीआईएल बोड
5	जारंगडीह ओसी का आरपीआर	1.5	414.37	03.02.20 को आयोजित 483वीं सीआईएल बोड
6	ततरियाखार ओसीपी का ईपीआर	2.5ध3.4	243.52	04.11.19 को आयोजित 479वीं सीआईएल बोर्ड
7	परेज पूर्व का आरपीआर	0.51	260.05	04.11.19 को आयोजित 479वीं सीआईएल बोर्ड
8	पिछरी ओसी	1.20	349.58	03.08.19 को आयोजित 475वीं सीआईएल बोड

*परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रथम वर्ष के पूंजीगत व्यय हेतु बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरे किए गए/कमीशन्ड परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजनाएं	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.ट./वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (रुपए करोड़ में)	समापन की तिथि
1	नार्थ उरीमारी ओसी	ओसी	3	179.87	03.08.2019

वित्तीय वर्ष 2019–20 में हमारी कम्पनी का उत्पादन स्तर निम्नलिखित है :

समूह	2019–20 मि.ट.
मौजूदा खदानें और पूर्ण की गई खदानें	36.573
जारी प्रोजेक्ट	30.315
कुल	66.888

26. वन एवं पर्यावरण

i. **प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृतियां** रू 34.08 मि. टन/वर्ष क्षमता की 5 (पांच) खदानें. 17 मि. टन /वर्ष क्षमता की 2(दो) वाशरियां.

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	कारो एक्सपेंशन ओसीपी	11ध15.00
2	नार्थ उरीमारी ओसीपी (पुनर्वैधीकरण)	3.00
3	आम्रपाली ओसीपी (पुनर्वैधीकरण)	12.00
4	आम्रपाली ओसीपी	14.40
5	टोपा ओसीपी	1.68
6	कारो एकीकृत वाशरी	7.00
7	अशोका वाशरी (वैधता में विस्तार)	10.00
	उप–कुल (खान–05 नग)	**34.08**
	उप–कुल (वाशरी–02 नग)	**17.00**

ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन (फॉर्म–।।)**

दो खदान (सकल क्षमता 19.80 मि.टन/वर्ष) तथा एक वाशरी (सकल क्षमता 3 मि टन/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	आम्रपाली ओसीपी {7(ii)}	16.80
2	नार्थ उरीमारी ओसीपी {7(ii)}	3.00
3	न्यू कथारा कोकिंग कोल् वाशरी	3.00
	कुल (खान–02 नग)	**19.80**
	कुल (वाशरी–01 नग)	**3.00**

iii. **फॉर्म VI रूजीवनावधि वैधता विस्तार** : चार खदान (कुल क्षमता 9.55 मि.टन/वर्ष) तथा एक वाशरी (कुल क्षमता 10 मि.टन/वर्ष)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	पिछरी ओसीपी	1.50
2	कथारा ओसीपी	1.90
3	सिरका ओसीपी	1.15
4	केडीएच ओसीपी	5.00
5	अशोका वाशरी	10.00
	कुल (खान–04 नग)	**9.55**
	कुल (वाशरी–01 नग)	**10.0**

iv. **निर्गत टॉर** : 5 खादान (9.07 मि टन/वर्ष) तथा एक वाशरी (4 मि.टन/वर्ष)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	केदला भूमिगत	0.22
2	केदला खुली खान	1.35
3	गिद्दी खुली खान	1.00
4	कुजू खुली खान	1.50
5	कोतरे–बसंतपुर पचमो ओसीपी	5.00
6	बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वाशरी	4.00
	कुल (खान–05 नग)	**9.07**
	कुल (वाशरी–01 नग)	**4.00**

v. **टॉर हेतु फॉर्म I** : 2.17 मि टन/वर्ष हेतु 3 प्रस्तावजमा किए गए।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	पिपरवार भूमिगत (फेज–1)	0.87
2	गिरिडीह ओसीपी (पुनर्लोकित)	0.70
3	कबरीबाद ओसीपी (पुनर्लोकित)	0.60
	कुल (खान–03 नग)	**2.17**

vi. **खनन योजना का अनुमोदनः** कुल 09 तथा कुल 08 खदान बंदीकरण योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता एमटीपीए में	राशि लाख में
1	तापिन साउथ एक्सपेंशन ओसीपी	2.5	1438.71
2	सिलेक्टेड ढोरी समूह के खान (कम सीवन निष्कर्षण के लिए)	2.0	-
3	गिरिडीह ओसीपी	1.0	1632.02
4	कबरीबाद ओसीपी	1.0	1650.41
5	पुण्डी ओसीपी	5.0	11981.42
6	भुरकुंडा ओसीपी	2.05	5271.25
7	आम्रपाली ओसीपी	16.8	3477.97
8	कारो ओसीपी एवं एकीकृत वाशरी	15 (7)	5911.89
9	केडीएच एक्सटेंशन ओसीपी	5	4603.22

vii. **जन सुनवाई** : 02 वाशरी प्रस्तावों हेतु सफलतापूर्वक सम्पन्न की गयी।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	न्यू कथारा कोकिंग कोल वाशरी	3.00
2	बसंतपुर–तापिन कोकिंग कोल वाशरी	4.00
	कुल (वाशरी–02 नग)	7.00

ए. **पर्यावरण पर्यवेक्षण एवं नवीन प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण**

i. वर्ष 2019–20 में पीएम 10 (आरपीएम) के 6100 नमूने, पीएम 2.5 के 6100 नमूने, वायु में भारी धातु का विश्लेषण 155 स्टेशनों में किया गया, प्रवाही निगरानी के 1800 नमूने, सतही जल गुणवत्ता के 500 नमूने, पेयजल गुणवत्ता के 200 नमूने, ध्वनि निगरानी के 6100 नमूने एवं डीइटीपी के 24 नमूनों की जांच की गई है।

ii. **समस्त रेलवे साइडिंग में ऑनलाइन पीएम10 विश्लेषक का प्रतिस्थापनः**

रेलवे साइडिंगों में पीएम10 प्रदूषक की प्रभावी निगरानी हेतु, प्रथम चरण में सीसीएलने 25 पीएम10 विश्लेषक स्थापित करने की योजना बनाई है जिसकी ऑनलाइन कनेक्टिविटी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाएगी।क्रय निविदा की जा चुकी है एवं बिड समीक्षाधीन है। इसके अलावा रेलवे साइडिंग में ऑनलाइन पीएम 10 विश्लेषक के साथ, सीसीएल के सभी महाप्रबंधक कार्यालयों में ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) खनन क्षेत्रों के पीएम 10, पीएम 2.5, एसओएक्स, एनओएक्स और वायुमण्डलीय पैरामीटर का समयोचित विवरण प्रदान करेगा।

iii. **मिस्ट स्प्रिंकलर का प्रयोग**

सीसीएल ने वर्ष 2018 के पश्चात 28 किली क्षमता युक्त सामान्य मोबाइल स्प्रिंकलर का क्रय समाप्त कर दिया है जो गुरुत्वाकर्षण/पंपों द्वारा पानी का छिड़काव करते हैं। अब सिर्फ 28 किली के मिस्ट प्रकार्य स्प्रेयर की खरीदारी की जा रही है। अद्यतन, सीसीएल की खदानों में इस प्रकार के 17 स्प्रेयर नियोजित किए गए हैं जो कि 28 किली सामान्य मोबाइल स्प्रिंकलर की कुल संख्या का 34% है। उक्त स्प्रिंकलर जल को सूक्ष्म कणों को में परिणत कर वातानीत धूल कणों को अवशोषित कर लेता है जिसके परिणामस्वरूप खदानों में स्थित हाल सड़कों पर धूलि उत्सर्जन का शमन होता है ।

कार्यरत मिस्ट स्प्रींकलर

iv. **रेलवे साइडिंग पर धूलि–उत्सर्जन नियंत्रण हेतु व्यवहृत युक्तियाँ :**

- सीसीएल के 25 साइडिंग परिसर में पीएम10 मॉनिटर की स्थापना
- सीसीएल के सभी रेलवे साइडिंग परिसर में वायु अवरोधक/ स्क्रीन
- सीसीएल के सभी रेलवे साइडिंग परिसर में हरित पट्टी/ हरित क्षेत्र का विकास
- सीसीएल के सभी रेलवे साइडिंग परिसर में स्थायी जल छिड़काव यंत्र
- सीसीएल के सभी रेलवे साइडिंग परिसर में नालियों और तलछट तालाब का निर्माण
- सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालयों में सीएएक्यूएमएस की स्थापना (प्रथम चरण)

क्वारी बॉटम स्टॉक के पास रोटेटिंग फिक्स्ड स्प्रींकलर

विंडस्क्रिन/विंड ब्रेकर सिस्टम

v. **वर्षा जल संचयन प्रणाली – भूजल पुनर्भरण**

अधिकांश खदानें वर्षा जल संचयन प्रणाली अंगीकृत कर रही हैं एवं आवश्यकता अनुरूप, बोरहोल एवं रीचार्ज कूप के माध्यम से भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है। कुछ खदानों में, पिजोमीटर की प्रतिष्ठापन से यह दृष्टिगत होता है कि खदान जल पुनर्भरण के कारण भूजल स्तर में वृद्धि हुई है।

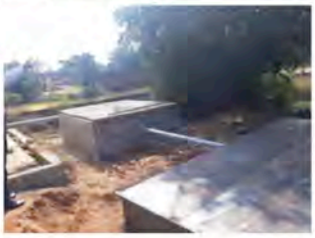

vi. **वर्ष 2019–20 के दौरान, 5 स्थानों में वर्षा जल संचयन किया गया है:**

1. उत्तरी उरीमारी
2. सिलेक्टेड ढोरी ओसीपी
3. अमलो ओसीपी
4. डकरा कार्यालय एवं
5. डकरा गेस्ट हाउस

vii. **तेल और ग्रीस ट्रैप / ईटीपी – निर्माण एवं नवीनीकरण**

नया	नवीकरण
1. केडीएच ओसीपी 2. पुरनाडीह ओसीपी	1. नार्थ उरीमारी ओसीपी 2. भुरकुंडा कोलिएरी 3. सिरका ओसीपी

बी. खुली खदानों की भुमि सुधार स्थिति

सीएमपीडीआई द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से खदानों के पुनरुद्धार वस्तुस्थिति का नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है। 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक समग्र उत्खनन क्षमता युक्त परियोजनाओं की निगरानी प्रत्येक वर्ष की जाती है और 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम परियोजनाओं की निगरानी प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाती है।

सीसीएल के पांच बड़ी खुली खदान परियोजनाओं में 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक समग्र उत्खनन क्षमता युक्त – अशोक ओसीपी, पिपरवार ओसीपी, केडीएच ओसीपी, परेज पूर्वी ओसीपी तथा रजरप्पा ओसीपी की निगरानी प्रतिवर्ष की जाती है। अशोक ओसीपी का रिमोट सेंसिंग छायाचित्र निम्नवत है:

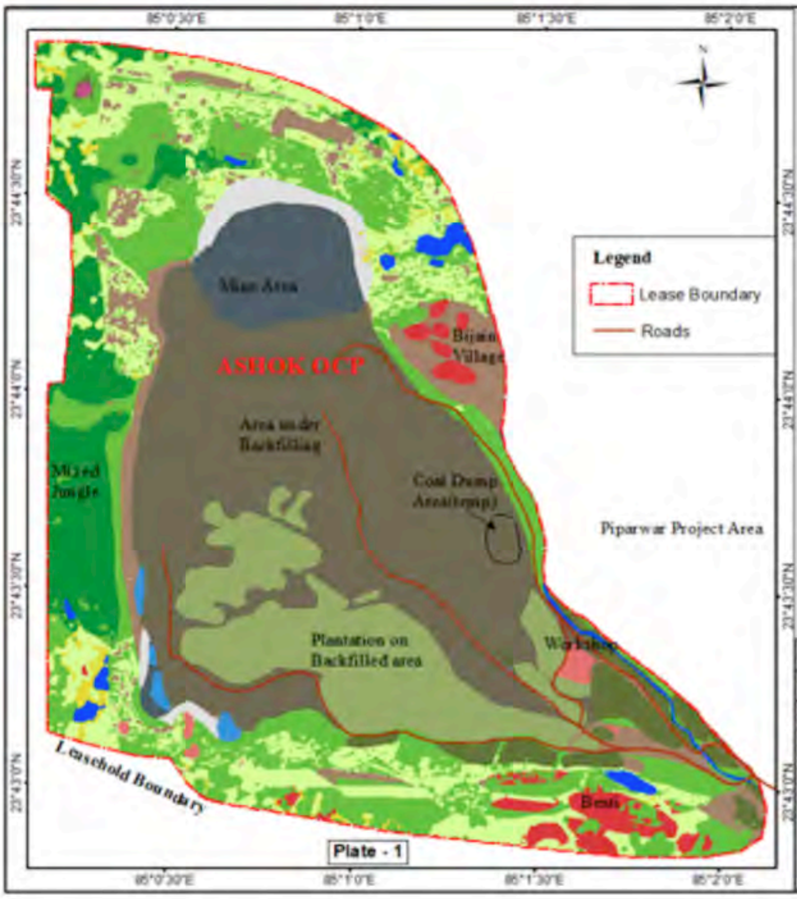

Area Statistics - Ashok OCP (2019)

Classes Level-I	Classes Level-II	Colour	Area (Km²)	% of Total
Forest Area	Dense Forest		0.00	0.00
	Open Forest		0.49	6.18
	Total Forest Area		**0.49**	**6.18**
Scrubs	**Scrubs**		**1.54**	**19.42**
Plantation	Social Forestry		0.27	3.40
	Plantation on Backfill		0.92	11.60
	Plantation on OB Dump		0.00	0.00
	Total Plantation		**1.19**	**15.01**
	Total Vegetation Area		**3.22**	**40.61**
Agriculture	Crop Land		0.08	1.01
	Fallow Land		1.02	12.86
	Total Agriculture Area		**1.10**	**13.87**
Waste Land	Waste Land		0.47	5.93
	Total Waste Land		**0.47**	**5.93**
Mining Area	Coal Quarry		0.40	5.04
	Area Under Backfilling		2.30	29.00
	Water Filled Quarry		0.03	0.38
	Coal Dump		0.00	0.00
	Advance Quarry Site		0.12	1.51
	Total Mining Area		**2.85**	**35.94**
Settlements	Rural Settlement		0.16	2.02
	Urban Settlement		0.00	0.00
	Industrial Settlement		0.04	0.50
	Total Settlement Area		**0.20**	**2.52**
Water Body	**River, Ponds**		**0.09**	**1.13**
		Total	**7.93**	**100.00**

Customer	Central Coalfields Limited			
Title	Land Reclamation Monitoring of OC Projects			
Subject: Land Reclamation Status of Ashok OCP based on Satellite Data (RS-2A LISS-IV) of the year 2019	Activity	Name	Designation	Signature
	Prepared	Hariharalal B	Sr. Mgr(System)	
	Checked	A.K. Singh	Ch. Mgr(RSC)	
	Approved	R. Kumar	GM(Geomatics)	
cmpdi	Scale: 0 0.25 0.5 1 km			Sheet 1
	Drg No. HQ REM 19 3 A4 05			Rev No 0

सी. जैव विविधता का पुनर्निमाण और पुनर्स्थापन

i. वृक्षारोपण

2019 मानसून के दौरान, 45 हेक्टेयर भूमि पर 112500 पौधे लगाए गए थे। राज्य वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया था

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र	वृक्षारोपण के नग	राशि लाख में
1	गिरिडीह ओसी	20	50000	38.73
2	अशोका ओसीपी	20	50000	47.999
3	पिपरवार ओसी	04	10000	9.381
4	आम्रपाली ओसी	01	2500	2.644
कुल		45	112500	98.754 लाख

आम्रपाली खुली खदान स्थित तालाब

अशोका खुली खदान स्थित ओबी डम्प के उपर वृक्षारोपण

ii. वित्त वर्ष 2019–20 में सीसीएल द्वारा सीड बॉल वृक्षारोपण

ओबी डंप के वलन पर वनस्पति रोपण, आद्रता संरक्षण, भू–क्षरण की रोकथाम एवं प्रकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रजाति तथा अन्य विविध प्रजाति की घास लगाई गयी। कारो ओसीपी, कोनार ओसीपी, चयनित धोरी ओसीपी एवं पिपरवार ओसीपी में इसके सम्बद्ध एक पहल की गयी। अनुमानित 8 लाख सीड बॉल कारो ओसीपी, चयनित धोरी ओसीपी एवं पिपरवार क्षेत्र के ओबी डंपों पर प्रसरित किए गए।

डी. **वनों का विवरण**

i. **स्तर 1 वनिकी स्वीकृति रू 74.303 हे. हेतु 02 प्रस्ताव**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	अमलो ओसीपी	39.663
2	उरीमारी ओसीपी	34.640
	कुल	74.303

ii. **कुल भुगतान** : 03 प्रस्ताव रू. 19.70 करोड़ के लिए

क्रम सं.	परियोजना	राशि लाख में				
		एनपीवी	सीए	निरापद क्षेत्र	अन्य	कुल
1	कोनार वाशरी (49 हे)		199.87673			199.87673
2	कारो ओसीपी (226.67 हे)		1059.73068	32.83926	447.19683	1539.7667
3	अम्लो ओसीपी (39. 663 हे)	36.60848	189.64140		.0705	232.32038
कुल		36.60848	1449.24881	32.83926	453.26733	1971.96381

iii. **एफसी एप्लीकेशन (ऑनलाइन) : 3**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
	फॉर्म ए	
1	कुजू ओसीपी	97.90
2	पिपरवार भूमिगत फेज 1	37.81
3	मगध कॉल ब्लॉक में कोल् पाइप कन्वेयर	9.79
4	आम्रपाली रेलवे साइडिंग (परिशोधित)	99.08
	फॉर्म बी	
5	पिपरवार ओसीपी	43.30
6	गिद्दी सी	73.55
7	झारखण्ड ओसीपी	57.94
	उप कुल (फॉर्म ए –04 नग)	244.58
	उप कुल (फॉर्म बी –03 नग)	174.79
	कुल (फॉर्म ए/बी– 07 नग)	419.37

iv. **एफआरए सर्टिफिकेट (एफआरए 2006 के तहत) : 745. 86 हे. के लिए 06 (5 माइन एवं 1 आधारिक संरचना)**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	परेज पूर्व ओसीपी नवीकरण	101.00
2	परेज पूर्व ओसीपी	43.52
3	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	107.06
4	बलकुदरा ओसीपी	131.50
5	जीवनधारा ओसीपी	352.99
6	मगध कॉल ब्लॉक में कोल् पाइप कन्वेयर	9.79
उप कुल (खान– 04 नग)		629.01
उप कुल (आधारिक संरचना–02 नग)		116.85
कुल (06 नग)		745.86

v. **जीएमके जेजे को एनओसी : 341.50 हे. के लिए** (06 माइन्स एवं 03 आधारिक संरचना)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	परेज पूर्व	98.29
2	बलकुदरा ओसीपी	1.72
3	सिलेक्टेड धोरी ओसीपी	7.45
4	टर्मि ओसीपी	21.44
5	अरगड़ा ओसीपी	65.31
6	कोतरे बसंतपुर पचमो	135.34
7	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	6.08
8	मगध कॉल ब्लॉक में कोल् पाइप कन्वेयर	3.03
9	नार्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग	2.84
उप कुल (खान – 06 नग)		329.55
उप कुल (आधारिक संरचना–03 नग)		11.95
कुल (09 नग)		346.86

vi. **एमओइएफ एंड सीसी (नई दिल्ली या आरईसी, रांची) को भेजा गया प्रस्ताव** : 545.663 हे. के लिए – 06

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	पुरनाडीह ओसीपी	323.49
2	केडीएच ओसीपी	126.72
3	उरीमारी ओसीपी	34.64
4	सिलेक्टेड धोरी ओसीपी	7.45
5	अम्लो ओसीपी	39.663
6	होन्हे से सराधु रोड	13.70
	कुल	545.663

vii. **एमओईएफ एंड सीसी में एफएसी मिटिंग** : 492.30 हे. के लिए 04 प्रस्ताव

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	पुरनाडीह ओसीपी	323.49
2	केडीएच ओसीपी	126.72
3	उरीमारी ओसीपी	34.64
4	सिलेक्टेड ढोरी ओसीपी	7.45
	कुल (खान –04 नग)	492.30

viii. **आरओ, एमओईएफ एंड सीसी में आरईसी मिटिंग : 60.813 हे. के लिए 03 (2 माइन्स एवं 1 रोड)**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	अमलो ओसीपी	39.663
2	सिलेक्टेड ढोरी ओसीपी	7.450
3	होन्हे से सराधु	13.700
	उप कुल (खान – 02 नग)	47.113
उप कुल (आधारिक संरचना–01 नग)		13.700
कुल (03 नग)		60.813

ix. **लागत लाभ रिपोर्ट** : 419.37 हे. के लिए 06

क्रम सं.	परियोजना का नाम	हेक्टेयर में क्षेत्र
1	कुजू ओसीपी	97.90
2	पिपरवार भूमिगत फेज 1	37.81
3	मगध कॉल ब्लॉक में कोल् पाइप कन्वेयर	9.79
4	आम्रपाली रेलवे साइडिंग (परिशोधित)	99.08
5	पिपरवार ओसीपी	43.30
6	गिद्दी सी	73.55
7	झारखण्ड ओसीपी	57.94
	कुल क्षेत्र	419.37

x. **वन भूमि का डीजीपीएस एवं केएमएल** : 263.49 हे. के लिए 06

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वन भूमि का क्षेत्र
1	गिद्दी सी नवीकरण	73.55
2	पिपरवार ओसीपी नवीकरण	43.30
3	पिपरवार भूमिगत फेज 1	37.81
4	बसंतपुर तापिन वाशरी	4.21
5	तेतरियाखार ओसीपी	3.11
6	केडीएच ओसीपी	101.41
	कुल क्षेत्र	263.39

xi. **सीए भूमि का डीजीपीएस एवं केएमएल** : 2957.04 हे. के लिए 04

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सिए भूमि का क्षेत्र
1	तारमी ओसीपी (147.35 हे)	294.70
2	कोतरे बसंतपुर एवं पचमो (रामगढ) 633.19 ह	1266.38
3	कोतरे बसंतपुर एवं पचमो (बोकारो) 372.98 हे	745.96
4	पुरनाडीह ओसीपी (323.49 हे) नवीकरण	650.00
	कुल क्षेत्र	2957.04

ई. **पूरी कंपनी को आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणीकरण :**

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 संस्करण प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण अंकेक्षण में अंकेक्षण निकाय द्वारा इंगित विसंगतियों को दूर किया गया है। प्रमाणीकरण निकाय की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष के दौरान सफल आंतरिक अंकेक्षण एवं सर्वेक्षण अंकेक्षण किया गया।

27. भूमि अधिग्रहण की वस्तुस्थिति :

27.1 भू–अधिग्रहण

वर्ष 2019–20 के दौरान सीबीए (ए–डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेत्तर प्रगति हुई–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण का विवरण
1.	कोतरे बसंतुर पचमो	428.64	धारा 4(1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना सं 1325 दिनांक 18.07.2019
2	कल्याणी खुली खान	325.59	धारा 4(1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना सं 1818 दिनांक 10.10.2019
3	जीवनधारा खुली खान	38.048	धारा 7(1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना सं 1491 दिनांक 16.08 2019
5	पिंडरा	76.91	धारा 11(1) पूर्ण, राजपत्र अधिसूचना सं 1622 दिनांक 02.09.2019

अतः, धारा 4(1) के अधीन 754.23 एकड़, धारा 7 (1) के अधीन 38.048 एकड़ तथा धारा 11(1) के अधीन 76.91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, फलस्वरूप उत्कृष्ट श्रेणी की प्राप्ति हुई ।

27.2 प्रतिपूर्ति भुगतान

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	भूमि और पेड़ का मुआवजा	547.23 लाख
2.	घर का मुआवजा	504.93 लाख
3.	अदालत के फैसले के खिलाफ भूमि / मकान के मुआवजे का भुगतान	5137 लाख
	कुल	6189.16 लाख

27.3 रोजगार

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी को कोयला उत्पादन हेतु भूमि–अधिग्रहण के एवज में 197 लैंड लूजरों या उनके नामितियों को कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/ इकाइयों में नियुक्ति दी गयी।

27.4 पुनर्वास एवं पुनःस्थापना

वर्ष 2019–20 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं में कुल 141 परिवारों का पुनर्वास किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	क्षेत्र	ग्राम का नाम	परियोजना का नाम	पुनर्वासित पेप्स का संख्या	आर – आर लाभ	आर – आर स्थल
1.	पिपरवार	बीजाईन	पिपरवार ओसीपी	101		
2.	बरका सयाल	उरीमारी	नार्थ उरीमारी ओसीपी	04		
3.	कुजू	तोपा	तोपा ओसीपी	34		
4.	नार्थ कर्णपुरा	कुटकी	पुरनाडीह ओसीपी	02		
कुल		04		141	52.10 लाख	95.92 लाख

27.5 विशिष्ट उपलब्धियां

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिपरवार ओसीपी, कारो ओसीपी और एकेके ओसीपी के लिए आर – आर साइट्स की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी कुल राशि लगभग 20 करोड़ रुपये है।

2. मगध के चमातू पैच पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है।

3. 1957 से प्रतीक्षित दरभंगा हाउस (सीसीएल कार्यालय) परिसर की जमीन का म्यूटेशन हुआ।

28. रेलवे साइडिंग

संक्षिप्त प्रदर्शन रिपोर्ट नीचे संलग्न है –

ए. निर्माणाधीन नई साइडिंग

ए. पिपरवार साइडिंग	मेसर्स राइट्स लिमिटेड को पिपरवार रेलवे साइडिंग के शेष कार्य को पूरा करने का कार्य जमा अवधि के आधार पर 90.61 करोड़ रूपये (लगभग) की लागत पर सौंपा गया था। परियोजना लागत को बाद में संशोधित कर दिया गया है जो 141.00 करोड़ रूपये (लगभग) है। गठन कार्य 30.5 किमी की पूरी लंबाई में पूरा हो गया है और सर्फेस लाइन / मुख्य लाइन को जोड़ने का ट्रैक कार्य पूरा हो चुका है और जुलाई 2017 से कोयले का प्रेषण शुरू हुआ है। 26.5 किमी सतह रेल लाइन का अतिरिक्त विद्युतीकरण (ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन) (ओएचई) का काम पूरा हो चुका है, और कोयले के प्रेषण हेतु विद्युतीकृत रेलवे परिचालन के लिए 26.5 किमी विद्युतीकृत सतह / मुख्य रेल लाइन अधिकृत किया गया है। मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के जंक्शन बिंदु पर पू० म० रेलवे द्वारा जमा कार्य के रूप में 1.683 किमी के लिए ट्रैक लिंकिंग किया गया है । मेन लाइन और लूप लाइन में आरओआर पुल का कार्य पू० म० रेलवे द्वारा पूर्ण किया जा चुका है ।
बी. टोरी–शिवपुर और शिवपुर–कथोटिया नई बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण ।	
वर्तमान स्थिति (i) टोरी – शिवपुर नयी बड़ी गेज डबल रेल लाइन (टोरी–बिराटोली और बिराटोली – महुआमिलन रेल लाइन कनेक्टिविटी सहित)। (प्राक्कलित लागत – 2399.07 करोड़ रूपये)	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2011 में संशोधित अलाइनमेंट को स्टेज –1 को वानिकी मंजूरी दी गई थी। उसके बाद एमओईएफ द्वारा टोरी – शिवपुर खंड के संशोधित अलाइनमेंट के लिए चरण –2 वानिकी मंजूरी 19.06.2013 को दी गई थी। मार्च 2018 में बालूमाथ स्टेशन (19.3 किलोमीटर लंबाई) तक टोरी की एकल लाइन का उद्घाटन किया गया और बालूमथ से कोयला प्रेषण शुरू हुआ। तदनुसार, बुकरू एवं फुलबसिया साइडिंग से इस रेल लाइन पर कोयला परिवहन प्रारंभ की गयी है। टोरी से शिवपुर तक सिंगल रेल लाइन का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है एवं इस लिने का रेल लाइन डबलिंग कार्य तथा ओवर हेड इलेक्टिफिकेशन कार्य प्रगति पर है। पू० म० रेलवे द्वारा अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर हैं। रेलवे द्वारा बिराटोली – महुवामिलन सतह रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य सम्पन्न की गई है और टोरी–बिराटोली रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। रेलवे द्वारा टोरी– शिवपुर नई बीजी रेल लाइन, टोरी–बिराटोली और बिराटोली सहित संपर्क कार्य हेतु 2626.26 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया हैं।
(ii) शिवपुर –कथौटिया (शिवपुर– हजारीबाग के संशोधित अलाइनमेंट) (प्राक्कलित लागत – 1799.64 करोड़ रुपये)	शिवपुर–कथौटिया नई बड़ी गेज लाइन का कार्य अब सीसीएल, इरकॉन और झारखंड सरकार की नवगठित संयुक्त उद्यम कंपनी यानि 'झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड' की ओर से मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है। पू.म. रेलवे ने मेसर्स इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डीपीआर(संशोधित परियोजना लागत– रु 1799.64 करोड़) पर अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे द्वारा इन्फ्लटेड माइलेज / 60% पाए स्वीकृति प्रदान की है। पू.म रेलवे एवं जेसीआरएल के मध्य कन्सेशन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। स्तर 1 की वन्य स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं सीए, एनपीवी एवं वन्य जीवन प्रबंधन प्रक्रियाधीन है। अन्य भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गयी है। वित्तीय बंदीकरण प्रक्रियागत है।
सी. उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण	सीसीएल ने मई 2017 में मेसर्स राईट्स को उत्तरी उरीमारी साइडिंग के निर्माण हेतु निर्माण कार्य सौंपा है जिसकी अनुमानित लागत रु 222.32 करोड़ है । मेसर्स राइटर्स द्वारा कार्य शुरू किया गया है। दामोदर नदी पर बड़े पुलों एवं अन्य छोटे पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
डी. मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण	391.01 करोड़ रूपये (मेसर्स राईट्स के शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राईट्स को कार्य आदेश दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से एवं अन्य अधिकृत भूमि हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
ई. आम्रपाली रेलवे साइडिंग का निर्माण।	413.48 करोड़ रूपये (मेसर्स राईट्स के शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राईट्स को कार्य आदेश दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
एफ. कोनार रेलवे साइडिंग	रु 46.8 करोड़ की लागत से जमा अवधि के अनुसार पू.म. रेलवे के साथ लो लेवल व्हार्फ दीवार सहित कोनार रेलवे साइडिंग का निर्माण जरंगडीह रेलवे स्टेशन से बोकारो थर्मल विद्युत स्टेशन तक किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

29. भूगर्भीय सेवाएँ

ए. ड्रिलिंग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 70,000 मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य के सापेक्ष कुल 57,565 मीटर (82% लब्धि) ड्रिलिंग की गयी. प्रति माह 1199 मी ड्रिलिंग की उत्पादकता लब्धि तोपा एवं लपंगा स्थित 2 बेस स्टेशनों में अवस्थित 4 कार्यरत ड्रिलों के साथ की गई। इसमें खनन हेतु ब्लास्ट छिद्र, जल निकासन हेतु दीर्घ–व्यास के बोरहोल, पेयजल हेतु ट्यूबवेल्स एवं अन्वेषण कार्य हेतु नॉन–कोरिंग बोरहोल्स सम्मिलित है।

बी. परियोजना दस्तावेजीकरण तथा संब) कार्य

(i) भूविज्ञानः

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्पन्न हुईं। उनमें से अधिकांश उत्पादन समर्थन खनन सेवा एवं भविष्य गत खनन गतिविधियों से संबद्ध हैं:

1. हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा विभागीय कंप्यूटर केंद्र के डेटा की देख–रेख।
2. सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत जिन सीआईएल ब्लॉकों का गवेषण विभाग तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है, उन परिचालित ब्लॉकों की अवस्थिति योजना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भूगर्भीय सूचना तथा कोयला कोर की वस्तुस्थिति से सम्बद्ध परस्पर परिचर्चा विभागाध्यक्ष (गवेषण), क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआई, रांची से की जाती है।
3. विभागीय–सह–आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरआई–3, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा सीसीएल कमान क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अन्वेषण की निगरानी।
4. दिनांक 1–04–19 तक सीसीएल कमान क्षेत्र में कोयला–भंडार का संकलन। सीसीएल कमान क्षेत्र में 45046.57 मि.ट. कोयले का सकल भंडार है। 1–04–19 तक भारत में कोयले का कुल ज्ञात भंडार 326495.63 मि.ट. था।
5. विभागीय–सह–आउटसोर्सिंग माध्यम से सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों में सीएमपीडीआई के विपत्र का प्रसंस्करण।

आउटसोर्सिंग प्रस्ताव

1. बो. एवं कर. क्षेत्र के कारो ओसीपी के पैच–जी में 188 दिनों की अवधि हेतु 4.91 लाख क्यू. मी. ओबी के निष्कर्षण एवं 12.07 लाख टन कोयले के निष्कर्षण हेतु एचईएमएम को किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
2. बो.–कर. क्षेत्र अंतर्गत कारो ओसीपी के निविदा पुरस्कृत क्षेत्र में मेसर्स बी.के.बी. ट्रांसपोर्ट कं. प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदनार्थ 0.66 लाख क्यू.मी. ओबी एवं 3.00 लाख टन कोयले की मात्रा–विस्तार प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
3. 01 वर्ष की अवधि हेतु बो.–कर. क्षेत्र अंतर्गत कारो ओसीपी में ओबी निष्कर्षण (2458446.70 क्यू. मी.) और कोयला निष्कर्षण (3887045.29 टी.) हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
4. आम्रपाली ओसीपी में स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन (12.0 एमटीवाई) के विचलन में तथा आम्रपाली ओसीपी के होन्हे पैच में कोयला धारी क्षेत्र पर 3.0 मि.क्यू.मी. ओबी की डंपिंग का अनुमोदन तथा 3.0 मि.क्यू.मी. की मात्रा में लीड दूरी के भीतर ओबी के डंपिंग स्थल में परिवर्तन हेतु मेसर्स एएमपीएल–एमआईपीएल–जीसीएल(जेवी) के साथ मौजूदा आउटसोर्सिंग अनुबंध को पूर्वोक्त नियम एवं शर्तानुसार अनुमोदन प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
5. 18 माह की अवधि हेतु बो.–कर. क्षेत्र के एकेके ओसीपी के कोनार भाग में ओबी निष्कर्षण हेतु (11.02 मि. क्यू. मी.) एवं कोयला निष्कर्षण तथा ढुलाई हेतु (4.57 मि. टी.) के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
6. पिपरवार क्षेत्र अंतर्गत अशोक ओसीपी में मेसर्स सैनिक माइनिंग एवं अलाइड सर्विसेस को 03 वर्ष हेतु ओबी हटाने, कोयला निष्कर्षण तथा ढुलाई के लिए मौजूदा आउटसोर्सिंग पैच के एक भाग पर प्रदत्त ठेके के स्थान पर चिह्नित पैच पर ओबी हटाने/कोयला निष्कर्षण एवं लीडवार ओबी एवं कोयले की मात्रा में बदलाव तथा समय विस्तार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
7. बो.–कर. क्षेत्र अंतर्गत कारो ओसीपी के एनआईटी के पूर्वोक्त नियम व शर्तानुसार मेसर्स बी.के.बी. ट्रांसपोर्ट कं. प्राइवेट लिमिटेड को दिये गए मौजूदा 01 वर्षीय आउटसोर्सिंग संविदा के स्थान पर चिह्नित पैच में ओबी हटाने, कोयला निष्कर्षण और ढुलाई के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
8. बो.–कर. क्षेत्र के कारो ओसीपी में 01 वर्ष की अवधि हेतु ओबी निष्कर्षण के (2458446.70 क्यू. मी.) एवं कोयला निष्कर्षण के (3887045.29 टन) हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
9. पिपरवार क्षेत्र अंतर्गत अशोक ओसीपी में मेसर्स सैनिक माइनिंग एवं अलाइड सर्विसेस को 03 वर्ष हेतु ओबी हटाने, कोयला निष्कर्षण तथा ढुलाई के लिए मौजूदा आउटसोर्सिंग पैच के एक भाग पर प्रदत्त ठेके के स्थान पर चिह्नित पैच पर ओबी हटाने/कोयला निष्कर्षण एवं लीडवार ओबी एवं कोयले की मात्रा में बदलाव तथा समय विस्तार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
10. ढोरी क्षेत्र अंतर्गत पैचदृडी से 2.46 लाख क्यू.मी. रिहैंडिलिंग ओबी(पैच – सी सहित) हटाने एवं एसडीओसीएम के पैच – बी1 से (3.53 लाख क्यू.मी.) रिहैंडिलिंग ओबी को हटाने हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
11. ढोरी क्षेत्र अंतर्गत पैचदृडी से 2.46 लाख क्यू.मी. रिहैंडिलिंग ओबी(पैच – सी सहित) हटाने एवं एसडीओसीएम के पैच – बी1 से (3.53 लाख क्यू.मी.) रिहैंडिलिंग ओबी को हटाने हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
12. एनआईटी के पूर्वोक्त नियम व शर्तानुसार मगध–आम्रपाली क्षेत्र के मगध ओसीपी में मेसर्स सैनिक माइनिंग एलाएड सर्विसेज की एचईएमएम संविदा के 7.93 लाख क्यू. मी. तथा 4.96 लाख टन कोयले की मात्रा में वृद्धि के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
13. रजरप्पा ओसी के डंप सं–06, स्टेशन–II में लक्स डिपो के समीप नए पैच में 06 माह की अवधि हेतु 16.26 लाख क्यू.

मी. रिहैंडिलिंग ओबी के निष्कर्षण हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

14. खनित कोयला क्षेत्र में कोयला धारी क्षेत्र के ऊपर पड़े 10.01 लाख क्यू. मी. ओबी की रिहैंडिलिंग हेतु 04 माह की अवधि के लिए एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

15. पिपरवार ओसीपी मे 1.73 किमी से 3.88 किमी तक ओबी हटाने के मौजूदा आउटसोर्सिंग अनुबंध के संबंध में डंप साइट को बदलने और 1003 बेल्ट कन्वेयर की पुनः स्थापना के उद्देश्य से प्रस्तावित संरेखण के साथ–साथ उक्त 1.65 लाख क्यू. मी. ओबी को भरने हेतु ओबी के पुनः विनियोजन प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

16. पिपरवार क्षेत्र के अशोक ओसीपी में मेसर्स सैनिक माइनिंग और एलाईड सर्विसेज को मौजूदा 03 वर्षों के आउटसोर्सिंग अनुबंध के संबंध में वर्षवार उत्पादन कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करने, ओबी हटाने, कोयला निष्कर्षण तथा परिवहन एवं ठेका दिए गए पैच के हिस्से के स्थान पर चिन्हित पैच का प्रतिस्थापन तथा ओबी हटाने की मात्रा और कोयले की लीडवार मात्रा के अनुमोदन प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन ।

17. अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि हेतु ओबी हटाने (263.30 लाख क्यू. मी.) एवं कोयला उत्खनन (251.53 लाख टन) के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

18. सयाल 'डी' कोलियरी, बरका–सयाल क्षेत्र में 04 वर्ष की अवधि हेतु 72.40 लाख क्यू. मी. ओबी हटाने एवं 16 लाख टन कोयला निष्कर्षण के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

19. रजहारा क्षेत्र के तेतरियाखार ओसीपी के निर्दिष्ट स्थान में 05 वर्ष की अवधि हेतु ओबी हटाने (38.00 लाख क्यू. मी.) एवं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग द्वारा 12.00 लाख टन एवं सरफेस माइनर द्वारा 68.00 लाख टन कोयले के निष्कर्षण तथा कोयले के परिवहन हेतु मशीन किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

(ii) कैप्टिव खान ब्लॉकः

1. कैप्टिव खान ब्लॉक पर विभिन्न प्राधिकारियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

(iii) अन्यः

1. 2020–20 के दौरान विभागीय तथा आउटसोर्सिंग माध्यम से सीआईएल ब्लॉक में सीएमपीडीआई गवेषण कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(सी) हाइड्रोजियोलॉजी तथा परीक्षण छिद्र :

1. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु गहरे ट्यूबवेल, बोरहोल्स, कोयला एवं ओबी सिद्धि हेतु प्रदत्त लक्ष्य 70 के सापेक्ष कुल 84 परीक्षण छिद्र किए गए (120ः की उपलब्धि)।

(डी) विशिष्ट सेवाएं तथा कम्प्यूटरीकरण कार्य :

भूविज्ञान विभाग ने आई.आई.टी खड़गपुर, बी.आई.टी मेसरा, सीएमपीडीआई, एम.ई.सी.एल तथा जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से एसकेसीएफ एवं डब्लूबीसीएफ के जी.आई.एस आधारित इंटरएक्टिव जियो खनन मॉडल पर सीआईएल शोध एवं विकास द्वारा वित्त पोषित दो प्रमुख परियोजनाएं पूरी की हैं। अंतिम रिपोर्ट में विभिन्न एजेंसियों के सभी परिणामों के निष्कर्ष शामिल हैं।

समस्त बुनियादी आंकड़ों सहित बोर होल, मानचित्र की आंकड़े, प्रसंस्कृत आउटपुट तथा दस्तावेजों का रख–रखाव विभाग द्वारा किया जाता है।

कोयला भंडार :

दिनांक 01/04/2019 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित श्रेणियों का संगृहीत एवं परिकलित भूगर्भीय भंडार 45046.57 मिलियन टन (1200 मीटर की गहराई तक) हैं। कोयला–भंडार का विवरण निम्नलिखित है ।

(आकड़े मि. टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8412.05	9296.13	1643.48	19351.66
नॉन– कोकिंग	16324.96	6530.88	2839.07	25694.91
कुल	**24737.01**	**15827.01**	**4482.55**	**45046.57**

30. सीसीएल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सीसीएल ने अपने हितधारकों की संतुष्टि के लिए पारदर्शिता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के लिए कंपनी की कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आईसीटी का उपयोग किया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की गई हैंः

1. सीआईएल की ईआरपी परियोजना (एसएपी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर अन्य अनुषंगियों के साथ सक्रिय रूप से सीसीएल काम कर रहा है।
2. कोल् इंडिया लिमिटेड के केंद्रीय सर्विस प्रदत्त के सौजन्य से कोयले की ई–नीलामी, वस्तु एवं सेवा का ई–क्रय के साथ साथ एवं इ–विक्रय तथा जीएम पोर्टल की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके अलावा सीआईएल के वेंडर्स एवं कर्मचारियों को इ–भुगतान तथा सुचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार में शिकायतों के निवारण हेतु इ–फाइलिंग की सुविधा दी गयी है।
3. आधार पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सीसीएल तथा उसके कमांड एरिया में प्रभावकारी नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।
4. सीसीएल में कोल नेट (ईआरपी का एक प्रकार सॉफ्टवेयर) में वित्त, वेतन, विक्रय, पीआईएस, सामग्री एवं उत्पादन मॉड्यूल सफलतापूर्वक परिचालन में है।
5. सीसीएल में एनआईसी के सहयोग से ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना का उद्देश्य सीसीएल का व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन में गुणात्मक सुधार, उत्पादन,

उत्पादकता में वृद्धि एवं ट्रैकिंग विवरण सहित इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता लाना है।

6. व्यावसायिक प्रक्रिया के उत्पादकता एवं निपुणता में सुधार करने के लिए वैन (WAN) के माध्यम से सीसीएल के केंद्रीय सर्वर परिचालन में है।

7. सीसीएल के सभी अधिकारीयों के लिए सीआईएल द्वारा जारी किये गए कॉरपोरेट इ–मेल मैसेजिंग सिस्टम को सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए लागु किया गया है।

8. विभिन्न प्रकार के आंतरिक रूप से विकसित वेब / मोबाइल अनुप्रयोग जैसे – कर्मचारियों से आमंत्रित परिवर्तनात्मक सुझाव के लिए क्राउड–सोर्सिंग, सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए संस आवेदन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भीष्म पितामह पोर्टल की तरह, गतिविधि निगरानी प्रणाली, आमंत्रित करने के लिए क्राउड–सोर्सिंग कर्मचारियों से अभिनव विचार, सेवानिवृत्त के लिए सीपीआरएमएसई एसएमएस अलर्ट के साथ सीपीआरएमएसई सेवा प्रदाता/विक्रेता आदि के लिए बिल ट्रैकिंग अनुप्रयोग स्थापित किया गया है।

9. कंपनी वेबसाइट को एक नयी आकृति दी गयी है।

10. सीसीएल के सभी अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन, सतर्कता सूचना एवं वार्षिक सम्पत्ति विवरण सीआईएल द्वारा प्रबंधित केंद्रीयकृत वेब प्रणाली के द्वारा की जाती है।

11 . कॉल नेट के विभिन्न मॉडूलों में जीएसटी को सफलता पूर्वक लागू किया गया है।

31. सुरक्षा प्रबंधनः

सुरक्षा विभाग, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड "खनन प्रहरी" एप्प के माध्यम से अवैध खनन, कोयला चोरी जैसे अवैध कार्यों की अहर्निश रोकथाम हेतु राज्य प्रशासन तथा सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से आवश्यक निषेधात्मक कदम उठाता है। विगत वर्ष यानी 2019–20 में सुरक्षा विभाग की उत्कृष्ट उपलब्धियां रहीं है।

सुरक्षा विभाग ने विभिन्न खानों/परियोजनाओं एवं ईकाइयों की अहर्निश निगरानी हेतु वृहत तंत्र विकसित किया है। अद्यतन सूचनाएं संकलित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) में समर्पित की जाती है।

सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में अधिकतम छापेमारी की गयी है, जिसमें 13 क्षेत्रों में कुल 1014 छापेमारी में 945.77 मिट्रिक टन से अधिक कोयला बरामद किया है। इसका अनुमानित मूल्य 24,59,058 (चौबीस लाख उनसठ हजार अन्ठावन रूपये) है। अनैतिक कार्यों की प्रभावी रोकथाम में सफल छापेमारी का वृहत योगदान है। सीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्रों में अवैध कोयला के उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर, सुरक्षा विभाग द्वारा निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कार्रवाई जाती है। संबद्ध जिला कार्य–बल की सहायता से चोरों को पकड़ पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। सीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र के अंदर तथा पट्टाधारी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु कई मूषक–छिद्रों का ध्वंस किया गया है, साथ ही, उक्त की सूचना जिला कार्य बल की टीम को भेजी जाती है एवं क्षेत्र में अवैध खनन के रोकथाम हेतु सीसीएल प्रबंधन को वन क्षेत्रों में स्थित मूषक–छिद्रों के शीघ्रतम बंद करने की पूर्ण सहयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सीसीएल के कमान क्षेत्रों में सुरक्षा विभाग द्वारा कोयला खानों के समीप एक अतिरिक्त चेक पोस्ट का निर्माण, रेलवे साइडिंग के पास कंटीली तारों का घेरा, रात्रि पेट्रोलिंग गस्ती दल, कॉटा घरों के पास सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया जो कि 24x7 घंटों की रिकॉर्डिंग करती है। जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. प्रणाली व्यवस्थित की गयी है। सुरक्षा विभाग द्वारा गोलाबारूद, क्यूआरटी गाड़ियाँ, बीपीटी एवं बीपी पटकास इत्यादि जैसे आधुनिक गैजेट द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तथा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईसएफ) को मजबूत किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 में 89 (नवासी) अतिरिक्त कैट–1/9–4–0/9–3–0– भू–विस्थापितों को सिक्यूरिटी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, गाँधीनगर, रांची तथा उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र स्थित सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण उपरांत सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रेत्तर समनुदेशन हेतु पदस्थापित किया गया।

सुरक्षा विभाग के द्वारा कम्पनी की समाप्ति एवं उपकरणों की देख–भाल के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के मद्देनजर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था क्षेत्रीय खदानों तथा आवासीय क्षेत्रों में की गयी है जिससे असामाजिक तत्वों पर सदैव निगरानी रखी जा सके। इस प्रयोजन हेतु, विभाग में एक नियंत्रण कक्ष उपलब्ध है जो सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में टेलीफोन सं.– 0651–2365288 के माध्यम से चलता है, और इसे सीसीएल के समस्त कमांड क्षेत्रों में परिचालित किया गया है ताकि कमान क्षेत्र तथा आसपास के इलाकों में किसी भी घटना के बारे में, चोरी के संबंध में / कोयले की अवैध चोरी, अवैध खनन एवं अन्य गुप्त गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

32. राजभाषा कार्यान्वयन प्रतिवेदन : 2019–20

झारखंड की राजधानी– रांची में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनी– सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 'क' क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ लगभग 90 प्रतिशत कार्मिक हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान से युक्त हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी का राजभाषा विभाग सदैव तत्परता से कार्य करता है। गृह–मंत्रालय और कोयला–मंत्रालय से आए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष में समयबद्ध कार्यशालाएं और तिमाही बैठकें आयोजित की गयीं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक) महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक– 28.05.19, 09.08.19, 08.11.2019 एवं 05.03.2020 को आयोजित की गयीं। इन बैठकों में कंपनी के क्षेत्रों/विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रति तिमाही न्यूनतम एक कार्यशाला आयोजित की जाती है। इस वर्ष मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय में क्रमशः दिनांक 25.04.2019, 29. 04.2019, 22.07.2019, 23.07.2019, 23.09.2019, 13.02.2020 को कुल 06 कार्यशालाएं आयोजित की गई। आयोजित कार्यशालाओं में कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कंपनी द्वारा नराकास स्तर पर प्रदत्त दायित्व का अनुपालन किया जाता है। नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सीसीएल की सक्रिय प्रतिभागिता रहती है एवं आयोजित प्रतियोगिताओं में सीसीएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

मुख्यालय में राजभाषा के क्रियान्वयन हेतु एक दस सदस्यीय उप–समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक(का/रा.भा.) करतें हैं। सीसीएल के समस्त क्षेत्रों एवं केन्द्रीयकृत इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन उपसमिति का गठन किया गया है । क्षेत्रीय महाप्रबंधक/स्टाफ अधिकारी की अध्यक्षता में प्रति तिमाही उक्त राजभाषा कार्यान्वयन उपसमिति की बैठक का आयोजन

किया जाता है। प्रति तिमाही क्षेत्रों में कार्यशाला के आयोजन का प्रावधान किया गया है। कंपनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के राजभाषा ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया जा रहा है।

सितम्बर माह में दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 तक सोउत्साह राजभाषा माह मनाया गया। 30 सितम्बर, 2019 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल की अध्यक्षता में राजभाषा माह समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में निदेशक(का), निदेशक(तक/परि. एवं योजना), मुख्य सतर्कता अधिकारी उपस्थित रहे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित किया गया । सभी विजयी प्रतिभागियों को मंत्रालय के निर्देशानुसार निर्धारित राशि का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यालय के तीन विभागों एवं तीन क्षेत्रों को वर्ष पर्यन्त राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड प्रदान किया गया। एक विभाग को राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वियन हेतु विशेष राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करने हेतु 77 कर्मियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

सीसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रगति प्रदान करने हेतु समस्त विभागों एवं क्षेत्रों में 'ई–टूलकिट' वितिरित किया गया है। इस टूलकिट में विभिन्न यूनिकोड फॉन्ट, भाषा इंटरफेस पैक, विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयर एवं टाइपिंग टूल आदि समाहित हैं। राजभाषा कार्यान्वयन से संबद्ध उपबंध एवं सांविधिक प्रावधान सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गए हैं।

समय–समय पर सीसीएल के समस्त क्षेत्रों, केन्द्रीयकृत इकाइयों एवं मुख्यालय स्थित विभागों का निरीक्षण किया जाता है तथा राजभाषा के कार्यालयीन प्रयोग को बढ़ाने के लिए उचित सलाह दी जाती है तथा कार्यान्वयन की प्रतिपुष्टि भी की जाती है ।

सीसीएल, मुख्यालय में ई–ऑफिस के लागू होने से राजभाषा कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति होगी। इस वर्ष चार अनुवादकों के पद सृजित किये गये थे। स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो अनुवादकों का चयन किया गया है। दिनकर पुस्तकालय हेतु हिन्दी पुस्तकों का क्रय प्रक्रियागत है ।

राजभाषा विभाग, सीसीएल द्वारा मंत्रालय के निर्देशों के शत–प्रतिशत अनुपालन का प्रयास रहता है जिससे फलस्वरूप कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

33. वर्ष 2019–20 में सतर्कता विभाग, सीसीएल का प्रदर्शन नीचे सूची बद्ध है :

ए. प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या एवं कृत कार्रवाई

शिकायतें	वर्ष 2019–20
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	428
दायर बेनामी/छद्मनामी मामलों की संख्या	158
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में परीक्षण/सत्यापन हेतु लिए गए शिकायतों की संख्या	144
विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित शिकायतों की संख्या	126

बी. नियमित जांच के मामले (आरआई मामले):

परीक्षण	वर्ष 2019–20
1 अप्रैल, 2019 तक लंबित मामलें	03
1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक परीक्षण हेतु लिए गए मामले	18
1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक परीक्षण पूर्ण मामलोंकी संख्या	08
31 मार्च, 2020 तक लंबित मामलें	13

सी. अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिए गए मामले (आरडीए मामले):

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) के मामलों की संख्या	वर्ष 2019–20		
	मामले	व्यक्तियों की संख्या	
		बड़े मामले	छोटे मामले
बड़े मामले	08	15	01
छोटे मामले	02	08	

डी. विभागीय जांच

पूर्ण विभागीय पूछताछ की संख्या	वर्ष 2019–20	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
समाप्त	08	18
आंशिक कार्रवाई	01	04

ई. वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया :

वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	वर्ष 2019–20	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
बड़ा दंड		
समाप्त	18	20
आंशिक कार्रवाई	01	02
छोटा दंड		
समाप्त	04	06
आंशिक कार्रवाई	01	01

एफ. वर्ष 2019–20 के दौरान औचक निरीक्षण:

वर्ष	संपन्न औचक निरीक्षण	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)	06	00

जी. गहन परीक्षण के मामले (आईटीई मामले):

वर्ष	सम्पन्न आईटीई	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)	04	00

एच. अधिकारियों की संपत्ति विवरणी की संवीक्षा

वर्ष (2019–20)	की गयी संमीक्षा
(1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)	360

आई. प्रत्येक वर्ष संदेहपूर्ण व्यक्तियों (अग्रीड लिस्ट)/संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची तैयार की जा रही है ।

जे. अनुसंधान के दौरान प्रचलित प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए तथा सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर प्रणालीगत सुधार हेतु सक्षम प्राधिकारी को निवारक उपायों की संतुस्ति दी जाती है।

भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनीकृत करने हेतु निम्न प्रणालीगत सुधारों की अनुशंसा की गई ।

विभिन्न विभागों के दैनिक कार्य के सुचारु संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्मित की गई है :

क्रम सं.	विभाग	मानक संचालन प्रक्रिया का विषय	स्थिति
1	अधिकारी स्थापना	i) सेवानिवृत अधिकारियों को उपदान का भुगतान ii) सेवानिवृत अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान iii) प्रबंधन प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण समाप्ति iv) अधिकारियों के त्यागपत्र की स्वीकृति v) अधिकारियों के स्वैच्छिक सेवा. निवृति योजना की स्वीकृति vi) तीन साल से अधिक समय तक संवेदनशील पदों पर रहने वाले अधिकारियों का चक्रानुक्रम vii) विभागीय जांच/ प्रक्रिया पूर्णण	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
2	योजना एवं परियोजना	योजना एवं परियोजना विभाग की विभिन्न गतिविधियां	निदेशक तक. (यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
3	संविदा प्रबंधन कोषांग	मलबा हटाई तथा कोयले का संविदात्मक परिवहन	निदेशक तक. (संचालन) द्वारा अनुमोदित
4	वि. एवं यां.	क्रय/मरम्मति का प्राक्कलन निर्माण ाकार्य – ओईएमध्‍ ओपीएम मद में विसंगति समाप्त करने हेतु	निदेशक तक. (संचालन) द्वारा अनुमोदित
5	भूगर्भ	i) सीएमपीडीआई, रांची द्वारा किए जाने वाले गवेषण कार्य की निगरानी ii) क्षेत्रों को उत्पादन सहयोग एवं नलकूप सहयोग	निदेशक तक. (यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
6	भूमि एवं राजस्व	विधिक एवं राजस्व गतिविधियां	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
7	सिविल	सिविल कार्यों के अंतिम विस्तार एवं संशोधित प्राक्कलन के प्रसंस्क. रण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया	निदेशक तक. (यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
8	वाशरी संचालन	केन्द्रीयकृत पुर्जों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के वस्तुओं का क्रय	निदेशक तक.(यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
9	वशरी निर्माण	वाशरी निर्माण विभाग हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक तक.(यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
10	कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध	सेवा में रहते हुए मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करना (कोल इंडिया का एनसीडबल्यूए अनुच्छेद 9.3.0)	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
11	सामग्री प्रबंधन	i) उपभोज्य केंद्रीयकृत वस्तुओं एवं केंद्रीयकृत पुर्जो की सामग्री बजट(एमबी)। ii) विभिन्न विभागों के उपभोज्य विकेंद्रीकृत भंडार वस्तुओं एवं विकेंद्रीकृत पुर्जो का सामाग्री बजट। iii). मॉडल डिपो एग्रीमेंट दर अनुबंध का संचालन। iv) रद्दी एवं मरम्मत नहीं किए जा सकने वाले संयंत्र एवं मशीनरी का निस्तारण	निदेशक तक. (यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
12	औद्योगिक अभि. ायंत्रण	औद्योगिक अभियंत्रण विभाग हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक तक. (संचालन) द्वारा अनुमोदित
13	गुणवत्ता प्रबंधन	गुणवत्ता प्रबंधन विभाग हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक तक. (संचालन) द्वारा अनुमोदित
14	कल्याण/सामुदा. यिक विकास	कल्याण विभाग हेतु मानक परिच. ालन प्रक्रिया	निदेशक तक. (संचालन) द्वारा अनुमोदित
15	प्रशासन	प्रबंधन विभाग के विभिन्न गतिविधियों हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया सीसीएल के अंतर्गत क्वाटर खाली करने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
16	सुरक्षा	अवैध खनन और कोयला चोरी से निपटने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
17	प्रेस	सीसीएल प्रेस के विभिन गति. विधियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
18	जन संपर्क	जनसंपर्क विभाग की महतवपूर्ण प्रक्रियाओं हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
19	पर्यावरण एवं वन	पर्यावरण एवं वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक तक. (यो. एवं परि.) द्वारा अनुमोदित
20	समाधान सेल	समाधान सेल के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
21	भर्ती (बाह्य)	सीसीएल मे कर्मचारियों की बाह्य एवं सीधी नियुक्ति	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित
22	विधि	विधि विभाग के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां	निदेशक (का.) द्वारा अनुमोदित

के. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार दिनांक 28–10–2019 से 02–11–2019 तक सीसीएल की समस्त इकाइयों, क्षेत्रों के साथ मुख्यालय में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019' अत्यंत उत्साह के साथ आयोजित किया गया। वस्तुतः, इस वर्ष सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा जागरूकता अभियान 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर

तक विभिन्न विभागों में मानक परिचालन प्रक्रिया की प्रस्तुति से प्रारंभ हो गया था। साथ ही, खेल अकादमी (JSSPS) खेलगांव,रांची में खेल गतिविधियों (31–10–19) के माध्यम से जागरूकता अभियान, विभिन्न स्कूलों में आउटरीच कार्यक्रम(19 अक्टूबर से) आयोजित किए गए और सतर्कता जागरूकता सप्ताह–19 के दौरान विभिन्न आयोजनों के साथ सम्पन्न हुआ।

क. शपथः

सीसीएल मुख्यालय, रांची के साथ–साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं/इकाइयों में समस्त कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019' प्रारंभ हुआ। दिनांक 28–10–2019 को सीसीएल (मुख्यालय) में अप्रनि, सीसीएल द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा माननीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का संदेश सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों द्वारा पढ़ा गया।

यह गतिविधि केवल मुख्यालय और क्षेत्र की इकाइयों तक ही सीमित नहीं रही, अपितु पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालय आदि जैसे कई अन्य स्थानों पर इसका आयोजन किया गया।

ख. ई–शपथ

ई–शपथ हेतु कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को प्रेरित एवं प्रभावित करने के लिए सीसीएल की वेबसाइट पर "सत्यनिष्ठा–शपथ" हेतु www.cvc.nic.in का हाइपरलिंक सक्रिय किया गया। साथ ही सीसीएल, मुख्यालय में ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए ई–शपथ बूथ लगाया गया। अधिकांश कर्मचारी विगत वर्षों में शपथ ग्रहण कर चुके हैं, परंतु इस वर्ष भी अधिकारियों, गैर–अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि समेत 3000 से अधिक लोगों को ई–शपथ दिलाई गई है।

ग. सतर्कता जागरूकता रथ

दिनांक 28–10–19 को अप्रनि, सीसीएल सहित समस्त कार्यकारी निदेशकों ने सीसीएल मुख्यालय से सतर्कता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ–वाहन के चारों ओर भ्रष्टाचार निरोधक एवं जागरूकता नारे, छायाचित्र एवं संदेशादि का अंकन किया गया था। रथ द्वारा रांची के समस्त आवासीय क्षेत्रों का परिभ्रमण किया गया। इसकी अनुकृति सीसीएल में अवस्थित 12 क्षेत्रों के 8 जिलों में (रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू) में की गयी जिसने 2600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की यात्रा की।

घ. सतर्कता जागरूकता मार्च :

भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारण और खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सीसीएल मुख्यालय, रांची में एक सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में लगभग 500 प्रतिभागी थे, जिन्होंने विचारोत्तेजक नारे लगाए। यह मार्च श्री ए.के.श्रीवास्तव, सीवीओ, सीसीएल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीसीएल सीवीओ के साथ सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों ने इस मार्च में भाग लिया। उपरोक्त अभियान की अनुकृति सीसीएल के समस्त 12 क्षेत्रों में की गयी।

ङ. सीसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की तीसरे दिन, दिनांक 30–10–2019 को, सीसीएल की विभिन्न उत्पादन इकाईयों के कर्मचारियों द्वारा 'सत्यनिष्ठा – एक जीवनशैली' विषय पर एक नुक्कड़ नाटक अभिनीत किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-19 के दौरान उक्त नाटक मंडली द्वारा 10 जिलों में स्थित सीसीएल के 06 जिलों यथा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा में स्थित 09 क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया।

च. सीसीएल मुख्यालय रांची और रांची के विभिन्न विद्यालयों/संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमः

दिनांक 28–10–19 एवं 29–10–19 को, अपराह्न में, सीसीएल मुख्यालय के अधिकारियों के मध्य 'सत्यनिष्ठा–एक जीवनशैली' विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं सतर्कता संबंधित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 31–10–19 को कार्मिकों के मध्य स्लोगन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर्मचारियों में भावना को सुदृढ़ करना और इसके विरुद्ध लड़ाई में उनके समर्थन प्राप्त करना था।

विद्यालयी और महाविद्यालयी छात्रों के मध्य भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव विषयक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों तक पहुँच एवं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उनके कोमल मन में नैतिक मूल्यों का बीजारोपन करना था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान रांची के 4 विद्यालयों और 4 महाविद्यालयों में वाद–विवाद/वक्तृता/भाषण, चित्रकला/पोस्टर मेकिंग, रंगोली, लघुनाटिका, निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन आदि का आयोजन किया गया।

दिनांक 26–10–2019 को सीसीएल के लाल तथा सीसीएल की लाडली (सीएसआर के अंतर्गत सीसीएल द्वारा परियोजना प्रभावित जन के बच्चों को आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त भोजन, आवास और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई) के मध्य निबंध लेखन तथा चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

छ. सीसीएल के 13 विभिन्न क्षेत्रों एवं 5 स्वतंत्र ईकाईयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन

सीसीएल के निम्नलिखित क्षेत्रों एवं स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गयाः

(i) अरगड़ा क्षेत्र

(ii) बरका सयाल क्षेत्र

(iii) कुजू क्षेत्र

(iv) रजरप्पा क्षेत्र

(v) हजारीबाग क्षेत्र

(vi) बो. एवं करगली

(vii) ढोरी क्षेत्र

(viii) कथारा क्षेत्र

(ix) गिरिडीह क्षेत्र

(x) उत्तरी कर्णपुरा

(xi) पिपरवार क्षेत्र

(xii) रजहरा क्षेत्र

(xiii) मगध आम्रपाली क्षेत्र

(xiv) केंद्रीय कर्मशाला, बरकानाना

(xv) केंद्रीय भंडार, बरकाकाना

(xvi) खदान रेस्क्यू केंद्र, रामगढ़

(xvii) केंद्रीय चिकित्सालय, गांधीनगर

(xviii) केंद्रीय चिकित्सालय, रामगढ़

28 अक्टूबर'19 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय महाप्रबंधक या इकाई / क्षेत्र के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा–शपथ दिलाई गयी। सभी इकाइयों / कार्यालयों / क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए। साथ ही, सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

क्षेत्र स्तरीय 51 विद्यालयों में स्कूली बच्चों के अंतर्मन में नैतिक मूल्य विकसित करने के उद्देश्य से वाद– विवाद / भाषण / चित्रकला / पोस्टर मेकिंग, लघुनाटिका, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

ज. पेशेवर चित्रकारों द्वारा ओपन एयर चित्रकला कार्यशाला:–

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करने हेतु कुछ अभिनव प्रयोग किए गए। जिनमें से, एक दो–दिवसीय ओपन एयर चित्रकला कार्यशाला दिनांक 30–10–2019 को सीसीएल मुख्यालय,रांची में वीएवी–19 विषय पर आयोजित की गयी तथा उक्त का समापन दिनांक 31–10–2019 को हुआ । उपर्युक्त कार्यशाला में 20 पेशेवर चित्रकारों ने अनन्य प्रकार से भ्रष्टाचार का निरूपण कर अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की।

झ. सीसीएल मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार / कार्यशालाएंः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सीसीएल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गएः

I. सीसीएल सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित विषय पर सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में 3 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं :–

i) अनुशासन की अवधारणा, सीडीए नियम 1978 और प्रमाणित स्थाई आदेश एवं उनका कार्यान्वयन।

ii) आंतरिक जांच प्रक्रियाएं, अपील एवं दंड।

iii) वार्षिक सम्पत्ति की ऑनलाइन फाइलिंग

iv) विभिन्न क्षेत्रों में वाहन किराए पर लेने के मामलों में दृष्टिगत सामान्य अनियमितताएं।

उपरोक्त कार्यशालाओं की समाप्ति संवादात्मक सत्र के साथ हुई और प्रतिभागियों / विक्रेताओं / ठेकेदारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया गया ।

II. दिनांक 06–11–2019 को, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के समापन दिवस पर सीसीएल मुख्यालय, राँची में "सत्यनिष्ठा – एक जीवनशैली" पर वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक / समस्त क्षेत्र एवं मुख्यालय के महाप्रबंधक तथा अधिकारियों ने भाग लिया । उपरोक्त सुअवसर पर सीवीओ, सीसीएल तथा सीसीएल के सभी कार्यकारी निदेशकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उपर्युक्त वार्ता में मुख्यालय / क्षेत्रों से विभिन्न विभागों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

III. उपरोक्त के अतिरिक्त, सीसीएल सतर्कता विभाग के तत्वाधान में 6 कार्यशाला / सम्मेलन / संवेदीकरण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किया गया ।

ञ. सतर्कता पत्रिका "चेतना" का प्रकाशनः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2019 के अवसर पर, सीसीएल सतर्कता द्वारा एक जागरूकता पत्रिका – "चेतना" प्रकाशित की गयी। सीसीएल सतर्कता के आंतरिक संसाधनों को प्रयुक्त कर इस पत्रिका में प्रणालीगत सुधार, संदेश, सीसीएल कार्मिकों के आलेख, उद्धहरण आदि को संकलित करने का अनूठा प्रयास किया गया है।

ट. खेलगाँव, रांची में मिनी मैराथॉन एवं 100 मी / 200 मी / 400 मी. की दौड़ :

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 2016 में खेल अकादमी (जेएसएसपीएस) की स्थापना की है। वर्तमान में कैडेट्स की संख्या 400 है (50:50 के अनुपात में बालक एवं बालिकाएँ)। इन कैडेटों को खेलगांव, रांची में निशुल्क आवासीय सुविधा, खेल का प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा आदि प्रदान किया जाता है तथा संपूर्ण व्यय का वहन सीसीएल और झारखंड सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है ।

31 अक्टूबर 2019 को, आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत, खेल अकादमी, खेलगांव, रांची में एक जागरूकता मिनी मैराथन तथा 100 मीटर / 200 / 400 मीटर की दौड़ आयोजित

की गयी, जिसमें झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी (जेएसएसपीएस) के लगभग 300 कैडेटों ने भाग लिया।

ठ. **जागरूकता ग्राम सभाः**

सीसीएल के 10 क्षेत्रों और 01 स्वतंत्र इकाई में 13 जागरूकता सभाओं का आयोजन किया गया । सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीणों, छात्रों, आदि ने भाग लिया । भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता सभाओं के दौरान, ग्रामीणों को सामूहिक– प्रतिज्ञा दिलाई गई ।

ड. **सीयूजी मोबाइल एवं सोशल मीडिया (ट्विटर) में संदेश के माध्यम से जागरूकताः**

सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा उक्त सप्ताह के दौरान जागरूकता प्रसार का हर संभव प्रयत्न किया गया तथा सीसीएल के अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील बनाने हेतु कुछ अभिनव तरीके अंगीकृत किए गए।

(i) इस दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों के सीयूजी फोन पर प्रेरणादायक संदेश भेजे गए।

(ii) थीम सहित प्रमुख कार्यक्रमों के छायाचित्र सीसीएल के अधिकारिक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किए गए। आयोग द्वारा कई ट्वीट को पुनः ट्वीट किया गया।

(iii) राज्य में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में घटनाओं का कवरेज भी प्रसारित किए गए।

34. सुचना का अधिकार की स्थिति

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2019–20 के दौरान निपटाएं गए आवेदन का दौरा निचे दिया गया है :

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	:	425
2.	निपटाएं गए आवेदनों की संख्या	:	262
3.	प्रक्रिया के तहत आवेदनों की संख्या	:	10
4.	आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुछेद 6(3) के तहत स्थानांतरित किये गए आवेदनों की संख्या	:	153
5.	खारिज आवेदनों की संख्या	:	शून्य
6.	सीसीएल के किसी भी अधिकारी का सीआईसी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड	:	नहीं

35. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार सीसीएल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति गठन का आदेश सीसीएल की वेबसाइट पर महिला सशक्तिकरण पोर्टल में अपलोड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 22 के संदर्भ में संबंधित सूचना निम्नलिखित हैंः

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कृत कार्रवाई मामलों की संख्या	कृत कार्रवाई
01	01	अभियोगी कार्मिक का स्थानांतरण किया गया

36. निगमित प्रशासन

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी प्रशासन प्रणाली की समृद्ध विरासत पर महान कंपनियों का निर्माण होता है। आपकी कंपनी में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा अन्य सुशासन कार्यप्रणाली के उच्चतम मानदंड इनके लागू होने के पहले ही विद्यमान थे। महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी की निगमित प्रशासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानदंड एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप है। निगमित प्रशासन वस्तुत–विभिन्न हितधारकों यथा अंशधारकों, प्रबंधन, कार्मिकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियामक प्राधिकारियों एवं वृहत्तर समुदाय के मध्य अंतर्संबंधों का कुशल प्रबंधन है।

आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि उक्त संबंधों को निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदेयता के माध्यम से सुदृढ किया जा सकता है। विश्वसनीय वित्तीय सूचना, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सशक्तिकरण एवं विधिक अनुपालन को आपकी कंपनी प्राथमिक महत्व देती है।

निगमित प्रशासन संबंधित सूचना अनुलग्नक–1 में संलग्न है तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी द्वारा निगमित प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी अंकेक्षकों का प्रमाणन अनुलग्नक–।। में संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 की धारा 12(1) एवं वर्ष 2008 में संशोधित, के अनुसार अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचार संहिता मु.म.प्र.(वित्त)/कंपनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्याः सीआईएलःIX(डी)ः 04007ः2010ः1856 दिनांक 30–11/01–12 2010 के अनुसरण में जारी परिपत्र कंपनी के पदनामित कर्मचारियों के मध्य परिचालित किया गया है जिसमें निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशकगण, समस्त मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधकगण एवं कंपनी के नामित विभागों में कार्यरत अधिकारीगण सम्मिलित हैं।

37. शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु मुख्यालय में वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा की उपलब्धताः

सीसीएल की वार्षिक लेखा और सम्बन्धित विस्तृत जानकारियां, नियंत्रक कंपनी एवं सहायक कम्पनियों के शेयरधारकों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के मुख्यालय में वार्षिक लेखा किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा गया है।

अतएव, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी 08 फरवरी, 2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के अनुपालन में तथा उत्तरवर्ती पत्र संख्या CIL:XI(D): 04032:2011:2255 दिनांक 08 मार्च, 2011 के अनुपालन में, सीआईएल के शेयरधारकों को जानकारी देने के लिए उनकी मांग पर सीसीएल के लेखा को रांची (मुख्यालय) में उपलब्ध कराया गया है।

38. निदेशक मण्डल

आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 13(तेरह) बैठकों का आयोजन किया गया । दिनांक 05–08–2019 को आयोजित 63वीं वार्षिक आम बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हुए :

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि,
2. श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
3. श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक, (पी. एंड आईआर), सीआईएल,
4. श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल,
5. श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
6. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल
7. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक/यो. एवं परि.), सीसीएल

गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकः

1. श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस
2. श्री भारत भूषण गोयल, पूर्व – अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग।
3. श्री हरबंस सिंह, पूर्व – महानिदेशक एपेक्स, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
4. श्रीमती जजुला गौरी, अधिवक्ता
5. श्री शिव अरोड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थायी निमंत्रितगणः

1. श्री सलिल कुमार झा, मु.सं.प्र., पूर्वी मध्य रेलवे।
2. श्री अबूबकर सिद्दीकी पी, सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार।

दिनांक 14–11–2019 को अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री आशीष उपाध्याय द्वारा कार्यभार त्यजन परिणामस्वरूप, तथा दिनांक 16–11–2019 को श्री भारत भूषण गोयल, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (तक./यो. एवं. परि.) द्वारा प्रभार त्यागने के पश्चात दिनांक 29–11–2019 को श्रीमती रीना सिन्हा पुरी को सीसीएल बोर्ड में गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक द्वारा दिनांक 28–05–2020 को प्रभार का त्याग करने के उपरांत, श्री मुकेश चौधरी को 05–06–2020 को गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

साथ ही, श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (का.) द्वारा दिनांक 31–12–2019 को प्रभार त्यजन के पश्चात, श्री विनय रंजन, निदेशक (का.), ईसीएल ने दिनांक 24–01–2020 को निदेशक (का.), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

तदनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में 64वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख में निम्नलिखित निदेशकगण सम्मिलित हैं :

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि,
2. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
3. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल
4. श्री विनय रंजन, निदेशक (का.), सीसीएल
5. श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
6. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
7. श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल

गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकः

1. श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस
2. श्री हरबंस सिंह, पूर्व–महानिदेशक एपेक्स, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
3. श्रीमती जजुला गौरी, अधिवक्ता
4. श्री शिव अरोड़ा, सी.ए.

स्थायी निमंत्रितगणः

1. श्री सलिल कुमार झा, मु.सं.प्र., पूर्वी मध्य रेलवे।
2. श्री अबूबकर सिद्दीकी पी, सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार।

39. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के सम्बन्ध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसरण में, एतदद्वारा पुष्टि की जाती हैः

(क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी के निर्माण में धारक कंपनी, सीआईएल, द्वारा अनुमोदित एकरूप लेखाकरण नीति का अनुपालन किया गया है। उक्त एकरूप लेखाकरण नीति कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

(ख) निम्नांकित के अतिरिक्त, वित्तीय विवरणी ऐतिहासिक लागत के आधार पर निर्मित की गयी है –

- कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- परिभाषित लाभ योजनाएँ – योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- लागत पर भण्डार सूची या एनआरवी में जो कम हो।

(ग) यह कि, निदेशकों द्वारा उन लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया तथा निर्णय व प्राक्कलन किया गया जिन्हें तार्किक एवं विवेकपूर्ण माना गया ताकि संदर्भाधीन वर्ष हेतु लाभ–हानि तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

(घ) यह कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा आंकड़ो का पर्याप्त एवं समुचित रख–रखाव ताकि कंपनी–परिसंपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान और उनकी रोकथाम की जा सके।

(ङ) यह कि, 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु गोइंग कंसर्न के रूप कार्यरत रहने में कंपनी की क्षमता, यथा लागू, गोइंग कंसर्न से संबद्ध मामलों का प्रकटीकरण एवं गोइंग कंसर्न लेखांकन के अनुप्रयोग के आधार पर कंपनी वित्तीय विवरणी निर्मित की गयी है।

(च) यह कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली समुचित है तथा प्रभावी रूप कार्य कर रही है ।

(छ) यह कि, लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रणाली विकसित की गई है एवं उक्त प्रणालियाँ पर्याप्त हैं एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से हो रहा है ।

40. कंपनी के अंकेक्षकगणः

सांविधिक अंकेक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म नियुक्त किए गए थेः

ए. सांविधिक अंकेक्षकः

मेसर्स के. सी. टाक एंड कंपनी
न्यू अनंतपुर,
रांची, झारखंड

शाखा अंकेक्षकः

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एंड कंपनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग, मेन रोड,
   रांची, झारखंड

2. **मेसर्स एन. के. डी. एंड कंपनी**
   दूसरा तल्ला, राधागौरी, गौशाला चौक,
   नॉर्थ मार्केट रोड,
   अपर बाजार, रांची – 834001, झारखंड

3. **मेसर्स एल.के. सराफ एंड कंपनी**
   दूसरा तल्ला, चौहान मेंशन, लालजी हीरजी रोड,
   रांची, झारखंड

4. **मेसर्स संजय बाजोरिया एंड एसोसिएट्स**
   4–कुंजललाल स्ट्रीट, अपर बाजार,
   रांची, झारखंड

बी. लागत अंकेक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निदेशकीय मंडल की 477वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 3(9), दिनांक 21–09–2019 द्वारा वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लागत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित लागत अंकेक्षण फर्म को नियुक्त किए गए :

मेसर्स निरन एंड कंपनी,
ईएसईएन डेन, 475, आइजीनिया,
एशियाना प्लाजा एंट्री, खंडगिरी,
भुवनेश्वर – 751 019. ओड़िशा

शाखा लागत अंकेक्षकः

1. **मैसर्स एमओयू बनर्जी एंड कंपनी।**
   बैकुंठ अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, गोपालपुर,
   आसनसोल – 713 304
   जिलाः पश्चिम बर्धमान,
   पश्चिम बंगाल।

2. **मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी**
   27 ए एंड सी, एमहर्स्ट स्ट्रीट,
   कोलकाता – 700009–
   पश्चिम बंगाल।

3. **मेसर्स टिप्सगों एंड कंपनी**
   38–ए, हिमालयन पब्लिक स्कूल,
   सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम,
   गोरखपुर – 273 012–
   उत्तर प्रदेश।

सी. सचिवीय अंकेक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 अंतर्गत निदेशक मंडल की 474वीं बैठक के मद क्रमांक 3(5), दिनांक 29–06–2019 द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के सचिवीय अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म नियुक्त किए :

सचिवीय अंकेक्षकः

मेसर्स कांत सनत एंड एसोसिएट्स
प्रथम तल्ला, रघुनंदन साहू भवन,
डूरियन फर्नीचर के बगल में, अरगोड़ा– कडरू रोड,
अशोक नगर के सामने, रांची –834002

41. बोर्ड समितियां

ए. निदेशकों की अंकेक्षण समिति

31–03–2020 तक निदेशकीय लेखा परीक्षा समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार हैः

1.	श्री सुभाऊ कश्यप, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	– अध्यक्ष
2.	श्रीमती. रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	– सदस्य
3.	श्री हरबंस सिंह, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव, डी (का–औ.सं.), सीआईएल	– सदस्य
5.	श्री एन.के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल	– स्थायी आमंत्रित

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3 (iii) पर दिया गया है।

बी. निदेशकों की साधिकार प्राप्त उप–समिति

सीआईएल एवं सहयोगी कंपनी की संशोधित डीओपी के अनुसार, 19–10–2019 को आयोजित 478 वीं बोर्ड बैठक में निदेशकों की साधिकार उप–समिति का गठन किया गया। नवीन परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु वर्तमान साधिकार प्राप्त उप–समिति को विघटित कर इस प्रकार के समस्त मामलों को बोर्ड के समक्ष प्रत्यक्ष रखा जा रहा है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी के निदेशकों की साधिकार प्राप्त उप–समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3(i) पर दिया गया है।

निदेशकों की साधिकार प्राप्त समितिः

19–10–2019 को आयोजित 478 वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल और सहायक कंपनियों की संशोधित डीओपी के अनुसार निदेशकों की साधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसकी क्रय एवं अनुबंध हेतु डीओपी सहायक कंपनी के अप्रनि से 5 गुणा अधिक है।

31–03–2020 तक निदेशकों की साधिकार प्राप्त समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार हैरू

1.	श्रीगोपालसिंह, अप्रनि,सीसीएल,	– अध्यक्ष
2.	श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव और वित्त, सलाहकार,कोयला मंत्रालय	– सदस्य
3.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव, डी (का–औसं), सीआईएल	– सदस्य
5.	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक ,अप्रत्यक्ष,	– सदस्य
6..	श्री एन के अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल	– सदस्य
7.	श्री वी के श्रीवास्तव, निदेशक (तक. / संचा), सीसीएल	– सदस्य
8.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि), सीसीएल	– सदस्य

वह वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी की निदेशक समिति की साधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3 (ii) में दिया गया है।

डी. सतत विकास / निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति–

31–03–2020 को सतत विकास / निगमित सामाजिक दायित्व समितियों की अद्यतन संरचना निम्नानुसार हैः

1.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– अध्यक्ष
2.	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
3.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव, नि. (का. एवं औ.सं.), सीआईएल	– सदस्य
5.	श्री एन.के. अग्रवाल, , नि. (वित्त), सीसीएल	– सदस्य
6.	श्री भोला सिंह, , नि. तक. (यो.एवं परि.), सीसीएल	– सदस्य

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी के सतत विकास / निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3 (iv) पर दिया गया है।

ई. जोखिम प्रबंधन समितिः

31–03–2020 को जोखिम प्रबंधन समितियों की अद्यतन संरचना निम्नानुसार हैः

1..	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– अध्यक्ष
2..	श्रीहरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
3.	श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल	– सदस्य
4.	श्री भोला सिंह, निदेशक / तक. (यो.एवं परि.), सीसीएल	– सदस्य

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी के जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3 (v) पर दिया गया है।

एफ. मानव संसाधन समिति

31–03–2020 को मानव संसाधन समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार हैः

1.	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– अध्यक्ष
2.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	– सदस्य
3.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक	– सदस्य
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक , (का. एवं औ.सं.), सीआईएल	– सदस्य
5.	श्री भोला सिंह, निदेशक / तक. (यो. एवं परि.), सीसीएल	– सदस्य

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी के मानव संसाधन समिति समितियों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 3 (vi) में दिया गया है।

42. वेबलिंकः

कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित नीतियां देखीं जा सकतीं हैः

(i) सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः
http://www-centralcoalfields-in/pdfs/updts/2019&2020/cil_%20CSR_Policy-pdf

(ii) सतर्कता तंत्र:

http://www-centralcoalfields-in/indsk/pdf/policy/21_02_2020_whistle_blower_policy-pdf

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड के नामित व्यक्तियों द्वारा नियमन, निगरानी और प्रतिवेदन ट्रेडिंग के लिए आचार संहिता:

http://www-centralcoalfields-in/indsk/pdf/policy/21_02_2020_code_of_conduct-pdf

(iv) संबंधित पार्टी लेनदेन नीति:

http://www-centralcoalfields-in/indsk/pdf/policy/related_party_policy-pdf

(v) सेबी(एलओडीआर)विनियम, 2015 के तहत मेटेरियलिटी निर्धारण पर नीति

http://www-centralcoalfields-in/indsk/pdf/policy/Policy_on_determination_of%20_Materiality_under_SEBI_LODR_%20Regulations_2015__03042017-pdf

43. धन्यवाद ज्ञापन

आपके निदेशकगण, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को प्रदत्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं समर्थन हेतु भारत सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार ज्ञपित करते हैं। आपके निदेशकगण, आपकी कंपनी को बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञपित करते हैं। आपके निदेशकगण, हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण को पूर्ण विश्वास है कि समस्त श्रेणी के कार्मिक आगामी वर्षों में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कठिन परिश्रम करते रहेंगे। आपके निदेशकगण वैधानिक अंकेक्षकों, कर अंकेक्षकों, नियंत्रक एवं भारत सरकार के महालेखापरीक्षक तथा कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता और मार्गदर्शन हेतु सधन्यवाद आभार प्रकट करते हैं।

44. परिशिष्ट

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं:

ए.. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकीय मंडल प्रतिवेदन में दिया प्रदत्त परिशिष्टः

(i) उन कार्मिकों का विवरण, जो यदि वर्ष या कुछ समय के लिए नियोजित किए जाएं, तो 1,02,00,000 / – प्रति वर्ष या 8,50,000 / – प्रति माह या उससे अधिक प्राप्त करते हैं।

(ii) ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी।

(iii) कंपनी के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के विवरण।

(iv) विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय का विवरण।

(v) सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण।

(vi) संबंधित पार्टियों और कंपनी के बीच अनुबंध / व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण।

(vii) अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन।

(viii) स्वतंत्र निदेशकगणों की घोषणा।

बी. 31 मार्च 2020 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

सी. कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (6)(बी) के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की टिप्पणियां।

डी. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा की समीक्षा।

ई. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12(1) के तहत दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का संक्षेपण।

एफ. कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (2) और 134(3) के तहत निदेशक की प्रतिवेदन में परिशिष्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन और प्रबंधन का उत्तर दर्शाया गया है।

बोर्ड के लिए एवं बोर्ड की ओर से

गोपाल सिंह

(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआइएन 02698059

अनुलग्नक–1

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

सीसीएल प्रबंधन, उत्कृष्ट निगमित प्रशासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए सदैव प्रयत्नशील है।

सीसीएल का निगमित प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

1. अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के वहन में प्रतिबद्ध, दक्ष, समुचित संरचना एवं आकार के निदेशक मंडल का गठन।
2. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड तथा इसकी समितियों को समयबद्ध सूचना मिले ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
3. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र जांच कराना।
4. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति अपनाना।
5. कम्पनी से संबंधित वास्तविक सूचना शेयरधारकों के समक्ष समय पर संतुलित रूप से प्रकाशित करना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, अंशधारकों और निवेशकों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार करना।

निगमित–नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मानदंडों के पालन में विश्वास करती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीसीएल समस्त भारतीय नागरिकों को सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं नियंत्रण–संतुलन बनाने का विषय नहीं है अपितु, अवसरों को वास्तविकता में बदलने के दृष्टिकोण के साथ कम्पनी के उदेश्यों को बेहतर निष्पादन की दिशा में सतत् प्रक्रिया है। कम्पनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयरधारकों के लाभ एवं कर्मचारियों के विकास के साथ इसकी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना तथा विभिन्न संसाधनों का लाभ लेना शामिल है जिससे कि जोखिमों को कम करने के फलस्वरूप शेयरधारकों को प्रसन्न किया जा सके। कम्पनी के मुख्य उदेश्यों में विवेक एवं चेतना की निगमित संस्कृति का सृजन एवं पालन, पारदर्शिता, स्पष्टता, जिम्मेदारी, औचित्य, हिस्सेदारी, सतत मूल्य सृजन, नैतिक आचरण तथा क्षमता का विकसित करना एवं उन अवसरों को पहचानना है जो मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिससे एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संगठन का निर्माण हो।

2. निदेशक मंडल

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2020 तक 11 निदेशक शामिल थे जिसमें 5 कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित दो (2) अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक, चार (4) अंशकालिक अप्रशासकीय निदेशक तथा 2 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल थे।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल 13 बैठकें हुई यथा 29/30.04.2019, 28.05.2019, 29.06.2019, 03.08.2019, 14.08.2019, 21.09.2019, 19.10.2019, 04.11.2019, 16.11.2019, 07.01.2020, 24.01.2020, 03.02.2020 एवं 03.03.2020। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कम्पनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का निम्नानुसार विवरण दिया जा रहा है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक (कमिटी की बैठकों का विवरण)		अन्य निदेशकीय पदों की संख्या
			कार्यकाल में	उपस्थिति	
1	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	13	13	शून्य
2	श्री डी. के. घोष * निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	1	1	शून्य
3	श्री आर. एस. महापात्र** निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी निदेशक	9	7	शून्य
4	श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक)'''	कार्यकारी निदेशक	2	2	ईसीएल
5	श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय , भारत सरकार#	प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	8	8	एसइसीएल
6	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)##	कार्यकारी निदेशक	10	10	शून्य
7	श्री भारत भूषण गोयल अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक रुरुरु	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	9	9	–
8	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक/ओ. – सं.), सीआईएल	प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	13	10	i) सीआईएल ii) डब्लूसीएल
9	श्री वि. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.)	कार्यकारी निदेशक	13	10	जेसीआरएल
10	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	13	11	शून्य
11	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	कार्यकारी निदेशक	13	12	शून्य
12	श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त)@	कार्यकारी निदेशक	2	2	एनसीएल
13	श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय$	प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	4	4	i. एचजेडएल ii. सीआईएल iii. बालको
14	श्री शिव अरोरा, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक^	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	10	0	शून्य
15	श्री हरबंश सिंह, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक ^^	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	10	9	शून्य
16	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक ^^^	अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	10	9	शून्य

* श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त) दिनांक 30.04.2019 को सेवानिवृत्त हुए।

** श्री आर.एस. महापात्रो, निदेशक (कार्मिक) ने दिनांक 31.12.2019 को पदभार त्यागा।

*** श्री विनय रंजन, को दिनांक 24.01.2020 से सीसीएल के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया।

\# श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.11.2019 से पदभार त्यागा।

\## श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, को दिनांक 18.07.2019 से सीसीएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किए गए।

\### श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक ने दिनांक 16.11.2019 को पदभार त्यागा।

@ श्री नाग नाथ ठाकुर, को सीसीएल के बोर्ड में दिनांक 03.05.2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने दिनांक 18.07.2019 को पदभार त्याग दिया।

$ श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय को दिनांक 24.04.2020 से सीसीएल के बोर्ड में आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त की गईं।

^ श्री शिव अरोड़ा को दिनांक 10.07.2019 से सीसीएल की बोर्ड में अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए ।

^^ श्री हरबंस सिंह को दिनांक 10.07.2019 से सीसीएल की बोर्ड में अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

^^^ श्रीमती जाजुला गौरी को दिनांक 10.07.2019 से सीसीएल की बोर्ड में अप्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त की गईं।

वर्ष 2019–20 दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों पारिश्रमिक की अनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण:

नाम	अन्य निदेशकों के साथ सम्बन्ध	अन्य निवेशकों के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध	वर्ष 2019–20 के लिए पारिश्रमिक (रु)										
			वेतन एवं भत्ते	पीआरपी	परक्विजित	आ. भ.	अवकाश नकदीकरण	एसीएम पीएफ अंशदाइ	चिकित्सा व्यय	एनपीएस का अंशदान	एलटीसी (एफ)	ग्रैचुइटी	कुल
श्री गोपाल सिंह	शून्य	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	4098972.50	301393.92	364397.52	0.00	512336.4	380955	0.00	499193.87	0.00	0.00	6157249.21
श्री डी. के. घोष	शून्य	निदेशक (वित्त)	296113.5	595239.41	0.00	0.00	1687796	19876	220286	284788.3	0.00	2000000	5104099.21
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	शून्य	निदेशक (वित्त)	2416251.5	443337	331197.35	0.00	456789.6	222349	22659.81	299074.76	0.00	0.00	4191659.02
श्री आर. एस. महापात्र	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	2686030.4	777886.43	305814.25	0.00	155022	249332	109927.32	406677.7	0.00	0.00	4690690.1
श्री वि. के. श्रीवास्तव,	शून्य	निदेशक (तक./सं.)	2686030.4	777886.43	305814.25	0.00	155022	249332	109927.32	406677.7	0.00	0.00	4690690.1
श्री भोला सिंह	शून्य	निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	2853120	0.00	0.00	0.00	0.00	261735	27087.11	170179.18	0.00	0.00	3312121.29
कुल योग			**16549724.38**	**2555964.07**	**1271707.44**	**0.00**	**2811944.00**	**1488752.00**	**447342.26**	**2072935.24**	**0.00**	**2000000.00**	**29198369.39**

सेवा संविदा

कम्पनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालीन निदशकों को नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अंशकालीन निदेशकगण :

कम्पनी द्वारा किसी भी अंशकालीन निदेशक को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल रकम (रु.)
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री भरत भूषण गोयल, (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015 से 16.11.2019)	श्री सुभाऊ कश्यप (नियुक्ति की तिथि 13.12.2018)	श्री हरबंस सिंह (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	श्री शिव अरोरा (नियुक्ति की तिथि 10. 07.2019)	श्रीमती जाजुला गौरी (नियुक्ति की तिथि 10. 07.2019)	
	बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने हेतु फीस	7,40,000.00	5,60,000.00	4,00,000.00	0.00	3,00,000.00	20,00,000.00
	कुल (1)	**7,40,000.00**	**5,60,000.00**	**4,00,000.00**	**0.00**	**3,00,000.00**	**20,00,000.00**

2. बोर्ड समिति :

i) निदेशकों की उच्चाधिकार–उप समिति

श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल की दिनांक 30.04.2019 के सेवानिवृति पश्चात और श्री नाग नाथ ठाकुर को निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में दिनांक 03.05.2019 को नियुक्त करने के बाद सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.05.2019 को हुए अपनी 473वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ निदेशकों के उच्चाधिकार उप–समिति का पुनर्गठन किया ।

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य

4. श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य

5. श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य

6. श्री वि. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल – सदस्य

7. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान उच्चाधिकार उप–समिति की तीन बैठक दिनांक 28.06.2019, 03.08.2019 एवं 19.10.2019 को आयोजित की गई।

सीआईएल और सहायक कंपनियों के संशोधित डीओपी के अनुसार, दिनांक 19.10.2019 को आयोजित 478वीं बोर्ड बैठक में निदेशकों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया और वर्तमान ईएससीडी जो नई परियोजनाओं के मूल्यांकन को देख रहे हैं वह समाप्त किया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों को सीधे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशकों की उप–उच्चाधिकार समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है।

नाम	उच्चाधिकार उप–समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल	3	3	अध्यक्ष
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	3	2	सदस्य
श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	3	3	सदस्य
श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	3	3	सदस्य
श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.)	3	3	सदस्य
श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	3	3	सदस्य
श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त)	1	0	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)	0	0	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक/ओ. – सं.), सीआईएल	3	2	सदस्य
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	2	2	सदस्य

ii) निदेशकों की उच्चाधिकार समिति

सीआईएल एवं उसके अनुषंगी के संशोधित डीओपी अनुसार, निदेशकों की उच्चधिकार समिति का गठन दिनांक 19.10.2019 को हुई बोर्ड की 478वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ संपन्न हुई:

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल : अध्यक्ष

2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय : सदस्य

3. श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक : सदस्य

4. श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक : सदस्य

5. श्री एन. के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल : सदस्य

6. श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीआईएल : सदस्य

7. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) सीसीएल : सदस्य

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, निदेशकों की उच्चाधिकार समिति की एक(01) बैठक दिनांक 04.11.2019 को आयोजित की गई ।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कंपनी के निदेशकों की उच्चाधिकार समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

नाम	उच्चाधिकार समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल	1	1	अध्यक्ष
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	1	1	सदस्य
श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय	0	0	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव निदेशक (कार्मिक/ओ. – सं.), सीआईएल	0	0	सदस्य
श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	1	1	सदस्य
श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.)	1	1	सदस्य
श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	1	1	सदस्य
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	2	2	सदस्य

iii) निदेशकों के अंकेक्षण समिति

श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल के सेवानिवृति 30.04.2019 के परिणामस्वरूप और श्री नाग नाथ ठाकुर को निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में 03.05.2019 को नियुक्त करने पर, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.05.2019 को आयोजित अपने 473वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ–साथ अंकेक्षण समिति पुनर्गठित की गई।

1. श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, – सदस्य
4. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – स्थाई आमंत्रित
5. श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), सीसीएल – स्थाई आमंत्रित

श्रीमती जाजुला गौरी, की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में 10.07.2019 को, श्री हरबंस सिंह की नियुक्ति दिनांक 10.07.2019 को अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में और श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), सीसीएल के दिनांक 18.07.2019 को त्यागपत्र देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 19.10.2019 को आयोजित 478 वां बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ– साथ अंकेक्षण समिति पुनर्गठित की गई।

1. श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य
3. श्री बी. बी. गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, – सदस्य
4. श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
5. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
6. श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
7. श्री एन. के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल – स्थाई आमंत्रित

आगे श्री आशीष उपाध्याय के दिनांक 14.11.2019 को अंशकालिक निदेशक के रूप में पदभार त्यागने पर, श्री बी.बी. गोयल के दिनांक 16.11.2019 को अंशकालिक निदेशक के रूप में पदभार त्यागने पर, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 07.01.2020 को आयोजित 481 वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ– साथ अंकेक्षण समिति पुनर्गठित की गई –

1. श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय – सदस्य
3. श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
5. श्री एन. के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल – स्थाई आमंत्रित

अंकेक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई में से सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपने 411वें बैठक में 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 12 (बारह) बैठकों का आयोजन दिनांक 09.05.2019, 28.05.2019, 28.06.2019, 03.08.2019, 14.08.2019, 21.09.2019, 18.10.2019, 04.11.2019, 16.11.2019, 24.01.2020, 03.02.2020 एवं 03.03.2020 को किया गया। कम्पनी सचिव अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

अंकेक्षण समिति की बैठक में वर्ष 2019–20 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरणः

नाम	अंकेक्षण समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	9	अध्यक्ष
श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	8	6	सदस्य
श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	9	9	सदस्य
श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	2	1	सदस्य
श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	5	5	सदस्य
श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय	3	3	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	12	9	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)	0	0	सदस्य
श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त)	3	2	सदस्य
श्री निरंजन कुमार अगरवाल, निदेशक (वित्त)	9	9	सदस्य

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

परस्पर कार्य की सूची निम्नवत है –

- अंकेक्षकों के साथ आवधिक परिचर्चा :
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता एवं अनुपालन
  - अंकेक्षकों के पर्यवेक्षण सहित अंकेक्षण का दायरा
  - बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करें।
- निम्नलिखित कार्य करने के लिएः
  - सही, पर्याप्त और विश्वसनीय वित्तीय विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
  - प्रबंधन के साथ बोर्ड में अनुमोदन पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, यदि कोई लेखा विधिनीति में परिवर्तन हो, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन एवं अभियोग्यता का प्रस्तुतीकरण संबंधित पार्टी के लेन–देन, अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में।

iv) सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010– डीपीईह(एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की :

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु :

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- सतत विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- सतत विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख–रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति में कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं – जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल के सेवानिवृति दिनांक 30.04.2019 के परिणामस्वरूप, और श्री नाग नाथ ठाकुर को सीसीएल का निदेशक (वित्त) के रूप में दिनांक 03.05.2019 को नियुक्ति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपने 473वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की गईः

1.	श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
4.	श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल	–	सदस्य

श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), सीसीएल द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पदभार त्यागने के पश्चात, श्री हरबंस सिंह की नियुक्ति दिनांक 10.07.2019 को अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में, और श्री एन. के. अग्रवाल, के दिनांक 18.07.2019 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 19.10.2019 को आयोजित अपने 478वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ सतत विकास/ निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की ।

1.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
5.	श्री निरंजन कुमार अगरवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल	–	सदस्य

श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (वित्त), सीसीएल द्वारा दिनांक 31.12.2019 को पदभार त्यागने, और श्रीमती जाजुला गौरी की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 10.07.2019 के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 07.01.2020 को आयोजित अपने 481वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ साथ सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की ।

1.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
5.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	–	सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की 9 (नौ) बैठकों का आयोजन दिनांक 08.04.2019, 02.05.2019, 27.05.2019, 14.06.2019, 28.06.2019, 20.09.2019, 12.10.2019, 06.01.2020 एवं 23.01.2020 को किया गया ।

सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में वर्ष 2019–20 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

नाम	सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	2	2	अध्यक्ष
श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	7	7	अध्यक्ष/सदस्य
श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	9	6	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल		7	सदस्य
श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	9	3	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)	1	1	सदस्य
श्री नाग नाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त)	2	1	सदस्य
श्री निरंजन कुमार अगरवाल, निदेशक (वित्त)	4	4	सदस्य
श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	1	1	सदस्य

v) जोखिम प्रबंधन समिति :

श्री जीतेन्द्र तिवारी, महाप्रबंधक(गु. प्र.), सीसीएल के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपनी 478वीं बैठक दिनांक 19.10.2019 को आयोजित की जिसमें पुनर्गठित जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशकगण हैं।

1.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री वि. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	–	सदस्य

श्री हरबंस सिंह, के दिनांक 10.07.2019 को अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के पश्चात और श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल के दिनांक 31.12.2019 को पदभार त्यागने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपनी 481 वीं बैठक दिनांक 07.01.2020 को आयोजित की जिसमे पुनर्गठित जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशकगण हैं।

1.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	–	सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक दिनांक 28.06.2019 को आयोजित की गई ।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है।

नाम	जोखिम प्रबंधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	अध्यक्ष
श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	0	0	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल		1	सदस्य
श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	1	1	सदस्य
श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल	1	1	सदस्य

vi) मानव संसाधन समितिः

सीसीएल बोर्ड ने 19.10.2019 को रखी गई 478 वीं बैठक में मानव संसाधन समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया :

1.	श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	–	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल	–	सदस्य

आगे, श्री हरबंस सिंह, की नियुक्ति अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक सीसीएल के रूप में दिनांक 10.07.2019 को हुआ और श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल की सेवानिवृति दिनांक 31.12.2019 को, सीसीएल बोर्ड ने अपने 467 वें बैठक दिनांक 07.01.2020 को आयोजित की उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ मानव संसाधन समिति को पुनार्गठित की गई।

1. श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष,
2. श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य,
3. श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक – सदस्य,
4. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
5. श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल – सदस्य

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की कुल 04 बैठकें दिनांक 20.09.2019, 12.10.2019, 06.01.2020 एवं 23.01.2020 को आयोजित की गई।

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित कम्पनी की मानव संसाधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित हैः

नाम	मानव संसाधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्रीमती जाजुला गौरी, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	2	2	अध्यक्ष
श्री भरत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	2	2	अध्यक्ष / सदस्य
श्री सुभाऊ कश्यप, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	4	1	सदस्य
श्री हरबंस सिंह, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	4	2	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.), सीसीएल		2	सदस्य
श्री भोला सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.),	4	4	सदस्य
श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक. / सं.), सीसीएल	1	1	सदस्य

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कम्पनी की लेखा–रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स फर्मों की नियुक्ति की गई हैः

ए. सांविधिक अंकेक्षकः

मेसर्स के. सी. टाक एंड कंपनी
न्यू अनंतपुर,
रांची, झारखंड

शाखा अंकेक्षकः

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एंड कंपनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग, मेन रोड,
   रांची, झारखंड

2. **मेसर्स एन. के. डी. एंड कंपनी**
   दूसरा तल्ला, राधागौरी, गौशाला चौक,
   नॉर्थ मार्केट रोड,
   अपर बाजार, रांची – 834001, झारखंड

3. **मेसर्स एल.के. सराफ एंड कंपनी**
   दूसरा तल्ला, चौहान मेंशन, लालजी हीराजी रोड,
   रांची, झारखंड

4. **मेसर्स संजय बाजोरिया एंड एसोसिएट्स**
   4–कुंजललाल स्ट्रीट, अपर बाजार,
   रांची, झारखंड

बी. लागत अंकेक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निदेशकीय मंडल की 477वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 3(9), दिनांक 21–09–2019 द्वारा वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लागत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित लागत अंकेक्षण फर्म को नियुक्त किए गए :

मेसर्स निरन एंड कंपनी,
ईएसईएन डेन, 475, आइजीनिया,
एशियाना प्लाजा एंट्री, खंडगिरी,
भुवनेश्वर – 751 019. ओडिशा

शाखा लागत अंकेक्षकः

1. **मैसर्स मोउ बनर्जी एंड कंपनी।**
   बैकुंठ अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, गोपालपुर,
   आसनसोल – 713 304
   जिलाः पश्चिम बर्धमान,
   पश्चिम बंगाल।

2. **मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी**
   27 ए एंड सी, एमहर्स्ट स्ट्रीट,
   कोलकाता – 700009–
   पश्चिम बंगाल।

3. **मेसर्स टिप्सगो एंड कंपनी**
   38–ए, हिमालयन पब्लिक स्कूल,
   सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम,
   गोरखपुर – 273 012–
   उत्तर प्रदेश।

सी. सचिवीय अंकेक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 अंतर्गत निदेशक मंडल की 474वीं बैठक के मद क्रमांक 3(5), दिनांक 29–06–2019 द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के सचिवीय अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म नियुक्त किए :

सचिवीय अंकेक्षकः

मेसर्स कांत सनत एंड एसोसिएट्स
प्रथम तल्ला, रघुनंदन साहू भवन,
डूरियन फर्नीचर के बगल में, अरगोड़ा– कडरू रोड,
अशोक नगर के सामने, रांची –834002

वार्षिक आम बैठकः

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है ।

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2016-17	21 जुलाई 2017 पूर्वाहन 11.00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री भास्कर शर्मा, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2017-18	7 अगस्त 2018 पूर्वाहन 11.00 बजे	सीआईएल, 6/6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री ए. वि. के. राव, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2018-19	5 अगस्त 2019 पूर्वाहन 11.30 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री सुदिप्तो सरकार, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य

नोटः विगत तीन वर्षों में संपन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4. प्रत्यक्षीकरण (डिस्क्लोजर)

संबंधित पार्टी के लेन– देन

कम्पनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्षीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन– देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कम्पनी के हित को कोई हानि पहुँचती हो ।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार– संहिता

दिनांक 02.07.2008 को निदेशक मंडल की 348 वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर अपलोड किया गया है। मार्च 2020 को समाप्त वर्ष तक आचार संहिता की प्राप्ति रसीद एवं उसके अनुपालन सम्बन्धी स्वीकारोक्ति प्राप्त की जा चुकी है ।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 एवं 2018 में किये गए संशोधन के विनियम 9 (1) के अनुसरण में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय सं सीआईएलः XA (घ) : 04151:2020:24837 दिनांक 26.02.2020 एवं सीआईएलः XA (घ) : 04161:2020:24878 दिनांक 05.03.2020 के सन्दर्भ में सेबी (इनसाइडर/ ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 एवं 2018 में किये गए संशोधन के विनि. 9(1) के सन्दर्भ में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार – संहिता, कम्पनी के पदासीन कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशकगणों, सभी मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधक तथा कम्पनी के निर्दिष्ट विभागों में कार्य कर रहे सभी अधिकारी शामिल हैं ।

शक्ति प्रत्यायोजन (डी.ओ.पी.)

दिनांक 22 जुलाई 2019 को हुई निदेशक मंडल की 387वीं बैठक में सीआईएल तथा उसके अनुषंगियों के अधिकार संशोधित किये गए । आगे इसे 475 वीं बोर्ड बैठक की मंजूरी के साथ दिनांक 03.08.2019 से सीसीएल में लागू किया गया ।

लेखा समव्यवहारः

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतीकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कम्पनी में लागु बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधनः

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य–संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

5. संचार–व्यवस्था साधनः

कम्पनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कम्पनी की वेबसाइट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

6. अंकेक्षण अर्हता

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन के 143(6)(बी) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षणः

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ–साथ कम्पनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कम्पनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय–समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

8. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्रः

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके

संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

9. व्हीसिल ब्लोअर नीतिः

दिनांक 13 अगस्त 2019 को आयोजित अपने 390वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल द्वारा अनुमोदित कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2019 अपने सभी सहायक कंपनियों के लिए लागू है।

इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

10. सत्यनिष्ठा संधिः

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच सत्यनिष्ठा के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन–समझौता को प्रस्तुत किया गया।

11. कंपनी द्वारा अनुपालनः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

12. यू. एन. ग्लोबल काम्पेक्ट

ग्लोबल काम्पेक्ट, कारोबार के लिए तैयार एक ऐसी व्यवस्था है जो कारोबार तथा इसकी रणनीतियों में सुधार लाने हेतु सर्वमान्य 10 सिद्धांतों के माध्यम से मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सदा प्रयासरत रहती है। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में कार्यरत, ग्लोबल काम्पेक्ट पहली संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप मान्यता तथा विस्तार दिलाने का प्रयास करती है। विश्व स्तर की कम्पनियाँ, यू. एन. ग्लोबल की सदस्य बनी हुई है। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में प्रदर्शन के आधार पर, सीसीएल वर्ष 2009 से यू. एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य बनी हुई है। तदोपरांत बिजनेस एक्सीलेंस के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कंपनी के सीएसआर गतिविधियों में वृद्धि हुआ है और इस प्रकार सीएसआर एक मुख्य व्यवसाय विधि बन गई है। सामाजिक लक्ष्यों की अग्रिम सीमा के लिए सीसीएल ने नीतिगत कार्रवाई की है, जैसे यूएन सतत विकास लक्ष्यों के साथ उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है ।

अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों एवं झारखंड के लोगों का सीसीएल को मिनीरत्न बनना "एक सपना सच होने के समान है" । सीसीएल झारखंड की सबसे बड़ी कम्पनी है जिसके कमान क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों का उनके साथ गहरा बंधन है । यह भारत के खनन उद्योग में अद्वितीय है, समाज से इस कम्पनी को पूरा समर्थन है । झारखंड के आठ जिलों में सीसीएल की उपस्थिति न केवल राज्य की औद्योगिक ताकत (झारखंड का गहना) का प्रतीक है, बल्कि राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है ।

एसडीजी के सूचीबद्ध क्षेत्र में सीसीएल अपनी सीएसआर गतिविधियों संरेखित करके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । आपकी कंपनी द्वारा चलाई गई कुछ विशेष सीएसआर योजनाओं में स्पोर्ट्स एकेडमी, झारखंड, सीसीएल के लाल/लाडली, झारखंड के 200 रेलवे स्टेशनों में प्री–फैब शौचालय का निर्माण, एम्स के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाएं, 461 आंगनवाडी केंद्रों का मॉडल आंगनवाडी में उन्नयन, कोयला खनन के सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल सहित पेयजल परियोजना, सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में विशेषकर रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कौशल विकास केंद्र, कायाकल्प पब्लिक स्कूल, पुनर्वासन केंद्र, एएलआईएमसीओ के माध्यम से कृत्रिम उपकरणों का वितरण, शैक्षणिक आधारिक संरचनाओं आदि का विकास । सीसीएल ने कोविड मरीजों की देखभाल हेतु राशन, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण तथा अपने अस्पतालों को उपकरणों से लैस करके कोविड –19 के विरुद्ध लड़ाई में योगदान दिया है।

सीसीएल के सीएसआर कार्यकलाप से, इसके कमान क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों का, सरकारी प्रशासन, मीडिया और अन्य हितधारकों के बीच कम्पनी के प्रति अच्छी छवि के निर्माण में सहायता मिली है । भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेल प्राथमिकता के क्षेत्र में योगदान देने हेतु सीसीएल को राष्ट्रीय निगमित सामाजिक दायित्व का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2019–20 में झारखंड के अनुसूचित जनजाति (एस. टी.) बच्चों के बीच खेल– प्रोत्साहन के विकास हेतु सीसीएल के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सीसीएल को स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड, सीएसआर टाइम्स अवार्ड, एनसीएसटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया ।

अनुलग्नक –I ए

निदेशकों के पार्श्वदृश्य

दिनांक 31–03–2020 को सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक(तक / स.), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (तक. / परि एवं यो.), दो(एक सरकारी एवं एक सीआईएल मनोनीत निदेशक), चार अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, दो स्थायी आमंत्रितः एक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य संचालन प्रबंधन एवं एक सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची है।

सभी निदशकों का संक्षिप्त परिचय, उनकी शैक्षनिक योग्यता, कार्य–क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषता, व्यवसायिक संस्थाओं संस्थाओं में उनकी सदस्यता, अन्य कम्पनियों में अध्यक्षकीय / निदेशकीय पद इत्यादि निम्नाकित हैः

कार्यकारी निदेशकगण

श्री गोपाल सिंहः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में मार्च, 2012 से सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री सिंह ने वर्ष 1982 में 'भारतीय खनि विद्यापीठ', धनबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ओपनकास्ट माइनिंग में एम.टेक. और वित्त विशेषज्ञता के साथ वह एम.बी.ए. भी हैं। वर्तमान में वह बी.आई.टी.,मेसरा में शोधकर्म कर रहे हैं।

उनकी चौतन्य योजना क्षमता, समन्वयता एवं सूक्ष्मदर्शिता के परिणामस्वरूप सीसीएल का भाग्योदय हुआ। उन्होंने झारखंड की मौजूदा सामाजिक,आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए कंपनी की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित किया। समग्रतः प्रशासनिक कायाकल्प मॉडल के रूप में ख्यात समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है । कायाकल्प मॉडल पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकोपकारिक दृष्टिकोण के साथ टीम गठन, हितधारकों के प्रोत्साहन एवं अधीनस्थों के विकास हेतु एकतंत्रीय नियंत्रण, गहन प्रशिक्षण और लोकतांत्रिक योजना पर आधारित है।

वह लोक–हितैषी हैं और समाज के वंचित वर्गों के जीवन में सुधार हेतु सामाजिक कार्यों में गहरी रूचि लेतें है। उनके नेतृत्व में सीसीएल ने 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली', 'कायाकल्प पब्लिक स्कूल', 'बीपीएल अस्पताल', 'आईटीआई, भुरकुंडा', 'मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर' एवं विश्व–स्तरीय स्पोर्ट्स अकादमी,होटवार जैसे कई अग्रणी सी.एस.आर. कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है।

श्री सिंह सीसीएल को "शून्य शिकायत कंपनी" बनाने को प्रयासरत हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समाधान केन्द्रों (केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण केंद्र) की स्थापना की गयी है, जो सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहें है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप सीसीएल में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं रू छह हरित कोयला खनन परियोजनाओं और दो आधारभूत लंबी दूरी की रेलवे परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया है, जिसके समकक्ष कोयला उद्योग में कोई दूसरा नहीं है । इसमें मेगा प्रोजेक्ट ऑफ मगध ओसी (51 / 70 एम.टी. – एशिया की सबसे बड़ी प्रस्तावित कोयले की खान) और आम्रपाली ओसी (25 / 35 एम.टी.) शामिल है।

कोयला उद्योग के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए श्री सिंह को कई पुरस्कार मिलें हैं । वह कई व्यावसायिक संस्थानों से भी जुड़े है जैसे एम.जी.एल.आई., आई.ई.आई., आई.एल.ई.जी.। उन्होंने वर्ष 1998 में,कोलोंबो योजना के अंतर्गत जापान में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वरीय प्रबंधकों की टीम का नेतृत्व चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में किया । उनके सक्षम विजन और मार्गदर्शन में कंपनी देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है।

श्री निरंजन कुमार अग्रवालः निदेशक (वित्त)

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 18 जुलाई, 2019 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बीसीसीएल और सीसीएल में विभिन्न स्तरों पर वित्त प्रक्षेत्र में कोयला उद्योग में लगभग 35 वर्षों की सेवा दी है।

उनका जन्म 1961 में हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक किया। एक मेधावी छात्र रहे श्री अग्रवाल ने पारिवारिक परंपरागत व्यापार में सहायता करने के साथ–साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। श्री अग्रवाल ने 1985 में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पूरा किया।

श्री अग्रवाल ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्त विभाग से दिसंबर 1984 से कोयला उद्योग में अपनी सेवा प्रारंभ की। 18.07.2019 को उन्होंने सीसीएल के निदेशक(वित्त) के साथ–साथ विपणन एवं विक्रय विभाग, सीसीएल के प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें सीसीएल के प्रणाली विभाग का दायित्व भी दिया गया था। वह 16.08.2019 से 12.10.2019 तक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के प्रभार में भी रहे।

उन्हे कॉर्पोरेट वित्त, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, कराधान आदि क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त है। उनके नेतृत्व में, कठिन समय में, कंपनी को वित्तीय प्रबंधन और कोयला विक्रय में स्थिरता मिली है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के अंतर्गत, कंपनी ने उत्कृष्ट वित्तीय परिणाम हासिल किए हैं।

श्री भोला सिंहः निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

सीसीएल के निदेशक (तक.) के पद पर श्री भोला सिंह ने 15 जनवरी, 2019 को योगदान किया। जानवरी 1964 में जन्में श्री सिंह, ने खनन प्रौद्योगिकी में आई. आई.टी. खड़गपुर से बी.टेक. (ऑनर्स) की उपाधि ग्रहण की। श्री सिंह एक प्रोफेसनल खनन अभियंता हैं । उन्हें 32 वर्षो का सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है।

श्री भोला सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत 1987 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में की। एनसीएल में कैरियर के प्रारम्भिक चरण में कार्य करने का लाभ उन्हें यह हुआ कि एक प्रोफेशनल के तौर पर उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, पर्यावरण एवं समग्र खान प्रबंधन में उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की। एनसीएल के खानों में श्री सिंह ने कास्ट टू ब्लास्टिंग एवं पर्यावरणनुकूल इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन का भी शुभारंभ किया। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में ब्लास्टिंग एवं रॉक फ्रैगमेंटेशन पर उनके कई तकनीकी आलेख प्रकाशित हुए हैं।

2008 में श्री भोला सिंह ने छत्तीसगढ़ में एक ग्रीन फील्ड खनन परियोजना के प्रमुख के रूप में एइएस (यूएसए आधारित एमएनसी) में योगदान दिया। इसके पश्चात उन्हें ओडिसा पावर जेनरेशन निगम (ओपीजीसी) को आवंटित मनोहरपुर कोल ब्लॉक के लिए का करने का अवसर मिला।

सीसीएल में योगदान से पहले, श्री सिंह को सासन पावर लिमिटेड में परियोजना निदेशक के रूप में कार्य करने का श्रेय प्राप्त है। यह देश का प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (6*660 मे.वा.) है जिसकी आवश्कयताएं सिंगरौली, मध्य प्रदेश में स्थित, एक अत्यधिक मशीनीकृत मोहेर एवं मोहेर अमलोरी एक्सटेंशन कोयला खनन परियोजना द्वारा पूरी होती थी। संचालन प्रमुख के रूप में, सतत ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयले की गुणवत्तात्मक एव मात्रात्मक लक्ष्य की प्राप्ति श्री सिंह की जवाबदेही थी। उन्हें 7 राज्यों के 40 मिलियन ग्राहकों को विश्व की सबसे सस्ती दर पर बिजली पहुंचाने की दुर्लभ उपलब्धि प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान, उक्त खनन परियोजना ने कई नए मानक स्थापित किए तथा वर्ष 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को श्री सिंह के वृत्तिक कौशल एवं तकनीकी विशेषज्ञता से अत्यधिक लाभ मिलेगा। अपने नेतृत्व कौशल, सुगम सम्प्रेषण, टीम वर्क एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से वह इस संस्था को सर्वाधिक लाभदायक पथ एवं उत्कृष्टता की ओर ले जाने हेतु प्रवृत है।

श्री विनय रंजन : निदेशक (कार्मिक)

ईस्टर्न कलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) श्री विनय रंजन (48) ने 24.01.2020 को सेंट्रल कलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री रंजन प्रदर्शन केन्द्रित लोकोन्मुखी व्यक्ति हैं जिन्हें मानव संसाधन के समस्त क्षेत्रों का व्यापक एवं वृहत कार्यानुभव है। उन्होने वृहत पैमाने पर लेटरल/कैंपस हायरिंग, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता की ब्रांडिंग, प्रतिपूर्ति प्रबंधन और बेंच–मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट, संस्कृति निर्माण, कार्मिक नियोजन, कार्मिक संबंध, एचआरआईएस, कर्मचारी उत्पादकता तथा अधिगम एवं विकास आदि क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

उन्होंने विभिन्न विदेशी व्यापार संस्थाओं में मानव संसाधन समर्थन का सफल क्रियान्वयन किया है। वह सैप एचआर कार्यान्वयन के दो पूर्ण जीवन चक्र का हिस्सा रह चुके है । उन्होने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्व में वीएसएनएल) में सैप एचआर कार्यान्वयन के पूर्ण जीवन चक्र के टीम का नेतृत्व किया हैं। वहाँ उन्होंने आठ (8) सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें सम्पूर्ण सैप एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस शामिल थी। वीएसएनएल से प्रतिनियुक्त पर श्री रंजन टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) की सैप क्रियान्वयन कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा भी रहे हैं।

वह कुशल एवं उत्पादक कार्यबल विकसित करने की क्षमता युक्त प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता हैं। उनके पास उत्कृष्ट हितधारक प्रबंधन कौशल है और विगत 5 वर्षों से वह प्रमोटरों के साथ सीधे काम कर रहे हैं। वह उच्च स्तरीय सेवा निष्पादन के साथ–साथ अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है। श्री रंजन कुशल अंतर्वैयक्तिक सम्प्रेषण एवं व्यवहार कौशल के लिए भी जाने जाते हैं।

29 जुलाई 2016 को फ्रांस के फॉनटेनब्लियू परिसर में आयोजित भव्य स्नातक समारोह में पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात इनसीड (INSEAD) के पूर्व छात्र बनें।

दैनिक भास्कर समूह ने जब विस्तार कर यूएस 2 बिलियन डॉलर के निवेश से दो वृहत ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण का निर्णय लिया तब श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कॉर्पोरेट प्रमुख–मानव संसाधन का कार्यभार संभाल रहे थे।

श्री वि. के. श्रीवास्तव : निदेशक (तकनिकी–संचालन)

श्री वि. के. श्रीवास्तव ने 1984 में आईटी–बीएचयू से खनन प्रौद्योगिकी में स्नातक उत्तीर्ण किया एवं तत्पश्चात अमलोई कोलियरी, सोहागपुर एरिया, एसइसीएल में जेईटी (खनन) के रूप में योगदान दिया। उन्होंने 1988 में प्रथम श्रेणी खनन प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। एसइसीएल एवं इसीएल के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तत्पश्चात, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनिकी) के प्रतिष्ठित पद पर उन्होंने योगदान दिया।

भूमिगत खदान के साथ–साथ खुली खदान में खनन सञ्चालन का उन्हें विस्तृत अनुभव प्राप्त है तथा उन्हें कठिन खनन समस्याओं के सरल समाधान की दक्षता प्राप्त है। एसइसीएल के बंगवार, पवन इन्क्लाइन एवं सिंधुगढ़ परियोजना के प्रारम्भ में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा हैं। वह अपने स्वाभाव में विनम्र, सुलभ और मिलनसार हैं।

अंशकालिक / नामित निदेशक

श्रीमती रीना सिन्हा पुरी, सं. सचिव एवं वि.स., कोयला मंत्रालय, सरकारी नामित निदेशक

श्रीमती रीना सिन्हा पुरी भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं। वह कोल् इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवं बालको के भी निदेशक हैं। उन्होने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी है तथा वह मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर और मुजफ्फरनगर में भी पदस्थापित रह चुकीं हैं। उन्होने प्रतिनियुक्त के आधार पर कर विभाग, बोत्सवाना सरकार के साथ भी कार्य किया है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से राजनीति शास्त्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक और एलकेवाई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एनयूएस, सिंगापुर से पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर हैं।

श्री आर.पी.श्रीवास्तव निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध), सीआईएल नामित निदेशक

श्री आर.पी.श्रीवास्तव ने 31–01–2018 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) का प्रभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम में कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सेवा) रह चुके हैं। उन्होंने प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भारत के प्रतिष्ठित संस्थान एमडीआई, गुड़गांव से किया है।

श्री आर.पी.श्रीवास्तव ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग में प्रबंधन प्रशिक्षु (प्रशासन) के रूप में 37 वर्ष पूर्व की। उन्हें कार्मिक प्रयुक्ति, अग्रिम औ.सं., अधिगम एवं विकास, संगठन का विकास, ज्ञान प्रबंधन, टीक्यूएम आदि सहित मानव संसाधन प्रबंधन के संपूर्ण प्रक्षेत्र का विशद ज्ञान है तथा मानव संसाधन क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास का उन्हें पर्याप्त अनुभव प्राप्त है।

सीआईएल के निदेशक (कार्मिक) के रूप में, श्री श्रीवास्तव, संपूर्ण सीआईएल की कार्मिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। वह अन्य दो कंपनियों यथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में भी निदेशक हैं। वह कोयला खान भविष्यनिधि संस्थान के ट्रस्टी बोर्ड सदस्य होने के साथ–साथ कोयला उद्योग के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान,रांची के गवर्नर बोर्ड सदस्य एवं ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य हैं। श्री श्रीवास्तव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के सदस्य है जहां उनका विशिष्ट योगदान रहा है।

उनके प्रयासों के कारण, सीआईएल के कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के दीर्घ लंबित मुद्दों पर निर्णय लेकर संतोषजंक क्रियान्वयन किया गया दृ

उनके कुछ कृत कार्यों में कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का सहज क्रियान्वयन, शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध, 01–01–2017 से लंबित अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण, 2007 से लंबित अधिकरियों की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन, संघातक खदान दुर्घटना में मृतक ठेका कर्मियों को रु 15.00 लाख की वर्धित अनुग्रह राशि (अन्य सांविधिक भुगतान के अलावा), अधिकारी संवर्ग के लगभग 3000 अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों का निपटान, चिकित्सकों का विकेंद्रीकृत चयन सम्मिलित है।

गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री सुभाउ कश्यप

डॉ सुभाउ कश्यप छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व विधायक रह चुके हैं। (सक्रिय वर्ष 2003–2013)

वर्ष 1960 में जन्मे, डॉ.कश्यप ने स्नातक की डिग्री रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्राप्त की। वह प्रारंभ से ही चिकित्सा के साथ–साथ समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं।

वह लगातार दो बार विधायक चुने गए एवं छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट के पद पर भी उन्होने कार्य किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया था।

अपने व्यावसायिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, उन्होंने राम कृष्ण मिशन, नारायणपुर और बीआरओ, गढ़चिरौली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दी है। उन्होने पार्टी में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है। वह वर्तमान में राज्य महासचिव के पद पर विद्यमान है।

वह अपने क्षेत्र के मूल निवासियों के कल्याण हेतु कृत संकल्प हैं, उनकी इस विषय पर गहरी रुचि रही है और समाज में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होने राजनीति में सक्रिय भागीदारी रही है।

श्री हरबंस सिंह

हरबंस सिंह एक भूतपूर्व भू–वैज्ञानिक है। वह 31 मई, 2016 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

20 मई 1956 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जन्मे, श्री सिंह ने विज्ञान में स्नातक किया और भूविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होने अपना एम.फिल 'पैलियोजोइक एंड मेसोजोइक गोंडवाना सेडिमेंटेसन इन तालचेर कोलफील्ड, ओडिसा' विषय पर प्राप्त किया।

उन्हें विभिन्न पदों पर खान मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय में लगभग 37 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह भू–वैज्ञानिकों के भारतीय संस्थान के आजीवन सदस्य हैं ।

वह खनिज अन्वेषण और खनिज अन्वेषण नीति, भूवैज्ञानिक और भू–आकृति विज्ञान मैपिंग, जियो पर्यावरण परएकीकृत सर्वेक्षण, खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरण नीति से सम्बद्ध ईआईए और ईएमपी का मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी–प्रशासनिक प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं।

वह कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों और शासी निकायों के अध्यक्ष/सदस्य रहे, जिसमें उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। भारत सरकार द्वारा भूटान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। । आईएमइएक्स 2015, ऑस्ट्रेलिया में खनन और खनिज अन्वेषण से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों का आदान–प्रदान करने के लिए उन्हें खान मंत्रालय के माननीय मंत्री के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था।

उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, 2016 में भाग लिया और अपना पत्र प्रस्तुत किया। वह कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागी, वक्ता, विशेषज्ञ, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े रहे हैं। उनकी एक पुस्तक 'हरियाणा का भू–पर्यावरण मूल्यांकन' प्रकाशित हुई है।(जीएसआई प्रकाशन संख्या 10)

श्री शिव अरोड़ा

श्री शिव अरोड़ा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं।

वर्ष 1970 में जन्मे, श्री अरोड़ा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई नैनीताल विश्वविद्यालय से की। प्रारंभ से ही उनका जुड़ाव विभिन्न गैर–लाभकारी संगठन से रहा है। वह विभिन्न एमएसएमई संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं और उनके व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता की है। इसके अलावा, वह विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं तथा रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उनका व्यवसाय स्थापित करने में सहायता की है।

वह निरंतर विभिन्न सरकारी संस्थानों के बीच उद्योग की कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वह वित्तीय प्रबंधन, कराधान, लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट मूल्यांकन, विनिवेश, लागत–लाभ विश्लेषण, व्यवसाय पुनर्गठन, लागत प्रबंधन, उत्पाद मूल्य निर्धारण, जोखिम आधारित लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि जैसे व्यापक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।

उन्होंने कई राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बड़ी संख्या में पत्र/वार्ता प्रस्तुत की हैं। वह विभिन्न व्यावसायिक निकायों, अकादमिक संस्थानों और कॉर्पोरेट जगत के साथ संकाय/विशेषज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं।

श्रीमति जाजुला गौरी

योग्यता के आधार पर पत्रकार एवं पेशे से अधिवक्ता श्रीमती जजुला गौरी एक लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के प्रति अपनी अविरल आस्था के कारण उन्होने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह भूमि गैर सरकारी संस्था की संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने सामाजिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ–साथ मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी कार्य किया है। वह महिला कौशल विकास और संवहनीय आजीविका कार्यक्रम में शामिल विभिन्न संगठनों की एक सक्रिय सदस्य है। पर्यावरण संरक्षण, युवा विकास, शिक्षा, आजीविका संवर्धन, महिला कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और बाल शिक्षा जैसे केंद्रित मुद्दों में सक्रिय रहीं हैं। महिला सशक्तीकरण के प्रति उनका विशेष झुकाव है क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि एक महिला को सशक्त बनाने का अर्थ पूरे परिवार को सशक्त बनाना है। इसके अलावा, उन्होंने समाज में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण और स्वास्थ्य की स्थिति में वृद्धि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

02 मार्च 1968 को जन्मी श्रीमति गौरी ने स्नातकोत्तर, पत्रकारिता और एल.एल.एम. की पढ़ाई पूरी की। वह तेलंगाना महिला जेएसी, मधिगा साहित्य वेदिका और माधिगा ढंडोरन की संस्थापक सदस्य में से एक हैं और वह प्रजस्वामिका राचौत्रुला वेदिका की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बिजनेस मीडिया, केसरी हैदराबाद में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। इनके साथ–साथ उन्हें डबल्यूडीटी प्रभारी, प्रेरक और लेखिका का भी कार्य अनुभव है एवं पीएमआरवाई, आरवाईएस और एनआईआरडी के टीओटी, एपीपीएआरडी, एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर, पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन आदि के लिए विशेषज्ञ

के रूप में उन्होने अपनी सेवाएं प्रदान की है। वह एक लेखिका और कवयित्री भी हैं और उन्होंने कई उपन्यास, कविताएँ और लघु कहानियों की रचना की है। उनके प्रकाशनों का चयन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालयों में एम.फिल एंड पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी उनकी रचनाएँ सम्मिलित हैं। ओएनम उपन्यास एक पाठ के रूप में, मन्नू बुव्वा और कंचे की लघु कथाएँ वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उनके प्रकाशनों का अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और कन्नड में भी अनुवाद किया गया है।

उनके कार्य और सेवाओं को सराहते हुए 2017 में उन्हें डॉ० बी० आर० अंबेडकर दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार (नई दिल्ली), वीरांगना सावित्री बाई फुले दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार (नई दिल्ली) 2011, 2016 में ओइनम उपन्यास के लिए तेलुगु विश्वविद्यालय से पुरस्कार, तेलुगु आधिकारा बाशा संगम पुरस्कार 2006, 2017 में अब्बो बंगरु साया ओ लालना के लिए विशाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2016 में रंजनी–नंदीवाड़ा श्यामला स्मारिका साहित्य पुरस्कार, और पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ महिला लेखक पुरस्कार 2007, आदि से सम्मानित किया गया।

स्थायी आमंत्रितगण

श्री सलील कुमार झा

मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे

श्री अबूबकर सिद्दीकी पी

सचिव (खान एवं भूगर्भ), झारखंड सरकार

अनुलग्नक –*II*

कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

सेवा में

सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
राँची

1. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी दी गई विवरणी की जाँच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद–49 कम्पनी में लागू नहीं होता है। यह कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।

2. कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जाँच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जाँच तक ही सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है इस अपवाद के साथ कि, कम्पनी के निदेशकमंडल में पब्लिक उद्यम विभाग के निगमित प्रशासन पर उद्यम दिशानिर्देश के तहत गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए, प्रतिवेदन अवधि के अंत में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या इस कम्पनी में 4 है।

4. हम पुनः यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन कम्पनी की भावी सक्षमता का न तो कोइ आश्वासन है और न यह दक्षता या प्रभावीकरण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया।

कृते कान्त सनत एण्ड एसोसिएट्स
ह./–
(सीएस सनत कुमार मिश्रा)
पार्टनर
(फर्म पंजीकृत संख्या : 8705)
सदस्य सं. : 17836

स्थान – राँची

दिनांक – 14 जुलाई, 2020

अनुलग्नक – iii

फॉर्म सं– एमआर –3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 204 (1) एवं कंपनी के नियुक्ति और क्षतिपूर्ति कार्मिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में

सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस, रांची

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) की सुनिगमित कार्यप्रणाली के अनुशीलन और लागू संविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस प्रकार की गयी कि हमें कॉर्पोरेट संचालन/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया। कंपनी की देख–रेख में बही–खाते, कागजात,मिनट बुक्स, फार्म और दाखिल रिटर्न एवं अन्य रिकॉर्ड और उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं सक्षम प्रतिनिधियों सचिवीय अंकेक्षण के दौरान द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर, हमने उसका सत्यापन किया और इन सब पर आधारित हम अपनी राय व्यक्त करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों अनुपालन किया है और कंपनी के पास एक प्रकार से, एक सीमा तक उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएं एवं अनुपालन–तंत्र उचित है और जिन्हें आगे की रिपोर्ट में विवृत किया जाएगाः

हमने सीसीएल के बही–खाते, कागजात, मिनट बुक्स, फॉर्मों और दाखिल रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की देख रेख में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए जांच किया है जो निम्न प्रावधानों के अंतर्गत है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अधीन बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम,1956('एससीआरए') और अधीन बनाए गए नियम;
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी एक्ट) के तहत निम्नलिखित जारी विनियम एवं दिशानिर्देश;
4. होल्डिंग कंपनी द्वारा निर्धारित भौतिकता के निर्धारण पर नीति;
   क) लागू कानूनों की सूची संलग्नक–८ के रूप में संलग्न है;
   ख) लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देश;
   ग) बोर्ड के गठन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना;
5. भारत की कंपनी सचिवों की संस्थान द्वारा जारी बोर्ड बैठकों के सचिवीय मानक;

कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उचित प्रणाली तैयार की गई है एवं विशिष्ट कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है (लागू कानूनों की सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है);

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खंड 4 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 04 (चार) शेयरधारकों यथा कोल इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष, सीआईएल, निदेशक (कार्मिक), सीआईएल एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(सीसीएल) युक्त कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। परंतु, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (71) के अनुसार यह एक सार्वजनिक कंपनी है, अतः सार्वजनिक कंपनी के सभी प्रावधान इसपर लागू होते हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड एक सहायक कंपनी है जिसमें हमारे कंपनी की 64 प्रतिशत इक्विटि भागीदारी है तथा कुल पूंजी 55,09,86,300/– रु की है ।

समीक्षा में अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए थे ।

05 अगस्त, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक, दिनांक 03 अगस्त, 2019 को निर्गत अल्प कालीन सूचना पर आयोजित की गई थी, कंपनी के संचालन परिमाण को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के लिए अच्छी परिपाटी यह होगी कि शेयरधारकों को विधिसंगत समय दिया जाए। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) का अनुपालन किया।

धारा 134 (एफ) (ii) के अनुसार वर्ष 2018–19 के निदेशकीय प्रतिवेदन में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर दिया गया है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने विभिन्न अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा–निर्देशों के प्रावधानों आदि का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ वर्णित हैः

ए. भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2008 के पत्र सं० 21/35/2005– एएसओ(IV) से कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसमें 5 कार्यात्मक निदेशक, 5 अप्रशासकीय निदेशक एवं 2 अंशकालिक निदेषक सरकार का प्रतिनिधित्व करते है, इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या 12 एवं 2 स्थायी आमंत्रित करते है जिसमें 1 पूर्व मध्य से और 1 अन्य सचिव खान और भूविज्ञान, झारखंड सरकार से है इसके अलावा सार्वजनिक उद्धम विभाग के निगमित शासन विधि के दिशानिर्देश के तौर पर बोर्ड में अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए, परंतु

  i. वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में गठित मंडल में 11 निदेशक हैं, जिसमें 5 कार्यकारी निदेशकगण, 4 अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण तथा 2 सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशकगण हैं।

  ii. दो स्थाई आमंत्रितगणय प्रथम झारखंड सरकार के प्रतिनिधि, खान और भूविज्ञान के सचिव, झारखंड सरकार ने इस अवधि के दौरान किसी भी बोर्ड की बैठक में भाग नहीं लिया और पूर्वी मध्य रेलवे के प्रतिनिधि ने इस वर्ष के दौरान आयोजित 13 बोर्ड बैठक में से दो में भाग लिया। बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्यों को नामित करके भारत सरकार के व्यापक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्रबंधन संबंधित प्राधिकारियों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध कर सकती है।

बी. कंपनी को वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 89.75 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी लेकिन वित्तीय वर्ष में 52.88 करोड़ का वास्तविक व्यय दर्ज किया गया। 36.87 करोड़ रु की कुल राशि सीएसआर गतिविधियों के प्रति वर्ष के दौरान अव्ययित रही।

हम अग्रसर वर्णन करते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और वित्तीय रिकॉर्ड के रखरखाव जैसे लागू वित्तीय कानूनों का अनुपालन इस लेखा परीक्षा में खातों की पुस्तकों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि अन्य नामित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन है।

हम अग्रसर वर्णन करते हैं कि कंपनी की आकार और संचालन के अनुसार पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हैं। इसके आगे, हमने यह पाया कि अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया के सुदृढीकरण तथा विहित विधि, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु, कंपनी में आंकड़े एवं अभिलेख का रखरखाव सॉफ्टकॉपी किया जा रहा हैंय तथा पर्यवेक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हमारा प्रतिवेदन इसके साथ संलग्न अनुलग्नक प्प के साथ पढ़ा जाना है एवं यह इस प्रतिवेदन का अभिन्न हिस्सा है।

कृते कान्त सनत एन्ड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी
ह./–
(सीएस सनत मिश्रा)
पार्टनर
सदस्य सं : 17836
सीओपी सं. : 8705

स्थान : रांची
दिनांक : 14.07.2020
यूडीआईएन : A017836B000449905

सचिवालयीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अनुलग्नक –1

1. खान अधिनियम, 1952
2. खान रियायत नियम,1960
3. खान नियम, 1955
4. कोयला खान विनियम, 1957
5. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 1974
6. खान बचाव नियम, 1985
7. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
8. भारतीय विद्युत नियमावली, 1956
9. विस्फोटक अधिनियम, 1884
10. विस्फोटक नियम, 2008

11 कोयला खान पेंशन योजना, 1998

12 वेतन भुगतान (खान) नियम 1956

13 कोयला खान भविष्यनिधि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1948

14. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957

15 माइन्स (पोस्टिंग ऑफ एब्सट्रैक्टस) नियम 1954

16. पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेजेस (माइन्स) नियम, 1989
17. भारतीय खान ब्यूरो, वरिष्ठ तकनीकी सहायक(सर्वे), कनीय तकनीकी सहायक(सर्वे) एवं कनीय सर्वेक्षण भर्ती नियम,1990
18. कोयला खदान पिटहेड बाथ नियम 1959
19. खान क्रेच नियम 1966
20. भारतीय खान ब्यूरो (विद्युत सुपरवाइजर एवं इलेक्ट्रीशियन) नियम 1990
21. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1963
22. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकारण) अधिनियम 1972
23. कोयला खान (राष्ट्रीयकारण) अधिनियम 1973
24. कोयला खान (राष्ट्रीयकारण) संशोधन अधिनियम 1993
25. कोयला खान (प्रबंधन ग्रहण) अधिनियम,1973
26. द कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजंस) सेकंड ऑर्डिनेंस 2014
27. द कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजंस नियम 2014
28. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957
29. कोयला खान राष्ट्रीयकरण (भविष्य निधि, पेंशन, कल्याण निधि) नियम, 1978
30. मेटालीफेरस माइन्स रेग्युलेशंस 1961
31. माइनिंग लीजेज (मोडिफिकेशन ऑफ टर्म्स) नियम 1956
32. ऑक्शन बाई कंपीटेटिव मीनिंग ऑफ कोल माइन्स नियम 2012

33. कोल माइन्स एडवाइजरी बोर्ड नियम 1973
34. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
35. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
36. मजदूरी संदाय अधिनियम,1936
37. व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
38. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
39. हजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2008
40. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
41. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981
42. कारखाना अधिनियम 1948
43. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
44. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
45. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952
46. बोनस संदाय अधिनियम 1965
47. उपादान संदाय अधिनियम 1972
48. ठेका श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम 1986
49. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946
50. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923
51. प्रशिक्षु अधिनियम 1961
52. समान परिश्रमिक अधिनियम 1976
53. कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर 2000
54. कोलियरी कंट्रोल नियम 2004
55. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

परिशिष्ट – 2

सेवा में,

सदस्यगण
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेख के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के अंकेक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण कार्यों एव विधियों का अनुसरण किया है।

3. कोविड19 के प्रसार और तालबंदी के कारण, दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन व्यवहार्य नहीं था, यद्यपि, सचिवीय अभिलेख में दिये गए तथ्य की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु सचिवीय विभाग से मेल एवं फोन कॉल के माध्यम से परीक्षण–सूची में दी गयी सूचना के आधार पर उनका सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया ताकि दोष–रहित तथ्य सचिवीय अभिलेख में प्रतिबिंबित हों। हम यह मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं का हम अनुपालन करतें है वह हमें उचित अभिमत प्रदान करने का आधार प्रदान करतें है।

4. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं बुक्स आफ अकाउन्ट्स की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के अनुपालन के संबद्ध प्रबंधन प्रतिनिधित्व को भी प्राप्त किया है।

6. निगम के शर्तों का अनुपालन तथा अन्य दूसरे लागू होने वाले कानून, नियम एवं अधिनियम, मानकों, ये सभी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जांच के कार्य तक सीमित था।

7. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है।

कृते कान्त सनत एन्ड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी
ह./–
(सीएस सनत मिश्रा)
पार्टनर
सदस्य सं : 17836
सीओपी सं. : 8705

स्थान : रांची
दिनांक : 14.07.2020
यूडीआईएन : A017836B000449905

सचिवीय लेखा प्रेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार मेसेर्स सनत कान्त एवं एसोसिएट्स को मेसेर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखा प्रतिवेदन के प्रेक्षण के संदर्भ में प्रबंधन का उत्तर यथासंलग्न है :

क्रम सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
1.	भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 06 जून, 2008 के पत्रांक 21/35/2005– एएसओ (iv) द्वारा कंपनी बोर्ड का पुनर्गठन किया जिसमें 5 कार्यकारी निदेशक, 5 अप्रशासकीय निदेशक एवं 2 सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं। इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या 12 हुई। पूर्व–मध्य रेलवे से एक तथा अन्य खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार के सचिव स्थायी आमंत्रितगण(कुल दो) है। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग के निगमित प्रशासन प्रणाली के दिशानिर्देश के अनुरूप बोर्ड में अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकों की संख्या बोर्ड में 50 प्रतिशत होनी चाहिए, हालांकिय	
	(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में गठित बोर्ड में 11 निदेशकगण हैं, जिसमें 5 कार्यकारी निदेशकगण, 4 गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित 2 अंशकालिक निदेशकगण हैं।	i. सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है । दिनांक 16.11.2019 को श्री भारत भूषण गोयल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात सीसीएल ने कोयला मंत्रालय को पत्रांक सचिवीय–/सीसीएल/2020/05 दिनांक 09.01.2020 के माध्यम से एक अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक नियुक्त करने हेतु सूचित किया।
	(ii) दो स्थायी आमंत्रितगणय झारखंड सरकार के प्रतिनिधि, सचिव, खान और भूविज्ञान, झारखंड सरकार, ने सूचित अवधि के दौरान किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया और पूर्व–मध्य रेलवे के प्रतिनिधि ने वर्ष के दौरान आयोजित तेरह बोर्ड बैठक में से दो में भाग लिया।	ii. सीसीएल बोर्ड में दोनों स्थायी आमंत्रितगणों को प्रत्येक बोर्ड बैठक की सूचना दी गई।
2.	कंपनी को वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों के लिए 89.75 करोड रू खर्च करने की आवश्यकता थी लेकिन वित्तीय वर्ष में 52.89 करोड रू का वास्तविक सीएसआर व्यय दर्ज किया गया। 36.86 करोड रू की कुल राशि सीएसआर गतिविधियों के प्रति, वर्ष के दौरान अव्ययित रहा ।	सीएसआर निधि के अव्ययित होने का कारण इस प्रकार है: ● सीएसआर परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति प्राप्त थी परंतु उन्हे किसी एक या अन्य किसी वजह से लागू नहीं किया जा सका। इसलिए निधि को अव्ययित राशि के रूप में परिलक्षित किया गया है। इनके लिए प्रमुख कारण भूमि समस्या, एनओसी की अनुपब्धता एवं हितधारकों द्वारा अवरोध आदि है। ● सरकारी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, नियमित अनुनय के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा रहा है। ● परियोजनाएं चालू प्रकृति के है जिन्हें अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने की गुंजाइश है एवं व्यय के आगे के वर्षों बुक होने की संभावना है। अंतिम भुगतान/उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में आवंटित निधि को अव्ययित माना गया है। साथ ही, धारा 134(3) जिसे धारा 135 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त सीएसआर गतिविधियां, निदेशकीय प्रतिवेदन में दिया गया है ।

अनुलग्नक – IV

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 24 जुलाई 2020 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है जो 13 जून 2020 की उनकी पहले की ऑडिट रिपोर्ट को अधिलंघित करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। पूरक ऑडिट के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट टिप्पणियों का प्रभाव देने के लिए ऑडिट रिपोर्ट को वैधानिक ऑडिटर द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगी जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरण एवं सम्बद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ हेतु आवश्यक है।

1. लाभकारिता पर टिप्पणी

स्टैंडअलोन विवरणी में लाभ एवं हानि

अन्य आय (नोट 25) रू रु 605.45 करोड़

खान बंदीकरण दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि स्वीकृत खान बंदीकरण योजना में निर्दिष्ट खान बंदीकरण गतिविधियों का व्यय का दावा तृतीय–पक्ष अभिकरण (सीसीएल के मामले में सीएमपीडीआईएल2) के अंकेक्षण प्रमाणीकरण के आधार पर कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ1) से किया जा सकता है। परियोजनाओं की स्वीकृत खान बंदीकरण परियोजनाओं के अनुसार, 'ओबी डंप की हैंडलिंग/डोजिंग एवं भराई' के मद में अन्य बातों के साथ डंपर संचालन की लागत का दावा किया जा सकता है। सीसीएल ने आउटसोर्सिंग परियोजनाओं के डंपर संचालन की लागत का दावा किया है परंतु विभागीय परियोजनाओं के मामलों के सम्बद्ध लागत का दावा नहीं किया है। फरवरी 2019 में, कोयला नियंत्रक संगठन ने कंपनी को आउटसोर्सिंग एवं विभागीय परियोजनाओं क्रमशः दोनों की एमसीपी लागत सम्बद्ध दावों में समान मानक के अनुपालन का निर्देश दिया।

सीसीओ के उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में, कंपनी ने सीएमपीडीआईएल से प्रमाणीकरण प्रतिवेदन में संशोधन का अनुरोध(अप्रैल 2019) किया। तदनुसार, सीएमपीडीआईएल ने अपनी विगत प्रतिवेदनों को संशोधित कर विभागीय खानों में डम्पर संचालन की लागत को देखते हुए सीसीओ से 251.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियों का आकलन किया, जिसके लिए विगत वर्षों में दावों की अनुमति दी गई थी।

अतः, विगत वर्षों में विभागीय परियोजनाओं से संबंधित डम्पर संचालन की लागत को शामिल न करने से 2019–20 में एमसीपी दावों में 251.47 करोड़ की वृद्धि तथा पुनर्मूल्यांकन हुआ है। यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीति(खंड 2.24.1.2 (नोट 2)) के अनुपालन में विगत वर्षों से संबंधित एक घटना मानी जानी चाहिए। उक्त राशि को वार्षिक आय के रूप में बहीकृत करने के बजाय प्रतिधारित आय के रूप में समायोजित की जानी चाहिए थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 251.47 करोड़ रुपये की वार्षिक आय के साथ–साथ अन्य आय की अत्युक्ति हुई है।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक

ह./–
(मौसमी रॉय भट्टाचार्या)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 अगस्त 2020

अनुलग्नक – IV

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) एवं खंड 129 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) एवं खंड 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 24 जुलाई 2020 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है जो 13 जून 2020 की उनकी पहले की ऑडिट रिपोर्ट को अधिलंघित करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) एवं खंड 129 (4) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा–परीक्षण किया। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। पूरक ऑडिट के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट टिप्पणियों का प्रभाव देने के लिए ऑडिट रिपोर्ट को वैधानिक ऑडिटर द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं धारा 143(6)(बी) एवं खंड 129 (4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगी जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से समेकित वित्तीय विवरण एवं सम्बद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ हेतु आवश्यक है।

1. लाभकारिता पर टिप्पणी
समेकित विवरणी में लाभ एवं हानि
अन्य आय (नोट 25) : रु 607.38 करोड

खान बंदीकरण दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि स्वीकृत खान बंदीकरण योजना में निर्दिष्ट खान बंदीकरण गतिविधियों का व्यय का दावा तृतीय–पक्ष अभिकरण (सीसीएल के मामले में सीएमपीडीआईएल2) के अंकेक्षण प्रमाणीकरण के आधार पर कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ1) से किया जा सकता है। परियोजनाओं की स्वीकृत खान बंदीकरण परियोजनाओं के अनुसार, 'ओबी डंप की हैंडलिंग/डोजिंग एवं भराई' के मद में अन्य बातों के साथ डंपर संचालन की लागत का दावा किया जा सकता है। सीसीएल ने आउटसोर्सिंग परियोजनाओं के डंपर संचालन की लागत का दावा किया है परंतु विभागीय परियोजनाओं के मामलों के सम्बद्ध लागत का दावा नहीं किया है। फरवरी 2019 में, कोयला नियंत्रक संगठन ने कंपनी को आउटसोर्सिंग एवं विभागीय परियोजनाओं क्रमशः दोनों की एमसीपी लागत सम्बद्ध दावों में समान मानक के अनुपालन का निर्देश दिया।

सीसीओ के उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में, कंपनी ने सीएमपीडीआईएल से प्रमाणीकरण प्रतिवेदन में संशोधन का अनुरोध(अप्रैल 2019) किया। तदनुसार, सीएमपीडीआईएल ने अपनी विगत प्रतिवेदनों को संशोधित कर विभागीय खानों में डम्पर संचालन की लागत को देखते हुए सीसीओ से 251.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियों का आकलन किया, जिसके लिए विगत वर्षों में दावों की अनुमति दी गई थी।

अतः, विगत वर्षों में विभागीय परियोजनाओं से संबंधित डम्पर संचालन की लागत को शामिल न करने से 2019–20 में एमसीपी दावों में 251.47 करोड़ की वृद्धि तथा पुनर्मूल्यांकन हुआ है। यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीति(खंड 2.24.1.2 (नोट 2)) के अनुपालन में विगत वर्षों से संबंधित एक घटना मानी जानी चाहिए। उक्त राशि को वार्षिक आय के रूप में बहीकृत करने के बजाय प्रतिधारित आय के रूप में समायोजित की जानी चाहिए थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 251.47 करोड़ रुपये की वार्षिक आय के साथ–साथ अन्य आय की अत्युक्ति हुई है।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक

ह./–
(मौसमी रॉय भट्टाचार्या)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 अगस्त 2020

निदेशकीय प्रतिवेदन के रूप में परिषिस्ट

(31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु)

परिषिस्ट– V

अध्याय XII के अनुसरण में नियम –5 प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अंतर्गत सूचना

वर्ष 2019–20 के दौरान 1.02 करोड़' (एक करोड़ दो लाख रुपये) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची

क्रम सं	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2019–20) के किसी भाग में (8.50 लाख पचास हजार रु.) प्रतिमाह की दर से काम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया

क्रम सं	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुलग्नक – VI

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3एम) जिसे कम्पनी (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप–कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए के तहत सूचना।

उर्जा संरक्षण

(I) उर्जा संरक्षण के लिए 2019–20 में उठाये गये कदम या उनका प्रभाव;

ए. विद्युत उर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैंः

क. कैपेसिटर बैंक की स्थापनाः

i. लोड पॉइंट पर स्थापना से पावर फैक्टर में सुधार द्वारा अधिकतम लोड में कमी ।

ii. भूमिगत खदानों के वेंटिलेशन पंखों के साथ कैपेसिटर बैंक के उपयोग से पावर फैक्टर में सुधार।

ख. पंपिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय

i. चरणों में कमी, पाइप के व्यास को बढ़ाना, पर्याप्त एनपीएसएच (नेट पॉजिटिव सक्शन हेड) सुनिश्चित करना और मध्यवर्ती चरण पंपिंग को हटाना।

ii. उपयुक्त क्षमता युक्त पंप और उचित व्यास की पाइप की खरीद इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गयी है।

iii. पंपों में बुनियादी उपकरणों की उपलब्धता जैसे कि दबाव गेज, प्रवाह मीटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि सर्वोत्तम दक्षता से पंपों का संचालन किया जा सके।

ग. मोटर और ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय

i. उपकरणों की रेटिंग और लोड के अनुसार मोटर और ट्रांसफार्मर पर उचित भार।

ii. विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और पॉवर ट्रांसमिशन क्षमता में सुधार।

iii. ऊर्जाक्षम मोटर और ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन द्वारा पावर फैक्टर में सुधार।

iv. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित क्षमता युक्त ऊर्जाक्षम मोटर और ट्रांसफार्मर का क्रय किया गया है।

घ. पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट का प्रतिस्थापन

i. सीसीएल के विभिन्न खानों, कोयला डिपो, साइडिंओं आदि में यथोचित प्रकाशन हेतु ऊर्जा–कुशल 330 एलईडी लाइटिंग टावरों को लगाया गया है।

ङ. पुराने और सेवा–समाप्त विद्युतीय मशीनों का ऊर्जाक्षम विद्युत मशीनों/उपकरणों (फाइव स्टार रेटिंग) से प्रतिस्थापन।

च. मगध आम्रपाली क्षेत्र में डीजल जेनरेटर इकाई पर निर्भरता कम करने के लिए व्यवहृत उपाय :

खादानों, वेब्रिजों आदि के संचालन के लिए डीजल जेनरेटरों पर निर्भरता को कम करने के लिए, जेबीवीएनएल के माध्यम से विद्युत–आपूर्ति हेतु 250 केवीए की 04 लाइने लगाई जाएंगी है। डीजी सेट द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना में जेबीवीएनएल के माध्यम से विद्युत प्राप्ति की लागत संभवतः कम होगी है।

बी. उक्त का प्रभाव :

उपर्युक्त तरीकों के व्यवहार से :

क. हम विशिष्ट उर्जा खपत में लगातार होती कमी की प्रवृति को स्थिर रख पा रहे हैं।

ख. डीवीसी की प्राप्ति बिन्दु पर पावर फैक्टर में सुधार हुआ है । सभी पावर प्राप्ति बिंदुओं में पावर फैक्टर 0.91 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है। इसकी वजह से क्षेत्रों में कार्यरत विद्युतीय उपकरणों की कार्यक्षमता और उनकी आयु में वृद्धि हुई है।

ग. पावर फैक्टर में वृद्धि, ऊर्जाक्षम उपस्कर/उपकरणों के उपयोग के कारण बिजली बिल में कमी आई है।

(II) कंपनी द्वारा वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाये गये कदम :

क. दिन में उर्जा–मांग को कम करने हेतु छतों पर हरित उर्जा उत्पन्न करने हेतु सौर–पैनल लगाने का कार्य किया जा रहा है।

ख. सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस की छत पर मेसर्स भेल द्वारा 400 केडब्ल्यूपी सौर–उर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक लगाया है।

ग. गांधीनगर अस्पताल, सीआरएस बरका काना एवं अधिकारी छात्रावास, कथारा के छत पर क्रमशः 220 केडब्ल्यूपी, 125 केडब्ल्यूपी, एवं 50 केडब्ल्यूपी सकल क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड स्थापित और क्रियान्वित किए गए हैं।

घ. रूफटॉप सौर परियोजनों के अतिरिक्त, पिपरवार क्षेत्र में 20 एमडबल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु कार्यादेश प्रक्रियाधीन है, जिसके लगाने का कार्य वित्त वर्ष 2020–21 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

ङ. अब तक, सीसीएल ने स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से 7.2 लाख से अधिक सौर ऊर्जा यूनिट उत्पन्न की है।

च. सौर–ऊर्जा से जनित 1 किलोवाट घंटा 0.932 किलोग्राम कार्बनडाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। अतः, सीसीएल द्वारा अद्यतन 671 टन कार्बनडाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया गया है।

छ. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीसीएल, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अपने विभिन्न कमान क्षेत्रों में 80 एमडबल्यूपी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है।

ज. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने हाल ही में सीआईएल (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में 3000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बंजर और पुनरुद्धारित खाली पड़ी भूमि में लगाया जाएगा।

परिशिष्ट – *VII*

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसे कम्पनीज (एकाउंट्स) नियम 2014 की उप–कंडिका 3 (बी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

समावेशन (एब्जार्बशन) के सम्बन्ध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कम्पनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी सीएमपीडीआई ही सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए आर एंड डी के कार्य केन्द्रीय रूप से करती है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	लागू नहीं
3.	भावी कार्य योजाना	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	शून्य
	(क) पूँजी	
	(ख) आवर्ती	
	(ग) योग	
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी खर्च	–

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन

1.	प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन के सम्बन्ध में किये गए प्रयास	शून्य
2.	उत्पादन गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी लाने, उत्पाद विकास तथा आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के सम्बन्ध में किये गए प्रयासों के कारण हुए लाभ	शून्य
3.	आयातित प्रोद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से शुरू करते हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में निम्नांकित सूचना दी जाये	
	(i) आयातित प्रोद्योगिकी	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	शून्य
	(iii) क्या प्रोद्योगिकी को पूर्णतः अपने लिया गया है	शून्य
	यदि पूर्णतः नहीं अपनाया गया तो उन क्षेत्रों का नाम बताएं जहाँ इसे नहीं अपनाया गया है, इसके कारण एवं भावी योजाना के वर्णन सहित	शून्य

परिषिस्ट – ***VIII***

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सुचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत उप–कंडिका 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

(i)	निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कंपनी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं है

(ii) अर्जित / उपयोगित कुल विदेशी विनिमय

(रु करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2019.20	2018.19
(क)	उपयोग हो चुकी विदेशी विनिमय (मुद्रा)		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा / प्रशिक्षण व्यय	0.01	0.06
	योग	**0.01**	**0.06**

(ख) अर्जित विदेशी विनिमयः — कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अजित नहीं की गयी है।

अनुलग्नक – ***IX***

सीएसआर कार्य–कलापों का अतिरिक्त अनावरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन

1. सीसीएल सीएसआर नीति की संक्षिप्त संस्कृति

निगमित समाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है जो सभी हितधारकों एवं समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक लाभ प्रदान करने में योगदान देता है। परिचालन स्वतंत्रता के साथ तेजी से बदलते कॉर्पोरेट परिदृश्य में कोल इंडिया ने सतत विकास हेतु रणनैतिक उपकरण के तौर पर सी.एस.आर. अपनाया। कंपनी झारखंड के आठ जिलों– बोकारो, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, गिरिडीह और पलामू में फैले अपने कमांड क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियाँ करती है। सी.सी.एल. के लिए, सी.एस.आर. एकमात्र सामाजिक गतिविधियों के लिए धन का निवेषण नहीं, अपितु सामाजिक–उत्थान के साथ–साथ व्यापार का समेकन है। व्यापार में निवेश और औद्योगिक परिचालित के लिए एक स्थिर सामाजिक वातावरण एक पूर्व–आवश्यकता होती है जो सी.सी.एल. के दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है।

परिचालित क्षेत्रों में कोयले के खनन का प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर होता है। इस प्रकार, सी.सी.एल. की यह जिम्मेदारी बन जाती कि वह अपने कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास में सहयोग करे। इसी दृष्टिकोण से, निगमित समाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) का ध्येय सी.सी.एल. के कमान क्षेत्रों में विभिन्न सी.एस.आर. उपायों के माध्यम से समुदायों को समावेशी विकास सुनिश्चित करना है ताकि खनन सामाजिक रूप से वहनीय हो सके।

सीसीएल सीएसआर नीति सीएसआर गतिविधियों को आरंभ से कार्यान्वयन तक ले जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करती है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आजीविका, पेयजल, सामाजिक अधिकारिता, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से समाज और समुदाय के कमजोर और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है।

इस पृष्ठभूमि में, एक कॉर्पोरेट इकाइयों के रूप में सी.सी.एल. द्वारा समुदायों के सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय सरोकारों की जिम्मेदारी संकेंद्रित होती है और जो कि इसके विजन में परिलक्षित होती है ।

सी.एस.आर., सी.सी.एल. का विजन

''प्रत्येक व्यक्ति और उद्यम के हित को अधिकतम करने हेतु व्यापार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को एकीकृत करना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, धारिता निर्माण के माध्यम से कौशल–विकास, पारदर्शिता बनाए रखना, सर्वोत्तम अनुशीलन के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करना, संगठनात्मक निर्णयों / कार्यों के लिए उत्तरदायिता प्रोत्साहन और नैतिक कार्यमानकों को बनाए रखना''

मूल मंत्र : (4 सी)

- ग्राहक सेवा
- पर्यावरण एवं सुरक्षा के प्रति सरोकार
- कर्मचारियों का संरक्षण
- लागत चेतना

जिन दिशा निर्देशों का अनुकरण किया गया :

सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं को निम्न प्रावधानों / दिशानिर्देशों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है

- कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनियां (सीएसआर) नियम 2014 और उसके बाद के संशोधन।
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), एमसीए, नीति अयोग के निर्देश
- सीआईएल सीएसआर नीति
- कोयला मंत्रालय / सीआईएल के निर्देश
- सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देश।

व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए निम्नानुसार हैं:

- पिछले वर्षों की अनिर्दिष्ट सीएसआर राशि के अलावा सीएसआर व्यय को पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ का 2% औसत होना चाहिए (कंपनी अधिनियम 2013) या पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन का 2 रुपये प्रति टन। (संदर्भ : सीएसआर नीति)
- सीएसआर गतिविधियों का दायरा मोटे तौर पर कंपनी के अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें बाद के संशोधन शामिल हैं।
- सीएसआर व्यय का 80% सीसीएल प्रतिष्ठानों (परियोजना / खान / क्षेत्र / मुख्यालय) के 25 किलोमीटर के अंदर एवं शेष 20% झारखंड के अंदर होना चाहिए।
- डीपीई के अनुसार सीएसआर का 60% व्यय सरकार द्वारा तय की गई थीम यानि वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर होना चाहिए। (दिनांकित 10 / 12 / 2018 की डीपीई की का. ज्ञा.)
- आकांक्षी जिलों को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों में वरीयता दी जानी चाहिए। (दिनांकित 10 / 12 / 2018 की डीपीई की का. ज्ञा.)

सीसीएल, झारखंड राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित है जो झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों और भारत के 112 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। ये सुदूरवर्ती जिले देश के 35 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित के अंतर्गत आते हैं तथा यहाँ अधिकांशतः अ.जा / अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग की बहुलता है। अतः, सीसीएल के पास राष्ट्र के कुछ अत्यंत अल्प विकसित आकांक्षी जिलों के विकास का स्वाभाविक अवसर है।

सीएसआर नीति का वेबलिंक –

कंपनी एक्ट, 2013 के अनुसार सीआईएल की सीएसआर नीति :

https://www.centralcoalfields.in/pdfs/updts/2019-2020/17_05_2019_cil_csr_policy.pdf

2. 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड स्तरीय एसडी एवं सीएसआर समिति की संरचनाः

1.	श्री हरबंस सिंह, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	: अध्यक्ष
2.	श्रीमती जजुला गौरी, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	: सदस्य
3.	श्री सुभाऊ कश्यप, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	: सदस्य
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एंड औ.सं.), सीआईएल	: सदस्य
5.	श्री एन.के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल	: सदस्य
6.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक. / परि. एवं यो.), सीसीएल	: सदस्य

3. कम से कम तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभः

वित्तीय वर्ष	कर से पहले लाभ (करोड़ों में)
2016–17	2373.60
2017–18	1343.60
2018.–9	2692.20
औसत शुद्ध लाभ	**2136.47**

4. वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय

कोयला उत्पादन 2 / – रुपये प्रति टन = 13.74 करोड़ रु. (कोयला उत्पादन – 2018–19 : (68.67 मीट्रिक टन)

या

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए शुद्ध लाभ का औसत 2% = 42.73 करोड़ रु (गणना के अनुसार)

चूंकि, उपरोक्त के बीच 42.73 करोड़ रुपये अधिक है, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित सीएसआर 42.73 करोड़ रुपये व्यय है।

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान खर्च किए गए सीएसआर व्यय का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल राशि खर्च की जाएगी

विवरण	राशि करोड़ रुपये में
वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर बजट	42.73
पिछले वर्षों से अग्रेषित निधि	47.02
वित्त वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध धन	**89.75**

(ख) अव्ययित राशि

राशि करोड़ रुपये में

विवरण	राशि करोड़ रुपये में
वित्त वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध निधि	**89.75**
(i) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया गया व्यय	29.85
(ii) ओवरहेड सीएसआर व्यय	0.01
वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल सीएसआर व्यय	29.86
कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी की गई राशि	23.03
सीएसआर पर कुल राशि खर्च	52.89*
अगले साल अव्ययित सीएसआर बैलेंस को आगे बढ़ाया गया	36.86

* (गैर लेखा परीक्षित)

- 29.86 करोड़ रु के अलावा वित्तीय– वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर खर्च कुल मिलाकर 52.89 करोड़ रु हुआ, जिसमें निम्नलिखित अनुमोदित परियोजनाओं के लिए एमओयू के मद में कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी 23.03 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि/परियोजना मूल्य (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 19–20 में जारी की गई राशि
1.	राइट्स– झारखंड के 200 रेलवे स्टेशनों में पूर्व–निर्मित शौचालय ब्लॉक के लिए राइट्स– झारखंड के 200 रेलवे स्टेशनों में पूर्व–निर्मित शौचालय ब्लॉक के लिए	48.44	17.39
2	एम्स– दो शोध परियोजनाओं के लिए	6.29	3.39
3	461 आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए	6.91	2.25
	कुल		**23.03**

टिप्पणी :

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च या या उसके किसी अंश को व्यय नहीं करने का कारण :

2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर मद में 52.89 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जो विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ/2% रु 42.73 करोड़ से अधिक है। हालांकि, विगत वर्षों की अग्रेषित निधि को सम्मिलित करते हुए, 2019–20 में सीएसआर के मद में रु 89.75 करोड़ व्यय किया जाना था। अतः, आगामी वर्ष के लिए रु 36.86 करोड़ का सीएसआर शेष अग्रेषित किया गया है।

सीएसआर राशि व्यय नहीं होने का कारण निम्नलिखित है:

- नियमित अनुनय के बावजूद एजेंसियों/सरकार से उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार की प्राप्ति नहीं होना।

- सीएसआर परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो एक या अन्य कारणों दे उक्त कार्यान्वित नहीं की जा सकी। तथैव, उक्त निधि एक अव्ययित राशि के रूप में परिलक्षित होता है। अन्य मुख्य समस्याएँ जैसे भूमि, एनओसी की अनुपलब्धता और हितधारकों द्वारा बाधा उत्पन्न करना आदि हैं।

- परियोजनाएं सतत प्रकृति की हैं, जो अगले वित्त वर्ष तक जारी रह सकती हैं तथा उक्त पर व्यय आगामी वर्षों में अंकित होने की संभावना होती है। अंतिम भुगतान/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में आवंटित निधि अव्ययित परिलक्षित होती है।

(तालिका– I)

2019–20 के दौरान व्ययित राशि का व्यय

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर जिसमें यह प्रोजेक्ट है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य/जिला जहाँ प्रोजेक्ट या कार्यक्रम किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार (रु. लाख में)	परियोजनाओं या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप–मद (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेडस (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (रु. लाख में)	व्यय राशिः प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	शौचालय का निर्माण	स्वच्छता (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII का मद में (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गांवों में परिचालन इकाईयों (बी एंड के, बरका सयाल, ढोरी, हजारीबाग, पिपरवार और रजरप्पा) यानि झारखंड के रामगढ, हजारीबाग, बोकारो और चतरा जिलों में		66.43		प्रत्यक्ष
2.	नालियों का निर्माण	स्वच्छता (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (मुख्यालय एवं पिपरवार) यानि झारखंड के चतरा और रांची जिलों में		9.55		प्रत्यक्ष
3.	स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छता ही सेवा मुहिम	स्वच्छता (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (बी एंड के, सी. आरएस, ढोरी, हजारीबाग, मगध–आम्रपाली, एन.के., रजरप्पा एवं मुख्यालय) झारखंड के बोकारो, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ जिलों में		8.25		प्रत्यक्ष
4.	देवघर में मेगा मेडिकल कैंप	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	देवघर, झारखंड द्वारा गिरिडीह क्षेत्र		21.26		प्रत्यक्ष
5.	सीएसआर औषधालय, नियमित/विशेष स्वास्थ्य शिविर	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (सीआरएस, बरकाकाना, ढोरी, कुजू, पिपरवार, मगध–आम्रपाली एवं रजरप्पा) बोकारो, चतरा, लातेहार एवं रामगढ जिलों में		18.98		प्रत्यक्ष
6.	गर्भवती महिलाओं को पोषण की खुराक प्रदान करना	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (कुजू) रामगढ जिला में		2.00		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गांवों में बीमारी रोकने हेतु फॉगिंग मशीन	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (मगध–आम्रपाली) झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों में		1.01		प्रत्यक्ष
8.	स्वास्थ्य और कल्याण (योग दिवस और योग केंद्र का आयोजन)	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (मुख्यालय एवं बी एंड के) झारखंड के बोकारो और रांची जिलों में		105.18		प्रत्यक्ष
9.	चिकित्सा सहायता (दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदान करना और सीएसआर औषधालय चलाना)	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईया (मुख्यालय) झारखंड के रांची जिले में		29.29		प्रत्यक्ष
10.	हैंडपंप की स्थापना	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (अरगडा, बी एंड के, सीआरएस बरकाकाना, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, एन के और रजहारा) बोकारो, हजारीबाग, रांची और रामगढ जिलों में		23.80		प्रत्यक्ष
11.	डीप बोर होल की खुदाई	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (अरगडा, ढोरी, बी एंड के, कथारा, कुजू, पिपरवार, हजारीबाग, रजरप्पा और मुख्यालय) झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, चतरा, रामगढ और रांची जिलों में		115.27		प्रत्यक्ष
12.	सौर ऊर्जा संचालित डीप बोर वेल एवं सबमर्सिबल पंप)	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (मगध–आम्रपाली एवं पिपरवार)झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों में		352.28		प्रत्यक्ष
13.	कूपों का निर्माण	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (बी एंड के, बरका सयाल, सीआरएस बरकाकाना, कथारा, एन के और रजरप्पा) झारखंड के बोकारो, रामगढ औए रांची जिलों में		55.20		प्रत्यक्ष
14.	टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों (बी एंड के, कथारा, और मगध–आम्रपाली) झारखंड के बोकारो, चतरा और लातेहार जिलों में		19.81		प्रत्यक्ष
15.	पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	झारखंड के बोकारो जिले के कथारा क्षेत्र में 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों में परिचालन इकाईयों		5.74		प्रत्यक्ष
16.	आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना	पेयजल अनुसूची VII का मद सं. (i))	झारखंड के रांची जिले के एन के क्षेत्र के खलारी गाँव में 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों		0.80		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	शिक्षा के समर्थन हेतु वित्तीय सहायता	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	मगध–आम्रपाली और मुख्यालय के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों, झारखंड के रांची और चतरा जिलों में		23.23		प्रत्यक्ष
18.	सीसीएल के लाल/ लाडली	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	लाभार्थियों का चयन पूरे झारखंड से किया जाता है, जिन्हें रांची तथा सीसीएल के तीन क्षेत्रों में कोचिंग प्रदान की गति है		65.94		प्रत्यक्ष
19.	स्कूल /कॉलेज के ढांचागत विकास	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	(बी. एंड के, हजारीबाग, कथारा, कुजू, मगध– आम्रपाली, मुख्यालय, पिपरवार एवं एन के) के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो, रामगढ, हजारीबाग, रांची, चतरा और लातेहार जिलों में		78.35		प्रत्यक्ष
20.	कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सामग्री हेतु प्रावधान (किताबें, स्कूल बैग, स्कूल किट आदि का वितरण)	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	(बी. एंड के, बरका–सयाल, हजारीबाग, कुजू, पिपरवार के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो, रामगढ, हजारीबाग, और चतरा जिलों में		12.61		प्रत्यक्ष
21.	स्कूल बस किराये पर लेना	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	मगध–आम्रपाली के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों, झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों में		4.17		प्रत्यक्ष
22.	वंचित बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय का संचालनरू कायाकल्प पब्लिक स्कूल	शिक्षा अनुसूची VII का मद सं. (ii))	बुकरू के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों का परिचालन इकाईयों की (मुख्यालय), झारखंड के रांची जिले में		21.26		प्रत्यक्ष
23.	ड्राइविंग प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ़ जिले में		1.88		प्रत्यक्ष
24.	ब्यूटिशियन प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	ढोरी, हजारीबाग और कुजू क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो जिलों में		4.04		प्रत्यक्ष
25.	कंप्यूटर प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	बी. एंड के., ढोरी, कथारा और कुजू क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ़ और बोकारो जिलों में		12.62		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	खाद्य प्रसंस्करण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	बी. एंड के., ढोरी और कुजू क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और रामगढ़ जिलों में		5.57		प्रत्यक्ष
27.	मोबाइल मरम्मत प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और हजारीबाग जिला में (ढोरी और हजारीबाग क्षेत्र)		4.35		प्रत्यक्ष
28.	एससी/एसटी को खनन माइनिंग सरदार	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	बीटीटीआई– भुरकुंडा, बरका– सयाल क्षेत्र एवं रामगढ जिला		14.30		प्रत्यक्ष
29.	सीईटीआई, भुरकुंडा में इलेक्ट्रीशियन/वेल्डर प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ जिला में (सीआरएस, बरकाकाना)		3.51		प्रत्यक्ष
30.	सिलाई प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के हजारीबाग और रामगढ जिलों में (हजारीबाग और कुजू)		5.11		प्रत्यक्ष
31.	कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु आधारभूत संरचना का विकास	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	जोन्हा, रांची, झारखंड में कौशल विकास केन्द्र का निर्माण		122.35		प्रत्यक्ष
32.	रोजगार विकास कार्यक्रम : ईडीपी	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ जिला में (कुजू)		1.99		प्रत्यक्ष
33.	सिलाई मशीन का वितरण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और रामगढ जिला में (अरगडा, बी. एंड के. और बरका–सयाल)		11.83		प्रत्यक्ष
34.	कृषि एवं संबद्ध गति. विधियाँ का प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ जिला में (कुजू क्षेत्र)		3.76		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	पीएपी को सीएसआर के अंतर्गत वेल्डर/इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण	कौशल विकास अनुसूची VII का मद सं. (ii))	25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ जिला में (कुजू क्षेत्र)		1.96		प्रत्यक्ष
36.	व्हीलचेयर/बैसाखी का वितरण	सामाजिक कल्याण अनुसूची VII का मद सं. (iii))	रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, चतरा और रांची जिलों के बरका–सयाल, कुजू, मगध–आम्रपाली, हजारीबाग और एन. के. क्षेत्र में की गई गतिविधि।		12.14		प्रत्यक्ष
37.	वृद्धाश्रम का निर्माण/नवीनीकरण	सामाजिक कल्याण अनुसूची VII का मद सं. (iii))	मुख्यालय द्वारा रांची में की गई गतिविधि।		0.27		प्रत्यक्ष
38.	दिव्यांगजनों और मानसिक रूप से कमजोर रोगियों हेतु पुनर्वासन केंद्रों का संचालन।	सामाजिक कल्याण अनुसूची VII का मद सं. (iii))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के चतरा जिले में		3.28		प्रत्यक्ष
39.	तालाब का निर्माण/नवीनीकरण	पर्यावरण एवं सतत विकास (अनुसूची VII का मद सं. (iv))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो, चतरा और लातेहार जिले में (बी.एंड के., ढोरी, मगध–आम्रपाली और पिपरवार क्षेत्र)		39.78		प्रत्यक्ष
40.	चेक डैम का डिसिल्टिंग	पर्यावरण एवं सतत विकास (अनुसूची VII का मद सं. (iv))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों की परिधि, झारखंड के रामगढ जिले में (बरका– सयाल क्षेत्र)		4.93		प्रत्यक्ष
41.	वनीकरण	पर्यावरण एवं सतत विकास (अनुसूची VII का मद सं. (iv))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ जिले में (कुजू क्षेत्र)		1.00		प्रत्यक्ष
42.	बारिश के पानी का संग्रहण	पर्यावरण एवं सतत विकास (अनुसूची VII का मद सं. (iv))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के चतरा जिले में पिपरवार क्षेत्र		11.06		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	स्पोर्ट्स अकादमी, होटवार का संचालन	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	झारखंड के सभी 24 जिले।		1461.60		झारखंड राज्य खेल प्रोमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस)
44.	ग्रामीण खेल टूर्नामेंट	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	सीआरएस, बरकाकाना, ढोरी, हजारीबाग और कुजू क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ, हजारीबाग और बोकारो जिलों में		20.76		प्रत्यक्ष
45.	खेल महाकुंभ : स्पोर्ट्स अकादमी हेतु बच्चों का चयन	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	सीआरएस, बरकाकाना, ढोरी, गिरिडीह, हजारीबाग, कथारा, मगध–आम्रपाली और रजरप्पा क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो, रामगढ, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार जिलों में		6.29		प्रत्यक्ष
46.	खेल सामग्री का वितरण	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	हजारीबाग, मगध–आम्रपाली और एन. के. क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के हजारीबाग, लातेहार, चतरा और रांची जिलों में		13.73		प्रत्यक्ष
47.	खेल केंद्रों की स्थापना	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	हजारीबाग, बी. एंड के. और कुजू क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और रामगढ जिलों में		1.61		प्रत्यक्ष
48.	क्रीडा–स्थल का विकास	खेल पदोन्नति (अनुसूची VII का मद सं. (vii))	पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के चतरा जिला में		8.92		प्रत्यक्ष
49.	सड़क का निर्माण (पीसीसी / डब्लूबीएम)	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	सीआरएस, बरकाकाना, मगध–आम्रपाली, रजरप्पा और राजहरा क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के चतरा और रामगढ जिलों में		123.80		प्रत्यक्ष
50.	सौर उर्जा चलित लाइट्स की स्थापना	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	बरका–सयाल, कुजू और एन. के. क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ और रांची जिलों में		6.82		प्रत्यक्ष
51.	शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	बी.एंड के., कथारा और रजरप्पा क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और रामगढ जिलों में		7.06		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	घाट का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	बी.एंड के., रजरप्पा और कथारा क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के बोकारो और रामगढ जिलों में		8.53		प्रत्यक्ष
53.	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	अरगडा, बरका–सयाल और हजारीबाग क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, झारखंड के रामगढ और हजारीबाग जिलों में		11.68		प्रत्यक्ष
54.	पास के गाँवों में ग्रामीण विकास कार्य	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	मुख्यालय और मगध–आम्रपाली क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के चतरा और रांची परिचालन इकाईयों		1.42		प्रत्यक्ष
55.	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII का मद सं. (x))	बी. एंड के. और पिपरवार क्षेत्र के 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गावों के परिचालन इकाईयों, यानि झारखंड के बोकारो और चतरा जिलों में		6.47		प्रत्यक्ष
56.	विविध ओवरहेड्स / प्रशासनिक व्यय		सीएसआर कार्यक्रमों के उद्घाटन के दौरान सीएसआर पुरस्कार नामांकन शुल्क और विविध खर्च।		1.06		
	उप–कुल				2985.89		
57.	रेलवे स्टेशनों में प्री–फैब शौचालय का निर्माण, अनुसंधान	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. (i))	झारखंड के जिले		1739.00		राइट्स
	म्स के माध्यम से संचालित परियोजनाएं	स्वास्थ्य (अनुसूची VII का मद सं. (i))	झारखंड के कोडरमा, रांची और हजारीबाग जिले में		339.00		एम्स
	मॉडल आंगनवाड़ियों का उन्नयन	स्वास्थ्य (अनुसूची VII का मद सं. (i))	रामगढ		225.00		जिला प्रशासन रामगढ़
	कुल				5288.89*		

*(अनअंकेक्षित)

टिप्पणी :

कॉलम सं. 5	**विगत वर्षों की अव्ययित राशि सहित वित्त वर्ष 2019–20 हेतु सीएसआर बजट में कुल 89.75 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।**
कॉलम सं. 7	**सभी क्षेत्रों से 2013–14 से 2019–20 तक रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय रू रु. 397.93 करोड़ रु. 29.85 करोड़ = रु. 427.78 करोड़ है।** **(2019–20 में 23.03 करोड़ रुपये सहित 450.82 करोड़ रुपये कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए)**

क्षेत्रीय महाप्रबंधक को संबद्ध क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक के सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों को अनुमोदित करने की शक्ति सौंपी गई थी (19–10–2019 को आयोजित 478वीं बैठक में सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित)।

सीएसआर प्रस्तावों की समीक्षा और पुनरीक्षण क्षेत्र / मुख्यालय की एक आंतरिक सीएसआर समीक्षा समिति द्वारा की गयी। सीएसआर की समीक्षा

समिति द्वारा पुनरीक्षण पश्चात, निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय सतत विकास और सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे गए :

(क) महाप्रबंधक (एसडी और सीएसआर), सीसीएल, रांची

(ख) महाप्रबंधक (सिविल), सीसीएल, रांची

(ग) महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, रांची

(घ) महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सीसीएल, रांची

(ङ) सीएमएस, सीसीएल, रांची

(च) विभागाध्यक्ष / उप महाप्रबंधक (वन), सीसीएल, रांची

(क्षेत्रों में 5 लाख की राशि तक के प्रस्तावों हेतु क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी / विभागाध्यक्ष युक्त सीएसआर समिति होती है जो बोर्ड स्तर के नीचे की समिति का भी कार्य करती है)

उपरोक्त समिति के सदस्यों की अनुशंसा के पश्चात, प्रस्तावों को निम्नलिखित डीओपी के अनुसार सक्षम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है :

(क) निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, रांची (रु 10 लाख तक के मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

(ख) अप्रनि, सीसीएल, रांची (रु 25 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

(ग) बोर्ड स्तरीय सतत विकास और सीएसआर समिति (25 लाख से ऊपर मूल्य के प्रस्तावों के लिए)

ह./–
महाप्रबंधक (एसडी और सीएसआर)

ह./–	ह./–	
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सी.एस.आर. समिति)	**अधिनियम की धारा 380 की उप–धारा(1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति**

परिशिष्ट – *X*

फॉर्म क्रमांक एओसी– 2

[कम्पनी (एकाउंट्स) नियम 2014 के नियम 8 (2) और अधिनियम के सेक्शन 134 का सब सेक्शन (3) के क्लॉज (एच) के अनुसरण में]

कम्पनी के करार/अनुबंधों के विवरणों के प्रकटीकरण के प्रपत्र, जो कम्पनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ डाले गए हैं, जिनका सन्दर्भ कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188 के उप सेक्शन (1) में है जिसमे तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निष्पक्ष लेन– देन शामिल है।

वर्ष 2019–20 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन– देन की प्रविष्टी पार्टियों के साथ निष्पक्ष आधार पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है।

परिशिष्ट – ***XI***

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वर्ष 2018–19 की वितीय प्रदर्शन एवं स्थिति पर रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू) के अनुसरण में, कम्पनीज (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.), एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। इसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रोमोटर के नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रूपए है।

जेसीआरएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

1. झारखंड सेंट्रल रेलवे को 31.08.2015 में सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजना जेसीआरएल को सौंपा गया।

- शिवपुर – कथोटिया न्यू बीजी रेल लाइन – संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बैंक की रिपोर्ट के लिए।

  जेसीआरएल ने इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर 28 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किये थे। शिवपुर–कठौतिया नई लाइन परियोजना के स्थानांतरण पर रेलवे बोर्ड ने सैधांतिक रूप से जेसीआरएल संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। कठौतिया (चेनेज 0.00) से शिवपुर (चेनेज 49.085) की कुल लम्बाई 49.085 कि. मी. है। रेल मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मंजूरी दे दी है। 13 जून 2018 को 5 वर्ष की अवधि के लिए रेल मंत्रालय ने 49.085 कि. मी. के आदेय दूरी पर 60 प्रतिशत की बढ़ी हुई मिल– भत्ता को मंजूरी दे दी है। जेसीआरएल एवं पूर्वी मध्य रेलवे के बीच रियायत अनुबंध को 04.12.2018 को हस्ताक्षरित किया गया। वित्तीय बंदी प्रक्रियाधीन है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 19 जून 2019 को स्टेज–1 की वानिकी मंजूरी दी गई। सीए, एनपीवी एवं वन्य– जीव योजना के अंतर्गत जेसीआरएल द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात वन भूमि के मोड़ की प्रक्रिया आरम्भ होगी। परियोजना का निर्माण वानिकी मंजूरी और वित्तीय बंदी के बाद किया जाएगा।

वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूँजी रु. 500.0 करोड़ थी।

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2020 तक		31.03.2019 को	
	शेयरों की संख्या (प्रति 10 रू. का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (प्रति 10 रू. का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का %
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,20,00,000	58.18	3,20,00,000	64
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,30,00,000	23.64	1,30,00,000	26
झारखंड सरकार	1,00,98,630	18.18	50,00,000	10
कुल	**5,50,98,630**	**100**	**5,00,00,000**	**100**

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड को प्रमोटर की शेयर पूंजी का पैसा मिला है।

2. संक्षिप्त तुलन पत्र :

विवरण	31.03.2020 को (₹)	31.03.2019 को (₹)
कुल इक्विटी एवं देनदारियां		
पूँजी	55,09,86,300.00	50,00,00,000.00
रिजर्वएवं सरप्लस	1,84,22,692.50	50,88,075.50
शेयर आवेदन राशि जिनका आवंटित होना बाकी है	—	5,00,00,000.00
उप कुल	**56,94,08,992.50**	**55,50,88,075.50**
लम्बी अवधि लेनदारी	0.00	0.00
कुल वर्तमान देनदारियां	50,00,74,893.00	4,16,226.00
कुल गैर वर्तमान देनदारियां	1,36,58,86,382.00	1,36,58,86,382.00
कुल	**2,43,53,70,267.50**	**1,92,13,90,683.50**

सम्पति		
वास्तविक सम्पति (मूल्य ह्रास)	3,29,050.00	0.00
पूँजी डब्लू. आई. पी.	1,77,20,59,841.15	1,63,84,89,659.00
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	1,57,375.00	1,18,63,712.00
नकदी और बैंक बैलेंस	66,06,24,532.35	26,89,37,019.50
लघु अवधि के ऋण और अग्रिम		0.00
वर्तमान कर सम्पति (निबल)	3,91,270.00	-
अन्य चालू परिसम्पतियाँ	18,08,199.00	21,00,293.00
कुल	**2,43,53,70,267.50**	**1,92,13,90,683.50**

3. 31.03.2020 समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी ढांचा इस प्रकार है।

निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत शेयर पूँजी			
अंशधारकगण	शेयर की संख्या	दर	राशि (रूपए में)
सीसीएल	3,20,00,000	रूपए 10/– प्रति	32,00,00,000/-
इरकॉन	1,30,00,000	रूपए 10/– प्रति	13,00,00,000/-
झारखंड सरकार	1,00,98,630	रूपए 10/– प्रति	10,09,86,300/-
कुल प्रदत इक्विटी शेयर पूँजी			**55,09,86,300/-**

4. जेसीआरएल ने 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के रु. 1,17,42,466.50/– की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष में रु. 1,33,34,617.00/– का निबल लाभ अर्जित किया।

परिशिष्ट – XII

फॉर्म क्रमांक एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार
31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) और कम्पनी
(प्रबंधन एवं प्रशासनद्ध नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	**सी.आइ.एन.**	U10200JH1956GOI000581
ii.	पंजीकरण दिनांक	05 सितम्बर, 1956
iii.	कम्पनी का नाम	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी	निजी कम्पनी
v.	कम्पनी की उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी शेयर आधारित कम्पनी शेयर पूँजी आधारित कम्पनी
vi.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, राँची – 834 029 (झारखण्ड)
vii.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
viii	रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि हो तो	लागू नहीं

II. कम्पनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप

(कम्पनी के कुल टर्न ओवर के 10% या अधिक में योगदान करने वाली सभी क्रिया कलापों को दर्ज किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआइसी कोड	कम्पनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1	कोयला खनन	051.05101 तथा 051.05102	100%

III. नियंत्रण, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्र. सं	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रण/अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू सेक्शन
1.	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रीमाइस सं.04 एम.ए.आर.ए प्लॉट सं. – एएफ –।।।, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700156, ईमेल आईडी – mviswanathan2@coalindia.in	L23109WB1973GOI028844	नियंत्रण	100	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(46)
2.	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची – 834029, झारखंड	U45201JH2015GOI003139	संयुक्त उद्यम	64.00	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)

IV. अंशधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक–अप)

i. श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारक की श्रेणी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रोमोटर का									
1. भारतीय									
(क) यक्तिगत/एचयूएफ	—	3	3	0.0001%	—	3	3	0.0001%	शून्य
(ख) केन्द्रीय सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(घ) निकाय निगम	—	93,99,997	93,99,997	99.9999%	—	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप योग (ए)(1)	—	94,00,000	94,00,000	100%	—	94,00,000	94,00,000	100%	शून्य
2. विदेशी									
(छ) एनआरआई–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) अन्य–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) निकाय–निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ट) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ए)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी. पब्लिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च) बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (बी)(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गैर–संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क) निकाय–निगम (i) भारतीय (ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत (i) हर–एक अंशधारक द्वारा रू. 1 लाख तक रखे गए आंशिक शेयर पूंजी (ii) हर–एक अंशधारकों द्वारा रू.1 लाख से अधिक के रखे गए आंशिक शेयर पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (बी)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक अंशधारक (बी) = (बी) (1) +(बी)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में रखे गए शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुलयोग (ए + बी + सी)	—	94,00,000	94,00,000	100%	—	94,00,000	94,00,000	100%	शून्य

ii. प्रमोटरों की अंशधारिता

क्र सं	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	93,99,997	99.9999%	**शून्य**	93,99,997	99.9999%	**शून्य**	**शून्य**
2.	श्री अनिल कुमार झा, अध्यक्ष–सीआईएल	1	0.00033%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष–सीआईएल	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
4.	श्री गोपाल सिंह	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
5.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
	कुल	94,00,000	100%	शून्य	**94,00,000**	**100%**	शून्य	शून्य

iii. प्रमोटरों की शेयर धारण में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	वर्ष के प्रारंभ में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%

iv. शीर्षथ दस अंशधारकों के शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारक के अलावा)

क्र. सं.	शीर्षस्थ 10 अंशधारकों हेतु प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (दिनांक 01.04.2019 को)		वर्ष के अंत में शेयर धारण (दिनांक 31.03.2020 को)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**श्री अनिल कुमार झा अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	वर्ष के दौरान (31.01.2020 तक) श्री अनिल कुमार झा द्वारा रखे गए शेयर			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**श्री प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	01.02.2020 को स्थानांतरण किए गए शेयर			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%

V. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयर धारण

क्र सं	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (01.04.2019 को)		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण (2019–2020)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	**श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
2.	**श्री आर. पी. श्रीवास्तव, (19.02.2018 से निदेशक के रूप में नियुक्ति) निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.) सीआईएल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
3.	**श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	**श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**श्री वी. के श्रीवास्तव, निदेशक (तक.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री भोला सिंह, निदेशक (तक.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	**श्री रवि प्रकाश, (13.07.2017 से कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्ति), कम्पनी सचिव, सीसीएल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	–			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्राद्यभूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है।

विवरण	बकाया के अलावे सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	–	–	शून्य	–
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
(iii) प्रौद्यूत ब्याज कितु जो देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i)(ii)(iii)	–	–	शून्य	–

वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	–	–	शून्य	–
– कमी	–	–	शून्य	–
निबल परिवर्तन	–	–	शून्य	–
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	–	–	–	–
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	–	–	शून्य	–
(iii) प्रौदयूत ब्याज कितु जो देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i)(ii)(iii)	शून्य	–	शून्य	शून्य

VII. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालक निदेशक/प्रबंधक का नाम						कुल राशि (₹)
		श्री गोपाल सिंह, सीएमडी	श्री डी. के. घोष 30.04.2019 को सेवानिवृत्त (अपराह्न)	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का.) 31.12.2019 को पदभार छोड़ दिया	श्री एन. के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 18.07.2019 को पदभार ग्रहण किया	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक.) 15.05.2018 को पदभार ग्रहण किया	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक.) 15.01.2019 को पदभार ग्रहण किया	
1.	सकल वेतन	6157249.21	5104099.21	4690690.10	4191659.02	5742550.56	3312121.29	29198369.39
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	5411896.69	4854767.21	4135543.85	3638112.67	5117747.24	3050386.29	26208453.95
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	364397.52	0.00	305814.25	331197.35	270298.32	0.00	1271707.44
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृप्या स्पष्ट करें (ग्रेच्युटी)	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
	योग (क)	**6157249.21**	**5104099.21**	**4690690.10**	**4191659.02**	**5742550.56**	**3312121.29**	**29198369.39**

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि (₹)
1.	स्वतंत्र निदेशक :	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11. 2015–16.11.2019)	श्री सुभाउ कश्यप (नियुक्ति की तिथि 13.12.2018)	श्री हरबंस सिंह (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	श्री शिव अरोड़ा (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	श्री जाजुला गौरी (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	7,40,000.00	5,60,000.00	4,00,000.00	0.00	3,00,000.00	**20,00,000.00**
	कमीशन	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	कुल (1)	**7,40,000.00**	**5,60,000.00**	**4,00,000.00**	**0.00**	**3,00,000.00**	**20,00,000.00**
2.	**अप्रशासकीय निदेशक**	श्री रीना सिन्हा पुरी (नियुक्ति की तिथि 29.02.2018)		श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव (नियुक्ति की तिथि 19.02.2018)			
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य		शून्य			शून्य
	कमीशन	शून्य		शून्य			शून्य
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य		शून्य			शून्य
	कुल (2)	**शून्य**		**शून्य**			**शून्य**
	कुल (ख) : (1 + 2)						**20,00,000.00**

सी. ब्‍ प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				कुल राशि (₹)
		(गोपाल सिंह) सीईओ	श्री डी. के. घोष 30.04.2019 को सेवानिवृत्त (अपराह्न)	श्री एन. के.अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 18.07.2019 को पदभार ग्रहण किया	(रवि प्रकाश) सीएस	
1.	सकल वेतन	6157249.21	5104099.21	4191659.02	1881220.54	17334227.98
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	5411896.69	4854767.21	3638112.67	1761952.54	15666729.11
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	364397.52	0.00	331197.35	0.00	1002697.08
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	– अन्य स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृप्या स्पष्ट करें (ग्रेच्युटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**6157249.21**	**5104099.21**	**4191659.02**	**1881220.54**	**17334227.98**

VIII. जुर्माना/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाया गया संयुक्त शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील हो (विवरण दें)
(क) कम्पनी					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					
(ख) निदेशक					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					
(ग) अन्य दोषी अधिकारीगण					
जुर्माना	कुछ नहीं				
दंड					
समझौता					

परिशिष्ट– XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषयः धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, सुभाउ कश्यप, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 के क्लॉज 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागू प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ:

(क) मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ख) मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

(ग) मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी –

i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में–

   (अ) कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहा है; या

   (ब) किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. किसी ऐसे गैर–लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

(च) कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय
ह/–
(सुभाउ कश्यप)
निदेशक
डीआइएनः 03266416

दिनांकः 04–06–2020
स्थानः जगदलपुर, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट– XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषयः धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, हरबंस सिंह, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 के क्लॉज 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागू प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्वारा प्रमाणित करता हूँ:

(क) मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ख) मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

(ग) मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी –

i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में–

   (अ) कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहा है; या

   (ब) किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. किसी ऐसे गैर–लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

(च) कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय
ह/–
(हरबंस सिंह)
निदेशक
डीआइएनः 07557135

दिनांकः 06–06–2020
स्थानः फरीदाबाद

परिशिष्ट– XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषयः धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, शिव कुमार अरोड़ा, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 के क्लॉज 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागू प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्वारा प्रमाणित करता हूँ:

(क) मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ख) मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

(ग) मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी –

i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में–

   (अ) कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहा है; या

   (ब) किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. किसी ऐसे गैर–लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

(च) कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय
ह/–
(शिव कुमार अरोड़ा)
निदेशक
डीआइएनः 08525956

दिनांकः 03–06–2020
स्थानः रुद्रपुर

परिशिष्ट– XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषयः धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, जाजुला गौरी, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 के क्लॉज 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागू प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्वारा प्रमाणित करता हूँ:

(क) मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ख) मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

(ग) मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी –

i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में–

(अ) कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहा है; या

(ब) किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. किसी ऐसे गैर–लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

(च) कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय
ह/–
(जाजुला गौरी)
निदेशक
डीआइएनः 08543068

दिनांकः 13–05–2020
स्थानः हैदराबाद

अनुलग्नक – *XIV*

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

ए. उद्योग संरचना और विकास

कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत

कोयला,भारत के प्रमुख ईंधनों में से एक है। भारत के कुल ईंधन उत्पादन में कोयले का योगदान 70% है तथा यह भविष्य में भी ऊर्जा आवश्यकता का भी प्रमुख स्रोत बना रहेगा। अभी विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है जहां 3523.2 मिलियन टन (2018) का उत्पादन हुआ तथा दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है जहां 702.3 मिलियन टन(2018) कोयले का उत्पादन किया गया।

भारत का प्रचुरतम जीवाश्म ईंधन होने के कारण,कोयला, घरेलू ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है तथा भविष्य में भी ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने वाले वाले सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत का कार्य करता है । भारत की कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं में से 55% आपूर्ति कोयले से की जाती है।

दिनांक 01.04.2019 को सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत भूगर्भीय कोयला भंडार

(मिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	प्रदर्शित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8412.05	9296.13	1643.48	19351.66
नन कोकिंग	16324.96	6530.88	2839.07	25694.91
कुल	**24737.01**	**15827.01**	**4482.55**	**45046.57**

भारत में प्राक्कलित 326.49 मिलियन टन भूगर्भीय कोयले में से,दिनांक 01.04.2019 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत 45.04657 बिलियन टन कोयला है, जो भारत के सकल कोयला भंडार का 13.80% है।

कोयले की मांग

वर्ष 2020–21 में कोयले की मांग निम्न सारणी में प्रदर्शित है। इसमें वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रपति निदेश के तहत प्रारंभ होने वाले संभावित ऊर्जा संयंत्र भी सम्मिलित हैं।

खंडवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन)

प्रक्षेत्र	2020-21
स्टील (कोकिंग)	0.048
विद्युत (यु)	69.745
विद्युत (स्वपयोगी)	5.75
सीमेंट	0.132
डीआरआई स्टील	1.28
अन्य	1.49
सकल नॉन कोकिंग	78.397
कुल	**95.3868**

कोयला प्रेषण

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रक्षेत्रवार कोयले का प्रेषण 68.12 मिलियन टन रहा है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रक्षेत्र	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 वास्तविक	2020–21 लक्ष्य
विद्युत	39.692	43.010	45.55	49.589	52.378	53.134	67.000
स्टील(स्टील सीपीपी सहित)	3.478	2.793	2.639	2.027	1.600	1.961	1.732
फर्टिलाइजर	**0.234**	**0.239**	**0.221**	**0.148**	**0.087**	**0.143076**	**0.450**
अन्य*	**12.360**	**13.855**	**12.165**	**17.080**	**14.611**	**12.88**	**16.818**
कुल	**55.764**	**59.897**	**60.575**	68.844	**68.677**	**68.12**	**86.000**

*** अन्य के अंतर्गत ई–नीलामी,पूर्व गैर–केन्द्रीय उपभोक्ता, स्पंज आयरन तथा राज्य एजेंसियाँ सम्मिलित है।**

कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2019–20 के दौरान सीसीएल द्वारा वास्तविक कोयला उत्पादन, वर्ष 2020–21 के लिए ड्राफ्ट एएपी के अनुसार मौजूदा खदानों, पूर्ण परियोजनाएं, चालू परियोजनाओं एवं भावी परियोजनाओं से बजटीय उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

समूह	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 वास्तविक	2020–21 ड्राफ्ट एएपी
वर्तमान खदान	5.17	0.451	0.662	0.302	0.367	0.4789	45.08
पूर्ण परियोजनाएं	14.58	27.56	42.630	40.450	42.107	36.0946	40.37
चालू परियोजनाएं	35.90	33.32	23.755	22.653	26.247	30.315	0.55
आगामी परियोजनाऐं	-	-	-	-	-	-	-
योग	**55.65**	**61.331**	**67.047**	**63.405**	**68.72**	**66.889**	**86.00**

*** नोटः समूहवार उत्पादन स्थिति में बदलाव आ सकता है यदि कोई चालू परियोजना पूर्ण परियोजना में तथा भावी परियोजना चालू परियोजना में परिणत हो जाती है।**

उत्पादकताः

सीसीएल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति निम्नांकित है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 वास्तविक
यूजी	0.32	0.325	0.33	0.29	0.32	0.294	0.194	0.214	0.54
ओसी	5.79	6.093	6.26	7.56	8.91	9.808	9.372	9.740	10.06
समग्र	**4.19**	**4.421**	**4.64**	**5.46**	**6.51**	**7.235**	**7.195**	**8.093**	**8.49**

बी. ताकत एवं कमजोरियाँ, अवसर एवं खतरे

ताकत

1. **उच्च उत्पादन और वृहद उत्पादन संभावना** : वर्ष 2019–20 में सीसीएल द्वारा 66.889 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि कोल इंडिया के कुल कोयला उत्पादन का 11.11 प्रतिशत से अधिक है। सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 45.046 बिलियन टन का कोयला भंडार है जो कि भारत के कोयला भंडार का लगभग 13.80 प्रतिशत है। कोयला–भंडार में नॉन–कोकिंग कोल(विद्युत संयंत्र के उपयोग हेतु) तथा कोकिंग–कोल (स्टील संयंत्र में उपयोग हेतु) समाहित है। यह भंडार आगामी 200 वर्ष के लिए पर्याप्त है।

2. **प्रायः सभी कोल ब्लॉकों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता** : कोयला खदानों के विकास और उत्पादन के लिए हमें अच्छे रोड और रेल नेटवर्क की आवश्यकता है। सीसीएल के सभी कोयला क्षेत्रों में वृहद रेल और रोड नेटवर्क विद्यमान है। इस नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कोयला आसानी से प्रेषित किया जाता है।

3. **कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता** : सीसीएल 40 वर्षों से अधिक समय से कोयला खनन व्यवसाय में है। दिनांक 31.03.2020 को कुल 38168 श्रमशक्ति है जो कि अपने कार्य में दक्ष है।

4. **कर्मचारियों का निम्न अपक्षय दर** : सीसीएल के कर्मचारियों को उत्कृष्ट वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि कोयला उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। फलस्वरुप कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम अपदय हुआ है। अधिकारियों के लिए हाल में ही प्रदर्शन आधारित भुगतान लागू किया गया है जिससे कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है।

5. **उच्च वितीय स्वायत्तता युक्त मिनी रत्न कैटेगरी– 1 कम्पनी** : सीसीएल के कार्य निष्पादन के आधार पर सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा कम्पनी को मिनी रत्न कैटेगरी– 1 का दर्जा किया गया। इसका आशय है कि कम्पनी बिना सरकार के पास गये 500 करोड़ की परियोजना को अनुमोदित कर सकती है तथा यह संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी/विदेशों में कार्यालय की स्थापना कर सकती है।

कमजोरी

1. **अप्रचलित प्रौद्योगिकी युक्त पुरानी खदानें** : सीसीएल की अधिकांश खदानें पुरानी है जहाँ नवीनतम उपकरण उपलब्ध नहीं है। विगत कुछ वर्षों में कम्पनी द्वारा कुछ नई खदानें शुरू की गईं है। मात्र कुछ खदानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

2. **श्रमिक संघवाद** : खदान में श्रमिक संघवाद की भरमार है। हर खदान में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की संख्या 6 से अधिक है।

3. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यून** : खदान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम है। इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता उत्पन्न होती है।

4. **खराब कार्य संस्कृति** : 8 घंटे कार्यावधि में कर्मचारी औसतन 4 घंटे कार्य करता है।

अवसर

1. **कोयले की वृहत एवं अस्थिर मांग** : मांग और आपूर्ति के बीच 20 मिलियन टन का अंतर है बढ़ने की संभावना है।

2. **उत्पादन प्रक्रिया की आउट सोर्सिंग** : उपलब्ध परियोजना क्षमता के बाहर की परियोजनाओं हेतु सीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग की जा सकती है। मार्जिनल जमा के संदर्भ में, जहाँ विभागीय उपकरण की प्रतिनियुक्ति खर्चीली है (इस प्रकार के कई कोयला–भंडार मौजूद हैं), वैसे मामले में भी कम्पनी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपनाती है। अब श्रमिक संघों द्वारा आउटसोर्सिंग को समर्थन मिल रहा है।

3. **उत्पाद का परिष्करण, साइजिंग या तरल व गैस में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन का अवसर** : धुले हुए कोकिंग कोयले का मूल्य उत्खनित कोकिंग कोयले का दोगुना होता है। मूल्य भिन्नता के इस लाभ हेतु वाशरियों को स्थापित किया जा सकता है।

खतरे

1. **कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त करने हेतु भारत में कोयले मे कैप्टीव माईन की अनुमति मिली है** : सीसीएल को उन निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है।

2. **मुक्त बाजार में अपना उत्पाद बेचने हेतु निजी कोयला खनन कम्पनियों की अनुमति देते की मांगः** निजी कंपनियां सीसीएल की लागत का 60 प्रतिशत पर कोयला उत्पादन करतीं हैं। यदि मुक्त बाजार में कोयला बेचने की अनुमति दी जाती है तो हमें मूल्यवान उपभोक्ताओं को खोना पड़ेगा।

3. **निजी कंपनियों के आ जाने से कम्पनी के उच्च कुशल कर्मचारियेां को अच्छे वेतन, पर्क्स और अन्य सुविधा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है** : चूंकि यह पीएसयू कम्पनी है अतः यह मार्केट की मांग के अनुसार कर्मचारियों का वेतन, पर्क्स आदि आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके लिए लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

4. **कोयला खनन क्षेत्र में विधि व्यवस्था की समस्या :** कोयला खनन क्षेत्र मे विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। बारंबार बन्दी होती है तथा अतिवादी समूहों द्वारा खनन कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है एवं रोका जाता है। खराब कानून व्यवस्था के कारण खदानें औसतन 30 दिन बंद रहती है।

5. **वन भूमि मुक्त करने में असाधारण विलम्ब :** वन भूमि प्रस्ताव की प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब होता है। स्टेज–1 क्लियरेन्स हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन भूमि प्रस्ताव की संस्तुति भेजने में राज्य सरकार काफी समय लेता है। पर्यावरण एंव वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण में काफी विलम्ब होता है। वन भूमि को मुक्त करने के लिए लगभग 4–6 वर्ष लग जाते हैं।

6. **अधिग्रहित भूमि का कब्जा :** अधिग्रहित भूमि को अधिकार में लेने में काफी कठिनाई होती है। सरकार द्वारा मुक्त हो गई वन भूमि पर कब्जा रहता है जिसे मुक्त कराना आसान नहीं होता।

7. **परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास :** नई परियोजनाओं के विकास में परियेाजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समस्या एक बड़ी बाधा हो गई है क्योंकि परियेाजना प्रभावित लोगों की मांग सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के मानदंड अधिक होती है।

सी. कार्य निष्पादन

वर्ष 2017–18 के वास्तविक आंकडे की तुलना मे वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियाँ है:

विवरण	2019-20		2018-19	विगत वर्ष पर वृद्धि प्रतिशत
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.ट.)	76.363	66.186	68.407	-3.247
भूमिगत खदान से (मि.ट.)	0.637	0.703	0.315	123.363
कुल (मि.ट.)	77.000	66.889	68.722	-2.667
ओबीआर (क्यू.मी.)	108.000	103.356	100.490	2.852
धुली कोयला (कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन	1.406	0.761	0.805	-5.466
प्रेषण (मि.ट.)	-	0.764	0.807	-5.328
धुली कोयला (नन–कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन (मि.ट.)	7.242	6.480	6.631	-2.274
प्रेषण (मि.ट.)	-	6.503	6.637	-2.018
उत्पादकताय ओएमएस– टीई				
खुली खदान	10.19	10.06	9.74	
भूमिगतखदान	0.42	0.54	0.21	
समग्र	8.56	8.49	8.09	

वर्ष 2019–20 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 67.332 मि. टन है। पिछले वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2019-20	2018-19	विगत वर्ष पर वृद्धि
रेल	35.648	30.544	16.71%
रोड	22.913	28.709	-20.19%
वाशरी फीड	8.77	9.193	-4.60%
कोलयरी खपत	0.000258	0.0003	-14.00%
कुल निकासी	**67.332**	**68.446**	**-1.63%**

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीसीएल ने रेल मोड के माध्यम से कोयले की बिक्री में 16.71% की वृद्धि दर्ज की है। सीसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल बढ़त में –1.63% की वृद्धि हासिल की।

विभिन्न वॉशरियों में कम कच्चे कोयले की फीड खपत के कारण (कोकिंग + नॉन कोकिंग)

(सभी आंकड़े लाख टन में)

वाशरी	2018-19		2019-20		कारण
कोकिंग	**आरसीआर**	**आरसीसी**	**आरसीआर**	**आरसीसी**	
कथारा 1969 (3.0 मि. टन वर्ष में)	5.58	3.33	2.05	3.93	वाशरी 1969 में प्रारंभ की गई थी और यह वाशरी 51 वर्ष पुरानी है। वित्त वर्ष 2019–20 में बद्ध खदान द्वारा कच्चे कोयले की कम आपूर्ति।
स्वांग 1970 (0.75 मि. टन वर्ष में)	2.74	3.77	2.54	2.32	वाशरी 1970 में प्रारंभ की गई थी और वाशरी 50 साल पुरानी है। सुरक्षा मुद्दों के कारण वाशरी का संचालन 05–09–2019 से बंद किया गया है।
रजरप्पा 1987 (3.0 मि. टन वर्ष में)	13.27	8.52	14.01	10.32	**वाशरी 1987 में प्रारंभ की गई थी और वाशरी 33 साल पुरानी है।**
केदला 1997 (2.6 मि. टन वर्ष में)	8.55	8.62	5.93	5.92	वाशरी को 1997 में प्रारंभ किया गया था और वाशरी 23 साल की है। वित्त वर्ष 2019–20 में बद्ध हुए खदान से कच्चे कोयले की कम आपूर्ति।
कुल	**30.13**	**24.24**	**24.53**	**22.49**	**कुल खपत कम है क्योंकि सभी वाशरियों ने अपना तकनीकी जीवन समाप्त /पार कर लिया है (यानी 18 वर्ष) और वाशरियों की औसत आयु लगभग 40 वर्ष है। हालाँकि वाशरियों के प्रदर्शन में समग्र सुधार के लिए, सीसीएल ने वित्त वर्ष 2020–21 में रजरप्पा, केदला और कथारा वाशरी के नवीनीकरण करने की योजना बनाई है।**
नन कोकिंग	**आरसीआर**	**आरसीसी**	**आरसीआर**	**आरसीसी**	
पिपरवार 1997 (6.5 मि. टन वर्ष में)	64.73	64.69	64.46	64.51	वाशरी को 1997 में चालू की गई थी और वाशरी 23 साल की है। वित्त वर्ष 2019–20 में कच्चे कोयले की कम आपूर्ति की गयी।
गिद्दी 1970 (2.5 मि. टन वर्ष में)	1.66	1.73	0.71	0.68	वाशरी बहुत पुरानी है और 1970 में चालू की गई थी। किसी भी वाशरी का तकनीकी जीवन अवधि 18 साल की होती है। लेकिन यह वाशरी 50 साल पुरानी है। 6 सितंबर 2019 से सुरक्षा कारणों से वाशरी का संचालन बंद कर दिया गया है।
करगली 1958 (2.72 मि. टन वर्ष में)	1.27	1.27	0	0	वाशरी सीसीएल में सबसे पुरानी है और 1958 में चालू की गई। किसी भी वाशरी का तकनीकी जीवन अवधि 18 साल की होती है। लेकिन यह वाशरी 62 साल पुरानी है। समय–समय पर मरम्मत के बाद वाशरी 2018–19 तक चल रही थी। आसपास के इलाकों में कच्चे कोयले के ग्रेड में बदलाव के कारण नॉन कोकिंग से कोकिंग लेकर और सुरक्षा के मुद्दों के चलते वाशरी वर्ष 2019–20 में बन्द कर दी गई है।
कुल	**67.66**	**67.69**	**65.17**	**65.19**	

डी. दृष्टिकोण

2020–21 में कोल इंडिया 710 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 86 मीट्रिक टन कोयले का योगदान देगा। आपकी कंपनी की प्रमुख परियोजनाएं जैसे मगध ईपीआर ओसीपी (51मि. ट. प्रति वर्ष), आम्रपाली ईपीआर ओसीपी (25 मि. ट. प्रति वर्ष), कारो ईपीआर ओसीपी (11 मि. ट. प्रति वर्ष), कोनार ईपीआर ओसीपी (8 मि. ट. प्रति वर्ष), अशोक इपीआर ओसीपी (20 मि. ट. प्रति वर्ष) कोटरे वसंतपुर पचमो ओसीपी (5 मि.ट. प्रति वर्ष), संघमित्रा ओसीपी (20 मि.ट. प्रति वर्ष), चंद्रगुप्त ओसीपी (15 मि.ट. प्रति वर्ष) से भी निकट भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

एफ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी द्वारा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की गईं हैं जिसमें विभिन्न स्तरों पर लेनदेन के अनुमोदन एवं समुचित अनुमति को सुनिश्चित करने हेतु सुस्पष्ट शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्धारित किया गया है। क्रय एवं संविदा देने के प्रयोजन से विभिन्न कार्य पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की नीति को परिभाषित करती हुई क्रय नियमावली, संविदा प्रबंधन नियमावली, सिविल आभियांत्रिकी नियमावली

अंगीकृत की गयी है। समस्त कार्यालयोंक्षेत्रों/परिचालित इकाइयों का आंतरिक अंकेक्षण बाह्य चार्टर्ड/लागत अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है तथा अंकेक्षण समिति द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जाता है। आगे, कंपनी के खातों की जांच भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक(कैग) द्वारा औचित्य लेखा परीक्षण के साथ–साथ उनके अंकेक्षण के अधीन है।

जी. संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

एच. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास, जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

आई. पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

जे.. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

के. गोइंग कंसर्न

वित्तीय वक्तव्यों की निर्माण में गोइंग कंसर्न का पूर्वानुमान बुनियादी सिद्धांत है। गोइंग कंसर्न पूर्वानुमान के अंतर्गत, एक इकाई को समान्यतः प्रत्याशित भविष्य मे व्यवसाय में बने रहने की क्षमता को देखा जाता है, जिसमे न तो तरलीकरण की इच्छा या आवश्यकता, व्यापार बंद करना या विधि या परिनियमों के अनुसार लेनदारों से सुरक्षा की मांग करना है।

जब एक इकाई का लाभप्रद परिचालन इतिहास तथा समुचित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होती है, तो किसी विस्तृत विश्लेषण के बिना लेखा के गोइंग कंसर्न आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है।

सीसीएल ने 2023–24 तक के अपने उत्पादन लक्ष्य को निम्नानुसार अनुमानित किया है :

वित्तीय वर्ष	अनुमानित उत्पादन (एमटी में)
2020-21	86
2021-22	102
2022-23	117
2023-24	145

उपर्युक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने कोयले की अनुमानित मात्रा के उत्पादन और उसके प्रेषण के लिए अवसंरचना निवेश योजना भी तैयार की है।

प्रबंधन ने प्रदर्शन को प्रभावित करने पर प्रत्याशित प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कई परिदृश्यों का आकलन किया है। गोइंग कंसर्न मूल्यांकन के एक अंश के रूप में, प्रबंधन ने समसामयिक घटनाओं एवं परिस्थितियों सहित कोविड 19 महामारी के प्रभाव का आकलन किया है तथा उन महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों पर ध्यान दिया है जो कि ऐतिहासिक परिपाटी में संभावित बदलाव या असंगत हैं या संवेदनशील हैं। कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में परिचालित रहने की क्षमता पर विषयक निर्णय यथोचित पूर्वानुमानों तथा कंपनी की आंतरिक एवं बाह्य संदर्भों को बदलते परिदृश्य अनुसार प्रबंधन द्वारा विकसित तार्किक धारणा पर आधारित है।

ऐतिहासिक वित्तीय परिणामों और वर्तमान आर्थिक और बाजार की परिस्थितियों और संकेतकों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि सीसीएल का परिचालन भविष्य में लाभदायक बना रहेगा तथा संगठन के गोइंग कंसर्न पर कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है।

एल. सचेतक विवरण

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकीय प्रतिवेदन में नियत कंपनी का उद्देश्य, प्रक्षेपण एवं प्राक्कलन, प्रत्याशा और भविष्यकथन आदि विवरण ''लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अग्रिम एवं प्रगतिशील विवरणी हैं। यहाँ प्रदत्त अग्रिम विवरणी जोखिम और अनिश्चितता के अध्याधीन है जिसके कारण वास्तविक भौतिक परिणाम अग्रिम विवरणी में प्रदत्त विवरण से भिन्न हो सकते है। यहाँ व्यक्त या निहित परिणाम आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करते हैं तथा वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।''

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को परिसंपत्ति एवं देयता का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2019 को (अंकेक्षित)
ए	**इक्विटी एवं देयता**		
1.	**शेयरधारक का निधि**		
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(बी) अन्य इक्विटी	5,451.53	4,202.72
	(सी) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप–कुल शेयरधारक का निधि	**6,391.53**	**5,142.72**
2	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**	**—**	**—**
3	**गैर नियंत्रण ब्याज**	**—**	**—**
4	**गैर चालू देयता**		
	(ए) वित्तीय देयता	81.21	70.61
	(बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(सी) अन्य गैर–चालू देयता	578.07	540.84
	(डी) प्रावधान	4,116.22	3,411.37
	उप–कुल गैर–चालू देयता	**4,775.50**	**4,022.82**
5	**चालू देयताएं**		
	(ए) वित्तीय देयता	1,843.99	1,762.93
	(बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	56.15
	(सी) अन्य गैर–चालू देयता	2,577.22	3,724.27
	(डी) प्रावधान	942.30	1,007.77
	उप–कुल चालू देयता	**5,363.51**	**6,551.12**
	कुल–इक्विटी एवं देयता	**16,530.54**	**15,716.66**
बी	**परिसंपत्तियां**		
1	गैर चालू परिसंपत्ति		
	(ए) स्थाई परिसंपत्ति	5,859.68	5,262.44
	(बी) समेकन सदभाव	—	—
	(सी) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	843.44	1,039.09
	(डी) वित्तीय परिसंपत्ति	1,819.70	1,500.39
	(ई) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	620.07	1,123.94
	उप–कुल चालू परिसंपत्ति	**9,142.89**	**8,925.86**
2	**चालू परिसंपत्तियां**		
	(ए) वित्तीय परिसंपत्ति	3,692.82	2,862.13
	(बी) भंडार सूची	1,233.36	1,353.66
	(सी) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,399.05	2,575.01
	(डी) अन्य कर परिसंपत्ति (निबल)	62.42	—
	उप–कुल चालू परिसंपत्ति	**7,387.65**	**6,790.80**
	कुल–परिसंपत्ति	**16,530.54**	**15,716.66**

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	4,125.15	4,227.05	5,085.41	16,768.33	16,343.92
	घटाव – अन्य लेवी	1,337.39	1,286.80	1,505.96	5,125.69	5,069.93
	(क) निबल विक्रय/संचालन से आय (एक्साइस कर एवं अन्य लेवी का निबल)	2,787.76	2,940.25	3,579.45	11,642.64	11,273.99
	(ख) अन्य संचालित आय	246.16	230.97	270.65	938.08	905.91
	संचालन से कुल आय(निबल) (क+ख)	**3,033.92**	**3,171.22**	**3,850.10**	**12,580.72**	**12,179.90**
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	234.20	188.89	224.39	762.94	796.28
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(430.62)	66.05	(480.21)	126.37	(23.44)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,357.60	1,346.10	1,450.38	5,260.30	5,128.86
	(घ) मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	231.70	88.46	93.75	490.39	344.28
	(ड.) बिजली और ईंधन व्यय	59.22	59.07	61.60	226.86	231.02
	(च) सीएसआर व्यय	42.59	3.96	11.37	52.89	41.14
	(छ) मरम्मत	170.26	63.04	197.89	347.09	374.57
	(ज) ठेका व्यय	556.76	407.55	419.49	1,604.04	1,322.13
	(झ) अन्य व्यय	333.52	240.93	354.79	1,091.02	1,069.09
	(ञ) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	5.34	1.89	38.39	35.52	93.95
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	359.57	(32.13)	288.93	180.41	347.60
	कुल व्यय (क से ट तक)	**2,920.14**	**2,433.81**	**2,660.77**	**10,177.83**	**9,725.48**
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1–2)**	**113.78**	**737.41**	**1,189.33**	**2,402.89**	**2,454.42**
4	अन्य आय	408.05	66.75	130.04	605.45	313.03
5	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (3+4)**	**521.83**	**804.16**	**1,319.37**	**3,008.34**	**2,767.45**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
6	वित्तीय व्यय	18.92	18.88	18.56	75.62	75.25
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5–6)**	**502.91**	**785.28**	**1,300.81**	**2,932.72**	**2,692.20**
8	असाधारण मद	–	–	–	–	–
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7–8)**	**502.91**	**785.28**	**1,300.81**	**2,932.72**	**2,692.20**
10	कर व्यय	105.88	191.22	258.18	1,084.97	987.73
11	**वर्ष में निबल लाभ/हानि (9–10) [ए]**	**397.02**	**594.06**	**1,042.63**	**1,847.75**	**1,704.47**
12	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]	–	–	–	–	–
13	**सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निबल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व(11+12)**	**397.02**	**594.06**	**1,042.63**	**1,847.75**	**1,704.47**
14	**सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा**	–	–	–	–	–
15	अल्पसंख्यक हित	–	–	–	–	–
16	वर्ष के लिए निबल लाभ/(हानि) (13+14+15)	**397.02**	**594.06**	**1,042.63**	**1,847.75**	**1,704.47**
17	**अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]**	**(73.68)**	**(52.04)**	**(12.16)**	**(244.24)**	**(19.69)**
18	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए + बी]**	**323.35**	**542.02**	**1,030.47**	**1,603.51**	**1,684.78**
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरों का अंकित मूल्य ₹ 1000/– प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	**प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 1000/–) (वार्षिक नहीं किया गया)**					
	(क) बेसिक	**422.36**	**631.98**	**1,109.18**	**1,965.69**	**1,813.27**
	(ख) डायलुटेड	**422.36**	**631.98**	**1,109.18**	**1,965.69**	**1,813.27**

ह./–.
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

ह./–
(जे. पी. विश्वकर्मा)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(एन. के. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डी. आई. एन.– 0008525175

ह./–
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएनः U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

31 मार्च, 2020 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,670.11	2,421.09
(ख) कार्यशील पूंजी	4	736.75	1,640.62
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	5	448.45	405.43
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	4.37	5.74
(ङ.) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		—	—
(च) निवेश संपत्ति		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्तिया			
निवेश	7	32.00	32.00
(ii) ऋण	8	0.55	0.66
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1787.15	1,467.73
(ज) आस्थगित कर संपत्ति (निबल)		843.44	1,039.09
(झ) अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया	10	620.07	1,123.94
कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)		**91,42.89**	**8,925.86**
चालू परिसंपत्ति			
(ए) भंडार पूंजी	12	1,233.36	1,353.66
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	0.48	52.56
(ii) व्यापार प्राप्य	13	2,492.11	1,095.13
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	112.94	244.55
(iv) अन्य बैंक शेष	15	490.85	841.51
(v) ऋण	8	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	591.44	628.38
(सी) चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)		62.42	—
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	2,399.05	2,575.01
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)		**7,387.65**	**6,790.80**
कुल परिसंपत्तियां (ए+बी)		**16,530.54**	**15,716.66**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

31 मार्च, 2020 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
इक्विटी और देयताए			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	5,451.53	4,202.72
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोग्य इक्विटी		6,391.53	5,142.72
गैर–अनियंत्रित ब्याज		—	—
कुल इक्विटी (ए)		**6,391.53**	**5,142.72**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) व्यापार देयताएं	19	—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	81.21	70.61
(बी) प्रावधान	21	4,116.22	3,411.37
(सी) अन्य गैर–चालू देयताएं	22	578.07	540.84
कुल गैर–चालू देयताएं (बी)		**4,775.50**	**4,022.82**
चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i)उधारी	18	—	—
(ii) व्यापार देयताएं	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		0.46	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,404.32	1,260.18
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	439.21	502.75
(बी) अन्य गैर–चालू देयताएं	23	2,577.22	3,724.27
(सी) प्रावधान	21	942.30	1,007.77
(डी) चालू कर देयताएं (निबल)		—	56.15
कुल गैर–चालू देयताएं (सी)		**5,363.51**	**6,551.12**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए +बी +सी)		**16,530.54**	**15,716.66**
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां	38		

उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

लाभ एवं हानि का तुलन विवरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	24		
ए बिक्री (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		11,642.64	11,273.99
बी अन्य संचालन से राजस्व (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		938.08	905.91
(I) संचालन से राजस्व (ए+बी)		**12,580.72**	**12,179.90**
(II) अन्य आय	25	605.45	313.03
(III) कुल आय (I+II)		**13,186.17**	**12,492.93**
(IV) व्यय			
उपयोग किये गए सामग्री की लागत	26	762.94	796.28
तैयार माल के भंडार/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में	27	126.37	(23.44)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,260.30	5,128.86
बिजली का खर्च		226.86	231.02
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	52.89	41.14
मरम्मती	30	347.09	374.57
संविदात्मक व्यय	31	1,604.04	1,322.13
वित्तीय लागत	32	75.62	75.25
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		490.39	344.28
प्रावधान	33	7.62	93.95
बट्टे खाते डालना	34	27.90	—
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		180.41	347.60
अन्य व्यय	35	1,091.02	1,069.09
कुल व्यय (IV)		10,253.45	**9,800.73**
(V) **असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ** (III-IV)		**2,932.72**	**2,692.20**
(VI) असाधारण मद		—	—
(VII) **कर से पहले लाभ** (V-VI)		**2,932.72**	**2,692.20**
(VIII) कर व्यय	36	1,084.97	987.73
(IX) **वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ** (VII-VIII)		**1,847.75**	**1,704.47**
(X) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(XI) स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(XII) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)		—	—
(XIII) संयुक्त उद्यम /सम्बद्ध के लाभ/(हानि)में हिस्सा			
(XIV) **वर्ष में लाभ** (IX+XII+XIII)		***1,847.75***	**1,704.47**
अन्य विस्तृत आय	37		
ए (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(326.38)	(30.27)
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(82.14)	(10.58)
बी (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वगीकृत होंगे		—	—
(XV) कुल अन्य विस्तृत आय		**(244.24)**	**(19.69)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

लाभ एवं हानि का तुलन विवरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभकारी लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)		**1,603.51**	**1,684.78**
आरोपित लाभ :			
कंपनी के स्वामी को		1,847.75	1,704.47
गैर –नियंत्रित ब्याज को		—	—
		1,847.75	**1,704.47**
अन्य आरोपित विस्तृत आय :			
कंपनी के स्वामी को		(244.24)	(19.69)
गैर –नियंत्रित ब्याज को		—	—
		(244.24)	**(19.69)**
कुल आरोपित विस्तृत आय :			
कंपनी के स्वामी को		1,603.51	1,684.78
गैर –नियंत्रित ब्याज को		—	—
(XVII) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		1,965.69	1,813.27
(2) डायलूटेड		1,965.69	1,813.27
(XVIII) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		—	—
(2) डायलूटेड		—	—
(XIX) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		1,965.69	1,813.27
(2) डायलूटेड		1,965.69	1,813.27
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिपण्णी	38		

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		2,606.34	2,661.93
समायोजन के लिए :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		490.39	341.63
ब्याज और लाभांश आय		(146.59)	(120.21)
वित्तीय लागत		75.62	75.25
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि		3.05	9.92
अन्य प्रावधान		35.52	93.95
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(331.81)	(71.79)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		180.41	347.60
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**2,912.93**	**3,338.28**
समायोजन के लिए :			
व्यापार प्राप्य (कुल प्रावधान)		(1,396.98)	25.87
भंडार सूची		120.30	(4.43)
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		530.69	57.79
वित्तीय एवं अन्य देयताएं		(533.97)	(832.80)
संचालन गतिविधियों से उत्पन्न		**1,632.97**	**2,584.71**
नकदी आयकर/वापसी से उत्पन्न		(847.30)	(1,049.71)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह	**(ए)**	**785.67**	**1,535.00**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(1,031.29)	(1,289.45)
बैंक जमा पर में प्राप्ति/(निवेश)		350.66	352.72
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		52.08	(52.56)
सहायक कंपनी में निवेश		—	—
निवेश से ब्याज		—	—
ब्याज एवं लाभांश आय		146.59	120.21
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	**(बी)**	**(481.96)**	**(869.08)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
वापसी / उधार में वृद्धि		—	(150.00)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(75.62)	(75.25)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(294.22)	(297.04)
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		(60.48)	(61.06)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी	(सी)	**(430.32)**	**(583.35)**
नकद एवं बैंक शेष में निबल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी)		**(126.61)**	**82.57**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**244.55**	**161.98**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**117.94**	**244.55**

(कोष्ठ में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण – स्टैंडअलोन

(₹ करोड़ में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2018 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2019 पर शेष	01.04.2019 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 पर शेष
₹1000/ – प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर (₹1000 /– प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर)	940.00	–	940.00	940.00	–	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	ओ सी आइ	कुल
01.04.2018 पर शेष	2,068.48	653.43	154.13	2,876.04
लेखांकन नीति में परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटियां	–	–	–	–
01.04.2018 पर पुनर्लिखित शेष	**2,068.48**	**653.43**	**154.13**	**2,876.04**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के लिए लाभ	–	1,704.47	(19.69)	1,684.78
विनियोग				
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	85.22	(85.22)	–	–
अन्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(297.04)	–	(297.04)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–
पूर्व–क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निबल)	–	–	–	–
31.03.2019 पर शेष	**2,153.70**	**1,914.58**	**134.44**	**4,202.72**
01.04.2019 पर शेष	2,153.70	1,914.58	134.44	4,202.72
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–
वर्ष के लिए लाभ	–	1,847.75	(244.24)	1,603.51
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
विनियोग				
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	92.39	(92.39)	–	–
अन्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(294.22)	–	(294.22)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(60.48)	–	(60.48)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	
पूर्व–क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (कर का निबल)	–	–	–	–
31.03.2020 पर शेष	**2,246.09**	**3,315.24**	**(109.80)**	**5,451.53**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट–भट्टा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- ➢ कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें);
- ➢ परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- ➢ लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ ₹ में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य–सम्पादन एवं घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण स्टैण्डअलॉन तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन–देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा–नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन–देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को मौजूद समझा जाता है जबः

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जबः

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंध एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व मान्यता के ऊपर बाध्य है, और यह ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच–चरण मॉडल की स्थापना करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल ' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार संस्थाओं को सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करने में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

एक अनुबंध प्राप्त करने और एक अनुबंध को पूरा करने के लिए सीधे संबंधित लागत पर मानक वृद्धिशील लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

2.4.1 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता हैः

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैंः

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती हैः

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती हैः

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित हैः अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए) तथा

ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण हों :

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती है :

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग–अलग होने के कारण बढ़ता है

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड–अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2 : प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है :

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3 : लेन–देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन–देन कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध शर्तों और प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन–देन की कीमत

उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

– चर प्रतिफल
– चर प्रतिफल के विवश अनुमान
– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व
– गैर–नकद प्रतिफल
– ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर–घटना पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा। अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन–देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन–देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन–देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4 : लेन–देन मूल्य का आवंटन

लेन–देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग–अलग सामान या सेवा) को लेन–देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन–देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग–अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन–देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5 : राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है।

क) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती हैः

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता हैः

ग) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान

को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैः

(ए) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार हैः

(बी) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक हैः

(सी) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया हैः

(डी) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैंः

(इ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएं

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्तों पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है

(ब) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगा

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी भी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पतियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे – संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे – एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, जो पट्टे में पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है, उस स्वरुप में वित्त आय को पट्टा अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुलग्नि विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समुह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- ➢ उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ➢ खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- ➢ संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- ➢ वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- ➢ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

''मरम्मत एवं रख–रखाव'' के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ–हानि को लाभ–हानि की श्रेणी में रखा जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित): परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है

भवनें	: 3 – 60 वर्ष
सड़कें	: 3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	: 3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	: 5 – 15 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निकाले गए परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

''अन्य भूमि'' के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) ;सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013य सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या

परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख–रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण
- भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत ''विकास'' में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और ''विकास'' मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है : जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है

जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में ''अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे'' नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसंपत्तियां को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे ''बेमेल लेखा'' कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या ''पास–थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियां या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेन–देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी ''सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य : तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेन–देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग–अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहां संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेन–देन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तियां इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और अस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण में शीध्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा %
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते

हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएं (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः

(i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है

(ii) लेन–देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को

(iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,

(iv) विवेकपूर्ण है, तथा

(v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ;

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं ; तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

01.04.2019 से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निबल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्दान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के अंकित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके अंकित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, अंकित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- ➢ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- ➢ छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई	जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह	एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से अंकित मूल्य	आइ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से अंकित मूल्य	जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	के.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक			

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट– 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन /रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	पट्टों का उपयोग का अधिकार	योग
अग्रेणित राशि :																
1 अप्रैल, 2018 को	17.49	734.88	475.60	250.38	1,657.98	1.86	34.73	–	11.74	43.22	12.29	–	211.02	80.51	–	3,531.70
जोड़	–	26.57	–	46.24	144.78	1.75	234.05	–	3.34	13.68	0.12	–	55.86	6.70	–	533.09
विलोपन/समायोजन	–	–	(2.97)	(0.87)	(24.37)	–	(43.54)	–	–	(7.26)	(0.01)	–	(3.43)	(21.99)	–	(104.44)
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**761.45**	**472.63**	**295.75**	**1,778.39**	**3.61**	**225.24**	**–**	**15.08**	**49.64**	**12.40**	**–**	**263.45**	**65.22**	**–**	**3,960.35**
1 अप्रैल, 2019 को	17.49	761.45	472.63	295.75	1,778.39	3.61	225.24	–	15.08	49.64	12.40	–	263.45	65.22	–	3,960.35
जोड़	–	79.91	–	13.93	114.26	0.85	157.59	2,268.03	1.55	16.87	0.06	–	44.48	9.86	–	2,707.39
विलोपन/समायोजन	–	(27.19)	–	0.37	(89.18)	–	(0.74)	–	(0.01)	(3.14)	(0.01)	–	(0.37)	(6.02)	27.19	(99.10)
31 मार्च, 2020 को	**17.49**	**814.17**	**472.63**	**310.05**	**1,803.47**	**4.46**	**382.09**	**2,268.03**	**16.62**	**63.37**	**12.45**	**–**	**307.56**	**69.06**	**27.19**	**6,568.64**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि																
1 अप्रैल, 2018 को	–	125.39	131.20	27.99	673.70	0.51	10.80	–	5.67	20.05	4.02	–	66.57	44.71	–	1,110.61
वर्ष के लिए शुल्क	–	56.73	34.76	13.93	202.02	0.36	9.55	–	1.76	8.10	1.38	–	29.08	–	–	357.67
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.75	(19.75)	–	(14.00)
विलोपन/समायोजन	–	0.78	2.47	0.82	(8.68)	0.11	11.56	–	(1.09)	(4.21)	–	–	8.53	(0.31)	–	9.98
31 मार्च, 2019 को	**–**	**182.90**	**168.43**	**42.74**	**867.04**	**0.98**	**31.91**	**–**	**6.34**	**23.94**	**5.40**	**–**	**109.93**	**24.65**	**–**	**1,464.26**
1 अप्रैल, 2019 को	–	182.90	168.43	42.74	867.04	0.98	31.91	–	6.34	23.94	5.40	–	109.93	24.65	–	1,464.26
वर्ष के लिए शुल्क	–	57.65	34.76	13.04	167.02	0.42	30.76	113.40	1.24	8.93	1.42	–	26.22	–	–	454.86
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.40	12.75	–	34.15
विलोपन/समायोजन	–	(1.56)	–	0.33	(58.54)	(0.03)	–	–	(0.46)	(2.45)	–	–	4.86	–	3.11	(54.74)
31 मार्च, 2020 को	**–**	**238.99**	**203.19**	**56.11**	**975.52**	**1.37**	**62.67**	**113.40**	**7.12**	**30.42**	**6.82**	**–**	**162.41**	**37.40**	3.11	**1,898.53**
निबल अग्रणीत राशि																
31 मार्च, 2020 को	**17.49**	**575.18**	**269.44**	**253.94**	**827.95**	**3.09**	**319.42**	**2,154.63**	**9.50**	**32.95**	**5.63**	**–**	**145.15**	**31.66**	**24.08**	**4,670.11**
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**578.55**	**304.20**	**253.01**	**911.35**	**2.63**	**193.33**	**–**	**8.74**	**25.70**	**7.00**	**–**	**153.52**	**40.57**	**–**	**2,496.09**

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।.

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन/रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	–	20.77	50.16	32.79	–	759.19	71.73	–	6,115.62
संचित मूल्यह्रास एवं हानि																
1 अप्रैल, 2015 को	–	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	–	15.18	36.96	26.36	–	652.32	–	–	3,877.88
निबल अग्रेणित राशि	**16.87**	**258.13**	**479.75**	**167.09**	**1,095.56**	**1.66**	**14.86**	**–**	**5.59**	**13.20**	**6.43**	**–**	**106.87**	**71.73**	**–**	**2,237.74**

2. अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं।
3. अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लिखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ वैल्यू का अन्य कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
4. ₹ 12.75 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 19.7 करोड़ प्रत्याहत चार्ज किया गया) परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि दिया गया है।
5. लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को, पिछले साल व्यवसाय करने और कंपनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य ₹ 88.09 करोड़ और ₹ 2.50 करोड़ की निकासी करने का अधिकार दिया है।
6. 454.86 करोड़ रुपये के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से सम्बन्धित ₹ 26.22 करोड़ रुपये का परिशोधन शामिल है।
7. तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संयंत्र और उपकरण के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान मूल्यह्रास में ₹ 29.32 करोड़ रु की कमी आई है।
8. सीआईएल बोर्ड ने 350 वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में ₹ 2399.07 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दे दी, जिसके लिए ₹ 2431.13 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा किया गया है। ई.सी. रेलवे ने रेल लाइन /रेल कॉरिडोर के लिए ₹ 2268.03 करोड़ खर्च किया है एवं ₹ 163.10 करोड़ की शेष राशि को नोट 10 में कैपिटल एडवांस के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजना के खिलाफ सीसीडीएसी से आज तक ₹605.05 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट – 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
वहन राशि:						
1 अप्रैल, 2018 को	142.04	48.05	1,315.44	166.23	–	1,671.76
जोड़	127.99	16.22	779.95	144.64	–	1,068.80
पूंजीकरण / विलोपन	(65.87)	(29.06)	(165.08)	(106.86)	–	(366.87)
31 मार्च, 2019 को	**204.16**	**35.21**	**1,930.31**	**204.01**	**–**	**2,373.69**
1 अप्रैल, 2019 को	204.16	35.21	1,930.31	204.01	–	2,373.69
जोड़	33.04	26.42	94.43	136.33	–	290.22
पूंजीकरण / विलोपन	(8.68)	(25.41)	(1,855.64)	(23.57)	–	(1,913.30)
31 मार्च, 2020 को	**228.52**	**36.22**	**169.10**	**316.77**	**–**	**750.61**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
वर्ष के लिए शुल्क	1.94	5.07	11.55	12.58	–	31.14
हानि	0.03	0.65	0.12	3.52	–	4.32
विलोपन / समायोजन	–	–	–	6.99	–	6.99
वर्ष के लिए शुल्क	(0.72)	(3.78)	(11.55)	(7.89)		(23.94)
31 मार्च, 2019 को	**1.25**	**1.94**	**0.12**	**15.20**	**–**	**18.51**
1 अप्रैल, 2019 को	1.25	1.94	0.12	15.20	–	18.51
वर्ष के लिए शुल्क	0.03	0.08	0.12	1.23	–	1.46
हानि	–	–	–	–	–	–
विलोपन / समायोजन	(0.69)	(0.55)	–	(4.87)	–	(6.11)
31 मार्च, 2020 को	**0.59**	**1.47**	**0.24**	**11.56**	**–**	**13.86**
निबल वहन राशि						
31 मार्च, 2020 को	**227.93**	**34.75**	**168.86**	**305.21**	**–**	**736.75**
31 मार्च, 2019 को	**202.91**	**33.27**	**1,930.19**	**188.81**	**–**	**2,355.18**

1. **भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।**

	बिल्डिंग जल आपूर्ति सड़कों एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि::						
1 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	–	519.41
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2015 को	10.52	12.29	45.74	36.84	–	105.39
निबल अग्रणीत राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	**–**	**414.02**

2. मशीनरी / परिसंपत्तियों के मामले में, जिसका खरीद / अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्यह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि ₹ 1.46 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4. 32 करोड़) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2018 को	261.34
जोड़	75.35
विलोपन / समायोजन	69.41
31 मार्च, 2019 को	**406.10**
1 अप्रैल, 2019 को	406.10
जोड़	43.02
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2020 को	**449.12**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2018 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2019 को	**0.67**
1 अप्रैल, 2019 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2020 को	**0.67**
निबल वहन राशि	
31 मार्च, 2020 को	**448.45**
31 मार्च, 2019 को	**405.43**

भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।

सकल वहन राशि::	
1 अप्रैल, 2015 को	176.04
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2015 को	2.21
निबल वहन राशि	**173.83**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2018 को	5.22	1.71	—	6.93
जोड़	4.19	—	—	4.19
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**9.41**	**1.71**	**—**	**11.12**
1 अप्रैल, 2019 को	9.41	1.71	—	11.12
जोड़	0.01	—	—	0.01
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को	**9.42**	**1.71**	**—**	**11.13**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2018 को	4.77	—	—	4.77
वर्ष के लिए शुल्क	0.61	—	—	0.61
हानि	—	—	—	—
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**5.38**	**—**	**—**	**5.38**
1 अप्रैल, 2019 को	5.38	—	—	5.38
वर्ष के लिए शुल्क	1.38	—	—	1.38
हानि	—	—	—	—
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को	**6.76**	**—**	**—**	**6.76**
निबल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2020 को	**2.66**	**1.71**	**—**	**4.37**
31 मार्च, 2019 को	**4.03**	**1.71**	**—**	**5.74**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसुला जाएगा।
2. **भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तत की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।**

सकल वहन राशि::				
1 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	—	6.45
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2015 को	—	—	—	—
निबल अग्रेणित राशि	**4.74**	**1.71**	**—**	**6.45**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी –जेसीआरएल में इक्विटी शेयर्स	3,20,00,000 (3,20,00,000)	32.00	32.00
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
सिक्योर्ड बांड्स में		—	—
सहकारी शेयरों में		—	—
कुल		**32.00**	**32.00**
उद्धत निवेशों का निबल राशिः		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्यः		—	—
अनुद्धत निवेशों का निबल राशिः		32.00	32.00
निवेश के मूल्य में निबल हानिः		—	—

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या चालू वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष	फेस मूल्य प्रति युनिट ₹ में	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्यूचुअल फंड	2265.864 / 515315.242	1019.4457	0.23	52.53
एसबीआई म्यूचुअल फंड	2459.477 / 271.885	1003.2500	0.25	0.03
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड			—	—
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड			—	—
बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड			—	—
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान)			—	—
(व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
बड़े राज्यों के आधार पर विश्लेषण				
– यूपी			—	—
– हरियाणा			—	—
कुल			**0.48**	**52.56**
उद्धत निवेश का संकलित मूल्यः			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्यः			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्यः			0.48	52.56
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्यः			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरणः

(₹. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमाच्य		प्राप्त लाभांश	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
यूटीआई म्यूचुअल फंड	12,67,355.39	129.20	17,94,112.23	182.90	13,707.47	1.40
एसबीआई म्यूचुअल फंड	19,31,721.90	193.80	19,46,972.34	195.33	17,438.02	1.75
कुल	**31,99,077.291**	**323.00**	**37,41,084.572**	**378.23**	**31145.484**	**3.15**

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड की इकाईयों के रूप में दैनिक लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एन.ए.वी. का मूल्य स्थिर रहता है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	0.55	0.66
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	0.55	0.66
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	0.55	**0.66**
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	0.55	0.66
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—
चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	—	—
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—

* कर्मचारियों के लिए ऋण को उनके सेवा निबंधन के अनुसार सुरक्षित रखा गया है

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को		31.03.2019 को
गैर चालू				
बैंक जमा		—		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य				
– खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक में जमा		1,285.68		1,182.01
– अन्य जमा (खान बंद करने का खर्च)		239.68		145.09
– खान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउंट से प्राप्य		261.79		140.63
अन्य जमा एवं प्राप्य		—		—
कुल		**1,787.15**		**1,467.73**
चालू				
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य				
– अन्य जमा (खान बंद करने का खर्च)		—		—
– खान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउंट से प्राप्य		325.49		272.54
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		—		—
उपार्जित ब्याज		8.66		14.57
दावे और अन्य प्राप्य	266.59		346.03	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	9.30	257.29	4.76	341.27
कुल		**591.44**		**628.38**

1. चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को ''अन्य कर'' के रूप में मान कर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से ₹ 4.54 करोड़ की शेष राशि ''अन्य प्राप्ति'' मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। ₹ 4.54 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से ₹ 2.65 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और ₹ 1.89 करोड़ के शेष के विरूद्ध ₹ 1.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि ₹ 1285.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1182.01 करोड़) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर ₹ 321.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 253.91 करोड़) का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)।
3. बैंक जमा में अर्जित ब्याज के अंदर, खान बंदीकरण की योजना के तहत ₹ 5.81 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.38 करोड़) पर अर्जित ब्याज शामिल है।
4. **एक्क्रो खाता शेष**

प्रारंभिक दिनांक पर एक्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,182.01	1,019.85
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा शेष	113.13	112.46
जोड़ : वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	67.89	49.70
घटाव : वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	77.35	—
अंतिम दिनांक पर एक्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	1,285.68	1,182.01

5. सीसीओ द्वारा दिए गए टिप्पणियों के आधार पर, सीएमपीडीआईएल (ऑडिटिंग एजेंसी) ने 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए खान बंदीकरण व्यय पर अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया और तदनुसार ₹ 251.7 करोड़ की राशि का अतिरिक्त खान बंदीकरण प्राप्य को अन्य आय में क्रेडिट लेकर बनाया गया है। (नोट –25)।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10 : अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(i)	**पूंजी अग्रिम**	482.37		986.23	
	घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.09	482.28	0.09	986.14
(ii)	**पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम**				
(a)	उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	1.20		1.21	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	1.20	—	1.21
(b)	अन्य जमा एवं एवं अग्रिम	—		—	
	घटावः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	—	—	—
(c)	संबद्ध पार्टियों को अग्रिम		136.59		136.59
	कुल		**620.07**		**1,123.94**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ मे)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक/सदस्य भी हैं	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
जेसीआरएल	136.59	136.59	136.59	136.59
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

1. ₹ 482.37 करोड़ की पूंजी अग्रिम के अंदर टोरी– शिवपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए ईसी रेलवे को दिया गया, ₹ 163.10 करोड़ शामिल हैं। (टिप्पणी–4 देखें).

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: अन्य चालू परीसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(ए) राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	58.56		68.56	
घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.54	58.02	0.62	67.94
(बी) वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	155.70		440.49	
कमः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.89	154.81	0.13	440.36
(सी) संबंधित पक्षों को अग्रिम		—		—
(डी) अन्य अग्रिम एवं जमा	1,326.24		1,239.75	
घटावः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	20.27	1,305.97	18.17	1,221.58
(ई) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	880.25		845.13	
घटाव: प्रावधान	—	880.25	—	845.13
(एफ) मेट क्रेडिट पात्रता	—		—	
घटाव: प्रावधान	—	—	—	—
कुल		**2,399.05**		**2,575.01**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक सदस्य भी हैं (कम्पनियॉ के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में ₹ 8.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.74 करोड़) का भुगतान किया गया है।

2. खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में उपकर एवं अन्य करों के अधिनियम के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 4 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर उपकर और बिक्री कर मद में ₹ 10033 करोड़ का पूरक बिल दिया गया। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रायल्टी और उपकर के लिए देय वैधानिक देय राशि में "अन्य वर्तमान देयताएं" के अंतर्गत शामिल किया गया है। (नोट : 23)।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 : भंडार सूचियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ए) कोयले का भंडार	1,103.27	1,229.85
विकासाधीन कोयला	—	—
	1,103.27	1,229.85
(ख) सामान एवं कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	121.09	110.39
जोड़ः पारगमन पर भंडार	4.42	8.76
सामान एवं कलपुर्जों का निबल भंडार (लागत पर)	125.51	119.15
(सी) केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.29	0.58
(डी) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.29	4.08
कुल	**1,233.36**	**1,353.66**

* कोयला भंडार मूल्यांकन के तरीके को फीफो से वेटेड एवरेज में बदल दिया गया है और इस बदलाव का प्रभाव ₹ 15.18 करोड़ (कमी) का है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

तालिका – ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले के इति भण्डार एवं खाता भण्डार के साथ मिलान

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2019 को प्रारंभिक भण्डार	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			–	–		
2. वर्ष में उत्पादन	668.89	14,734.28	–	–	668.89	14,734.28
3. उप–योग (1+2)	807.55	15,659.06	1.21	–	806.34	15,659.06
4. वर्ष में प्रेषण						
(क) बाहरी प्रेषण	585.62	13,561.53	–	–	585.62	13,561.53
(ख) वापसी को दिया गया कोयला	87.70	1,323.01	–	–	87.70	1,323.01
(ग) निजी खपत	–	0.05	–	–	–	0.05
योग (क)	**673.32**	**14,884.59**	**–**	**–**	**673.32**	**14,884.59**
5. प्राप्त भंडार	134.23	774.47	1.21	–	133.02	774.47
6. मापित भण्डार	130.77	755.97	1.18	–	129.59	755.97
7. अन्तर (5—6)	3.46	18.50	0.03	–	3.43	18.50
8. अन्तर का विवरण						
(क) 5%के अन्दर अतिरिक्त	0.02	0.33	–	–	0.02	0.33
(ख) 5%के अन्दर कमी	3.48	18.83	0.03	–	3.45	18.83
(ग) 5% से परे अतिरक्त	–	–	–	–	–	
(घ) 5% से परे कमी	–	–	–	–	–	–
9. खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6—8क+8ख)	134.23	774.47	1.21	–	133.02	774.47

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में)(मू. ₹ करोड में)

तालिका – बी

कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
			कोकिंग		नन–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	138.66	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	154.77	1,229.85
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला/ मिश्रित कोयला	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भण्डार	137.45	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	153.56	1,229.85
उत्पादन	668.89	14,734.28	7.62	559.75	64.81	1,990.81	13.82	721.01	755.14	18,005.85
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	585.62	13,561.53	7.65	552.45	65.03	1,992.36	13.03	703.03	671.33	16,809.37
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	87.70	1,323.01	–	–	–	–		–	87.70	1,323.01
(ग) निजी खपत	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	0.05
इति भण्डार	133.02	774.47	0.67	36.89	0.06	0.83	15.92	291.08	149.67	1,103.27
घटाव : कमी	–	–			–	–			–	–
इति भण्डार (लिया गया)	133.02	774.47	0.67	36.89	0.06	0.83	15.92	291.08	149.67	1,103.27

1 अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर–कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर–कोकिंग स्लरी 50963 मी टन (विगत वर्ष 50963 मी टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर–कोकिंग दोनों) 961343 मी टन (विगत वर्ष 597364 मी टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2 31.03.2020 को कोकिंग और गैर–कोकिंग स्लरी तथा गैर–कोकिंग रिजेक्ट्स का इति भंडार 242279 मी टन (विगत वर्ष 258670 मी टन) और 6445721 मी. टन (विगत वर्ष 7232847 मी टन) क्रमशः तैयार बाजार के अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।

3 कोयले के इति भंडार का वॉल्युमीट्रिक माप लिया जाता है और रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमीट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकटन त्रुटि को तथा गणितीय रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपांतरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/–) 5 प्रतिशत का अन्तर कम्पनी को लेखा नीति के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.43 लाख टन के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की शुद्ध कमी जिसका मूल्य ₹ 18.50 करोड़ है, की असंगति बनी हुई है।

4 कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़ा हुआ 83795 मी टन दूषित स्वच्छ कोयला को इति भंडार में शामिल नहीं किया गया है और उसे शून्य पर मूल्यांकन किया गया है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	-		-	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	2,492.11		1,095.13	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
ऋण में हानि	283.38		223.04	
	2,775.49		1,318.17	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	283.38	2,492.11	223.04	1,095.13
योग		**2,492.11**		**1,095.13**

1.

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)
अन्य कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, सदस्य या निदेशक भी है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. कोयला गुणवत्ता विचरण में ₹ 841.15 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 860.45 करोड़) के व्यापार प्राप्य को निबल छूट दिया गया है।

3. **व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता भेद
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	223.04	860.45
जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए	—	683.48
शेष प्रावधान	223.04	1,543.93
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	—	642.44
समायोजन	60.34	(60.34)
31.03.2020 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**283.38**	**841.15**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता में	0.39	0.90
चालू खाते में		
- ब्याज सहित	20.16	27.35
- गैर ब्याज सहित	97.39	216.29
नगद ऋण खाते में	—	—
(ख) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	—	0.01
(घ) हस्तगत नकद	—	—
(ड.) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(च) अन्य (परिवहन में धन प्रेषण)	—	—
उप–कुल नकद एवं नकद समान	**117.94**	**244.55**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**117.94**	**244.55**

नोट :

1. मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।
2. हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।
3. दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) के मामले में खातां सं. – 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई ₹ 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	490.85	841.51
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**490.85**	**841.51**

जमा में शामिल –

i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 6.74 करोड़ रू ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट : 23) के साथ तदनरूपी देयता के ₹ 2.28 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार ₹ 29.72 करोड़ जमा किए गए हैं।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत		
₹ 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹ 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर (₹ 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	940.00

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।
2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कम्पनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/– ₹ प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2018 को शेष	2,068.48	653.43	154.13	2,876.04
लेखा नीति में परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटि (निबल कर)	–	–	–	–
01.04.2018 को शेष	**2,068.48**	**653.43**	**154.13**	**2,876.04**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,704.47	(19.69)	1,684.78
विनियोग			–	–
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	85.22	(85.22)	–	–
हस्तांतरित/अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभ	–	(297.04)	–	(297.04)
अंतिम लाभ	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक				
बाय–बैक पर कर				
पूर्व संचलित व्यय	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	–	–	–	–
31.03.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.58**	**134.44**	**4,202.72**
01.04.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.58**	**134.44**	**4,202.72**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,847.75	(244.24)	1,603.51
विनियोग			—	—
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	92.39	(92.39)	–	–
हस्तांतरित/अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभ	–	(294.22)	–	(294.22)
अंतिम लाभ	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(60.48)	–	(60.48)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	–	–	–	–
बाय–बैक पर कर	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	–	–	–	–
31.03.2020 को शेष	**2,246.09**	**3,315.24**	**(109.80)**	**5,451.53**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर–चालू		
सावधी ऋण	–	–
अन्य ऋण	–	–
कुल	–	–
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	–
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
- बैंको से	–	–
- अन्य पार्टियों से	–	–
कुल	–	–
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	–

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ ₹ में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

नकद ऋण सुविधा

कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ₹ 55 करोड़ की नकद ऋण की सुविधा है उपर्युक्त सुविधाएं मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथीपीकेशन चार्ज लगाकर जिसमें बही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा ₹ 83.00 करोड़ है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए व्यापार देयताएं	0.46	–
अन्य व्यापार देयताओं के लिए		
भंडार एवं कलपुर्जे	104.55	122.12
विद्युत एवं ईंधन	33.79	33.63
वेतन और भत्ते	358.88	341.30
अन्य	907.10	763.13
कुल	**1,404.78**	**1,260.18**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	1,404.78	1,260.18

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएं

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कम्पनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	69.94	59.47
अग्रिम राशि	5.35	6.23
अन्य	5.92	4.91
कुल	**81.21**	**70.61**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	17.68	25.16
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	–	–
अदत्त लाभांश	–	–
प्रतिभूति जमा राशि	175.59	174.85
पूंजीगत व्यय के लिए देय	142.76	167.90
अग्रिम राशि	99.91	130.48
अन्य	3.27	4.36
कुल	**439.21**	**502.75**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	670.34	308.29
अवकाश नकदीकरण	269.84	166.30
अन्य कर्मचारी लाभ	194.72	133.61
	1,134.90	608.20
स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण	1,085.00	1,087.26
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,896.32	1,715.91
अन्य	—	—
कुल	**4,116.22**	**3,411.37**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	380.47	381.72
अवकाश नकदीकरण	39.38	47.38
एक्स–ग्रेसिया	236.72	225.25
परफोरमेंस लिंटेड पे	196.52	153.92
अन्य कर्मचारी लाभ	89.21	167.73
एनसीडब्ल्यू -X	—	13.57
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	—	18.20
	942.30	1,007.77
स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण	—	—
अन्य	—	—
कुल	**942.30**	**1,007.77**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान (जारी...)

टिप्पणी :

1. स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण सुधार का मिलान :

01.04.2019 / 01.04.2018 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	472.63	475.60
जोडें : प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 31.03.2019/31.03.2018	614.63	545.10
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	75.09	69.53
कम : वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	77.35	2.97
31.03.2020 / 31.03.2019 को खान बंदीकरण प्रावधान	**1,085.00**	**1,087.26**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के लिए अनुपात तौर पर 2018–19 के लिए दिया गया ₹ 64700 /– का प्रावधान किया गया है।

3. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निबल व्यय निर्धारण ₹ 206.14 करोड़ हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

4. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2020 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। ₹ 1085.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1087.26 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 1285.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1182.01 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें ₹ 321.80 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 253.91 करोड़) ब्याज सहित है।

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य गैर–चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	–	–
आस्थगित आय*	578.07	540.84
कुल	**578.07**	**540.84**

* रेल लाइन / रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए ₹ 605.05 करोड़ का अनुदान है एवं सड़क के सदृढीकरण के लिए ₹ 4.29 करोड़ दिया गया है। रेल कॉरिडोर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है और सड़क की 10 वर्ष है। परीसंपत्ति के उपयोगी जीवन को देखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में ₹ 31.27 करोड़ की राशि को आय के रूप में अभिज्ञात की गयी है।

नोट 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वैधानिक देय	768.32	879.49
कोयला आयात के लिए अग्रिम	–	–
ग्राहकों / अन्यों से प्राप्त अग्रिम	1,609.61	2,691.88
शेष समतुल्य लेखा	–	–
अन्य देयताएं	199.29	152.90
योग	**2,577.22**	**3,724.27**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 24 : संचालन से आय

(₹ करोड़ में)

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**कोयले की बिक्री**		16,768.33		16,343.92
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी		5,125.69		5,069.93
	कोयले की बिक्री (निबल)(क)		**11,642.64**		**11,273.99**
ख.	**अन्य संचालित आय**				
	लोडिंग एवं यातायात शुल्क	627.26		590.64	
	घटाव : जीएसटी	29.87	597.39	28.13	562.51
	निकासी सुविधा शुल्क	357.72		360.57	
	घटाव : जीएसटी	17.03	340.69	17.17	343.40
	अन्य संचालित आय (निबल)(ख)		**938.08**		**905.91**
	संचालन से आय (क+ख)		**12,580.72**		**12,179.90**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट–38 के अंक 6(एम) में उल्लेख लिया गया है।

कोयले की विक्रय में ₹ 41.04 करोड़ की कोयला गुणवत्ता विचरण का प्रावधान शामिल है। (विगत वर्ष प्रावधान ₹ 156.11 करोड़)

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	143.44	115.29
लाभांश आय	3.15	4.92
अन्य गैर संचालित आया		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	—	—
विदेशी मुद्रा के लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर में बदलाव	—	—
लीज लगान	4.09	4.06
वापस लिया गया देयता / प्रावधान	331.81	71.79
विविध आय	122.96	116.97
कुल	**605.45**	**313.03**
विविध आय		
पेनाल्टी / एल डी वसुली	43.10	41.49
साइडिंग शुलक की वसुली	9.26	8.63
कर्मचारियों से वसुली	17.84	25.63
अन्य	52.76	41.22
कुल	**122.96**	**116.97**

* बैंक जमा से ब्याज में एस्क्रौ एकाउन्ट का ब्याज ₹ 75.86 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 60.48 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज ₹ 5.81 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.38 करोड़) शामिल है। (नोट सं – 21 देखें)

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(₹ करोड में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	188.07	194.09
लकड़ी	0.29	0.30
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	341.94	383.37
एचईएमएम् कलपुर्जे	176.33	146.21
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	56.31	72.31
कुल	**762.94**	**796.28**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 27 : तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,229.85	1,206.37
कोयले का शेष भंडार	1,103.27	1,229.85
ए. **कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	**126.58**	**(23.48)**
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	4.08	4.12
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	4.29	4.08
बी. **कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	**(0.21)**	**0.04**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी + सी) {कमी/(अभिवृद्धि)}	**126.37**	**(23.44)**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	3,866.92	3,755.20
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,171.53	1,139.28
कर्मचारी कल्याण व्यय	221.85	234.38
कुल	**5,260.30**	**5,128.86**

नोट 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	52.89	41.14
कुल	**52.89**	**41.14**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 42.73 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 45.78 करोड़)।

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(i) परिसम्पत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण	21.75	2.06	23.81
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए	26.84	2.24	29.08
कुल	**48.59**	**4.30**	**52.89**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : मरम्मतें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	196.80	245.57
सयंत्र एवं मशीनरी	128.30	111.47
अन्य	21.99	17.53
कुल	**347.09**	**374.57**

* ₹172.00 करोड़ के कार्यशाला खर्च के साथ निबलित (विगत वर्ष ₹ 149.90 करोड़)

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	347.90	285.94
वैगन लदायी	30.69	30.33
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,067.96	858.96
अन्य संविदात्मक कार्य	157.49	146.90
कुल	**1,604.04**	**1,322.13**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	5.16
छूट पर रियायत	75.09	69.53
अन्य	0.53	0.56
कुल	**75.62**	**75.25**

नोट 33 : प्रावधान (प्रत्यावर्तित का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) के लिए किया गया भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	155.80
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	7.52	1.60
भंडार एवं कल पुर्जे	—	1.11
अन्य (सी डब्ल्यू आई पी पर प्रावधान)	1.46	11.31
कुल (ए)	**8.98**	**169.82**
(बी) प्रतिवर्तित भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	73.89
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	1.98
भंडार एवं कलपुर्जे	1.36	—
अन्य	—	—
कुल (बी)	**1.36**	**75.87**
कुल (ए –बी)	**7.62**	**93.95**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	27.90	—
घटावः पहले दिए गए प्रावधान	—	—
	27.90	—
संदेहात्मक अग्रिम	—	—
घटावः पहले दिया गया प्रावधान	—	—
	—	—
कुल	**27.90**	**—**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	32.55	21.35
प्रशिक्षण व्यय	9.70	8.43
टेलीफोन एवं डाक	6.07	3.38
विज्ञापन एवं प्रकाशन	2.24	3.27
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	66.63	35.61
सुरक्षा व्यय	219.18	192.05
सीआईएल का सेवा शुल्क	66.89	68.72
किराया शुल्क	61.28	53.96
सीएमपीडीआई शुल्क	66.96	55.54
कानूनी व्यय	8.08	6.24
परामर्श शुल्क	0.81	1.43
अंडर लोडिंग शुल्क	165.34	171.35
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	3.05	9.92
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.20	0.20
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.23	0.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.09	0.12
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.21	2.58
पुनर्वास शुल्क	40.30	41.03
किराया	0.25	0.58
दरें एवं कर	248.21	285.06
बीमा	0.76	1.07
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.72	2.64
समाप्त किराया/सुरक्षा किराया	0.29	0.16
साइडिंग रख-रखाव शुल्क	10.68	23.32
अनुसंधान एवं विकास व्यय	—	—
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	2.86	4.19
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय*	72.44	76.66
कुल	**1,091.02**	**1,069.09**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, ₹ 40.30 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 41.03 करोड़) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।
2. होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर 10 रू प्रति टन की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि ₹ 66.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 68.72 करोड़) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।
3. *अधिसूचना सं. 4/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क –एनटी, दिनांकः 21.08.2019 अधिसूचना सं. 05/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क –एनटी, दिनांकः 21.08.2019 एवं परिपत्र सं. 1071/4/2019–सीएक्स –8, दिनांकः 27.08.2019 के अनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, ने "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम 2019 [एसवीएलडीआरएस] पेश किया है।

   तदनुसार, सीसीएल ने इस योजना के तहत 52 मामलों की घोषणा की है, जिसमें ₹ 70.47 करोड़ की कुल विवादित कर का मांग शामिल है। उसी के संबंध में, ₹18.54 करोड़ की कुल राशि का भुगतान किया गया है एवं विरोध में ₹ 2.02 करोड़ के पूर्व भुगतान किये गए राशि को ₹ 49.91 करोड़ की राहत का लाभ उठाने के लिए प्रभार किया गया है।"

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	889.32	979.24
आस्थगित कर	195.65	8.49
मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट	—	—
पूर्व के वर्ष	—	—
कुल	**1,084.97**	**987.73**

कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा कर सामंजस्य

कर से पूर्व लाभ	**2,932.72**	**2,692.20**
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168% (विगत वर्ष 34.944%) का उपयोग कर	738.11	940.76
का कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर व्यय	152.00	40.20
कर छूट प्राप्त आय	(0.79)	(1.72)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	—	—
लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	**889.32**	**979.24**
प्रभावी आयकर दर	**25.168%**	**34.944%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं :		
अचल परिसंपत्ति से सम्बद्ध	18.04	(4.42)
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता	**18.04**	**(4.42)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
संदेहास्पद अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	290.85	386.92
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	465.63	514.01
अन्य	**105.00**	**133.74**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**861.48**	**1,034.67**
निबल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (आस्थगित कर देयता)	**843.44**	**1,039.09**

31 मार्च, 2020 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 समाप्त वर्ष के लिए
(ए) (i)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनः मापन	(326.38)	(30.27)
	कुल (ए)	**(326.38)**	**(30.27)**
(बी) (ii)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	(82.14)	(10.58)
	कुल (बी)	**(82.14)**	**(10.58)**
	कुल (सी = ए – बी)	**(244.24)**	**(19.69)**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

1. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	एफवीटी पीएल	परिशोधन लागत	एफवीटी पीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश * :	—	—	—	
अधिमान शेयर	—	—	—	—
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग		—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	0.48	—	52.56	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.55	—	0.66
जमा एवं प्राप्य	—	2378.59	—	2096.11
व्यापार प्राप्य	—	2492.11	—	1095.13
नकद एवं नकद समतुल्य	—	117.94	—	244.55
अन्य बैंक शेष	—	490.85	—	841.51
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	—
व्यापार देय	—	1404.78	—	1260.18
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	350.79	—	371.03
अन्य देयताएं	—	169.63	—	202.33

* ऊपर शामिल नहीं, अनुषंगी पर इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31.03.2020 पर ₹32.00 करोड़ है (31.03.2019 पर ₹ 32.00 करोड़)।

(ख) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
म्यचुवल फंड/आईसीडी	0.48	—	52.56	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2020 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	32.00	—	32.00
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्यचुवल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.55	—	0.66
जमा एवं प्राप्य	—	2378.59	—	2096.11
व्यापार प्राप्य	—	2492.11	—	1095.13
नकद एवं नकद समनुल्य	—	117.94	—	244.55
अन्य बैंक शेष	—	490.85	—	841.51
वित्तीय देयताएं				
उधार	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1404.78	—	1260.18
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	350.79	—	371.03
अन्य देयता	—	169.63	—	202.33

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1: चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

चरण 2: वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3: यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ङ) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

➢ व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रस्तुति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

➢ कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानों से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वयं के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एवं उधारों, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से उजागर है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन का देख–रेख करते हैं। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित है जो वित्तीय जोखिमों पर, कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचा पर सलाह देते हैं। जोखिम समिति, बोर्ड निर्देशकों को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल समीक्षा करती है और इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों पर सहमति देती है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों के बारे में बताता है जिनसे इकाई का संपर्क है और कैसे इकाई जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों में करती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम–ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

(क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो – आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं :

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन–पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित ''सीपीपी'')
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

हानि भत्ता प्रावधान का पुनःमिलान – व्यापार प्राप्य

31.03.2020 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	984.27	927.19	742.10	489.34	136.34	337.40	3616.64
अनुमानित हानि दर	6.77	21.29	17.51	53.02	117.46	92.18	31.09
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	–	–	–	126.16	48.24	108.98	283.38
– ग्रेड विचरण	66.60	197.36	129.95	133.30	111.90	202.04	841.15

31.03.2019 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	390.66	742.93	380.74	237.15	269.60	157.54	2178.62
अनुमानित हानि दर %	23.85	32.21	44.94	79.41	87.54	98.74	49.73
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	–	–	126.16	48.24	18.63	30.01	223.04
– ग्रेड विचरण	93.19	239.30	171.12	131.80	217.37	7.67	860.45

(₹ करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2019 को हानि के लिए प्रावधान	223.04	860.45
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	60.34	(19.30)
31.03.2020 में हानि के लिए प्रावधान	283.38	841.15

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित किया गया है। कंपनी के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार कंपनी हानि की गणना के लिए, इन मान्यताओं के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(ख) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा रू. 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा रू. 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, रू. 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर–निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता प्रोफाइल को अनुबंधित अनदेखा भुगतानों के आधार पर सारांशित किया गया है।

	31.03.2020 को			31.03.2019 को		
	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक पर पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक पर पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	—	—	—	—	—	—
व्यापार देयताय	1404.78	—	—	1258.53	1.15	0.50
अन्य वित्तीय देयतायें	439.21	81.21	—	503.57	64.41	5.38

(ग) बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(ख) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

नोट : 38
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक – 19)

(क) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य घटाव दायित्व योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में प्राप्त देयता या परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। अनुभव समायोजन और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि बीमांकिक को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे होते हैं।

(ख) अवकाश नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। वे अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्टिंग के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में, अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभ पर छूट दी जाती है जो दायित्व की शर्तों से संबंधित हैं। बीमांकिक मान्यताओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुनः माप को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

(ग) भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए ₹ 594.71 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 604.30 करोड़) के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

(घ) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो इस प्रकार है:

(i) निधिक

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ii) अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

दिनांक 31.03.2020 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि ₹3582.13 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2019 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/समायोजन	31.03.2020 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2459.04	227.82	2686.86
अर्जित अवकाश	421.54	33.05	454.59
अर्ध वेतन अवकाश	58.06	2.71	60.77
लाइफ कवर स्कीम	10.16	0.90	11.06
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	6.76	0.39	7.15
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.45	0.91	17.36
सामूहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.14	0.01	0.15
एलटीसी	44.60	0.11	44.71
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	177.66	85.13	262.79
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	6.94	2.20	9.14
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	23.97	3.58	27.55
कुल	**3225.32**	**356.81**	**3582.13**

(ङ) बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

31.03.2020 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	2459.04	2388.71
चालू सेवा लागत	125.56	106.69
ब्याज लागत	149.35	171.01
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (पिछला सेवा)	—	—
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	185.12	28.56
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	160.16	11.48
भुगतान किया गया लाभ	392.37	247.41
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2686.86	2459.04

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	1859.75	1516.49
ब्याज आय	122.74	114.49
नियोक्ता योगदान	130.90	466.41
भुगतान किया हुआ लाभ	392.37	247.41
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	18.89	9.77
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1739..91	1859.75

(₹ करोड़ में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
निधिक स्थिति	(946.95)	(599.29)
अवधि के अंत में उपेक्षित बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	1739.91	1859.75
निधि देयता	2686.86	2459.04

योजना पूर्वानुमान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट की दर	6.60%	7.75%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	6.95%	7.75%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारीयों-9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%	अधिकारीयों -9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%
र्मोटिलिटी सारणी	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष

(₹. करोड़ में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	125.57	106.69
पूर्व सेवा लागत (निहित)	—	—
निबल ब्याज लागत	26.60	56.51
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	152.17	163.21

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(₹ करोड़ में)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	185.12	28.56
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	160.16	11.48
कुल उचित (लाभ)/हानि	345.28	40.04
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	18.89	9.77
निबल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	326.83	30.27

मृत्यु दर सारणी

उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

योजना सम्पत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू देयता	276.61	291.00
गैर चालू देयता	2410.25	2168.04
निबल देयता	2686.86	2459.04

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

31.03.2020 पर ग्रेच्युटी देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	**(₹ करोड़ में)**
1	285.59
2	253.20
3	231.71
4	226.84
5	234.61
6 से 10	1482.58
10 वर्षों से अधिक	2284.28
अतीत और भविष्य के सेवाओं के कुल गैर रियायती भुगतान	
अतीत के सेवाओं का कुल रियायती भुगतान	4998.81
ब्याज पर रियायत घटाव	2311.95
अनुमानित लाभ दायित्व	2686.86

ग्रेच्युटी देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020	
		(₹ करोड़ में)
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	2586.61	2793.88
संवदेनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-3.731%	3.983%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	2734.04	2634.98
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	1.756%	-1.931%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	2689.36	2684.36
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.093%	-0.093%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	2703.74	2669.99
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.628%	-0.628%

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन

31.03.2020 को

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	479.60	409.01
चालू सेवा लागत	69.38	45.47
ब्याज लागत	22.70	26.24
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	4.33	6.79
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वद्धि)/हानि	171.68	115.10
भुगतान किया हुआ लाभ	271.28	123.01
अवधि के अंत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	515.36	479.60

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	265.92	267.23
ब्याज आय	17.55	20.18
नियोक्ता योगदान	200.00	121.70
भुगतान किया हुआ लाभ	271.28	123.01
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(60.46)	(20.18)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	206.14	265.92

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
निधिक स्थिति	(309.22)	(213.68)
निधि परिसंपत्ति	206.14	265.92
निधि देयता	515.36	479.60

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट की दर	6.60%	7.75%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	6.60%	7.75%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारीयों-9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%	अधिकारीयों -9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृति	—	—

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू सेवा लागत	69.38	45.47
निबल ब्याज लागत	5.15	6.06
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	221.00	142.07
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	295.54	193.60

मृत्यु दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू देयता	39.38	47.38
गैर चालू देयता	475.98	432.22
निबल देयता	515.36	479.60

नोट : 38
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

अवकाश नकदीकरण देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020	
	(₹ करोड़ में)	
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	491.75	541.04
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-4.582%	4.982%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	540.63	491.89
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	4.903%	-4.554%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	516.87	513.85
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.293%	-0.293%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	518.49	512.23
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.608%	-0.608%

31.03.2020 पर अवकाश नकदीकरण देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	40.66
2	43.80
3	39.55
4	40.60
5	46.12
6 से 10	248.89
10 वर्षों से अधिक	707.80
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान	—
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान का कुल	1167.42
ब्याज पर रियायत छूट	652.06
अनुमानित लाभ दायित्व	515.36

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इस चिकित्सा योजना को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कवर की गई है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कार्यकारी के लिए चिकित्सा लाभ की योजना को अलग से 'कार्यकारी ट्रस्ट के लिए सहायक पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम' के माध्यम से प्रशाशित की जाती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

चिकित्सीय लाभों के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। 01.01.2007 से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्त के लिए – 31.03.2020 को निधिक स्थिति ₹131.00 करोड (विगत वर्ष ₹98.79 करोड़) और 31.03.2020 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कुल देयता ₹262.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹177.66 करोड़) है।

पेंशन

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना –2007 के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03.2020 को निधिक स्थिति ₹257.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹129.89 करोड) और 31.03.2020 को देयता की स्थिति ₹ 28.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹123.66 करोड़) है।

4. अनभिज्ञ मद

(क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	707.24	16748.14	—	559.26	18014.64
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	212.55	559.58	—	3.66	775.79
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	49.42	33.16	—	66.18	148.76
	बी. वर्ष के दौरान योग से	(0.45)	—	—	—	(0.45)
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान (ए + बी)	49.87	33.16	—	66.19	149.22
4	**31.03.2020 को अंतिम शेष**	**869.91**	**17274.57**	**—**	**496.73**	**18641.21**

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए।

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है पुनर्रीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश ₹13568.50 करोड़ (विगत वर्ष ₹13389.38 करोड़) पर स्थगन आदेश दिया है।

42 परियोजनाओं के संबंध में सीसीएल के पक्ष में डिमांड नोटिस जारी किया गया था और सीसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा इस मुद्दे को निपटाया जा रहा है, इसलिए, इसे सीसीएल के मुख्यालय के आकस्मिक दायित्व के तहत रखा गया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	केन्द्र सरकार :		
	आयकर	809.04	600.11
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	45.56	85.04
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	13.12	13.12
	केंद्रीय बिक्री कर	0.00	0.00
	सेवा कर	2.19	8.97
	अन्य	0.00	0.00
	उप – कुल	**869.91**	**707.24**
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी :**		
	अधिशुल्क	1668.28	1412.94
	पर्यावरण मंजूरी	13568.50	13389.38
	बिक्री कर/वैट	1523.39	1491.04
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	98.80	85.92
	एमएडीए	390.59	343.86
	अन्यः	0.00	0.00
	उप – कुल	**17274.57**	**16748.14**
3	केंद्रीय लोक उपक्रम	—	—
	मध्यस्थता कार्यवाही	0.00	0.00
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	उप– कुल	**0.00**	**0.00**
4	विविध	496.73	559.26
	उप– कुल	**496.73**	**559.26**
	कुल	**18641.21**	**18014.64**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

II. गारंटी

31.03.2020 को जारी किया गया बैंक गारंटी ₹ 427.70 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 287.05 करोड़)

III. साख पत्र

31.03.2020 को अदत्त साख पत्र ₹ 29.20 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1.02 करोड़)

(ख) प्रतिबद्धताएं

31.03.2020 को पूंजीगत खाते में व्यय हेतु अनुमानित करार राशि का मूल्य ₹ 946.02 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1143.72 करोड़)

31.03.2020 को अन्य प्रतिबद्धताएं : ₹ 8773.98 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9845.43 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज %	
			31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	58.08 %	64 %

6. अन्य सूचनाएं

(क) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (₹ करोड़ में)	1847.75	1704.47
(ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000 / – प्रति शेयर)	1965.69	1813.27

(ख) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पक्षों की सूची

(i) होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(ii) सहयोगी कंपनियां

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(iii) अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद	इस तिथि से प्रभावी
श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.03.2012
श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	15.05.2018
श्री भोला सिंह	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	15.01.2019
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	18.07.2019
श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक)	24.01.2020
श्री मुकेश चौधरी निदेशक, कोयला मंत्रालय	सरकारी निदेशक	05.06.2020
श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव	सरकारी निदेशक	19.02.2018
श्री सुभाउ कश्यप	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018
श्रीमती जजुला गोवरी	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री हरबंस सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री शिव अरोड़ा	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

एक सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक 100% अनुषंगी कंपनी है, जो कि केंद्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसका अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है (नोट 16)। इस प्रकार भारत सरकार का इस कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारतीय लेखा मानक 24 के

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, उनमें रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन हाथ की लंबाई के आधार पर बाजार की शर्तों पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय वक्तव्यों में सीमित खुलासे बनाये हैं।

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	लेन–देन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
एनटीपीसी	कोयले का विक्रय	2854.07	2784.18
	बकाया शेष	635.68	346.81

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.46	3.17
	चिकित्सा लाभ	0.05	0.01
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
(ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.16	0.20
	ग्रैचुइटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.58	0.66
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	0.70	0.76
	एनपीएस में योगदान	0.54	0.58
(iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.37	0.52
	कुल	**4.86**	**5.90**

टिप्पणी : **:**

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशकों को सेवाभत्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	सिटींग शुल्क	0.20	0.21

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	देय राशि	—	—
(ii)	प्राप्य राशि	—	—

(बी) समूह के अंदर संबंधित पक्ष लेन–देन

संबंधित पक्षों से लेन–देन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआई सीएम शुल्क	अन्य/ चालू खाता लेनदेन	कुल
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	66.89	40.30	—	—	—	311.88	419.07
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.63	0.63
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.57	0.57
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.87	0.87
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.74
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	2.56	2.56
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.28
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	115.16	115.16
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	2.27	—	2.27
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(सी) हाल के लेखांकन घोषणाएं

(i) भारतीय लेखा मानक 116–पट्टे

निगमित मामलों मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2019 के भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 116 अधिसूचना के अनुसार, कंपनी के लिए भारतीय लेखा मानक 17 के स्थान पर पट्टे, 01.04.2019 से प्रभावी हो गए हैं। भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार, पट्टों पर लेखांकन नीति में बदलाव किया गया है। भारतीय लेखा मानक 116 में मुख्य परिवर्तन, लेखांकन उपचार में पट्टों को वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किये गए पट्टों के पट्टेदार में बदल दिया जाता है। पट्टे समझौतों ने कंपनी के पट्टेदार होने की स्थिति में उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मान्यता एवं भविष्य के पट्टे भुगतान के लिए पट्टे देयताएं को जन्म दिया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

ट्रांजीशन के बाद, कंपनी ने संचयी विधि का पालन किया है यानी शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता दी है एवं प्रतिधारित आय के प्रारंभिक शेष के लिए समायोजन के रूप में और शुन्य करोड़ को समायोजित की गई प्रारंभिक प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है। तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टे देयता की गणना के लिए, शुन्य% को पट्टेदार की उधार की वृद्धिशील दर के रूप में उपयोग किया गया है।

31.03.2018 को परिचालन पट्टे के संबंध में शुन्य करोड़ का पट्टे देयता प्रतिबद्धता, ऊपर वर्णित पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायत दिया गया, जबकि 01.04.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टा देयता शुन्य करोड़ है। इसलिए, भविष्य की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ii) योजना संशोधन, पर्दा या निपटान– भारतीय लेखा मानक 19 में संशोधन

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, वक्रता और भुगतान के लिए लेखांकन के संबंध में भारतीय मानक 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप में संसोधन को अधिसूचित किया है।

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि :

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं का उपयोग करने के लिए ; तथा
- पिछले सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में किसी भी कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली थी।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

(iii) आयकर– भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 12, 'आयकर', लाभांश के आयकर परिणामों की पहचान और आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता के संबंध में संशोधन को अधिसूचित किया है।

संशोधन का पहला अनुछेद

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- जब लाभांश के भुगतान करने के लिए एक दायित्व को पहचाना जाता है, तब भारतीय लेखा मानक 109 में परिभाषित लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानने के लिए ;

इस संशोधन के लिए आवेदन की प्रभावी तिथि, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

संशोधन का दूसरा अनुछेद

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- यह विचार किया जा सके कि क्या यह संभावित है कि इस अनिश्चित कर उपचार को एक कराधान प्राधिकरण स्वीकार करे ;
- यदि इकाई निष्कर्ष निकालती है कि यह संभावित है कि कराधान प्राधिकरण एक अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा, तो इकाई कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर ऋण या कर दरों का लगातार कर उपचार के साथ उपयोग करके या आयकर फाइलिंग में उपयोग करने की योजना निर्धारित करेगी।
- यदि कोई इकाई यह निष्कर्ष निकालती है कि यह संभव नहीं है कि कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा, तो इकाई संबंधित कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण या कर दरों का निर्धारण करने में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाएगी।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

इस संशोधन के लिए आवेदन की प्रभावी तिथि, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

(iv) उधार लेने की लागत– भारतीय लेखा मानक 23 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 23, 'उधार के लागत' में, उधार के लागत में पूंजीकरण के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन संशोधनों के लिए निम्न आवश्यक हैं;

- इस हद तक कि एक इकाई आम तौर पर धनराशि उधार लेती है एवं एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, इकाई उस पूंजीकरण पर उधार लेने की लागत का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्ति के व्यय पर पूंजीकरण दर लागू करके करेगी।
- पूंजीकरण दर उस अवधि के दौरान बकाया इकाई के सभी उधारों पर लागू उधार लेने की लागत का भारित औसत होगा।
- हालाँकि, इकाई विशेष रूप से एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उधार पर लागू उधार लेने की लागत को इस गणना से बाहर रखना होगा, जब तक कि इसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए उस संपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी न हो जाएं।
- एक अवधि के दौरान इकाई द्वारा उधार लेने की लागत राशि उस अवधि के दौरान किया गया लागत राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ;

कंपनी के पास कोई उधार नहीं है इसलिए वर्तमान में कंपनी पर संशोधन लागू नहीं है।

(v) सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश–भारतीय लेखा मानक 28 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 28, 'सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' में, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में दीर्घावधि निवेश के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन अधिसूचित किए हैं। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अन्य वित्तीय साधनों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने के लिए जिसमें इक्विटी पद्धति लागू नहीं है। इनमें लंबी अवधि के हित शामिल हैं, जो सार में, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के शुद्ध निवेश का हिस्सा हैं;
- भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने में, इस मानक को लागू करने से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक हितों की वहन राशि के लिए किसी भी समायोजन का हिसाब नहीं रखता है;
- 45 एच–के पंक्तियों में उल्लेखित के अलावे, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से उन संशोधनों को लागू करने के लिए;
- संशोधनों के आवेदन को प्रतिबिंबित करने के लिए पूर्व अवधि को पुनः बयान करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई पूर्व अवधि को केवल तब पुनः बयान कर सकती है यदि यह बिना दृष्टि के उपयोग से संभव हो।

कंपनी के पास कोई सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम नहीं है इसलिए कंपनी में फिलहाल संशोधन लागू नहीं है।

(vi) वित्तीय साधनों– भारतीय लेखा मानक 109 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 109, 'वित्तीय साधनों' में, नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधाओं के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

- ऋणात्मक क्षतिपूर्ति तब उत्पन्न होती है, जहां वित्तीय साधन के अनुबंध की शर्तें, धारक को पुनर्भुगतान करने की अनुमति देती हैं या ऋणदाता या जारीकर्ता को अनुमति देती हैं की यंत्र को उधारकर्ता को दिया जाये ताकि वह परिपक्वता से पहले चुकौती पूर्व मूलधन और ब्याज से कम राशि पर भुगतान कर सके।;
- यदि संबंधित शर्तें निर्दिष्ट की जाती हैं तो इस प्रकार के उपकरणों को परिशोधित लागत, या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा, या ऋणदाता या जारीकर्ता द्वारा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी के पास वित्तीय साधन का कोई अनुबंध नहीं है, जिसमें वर्तमान में संशोधन लागू है।

(डी) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(ई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(एफ) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(जी) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(एच) चालू देयताएं

जहाँ वास्तविक देयताएं, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(आई) शेष का स्थायीकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(जे) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी –2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

(के) लीज

(i) मेसर्स इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्त्तों के आलोक में, इसे, कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 80.19 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 80.19 करोड़) है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास ₹ 77.69 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 77.69 करोड़) है एवं डब्ल्यूडीवी ₹ 2.50 करोड़ (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 24.48 करोड़ है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	15.36	15.36
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	5.28	9.12
कुल		**24.48**	**28.32**

(ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड़ भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹7.90 करोड़) है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास ₹7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7.90 करोड़ का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 3.17 करोड़ है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	0.19	0.19
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.77	0.77
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	2.21	2.40
कुल		**3.17**	**3.36**

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 1.20 लाख है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.48	0.48
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	0.60	0.72
कुल		**1.20**	1.32

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

(एल) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय मानक 108 परिचालन सेगमेंट के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन सेगमेंट को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके तहत बोर्ड द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जानकारी की पहचान की जाती है। भारतीय मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया है और फैसला लिया है कि वर्तमान में,कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है । वित्तीय प्रदर्शन और परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ और हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11642.64	शून्य

ग्राहक के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निबल) वाले ग्राहक के नाम	राशि	देश
ग्राहक– 1	1961.73	भारत
ग्राहक– 2	1857.64	
अन्य	7823.27	
कुल राजस्व (निबल)	**11642.64**	

स्थान के अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	7387.65	शून्य

(एम) असंकलित राजस्व सूचना

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
– कोयला	11642.64	11273.99
– अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**
ग्राहकों के प्रकार		
– बिजली क्षेत्र	8210.67	7539.22
– गैर–बिजली क्षेत्र	3431.97	3734.77
– अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**
संविदा के प्रकार		
– एफएसए	8863.81	8174.29
– ई–नीलामी	2778.83	3099.70
– अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवाओं का समय		
– एक समय में स्थानांतरित माल	11642.64	11273.99
– समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
– एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
– समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**

(एन) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक –37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2019 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन / समायोजन / वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2020 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :					
परिसंपत्ति पर हानि :	30.97	21.40	4.87	—	57.24
नोट 4: प्रगति पर पूंजी कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ :	18.51	1.46	(6.11)	—	13.86
नोट 5: अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति :					
प्रावधान एवं हानि :	0.67	—	—	—	0.67
नोट 8 : ऋण					
अन्य ऋण :	—	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ति					
अन्य जमा एंव प्राप्य	—	—	—	—	—
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	—	—	—	—	—
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	4.76	4.54	—	—	9.30
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	0.09	—	—	—	0.09
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.62	0.05	(0.13)	—	0.54
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.13	0.76	—	—	0.89
अन्य अग्रिम एवं जमा	18.17	2.12	(0.02)	—	20.27
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधान:	223.04	60.34	—	—	283.38
नोट 21 : गैर चालू एवं चालू प्रावधान					
एक्स–ग्रेसिया	225.25	236.72	225.25	—	236.72
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	153.92	80.32	(37.72)	—	196.52
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के प्रावधान	13.57	—	(13.57)	—	—
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान	18.20	—	(18.20)	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली / खान बंदीकरण	1087.26	—	(77.35)	75.09	1085.00

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले के विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने ₹ 2.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 2.55) की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी, परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 19.05.2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3 (ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में ₹ 94.33 करोड़ के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से ₹ 83.03 करोड़ ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः ₹ 75 करोड़ एवं ₹ 25 करोड़ तदर्भ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 सं मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, ₹ 94.33 करोड के अतिरिक्त, ₹ 23.25 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 3.26 करोड़ अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी ₹ 0.26 करोड़ के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i) मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii) अप्रैल, 08 से मार्च 14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़.
(iii) पुरानी समझी ऊर्जा शुल्क के संबंध में रखी पुरानी राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv) वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v) वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
	₹ 152.46 करोड़
घटाव : तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
निबल शेष राषि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के ₹134.20 करोड़ सहित ₹ 302.63 करोड़ के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.1.83 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक जीएम(ई एंड एम)/डीएलएफ/14/3530–36 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, ₹ 38.69 करोड़ है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पावर खरीद समझौता दिनांक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज कें अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालांकि वित्त वर्ष 2015–16 में ₹ 38.69 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.46 करोड़) रूपए हैं।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नहीं था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात ₹49.68 करोड़ की मांग के खिलाफ, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में अंतिम निपटान के रूप में ₹12.58 करोड़ की राशि का भुगतान किया है।

7.7 मेसर्स आई एफ पी एल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 में 20 वर्षों की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप में ₹ 32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नहीं किया है। नतीजतन, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की ₹ 4.02 करोड़ की अंतर राशि एवं ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय ₹ 2.42 करोड़ के लिए किया गया है। 2019–20 में समाप्त वर्ष के लिए प्राप्य किराये के लिए ₹3.84 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।

7.8 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूंजी ₹ 5.00 करोड़ की है। बाद में अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ कर दिया गया है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। तुलन–पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने ₹ 32 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, ₹ 13 करोड़ एवं ₹ 10.10 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2020 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 55.10 करोड़ रू का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जेसीआरएल को ₹ 1.77 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1.77 करोड़) का नुकसान हुआ है।

7.9 सीसीएल ने बोकारो और करगली एरिया में कोनार साइडिंग के निर्माण के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ दिनांक 05/06/2017 समझौता सं. डब्ल्यू466/लैंड लीज/कोनार साइडिंग के तहत एक पट्टा समझौता किया है। लीज समझौता, 01.04.2016 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल ने पूरी अवधि के लिए ई.सी. रेलवे को ₹27.19 करोड़ का एक–बारगी पट्टा किराया जमा किया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'राइट टू यूज (लीज)' के तहत भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार दर्शाया गया है।

7.10 संपत्ति–सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.11 भंडार और पुर्जों की सूची का भौतिक लेखा, भंडार परीक्षकों द्वारा नियत समय पर सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, वर्ष के दौरान सत्यापन नहीं किया जा सका।

7.12 क) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसीएल को आवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 50ः ₹20.65 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में ₹9.91 करोड़ की राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की ₹286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया । ₹30.56 करोड़ (₹20.65 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं ₹9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट–5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि दूसरे और तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ₹20.65 करोड़ की शेष राशि पूंजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 के अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पक्ष में ₹14577.20 लाख की राशि के बैंक गारंटी को सिलेक्टेड ढोरी जीओएम, ढोरी क्षेत्र और कारो ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र के संबंध में जारी किया गया।

ग) सहायक विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सब स्टेशन चतरा जेबीवीएनएल को आम्रपाली ओसीपी (बिंग्लट) एवं मगध ओसीपी (कुंडी पैच) के संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति सर्कल, हजारीबाग द्वारा जारी किया गया आदेश संख्या 1957/इएसइ(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 और 1955/इएसइ(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 के खिलाफ, ₹53.90 लाख की राशि का बैंक गारंटी जारी किया गया।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सिविल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा ₹286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से ₹226.74 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और ₹59.57 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

7.14 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध ₹106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर ₹ 71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक ₹75.69 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं ₹30.87 करोड़ रुपये की शेष राशि अभी भी अवास्तविक है।

उपरोक्त ₹30.87 करोड़, में से ₹26.85 करोड़ 01.04.2012 से 30.06.2012 की अवधि से संबंधित है जब कोयले पर कोई टीसीएस नहीं था। चूंकि टीसीएस को 01.07.2012 से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोयले पर लागू किया गया था, त्रुटि को सुधरने ले लिए एक सुधार याचिका यू/एस 154 पहले से ही 02.02.2018 को दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई विभाग को कई स्मरणपत्र देने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालाँकि, सीसीएल ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर विभाग की अनुभाग 206 सी के अनुसार किये मांग को चुनौती दी है। यह मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

7.15 क्षेत्रों द्वारा किये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, मार्च 2020 में समाप्त वर्ष के लिए प्रगतिशील खान बंदीकरण व्यय के लिए प्राप्तियों का ₹94.59 करोड़ की राशि का दावा का हिसाब किया गया एवं उन्हें अन्य जमाओं के तहत दर्शाया गया है (खान बंदीकरण समवर्ती व्यय), नोट 9 (गैर–चालू)। सीसीओ की सलाह के परिणामस्वरूप सीएमपीडीआईएल द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि किए गए ₹251.47 करोड़ के अतिरिक्त दावे को अन्य आय के लिए ऋण के अनुरूप अन्य जमा (खान बंदीकरण समवर्ती व्यय) के रूप में माना गया है। प्रगतिशील खान बंद करने के वर्ष के दौरान व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य के खिलाफ ₹77.35 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ(स्टैण्डअलॉन)

7.16 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी। सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में डब्ल्यूएमसीसी की कीमत ₹ 11,500 प्रति टन 14.01.2017 के प्रभाव से अधिसूचित की थी. यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस/पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

चूंकि एमओयू 31.03.2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14.01.2017 को जारी की गई थी, 14.01.2017 से 31.03.2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचित मूल्य पर प्रेषण के लिए ₹155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में ₹126.16 करोड़ और आरआईएनएल के संबंध में ₹29.64 करोड़) का एक प्रावधान, वर्ष 2018–19 के दौरान बनाया गया खातों में प्रावधान किया गया ।
मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.07.2018 को ₹ 6,500 प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल/आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं। तदनुसार धुलाई वाले मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) के लिए मौजूदा मूल्य तंत्र की समीक्षा करने के लिए दिनांक 08.07.2019 को मेसर्स पीडब्लूसी प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश सं. वाशरी (सीसीएल)/डब्ल्यूओ/प्राइस मैकेनिज्म (डब्ल्यूएमसीसी)/2019/745–50 जारी किया गया है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

7.17 कोरोनावायरस (कोविड –19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन, राजस्व, नकदी प्रवाह आदि पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

7.18 कंपनी की संशोधित नीति के अनुसार, सूचि(कोल) की लागत की गणना के तरीके को एफआईएफओ विधि से वेटेड एवरेज विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018–19 के समापन भंडार के मूल्यांकन पर निरर्थक प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के वर्णन किए गए आंकड़ों को बहाल नहीं किया गया है।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी–1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2020 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी– 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

यूडीआईएन: 20079005AAAAA6726

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति, सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,	
भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन	
अभिमत	
हमने मेस्सर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी") एवं इसकी अनुषंगी की संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नगदी–प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के स्टैंडअलोन विवरणी पर नोट सम्मिलित है, जिसमें उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न जिसे कंपनी ने कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं आम्रपाली, रजहरा, चरही क्षेत्रों का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है एवं शेष छः(6) हमारे द्वारा अंकेक्षित किया गए हैं।	
हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे प्रदत्त स्पष्टीकरण अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की स्टैंडअलोन लाभ/हानि, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की स्टैंडअलोन दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।	
अभिमत का आधार	
हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियां वर्णित है। आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण की आवश्यकताअनुसार हमने एक आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत–आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	
मामलों की प्रमुखता	
निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित कराते हैं :	
ए) 42 खानों में पर्यावरणी स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ में आकस्मिक देयता के मद में रू. 13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रू. 13389.38) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी का नोट सं. 38 अनुच्छेद 4 (ए)(1) देखें)।	वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में आकस्मिक देता के तहत इसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है(नोट 38 क अनुछेद 4(ए) के सन्दर्भ)
बी) ऋण की कुछ शेष राशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर–चालू आस्तियों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय देनदारियों एवं अन्य वर्तमान देनदारियों की पुष्टि लंबित हैं, हालांकि, पुष्टिकरण हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है, पुष्टि/सामंजस्य/समायोजन के परिणामस्वरूप कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।	पार्टियों को व्यापर प्राप्ति, व्यापर के भुगतान और अग्रिमों के सम्बन्ध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किये गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सामंजस्य बयां पर भी हस्ताक्षर किये जाते हैं।.

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
सी) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम कोकिंग–कोल (डब्लूएमसीसी)) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्यक किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। दिनांक 1/4/2017 से, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके तहत सीसीएल, सेल/ आरआईएनएल को अधिसूचित मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा इसके पश्चात, एमओयू नहीं होने के कारण सेल/आरआईएनएल ने मूलय निर्धारण तंत्र हेतु बाह्य एजेंसी नियुक्त करने का अनुरोध किया। सीसीएल ने एक पारदर्शी आयात–समता आधारित मूल्य–तंत्र के विकसित करने हेतु बाह्य एजेंसी की नियुक्ति निर्णय लिया, जिसके लिए मेसर्स पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया गया है और दिनांक 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सीसीएल ने 6500/– प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की है। बाह्य एजेंसी द्वारा पारदर्शी आयात–समता आधारित मूल्य तंत्र के निर्धारण लंबित होने पर सेल ने मूल्य–प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशों को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागू करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सीसीएल ने निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचित मूल्य के आधार पर माना जायेगा। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 38 में अनुच्छेद 7.16)। उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनसल को की गई आपूर्ति के मद पर कीमत में अंतर पर रू. 414.87 करोड की अदत्त राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत्त में संशोधन नहीं है।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 38 के संख्या 7.16 देखें)
डी) कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़े हुए 83795 मिलियन टन संदूषित कोयले की रेणी का निर्धारण लंबित है, वर्तमान में जिसका मूल्य शून्य है (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरण को संलग्नक– नोट संख्या 12)।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 38 के संख्या 7.17 देखें)
ई) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की टिप्पणी–38 अनुच्छेद 7. 17 के अनुसार हम वित्तीय विवरणी पर ध्यान आकर्षित करते है, जो आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान सूचकों और उक्त की समीक्षा के आधार पर व्याख्यायित करता है, कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और भविष्य की स्थितियों और इसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भौतिक परिवर्तन की निकट पर्यवेक्षण जारी रखे। प्रबंधकीय विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हुआ कोविड–19 महामारी के प्रकोप के प्रभाव पर, वर्तमान वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई वृहत प्रभाव नहीं पड़ा है । हालाँकि, कोविड–19 की अनुमेय गतिविज्ञान अभी भी विश्व स्तर पर विकसित हो रही है और विभिन्न निवारक उपाय (भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध आदि जैसे) अभी भी लागू हैं, जो की एक अत्यधिक अनिश्चित आर्थिक वातावरण का नेतृत्व कर रही है और परिणामस्वरूप, बाद की अवधि में सामान्य आर्थिक गतिविधियों का विघटन हो सकता है जो कंपनी के व्यापार संचालन, राजस्व नकदी प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत्त में संशोधन नहीं है।	
एफ) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के नोट 2 के पारा 2.24.1.2 के वित्तीय विवरण "भौतिकता"–दिनांक 01.04.2019 से प्रभावित पूर्व अवधि के त्रुटियों/ चूक को अभौतिक माना जाएगा और	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 2 के संख्या 2.24.1.2 देखें)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
वर्तमान वर्ष मे समायोजित किया जाएगा। यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक का कुल राजस्व 0.5% संचालन से अधिक नहीं हैं, सीआईएल के अंतिम समेकित लेखा परीक्षित विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व का 1% (सांविधिक का कुल एकत्र करना) कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार।	
जी) भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 में कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए का नया प्रावधान पेश किया है(2019 की संख्या 15, जो कि 01.04.2020 से या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष के लिए लागू है। तदनुसार, कंपनी ने नए कर व्यवस्था की दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आयकर की गणना की है, जो कि 22% है, और 10% अधिभार है, और उपकर (पिछले वर्ष–30% और 12% अधिभार और उपकर)। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के नोट 36 में वित्तीय विवरण को देखें)।	कोई टिप्पणी नहीं।

मुख्य अंकेक्षण मामले

हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ मे किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत्त निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

क्र स	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	अंकेक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन** खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को ख्वादान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है। अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात–प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी–कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है। तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर–चालू प्रावधान/अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है।. अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचि मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि** हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया : स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य क आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिनन गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखंकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **अंकेक्षण निष्कर्ष** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।

प्रबंधन का उत्तर: कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'** स्टैंडअलोन भारतीय एएस में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं। किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते/ ई–नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल/ स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है। अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरण के लिए नोट 24 को देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि :** हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय एएस 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है। हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल/ स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्व संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है। प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है। **<u>अंकेक्षण निष्कर्ष</u>** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों** का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रावधान के स्तर के आकलन में उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चितता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरण के लिए नोट 38 अनुच्छेद 4(ए)(i) को देखें।	**प्रमुख लेखांकन प्रक्रियाएं:** हमारा ऑडिट विचाराधीन तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक निर्णय/ व्याख्या के अंतर्गत विश्लेषण करने पर केंद्रित था। — विभिन्न कर प्राधिकारियों /न्यायिक फोरम से प्राप्त अद्यतन आदेशों और/या पत्राचार की जांच तदनंतर कृत कारवाई। — मुकदमे/कर निर्धारण की अद्यतन स्थिति को समझना। — यहाँ प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह। — चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और संभावित बहिर्वाह। **<u>अंकेक्षण निष्कर्ष</u>** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों की है। अन्य सूचनाओं के अंतर्गत कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित सूचनाएं हैं, परन्तु स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी एवं हमारे उक्त अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं होती है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत हैय हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमारे लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित लोगों से संवाद करना होगा।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन की जवाबदेही

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए कंपनी का निदेशकीय मंडल जवाबदेह हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक एवं उसके अंतर्गत नियम सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार अन्य विस्तृत आय सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव पर सत्य एवं समुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अधीन धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव एवं आस्तियों की सुरक्षा हेतु जवाबदेह हैंय समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राकक्लन तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन एवं रख–रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण एवं प्रस्तुति हेतु सत्य व उचित दृ ष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त हैं, जो पूर्व से ही कार्यान्वित हैं।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, प्रबंधन कार्यशील संस्थाओं की क्षमता के प्राकक्लन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागु हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक सञ्चालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाये, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो।

निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है की कंपनी की वित्तीय सुचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवदेन जारी करें,

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नही है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है।

लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम :

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्रापत करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है।
- प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चिततता विधमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परीस्थितियों के अनुसार कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना समाप्त कर सकती है।
- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय–सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो।

मटेरियलिटी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ–साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन–प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है।

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है।	
शासन–प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है।	
अन्य मामले	
ए) जैसा कि स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज में वित्तीय विवरणों में माना गया है, हमने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के रूप में स्टैंडअलोन इंड एएस में शामिल 10 (दस) शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का अंकेक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 को 5808.27 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति एवं उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए 11694.02 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाते हैं। इन शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय में अब तक यह इन शाखाओं/क्षेत्रों के संबंध में शामिल राशियों, खुलासों से संबंधित है, और पूरी तरह से ऐसी शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
बी) सरकार द्वारा कोविड–19 के कारण लागू लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में, यात्रा प्रतिबंधों के कारण सख्त समयसीमा के भीतर अंकेक्षण कार्य हेतु मूल दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा नहीं किया जा सका, अतः कुछ क्षेत्रों का अंकेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया गया है, और क्षेत्र प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, तथ्यों और स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर अभिमत व्यक्त किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
सी) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियों को शामिल करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर 13 जून, 2020 की हमारी रिपोर्ट संशोधित की जा रही है एवं मामलों की प्रमुखता के मद (सी) के अंतर्गत अनुच्छेद "उपर्युक्त के आलोक में, 01.04.2107 से 30.06.2018 की समायावधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को डबल्यूएमसीसी की आपूर्ति के एवज में भुगतान, यदि हो तो, का वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सकता। (स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के नोट 38 के अनुच्छेद 7.16)" के स्थान पर "(स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के नोट 38 के अनुच्छेद 7.16) संशोधित किया जा रहा है। उपर्युक्त के आलोक में, 01.04.2107 से 30.06.2018 की समायावधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को 414.87 करोड़ की डबल्यूएमसीसी की आपूर्ति के एवज में लंबित अभुक्त शेष राशि का समायोजन नहीं किया गया है।" तथा "मामलों की प्रमुखता" अंतर्गत मद (जी) में "कंपनी भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 (2019 का सं 15) के आयकर अधिनियम की धारा 115बीएए का नया प्रावधान लागू किया है, जो अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष के विगत 1 वर्ष के लिए प्रासंगिक है। तदनुसार, कंपनी ने नए कर दर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

वर्ष 2019–20 के लिए आयकर की गणना की है, अर्थात, 22% से अधिक अधिभार 10% और उपकर (पिछला वर्ष – 30% से अधिक अधिभार 12% और उपकर)। (स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणी का नोट 36 देखें)।" जोड़ा गया है। तथा "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद (3)(ए) में "खंड (ए),(बी),(सी),(डी),(ई) एवं (एफ)" के स्थान पर "खंड (ए),(बी),(सी),(डी),(ई),(एफ) एवं (जी)" का संशोधन किया है।

इस ऑडिट रिपोर्ट का समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ऑडिट रिपोर्ट जून 13, 2020 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मूल ऑडिट रिपोर्ट का विवरण देती है।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी ऑडिट प्रक्रिया केवल "मामलों की प्रमुखता" के तहत बिंदु (सी) और बिंदु (जी) के तहत पैरा में संशोधन/ परिवर्धन तक सीमित है और "रिपोर्ट" के तहत बयान पर रिपोर्टिंग करने के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताएं "और पैरा (3) (ए) के विवरण पर रिपोर्टिंग करने तक ही सीमित है।

इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत्त में संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश–अतिरिक्त निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं कंपनी की लेखा एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम "अनुलग्नक–ए" में प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा–143(11) के आलोक में, भारत सरकार वारा जनहित में जारी कंपनी (अंकेक्षीय प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार, आदेश के अनुछेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट ब्यौरे, हम "अनुलग्नक–बी" में प्रदान करते हैं।

3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि :

   ए) हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वात्तम है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त मामलों की प्रमुखता के मद सं. (ए), (बी) (सी), (डी), (इ), (एफ) एवं (जी) के साथ पढ़ा जाए।

   बी) हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही–खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही–खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

   सी) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा /क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का अंकेक्षण प्रतिवेदन हमे प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।

   डी) शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखा/ क्षेत्र के वित्तीय विवरण सहित इस प्रतिवेदन का तुलन पत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरणी एवं इक्विटी में बदलाव की विवरणी, बही–खातों के सदृश्य है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

ई) हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी किया गया प्रासंगिक नियमे का अनुपालन करते हैं:

एफ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

जी) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणें के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में **"अनुलग्नक–सी"** में हमारी प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

एच) अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी के नियम 11 (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के अनुसार हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी की स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट–38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब पड़ेगा जब उक्त पर फैसला आएगा।

ii. कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान से बचाव हेतु, यदि हो तो, डेरीवेटिव संविदा सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए है।

iii. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, किसी भी प्रंकार की राशि को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)
यूडीआईएन : 20079005AAAAAG4420

स्थान : राँची
दिनांक : 24.07.2020

प्रबंधन का उत्तर

"अनुलग्नक – ए" जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा समस्त लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो तो घोषित करें। यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें।	
कंपनी के पास लेनदेन के प्रक्रिया को प्रसंस्कृत करने हेतु कोलनेट प्रणाली विद्यमान है जिसे विभिन्न वित्तीय माड्यूलों को समाहित करने के लिए निर्मित किया गया है, यह वित्त, विक्रय एवं विपणन, पे–रोल, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक एवं अन्य क्षेत्रों को समाहित करता है। हालांकि, इन मद्दो के लिए इसका पूर्ण–रूपेण समाकलन नहीं किया गया है: *1. अचल परिसंपत्तियों से संबंधित सभी गणना को स्प्रेडशीट प्रारूप में रखी गई हैं।* *2. आपूर्तिकर्त्ताओं या ठेकेदारों को बिल भुगतान के दौरान जीएसटी (आरसीएम) एवं टीडीएस की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है और बाद में इसे सिस्टम में दर्ज किया जाता है तत्पश्चात इसे आईटी प्रणाली में संसाधित किया जाता है।* *3. पेरोल प्रणाली को खाते के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। लेखांकन प्रणाली में संबंधित प्रविष्टियों को मैनन्युअली पारित किया जाता है।* *4. विक्रय माड्युल को कोयला प्रेषण के साथ बद्ध नहीं किया गया है तथा कोयला संचलन स्टॉक पंजी को आईटी प्रणाली के तहत संसाधित नहीं किया जाता।* *सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की अपर्याप्तता को हमारे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में दर्ज किया गया है। जैसा प्रबंधन द्वारा सूचित है, कंपनी ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया में है जो न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विभिन्न मॉड्यूलों में डेटा के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय मॉड्यूल के साथ सभी परिचालन प्रक्रिया को एकीकृत करेगा।* **वित्तीय प्रभाव, यदि है, तो अज्ञात है।**	सभी लेखांकन लेनदेन कोलनेट प्रणाली के माध्यम से संसाधित होते हैं।
2. क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये।	
मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या अधित्याग/ऋण पर बट्टा/ऋण/ब्याज आदि का किसी भी मामले में ऋणदाता द्वारा इस वर्ष या किसी अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता का कोई मामला है, अतः यह लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब या गया या नहीं? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें।	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को सीसीडीएसी योजना के अंतर्गत रेलवे साइडिंग/पू.म. रेलवे द्वारा निर्मित सड़क के मद में प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है, उक्त का केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार हिसाब एवं सदुपयोग किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या समरूप मानचित्र को ध्यान मे रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	
	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	
	हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र के विभाजन और विलय/ पुन–संरचना का ऐसा कोई मामला नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	
	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 64 खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खदान की गतिविधियों के लिए 77.35 करोड़ रुपये (वि.व–शून्य) प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, 2 खदानों टैपिन साउथ ओसी और राजहरा ओसी के संबंध में एस्क्रो खाता अभी तक नहीं खोला गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है?	
	भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13568.50 करोड़ रू. (वि. व 13389.38 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष संशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01. 2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	नोट किया गया है।

"अनुलग्नक–बी" जो 31 मार्च, को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 2 में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की :

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
i. (ए) हमारे अकेक्षण के दौरान, यह दृष्टिगत हुआ कि कंपनी ने सामान्यतः फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण के कुछ मामलों को छोड़कर पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए अचल संपत्तियों का समुचित अभिलेख है एवं स्थान और पहचान चिन्ह का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी देखा गया कि फर्नीचर के संबंध मे, फिक्सचर प्रकाश और फिटिंग को अचल संपत्तियों के रजिस्टर के साथ लिंक नहीं गया है।	स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन मुख्यालय स्तर और क्षेत्र स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पिछले तीन वर्षों किया गया है तथा तीन साल से अधिक अवधी वाले 1 लाख से अधिक के मूल्य वाले परिसंपत्ति का मूल्यांकन किया गया है।
(बी) हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सर्वेयेड ऑफ परिसम्पत्तियों के अलावे अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख रूपये एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(सी) हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार, राष्ट्रीयकरण पूर्व अवधि में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण अधिनियम), 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश सं जीएसआर/345 ई दिनांकित 9 जुलाई 1973, नई दिल्ली द्वारा किया गया। भूमि एवं राजस्व विभाग एंव सीसीएल की वेबसाइट पर डीड उपलब्ध है। कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के साथ एस. ओ. सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भूमि विस्थापितों को भूमि के एवज में अंतिम मुवाअजे के भुगतान के पश्चात भूमि की मूल प्रति भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii. (ए) कंपनी की नीतियों के अनुसार, कोयला, कोक, आदि का सीआईएल मापक टीम द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र का वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया गया है। सीईएल की टीम ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में अंकेक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है कि बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन हो तो उसे नजरअंदाज किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(बी) कंपनी के पास नियत अंतराल में मुख्यकर्यालय द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोविड–19 परिस्थितियों के कारण, वर्ष के अंत में दुकानों और पुर्जों के आविष्कारों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन नहीं करवा सकी।	
iii.	हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता को छोड़कर, धारा 189 अनुसार रजिस्टर के अंतर्गत कंपनी ने अन्य कंपनियों, फर्मों, अन्य पार्टियों के साथ सीमित देयता भागीदारी को किसी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ए) ऐसे खाते पर होल्डिंग कंपनी द्वारा ब्याज की अनुमति दी जाती है। होल्डिंग और अनुषंगी को ध्यान में रखते हुए, हम ब्याज की दर और इस प्रकार के चालू खाते के अन्य नियमों और शर्तों पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(बी) अभिलेख, अनुसार, ब्याज प्राप्ति निरंतर है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(सी) चूंकि कोई ओवरड्यू राशि नहीं है, अतः आदेश का उपखंड (iii) (सी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv.	हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों और उसके द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अनुपालन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
v.	कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि के संबंध में शेष राशि, या ग्राहको/अन्य लोगों से जमा धनराशि, सुरक्षा जमा और अग्रिम जमा के रूप में कंपनी के व्यवसाय के लिए, कंपनी का विचार है कि ये जमा राशियों कंपनी (डिपोजिट्स की स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे में नहीं आती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vi.	हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेख की व्यापक रूप से समीक्षा की है और राय है कि निर्धारित खातों और रिकॉर्डों को बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकार्ड्स की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही या पूर्ण है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vii.	(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर, निर्विवाद वैधानिक देयताएं सहित बही खाते में भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य मेटेरिअल वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध कटौती/अर्जित राशि कंपनी द्वारा नियमित रूप से प्राधिकारियों को जमा कर दी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य मेटेरिअल वैधानिक देयताओं के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2020 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था।	कोई टिप्पणी नहीं।
(बी) कस्टम ड्यूटी की कोई मेटेरिअल बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है। हालांकि कंपनी द्वारा विवादों के कारण आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर के निम्नलिखित बकाया जमा नहीं गया है। (**अनुलग्नक – 1** अनुसार)	कोई टिप्पणी नहीं।
viii. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिवेंचर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ix. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) और वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
x. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई मेटेरिअल धोखाधड़ी और कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी और कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी को सूचित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xi. निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 की जारी की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xii. हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के लेनदेन अधिनियम के अनुभाग 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू होता है, और इस प्रकार के लेनदने का विवरण स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में लागू लेखांकन मानको के अनुसार आवश्यक है। कंपनी द्वारा अपनी होल्डिंग कंपनी के लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे से बाहर है। नियमित व्यापार क्रम एवं स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत अनुसार लेनदेन किया गया एवं प्रबंधन द्वारा इसका विवरण दिया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
xiv. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने साल के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xv. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही–खाते एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कंपनी द्वारा गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xvi. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–ए के तहत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)
यूडीआईएन : 20079005AAAAAG4420

स्थान : राँची
दिनांक : 24.07.2020

"अनुलग्नक–सी" जो 31 मार्च, को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की :

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

हमने 31 मार्च 2020 तक "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड"("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आध्रुत कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख–रखाव, कंपनी प्रबंधन, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्ररूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित अझैर कुशल संचालन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण।

अंकेक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यापतता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, उचित है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख–रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसंपत्तियों के सटीक एवं उचित लेन–देन और निपटान को दर्शाते है, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य/नीति/प्रक्रिया अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा– निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है।

हालाँकि, इनमें और सुधार की आवश्यकता है प)जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण, बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करने के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रलेखन, पप)खर्चों, अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण निगरानी को मजबूत करना, ऋणों के संतुलन की पुष्टि/सुलह/समायोजन, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य चालू, गैर–समवर्ती संपत्तियां, व्यापार देयताएं, अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य वर्तमान देनदारियां, पपप) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, अनुप्रयोग नियंत्रणों की अपर्याप्त डिजाइन जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण और एकीकृत जानकारी प्रदान करने से रोकती है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)
यूडीआईएन : 20079005AAAAAG4420

स्थान : राँची
दिनांक : 24.07.2020

कम्पनी के सदस्यों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अनुच्छेद 2 में अनुलग्नक – "बी" के खंड vii में उल्लेखीत परिशिष्ट–"1"

31.03.2020 को विवादित वैधानिक दायित्वों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

कर के प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान	जमा ना किया हुआ राशि
रॉयल्टी मामले	57	प्रमाण पत्र कार्यालय – धनबाद, राँची, बोकारो, हजारीबाग / डीएमओ / डीडी(एम)	1984-85 to 2018-19	151.06	4.37	146.68
रॉयल्टी मामले	7	डिप्टी कमिशनर–हजारीबाग, रामगढ़	1995-96 to 2019-20	5.10	1.10	3.99
रॉयल्टी मामले	5	कमिशनर – हजारीबाग	1992-93 to 2008-09	4.73	1.26	3.47
रॉयल्टी मामले	33	उच्च न्यायालय – झारखंड	1987-88 to 2018-19	1455.55	16.09	1439.46
रॉयल्टी मामले	6	सर्वोच्च न्यायालय – दिल्ली	91-92, 98-99,99-00,08-09	51.84	14.13	37.71
बिक्री कर मामले	44	वाणिज्यिक कर अधिकारी–राँची, रामगढ़, हजारीबाग, तेनुघाट	1996-97 to 2016-17	72.50	33.54	38.96
बिक्री कर मामले	146	जेसीसीटी (ए) (हजारीबाग)	1989-90 to 2017-18	252.05	55.13	196.92
बिक्री कर मामले	224	जेसीसीटी (ए) राँची	1985-86 to 2016-17	575.41	92.26	483.15
बिक्री कर मामले	78	कमिशनर वाणिज्यिक कर, राँची	88-89 to 2015-16	231.06	46.16	184.90
बिक्री कर मामले	145	ट्रिब्यूनल, राँची	1990-91 to 2014-15	388.50	69.55	318.95
बिक्री कर मामले	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	2011-12	3.87	3.87	–
विद्युत शुल्क मामले	16	डीसीसीटी	2003·04 to 2016-17	5.24	0.75	4.49
विद्युत शुल्क मामले	241	जेसीसीटी(ए) हजारीबाग	1992-93 to 2017-18	61.93	19.07	42.86
विद्युत शुल्क मामले	9	सीसीटी, राँची	2006-07 to 2017-18	13.06	9.74	3.32
विद्युत शुल्क मामले	25	टिब्यूनल, राँची	1993-94 to 2017-18	4.00	0.71	3.30
विद्युत शुल्क मामले	13	उच्च न्यायालय – झारखंड	1997-98 to 2015-16	14.57	6.73	7.84
ENTRY TAX CASES	1	सर्वोच्च न्यायालय – दिल्ली	2006-07	25.00	–	25.00
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	6	कमिशनर, राँची	2008-09 to 2017-18	28.79	1.11	27.68
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	5	सीएसटीएटी, कोलकाता	2016-17	31.03	1.59	29.44
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	2	अन्य	2012-13 to 2017-18	1.06	–	1.06
आयकर मामले	1	डीसीआईटी, राँची	2004-05	1.94	1.94	–
आयकर मामले	2	सीआईटी (ए), राँची	2017-18 & 2018-19	314.20	140.79	173.41
आयकर मामले	11	आईटीएटी	2006-07 to 2016-17	492.65	463.65	29.00
आयकर मामले	2	अन्य	2007-08 to 2018-19	0.24	-	0.24
		कुल		**4185.38**	**983.54**	**3201.84**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को परिसंपत्ति एवं देयता का समेकित विवरण

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2019 को (अंकेक्षित)
ए	**इक्विटी एवं देयता**		
1.	**शेयरधारक का निधि**		
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(बी) अन्य इक्विटी	5,452.60	4,203.04
	(सी) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप कुल शेयरधारक का निधि	**6,392.60**	**5,143.04**
2	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**	**—**	**—**
3	**गैर नियंत्रण ब्याज**	**23.87**	**23.18**
4	**गैर चालू देयता**		
	(ए) वित्तीय देयता	81.21	70.61
	(बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(सी) अन्य गैर–चालू देयता	578.07	540.84
	(डी) प्रावधान	4,116.22	3,411.37
	उप–कुल गैर–चालू देयता	**4,775.50**	**4,022.82**
5	**चालू देयताएं**		
	(ए) वित्तीय देयता	1,893.99	1,762.93
	(बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	56.18
	(सी) अन्य गैर–चालू देयता	2,577.23	3,724.28
	(डी) प्रावधान	942.30	1,007.77
	उप–कुल चालू देयता	**5,413.52**	**6,551.16**
	कुल इक्विटी एवं देयता	**16,605.49**	**15,740.20**
बी	**परिसंपत्तियां**		
1	गैर चालू परिसंपत्ति		
	(ए) स्थाई परिसंपत्ति	6,036.92	5,426.29
	(बी) समेकन सदभाव	—	—
	(सी) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	843.44	1,039.09
	(डी) वित्तीय परिसंपत्ति	1,787.70	1,468.39
	(ई) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	483.50	988.53
	उप–कुल चालू परिसंपत्ति	**9,151.56**	**8,922.30**
2	**चालू परिसंपत्ति**		
	(ए) वित्तीय परिसंपत्ति	3,758.88	2,889.02
	(बी) भंडार सूची	1,233.36	1,353.66
	(सी) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,399.23	2,575.22
	(डी) अन्य कर परिसंपत्ति (निबल)	62.46	—
	उप–कुल चालू परिसंपत्ति	**7,453.93**	**6,817.90**
	कुल परिसंपत्ति	**16,605.49**	**15,740.20**

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	4,125.15	4,227.05	5,085.41	16,768.33	16,343.92
	घटाव – अन्य लेवी	1,337.39	1,286.80	1,505.96	5,125.69	5,069.93
	(क) निबल विक्रय / संचालन से आय (एक्साइस कर एवं अन्य लेवी का निबल)	2,787.76	2,940.25	3,579.45	11,642.64	11,273.99
	(ख) अन्य संचालित आय	246.16	230.97	270.65	938.08	905.91
	संचालन से कुल आय(निबल) (क+ख)	**3,033.92**	**3,171.22**	**3,850.10**	**12,580.72**	**12,179.90**
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	234.20	188.89	224.39	762.94	796.28
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(430.62)	66.05	(480.21)	126.37	(23.44)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,357.60	1,346.10	1,450.38	5,260.30	5,128.86
	(घ) मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	231.70	88.46	93.75	490.40	344.28
	(ड.) बिजली और ईंधन व्यय	59.22	59.07	61.60	226.86	231.02
	(च) सीएसआर व्यय	42.59	3.96	11.37	52.89	41.14
	(छ) मरम्मत	170.26	63.04	197.89	347.09	374.57
	(ज) ठेका व्यय	556.76	407.55	419.49	1,604.04	1,322.13
	(झ) अन्य व्यय	333.52	240.94	354.80	1,091.08	1,069.11
	(ञ) प्रावधान / बट्टे खाते डालना	5.34	1.89	38.39	35.52	93.95
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	359.57	(32.13)	288.93	180.41	347.60
	कुल व्यय (क से ट तक)	**2,920.14**	**2,433.82**	**2,660.78**	**10,177.90**	**9,725.50**
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ / हानि (1–2)**	**113.78**	**737.40**	**1,189.32**	**2,402.82**	**2,454.40**
4	अन्य आय	408.86	67.10	130.47	607.38	314.82
5	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ / हानि (3+4)**	**522.64**	**804.50**	**1,319.79**	**3,010.20**	**2,769.22**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
6	वित्तीय व्यय	18.92	18.88	18.57	75.71	75.26
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5–6)**	**503.72**	**785.62**	**1,301.22**	**2,934.49**	**2,693.96**
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7–8)**	**503.72**	**785.62**	**1,301.22**	**2,934.49**	**2,693.96**
10	कर व्यय	106.08	191.30	258.32	1,085.40	988.32
11	**वर्ष में निबल लाभ/हानि (9-10) [ए]**	**397.63**	**594.32**	**1,042.90**	**1,849.09**	**1,705.64**
12	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) **[बी]**	—	—	—	—	—
13	**सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निबल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11 + 12)**	**397.63**	**594.32**	**1,042.90**	**1,849.09**	**1,705.64**
14	**सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा**	—	—	—	—	—
15	अल्पसंख्यक हित	—	—	—	—	—
16	वर्ष के लिए निबल लाभ/(हानि) (13 + 14 + 15)	**397.63**	**594.32**	**1,042.90**	**1,849.09**	**1,705.64**
17	**अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]**	**(73.68)**	**(52.04)**	**(12.16)**	**(244.24)**	**(19.69)**
18	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए + बी]**	**323.96**	**542.28**	**1,030.74**	**1,604.85**	**1,685.95**
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरों का अंकित मूल्य ₹ 1000/– प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	**प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 1000/–) (वार्षिक नहीं किया गया)**					
	(क) बेसिक	**422.74**	**632.15**	**1,109.36**	**1,966.52**	**1,814.06**
	(ख) डायलुटेड	**422.74**	**632.15**	**1,109.36**	**1,966.52**	**1,814.06**

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएनः U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
गैर – चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,670.14	2,496.09
(ख) कार्यशील पूंजी	4	913.96	2,519.03
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	5	448.45	405.43
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	4.37	5.74
(ड.) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		—	—
(च) निवेश संपत्ति		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्तिया			
(i) निवेश	7	—	—
(ii) ऋण	8	0.55	0.66
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1787.15	1,467.73
(ज) आस्थगित कर संपत्ति (निबल)		843.44	1,039.09
(झ) अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया	10	483.50	988.53
कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)		**9,151.56**	**8,922.30**
चालू परिसंपत्ति			
(a) भंडार पूंजी	12	1,233.36	1,353.66
(b) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	0.48	52.56
(ii) व्यापार प्राप्य	13	2,492.11	1,095.13
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	184.00	271.44
(iv) अन्य बैंक शेष	15	490.85	841.51
(v) ऋण	8	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	591.44	628.38
(सी) चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)		62.42	—
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	2,399.23	2,575.22
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)		**7,453.93**	**6,817.90**
कुल परिसंपत्तियां (ए + बी)		**16,605.49**	**15,740.20**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र(जारी...)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को	31.03.2019 को
इक्विटी और देयताए			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	5,452.60	4,203.04
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोग्य इक्विटी		6,392.60	5,143.04
गैर–अनियंत्रित ब्याज		23.87	23.18
कुल इक्विटी (ए)		**6,416.47**	**5,166.22**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) व्यापार देयताएं	19	—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	81.21	70.61
(बी) प्रावधान	21	4,116.22	3,411.37
(सी) अन्य गैर–चालू देयताएं	22	578.07	540.84
कुल गैर–चालू देयताएं (बी)		**4,775.50**	**4,022.82**
चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	50.00	—
(ii) व्यापार देयताएं	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		0.46	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,404.32	1,260.18
(iii) अन्य वित्तीय देयताए	20	439.21	502.75
(बी) अन्य गैर–चालू देयताएं	23	2,577.23	3,724.28
(सी) प्रावधान	21	942.30	1,007.77
(डी) चालू कर देयताएं (निबल)		—	56.18
कुल गैर–चालू देयताएं (सी)		**5,413.52**	**6,551.16**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए +बी +सी)		**16,605.49**	**15,740.20**

महत्वपूर्ण लेखा नीति	2
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां	38

उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

लाभ एवं हानि का समेकित तुलन विवरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹. करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	24		
ए. बिक्री (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		11,642.64	11,273.99
बी. अन्य संचालन से राजस्व (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निबल)		938.08	905.91
(I) संचालन से राजस्व (ए+बी)		**12,580.72**	**12,179.90**
(II) अन्य आय	25	607.38	314.82
(III) कुल आय (I+II)		**13,188.10**	**12,494.72**
(IV) व्यय			
उपयोग किये गए सामग्री की लागत	26	762.94	796.28
तैयार माल के भंडार/कार्य प्रगति परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में	27	126.37	(23.44)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,260.30	5,128.86
बिजली का खर्च		226.86	231.02
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	52.89	41.14
मरम्मती	30	347.09	374.57
संविदात्मक व्यय	31	1,604.04	1,322.13
वित्तीय लागत	32	75.71	75.26
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि		490.40	344.28
प्रावधान	33	7.62	93.95
बट्टे खाते डालना	34	27.90	—
स्त्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन		180.41	347.60
अन्य व्यय	35	1,091.08	1,069.11
कुल व्यय (IV)		**10,253.61**	**9,800.76**
(V) असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (III-IV)		**2,934.49**	**2,693.96**
(VI) असाधारण मद		—	—
(VII) कर से पहले लाभ (V-VI)		**2,934.49**	**2,693.96**
(VIII) कर व्यय	36	1,085.40	988.32
(IX) वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)		**1,849.09**	**1,705.64**
(X) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(XI) स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(XII) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)		—	—
(XIII) संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध के लाभ/(हानि)में हिस्सा			
(XIV) वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)		***1,849.09***	***1,705.64***
अन्य विस्तृत आय	37		
ए. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(326.38)	(30.27)
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(82.14)	(10.58)
बी. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
(ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
(XV) कुल अन्य विस्तृत आय		**(244.24)**	**(19.69)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

लाभ एवं हानि का समेकित तुलन विवरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) **(वर्ष के लिए लाभकारी लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)**		**1,604.85**	**1,685.95**
आरोपित लाभ :			
कंपनी के स्वामी को		1,848.53	1,705.22
गैर –नियंत्रित ब्याज को		0.56	0.42
		1,849.09	**1,705.64**
अन्य आरोपित विस्तृत आय :			
कंपनी के स्वामी को		(244.24)	(19.69)
गैर –नियंत्रित ब्याज को		—	—
		(244.24)	**(19.69)**
कुल आरोपित विस्तृत आय :			
कंपनी के स्वामी को		1,604.29	1,685.53
गैर –नियंत्रित ब्याज को		0.56	0.42
(XVII) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		1,966.52	1,814.06
(2) डायलूटेड		1,966.52	1,814.06
(XVIII) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		—	—
(2) डायलूटेड		—	—
(XIX) **प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए):**			
(1) बेसिक		1,966.52	1,814.06
(2) डायलूटेड		1,966.52	
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिपण्णी	38		

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		2,608.11	2,663.69
समायोजन के लिए :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		490.39	341.63
ब्याज और लाभांश आय		(148.52)	(122.00)
वित्तीय लागत		75.71	75.26
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि		3.05	9.92
अन्य प्रावधान		35.52	93.95
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(331.81)	(71.79)
स्ट्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन		180.41	347.60
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**2,912.87**	**3,338.26**
समायोजन के लिए :			
व्यापार प्राप्य (कुल प्रावधान)		(1,396.98)	25.87
भंडार सूची		120.30	(4.43)
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		531.84	48.11
वित्तीय एवं अन्य देयताएं		(534.15)	(836.06)
संचालन से उत्पन्न नगद		**1,633.88**	**2,571.75**
भुगतान/वापसी		(847.58)	(1,050.30)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह	(ए)	**786.30**	**1,521.45**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(1,044.69)	(1,269.01)
बैंक जमा पर में प्राप्ति/(निवेश)		350.66	365.58
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		52.08	(52.56)
सहायक कंपनी में निवेश		0.10	5.00
निवेश से ब्याज		—	—
ब्याज एवं लाभांश आय		148.52	122.00
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	(बी)	**(493.33)**	**(828.99)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
वापसी/उधार में वृद्धि		50.00	(150.00)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(75.71)	(75.26)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(294.22)	(297.04)
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		(60.48)	(61.06)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी	**(सी)**	**(380.41)**	**(583.36)**
नकद एवं बैंक शेष में निबल वृद्धि/(कमी) (ए + बी + सी)		**(87.44)**	**109.10**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**271.44**	**162.34**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**184.00**	**271.44**

(कोष्ठ में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखंड

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण – समेकित

(₹ करोड़ में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2018 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2019 पर शेष	01.04.2019 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 पर शेष
₹1000 /– प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर (₹1000 / – प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर)	940.00	–	940.00	940.00	–	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	ओ सी आइ	इक्विटी शेयरधारकों को आरोपित इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2018 पर शेष	*2,068.48*	*653.00*	154.13	2,875.61	17.76	2,893.37
लेखांकन नीति में परिवर्तन	–	–	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटियां	–	–	–	–	–	–
01.04.2018 पर पुनर्लिखित शेष	*2,068.48*	*653.00*	**154.13**	**2,875.61**	**17.76**	**2,893.37**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निवेश (शेयर राशि)	–	–	–	–	5.00	5.00
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–	–	–
वर्ष के लिए लाभ	–	*1,705.22*	(19.69)	1,685.53	0.42	1,685.95
विनियोग						–
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	*85.22*	*(85.22)*	–	–		–
अन्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	–	–	–	–		–
अंतरिम लाभांश	–	*(297.04)*	–	(297.04)		(297.04)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–		–
निगम लाभांश कर	–	*(61.06)*	–	(61.06)		(61.06)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	–	–	–		–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–		–
पूर्व–क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–		–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति(निबल कर)	–	–	–	–		–
31.03.2019 पर शेष	***2,153.70***	***1,914.90***	**134.44**	**4,203.04**	**23.18**	**4,226.22**
01.04.2019 पर शेष	*2,153.70*	*1,914.90*	134.44	4,203.04	23.18	4,226.22
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–	0.10	0.10
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–	–	–
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	*(0.03)*	–	(0.03)	0.03	–
वर्ष के लिए लाभ	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	*1,848.53*	(244.24)	1,604.29	0.56	1,604.85
विनियोग	–	–	–	–	–	–
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण						–
अन्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	*92.39*	*(92.39)*	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	–		–	–	–
अंतिम लाभांश	–	*(294.22)*	–	(294.22)	–	(294.22)
निगम लाभांश कर	–	–	–	–	–	–
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	–	*(60.48)*	–	(60.48)	–	(60.48)
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–	–	–
पूर्व–क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति(निबल कर)	–	–	–	–	–	–
31.03.2020 पर शेष	–	–	–	–	–	–
01.04.2018 पर शेष	***2,246.09***	***3,316.31***	**(109.80)**	**5,452.60**	**23.87**	**5,476.47**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट–भट्टा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड जेसीआरएल है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- ➢ कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें;
- ➢ परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- ➢ लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ ₹ में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य–सम्पादन एवं घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण समेकित तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन–देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा–नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन–देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को मौजूद समझा जाता है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंध एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व मान्यता के ऊपर बाध्य है, और यह ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच–चरण मॉडल की स्थापना करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल ' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार संस्थाओं को सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करने में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

एक अनुबंध प्राप्त करने और एक अनुबंध को पूरा करने के लिए सीधे संबंधित लागत पर मानक वृद्धिशील लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है ।

2.4.1 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और यह दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है:

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है:

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है: अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए) तथा

ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण हों :

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती है :

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग–अलग होने के कारण बढ़ता है

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड–अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है:

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेन–देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन–देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेनदेन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे

पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

– चर प्रतिफल

– चर प्रतिफल के विवश अनुमान

– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व

– गैर – नकद प्रतिफल

– ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर–घटना पर आकस्मिक है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा। अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन–देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन–देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन–देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4 : लेन–देन मूल्य का आवंटन

लेन–देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग–अलग सामान या सेवा) को लेन–देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन–देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग–अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन–देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5 : राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है।

क) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती है:

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता है:

ग) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर

समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैः

(ए) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार हैः

(बी) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक हैः

(सी) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया हैः

(डी) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैंः

(इ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएं

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्तों पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है

(ब) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगा

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्त्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी भी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है।एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पतियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे – संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे – एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, जो पट्टे में पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है, उस स्वरुप में वित्त आय को पट्टा अवधि में मान्यता दी जाती है।"

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यिक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुलंग्नि विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समुह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- ➢ उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ➢ खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- ➢ संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- ➢ वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- ➢ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई भी लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के लिए जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

''मरम्मत एवं रख–रखाव'' के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

''परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ–हानि को लाभ–हानि की श्रेणी में रखा जाता है।''

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि(पट्टा भूमि सहित):	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है
भवनें	: 3 – 60 वर्ष
सड़कें	: 3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	: 3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	: 5 – 15 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

''अन्य भूमि'' के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) ;सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013य सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन

हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख–रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण
- भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है : जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है

जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसंपत्तियां को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे ''बेमेल लेखा'' कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या ''पास–थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियां या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेन–देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी ''सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य : तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेन–देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग–अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहां संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेन–देन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तिया इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहा यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और अस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण में शीध्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को ''स्ट्रीपिंग'' कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।:

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा %
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएं (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः

(i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है

(ii) लेन–देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को

(iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,

(iv) विवेकपूर्ण है, तथा

(v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ;

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं ; तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

01.04.2019 से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निबल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मोजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्वान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के अंकित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके अंकित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा

जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, अंकित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई	जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह	एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से अंकित मूल्य	आइ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से अंकित मूल्य	जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	के.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक			

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट– 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार / वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन / रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	पट्टों का उपयोग का अधिकार	योग
अग्रेणित राशि :																
1 अप्रैल, 2018 को	17.49	734.88	475.60	250.38	1,657.98	1.86	34.73	–	11.74	43.22	12.29	–	211.02	80.51	–	3,531.70
जोड़	–	26.57	–	46.24	144.78	1.75	234.05	–	3.34	13.68	0.12	–	55.86	6.70	–	533.09
विलोपन / समायोजन	–	–	(2.97)	(0.87)	(24.37)	–	(43.54)	–	–	(7.26)	(0.01)	–	(3.43)	(21.99)	–	(104.44)
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**761.45**	**472.63**	**295.75**	**1,778.39**	**3.61**	**225.24**	**–**	**15.08**	**49.64**	**12.40**	**–**	**263.45**	**65.22**	**–**	**3,960.35**
1 अप्रैल, 2019 को	17.49	761.45	472.63	295.75	1,778.39	3.61	225.24	–	15.08	49.64	12.40	–	263.45	65.22	–	3,960.35
जोड़	–	79.91	–	13.93	114.26	0.85	157.59	2,268.03	1.59	16.87	0.06	–	44.48	9.86	–	2,707.43
विलोपन / समायोजन	–	(27.19)	–	0.37	(89.18)	–	(0.74)	–	(0.01)	(3.14)	(0.01)	–	(0.37)	(6.02)	27.19	(99.10)
31 मार्च, 2020 को	**17.49**	**814.17**	**472.63**	**310.05**	**1,803.47**	**4.46**	**382.09**	**2,268.03**	**16.66**	**63.37**	**12.45**	**–**	**307.56**	**69.06**	**27.19**	**6,568.68**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि																
1 अप्रैल, 2018 को	–	125.39	131.20	27.99	673.70	0.51	10.80	–	5.67	20.05	4.02	–	66.57	44.71	–	1,110.61
वर्ष के लिए शुल्क	–	56.73	34.76	13.93	202.02	0.36	9.55	–	1.76	8.10	1.38	–	29.08	–	–	357.67
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.75	(19.75)	–	(14.00)
विलोपन / समायोजन	–	0.78	2.47	0.82	(8.68)	0.11	11.56	–	(1.09)	(4.21)	–	–	8.53	(0.31)	–	9.98
31 मार्च, 2019 को	**–**	**182.90**	**168.43**	**42.74**	**867.04**	**0.98**	**31.91**	**–**	**6.34**	**23.94**	**5.40**	**–**	**109.93**	**24.65**	**–**	**1,464.26**
1 अप्रैल, 2019 को	–	182.90	168.43	42.74	867.04	0.98	31.91	–	6.34	23.94	5.40	–	109.93	24.65	–	1,464.26
वर्ष के लिए शुल्क	–	57.65	34.76	13.04	167.02	0.42	30.76	113.40	1.25	8.93	1.42	–	26.22	–	–	454.87
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.40	12.75	–	34.15
विलोपन / समायोजन	–	(1.56)	–	0.33	(58.54)	(0.03)	–	–	(0.46)	(2.45)	–	–	4.86	–	3.11	(54.74)
31 मार्च, 2020 को	**–**	**238.99**	**203.19**	**56.11**	**975.52**	**1.37**	**62.67**	**113.40**	**7.13**	**30.42**	**6.82**	**–**	**162.41**	**37.40**	3.11	**1,898.54**
निबल अग्रणीत राशि																
31 मार्च, 2020 को	**17.49**	**575.18**	**269.44**	**253.94**	**827.95**	**3.09**	**319.42**	**2,154.63**	**9.53**	**32.95**	**5.63**	**–**	**145.15**	**31.66**	**24.08**	**4,670.14**
31 मार्च, 2019 को	**17.49**	**578.55**	**304.20**	**253.01**	**911.35**	**2.63**	**193.33**	**–**	**8.74**	**25.70**	**7.00**	**–**	**153.52**	**40.57**	**–**	**2,496.09**

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार / वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन / रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	–	20.77	50.16	32.79	–	759.19	71.73	–	6,115.62
संचित मूल्यह्रास एवं हानि																
1 अप्रैल, 2015 को	–	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	–	15.18	36.96	26.36	–	652.32	–	–	3,877.88
निबल अग्रेणित राशि	**16.87**	**258.13**	**479.75**	**167.09**	**1,095.56**	**1.66**	**14.86**	**–**	**5.59**	**13.20**	**6.43**	**–**	**106.87**	**71.73**	**–**	**2,237.74**

2. अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं।
3. अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लिखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ वैल्यू का अन्य कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
4. ₹ 12.75 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 19.7 करोड़ प्रत्याहत चार्ज किया गया) परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि दिया गया है।
5. लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को, पिछले साल व्यवसाय करने और कंपनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य ₹ 88.09 करोड़ और ₹ 2.50 करोड़ की निकासी करने का अधिकार दिया है।
6. 454.86 करोड़ रुपये के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से सम्बन्धित ₹ 26.22 करोड़ रुपये का परिशोधन शामिल है।
7. तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संयंत्र और उपकरण के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान मूल्यह्रास में ₹ 29.32 करोड़ रु की कमी आई है।.
8. सीआईएल बोर्ड ने 350 वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में ₹ 2399.07 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दे दी, जिसके लिए ₹ 2431.13 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा किया गया है। ई.सी. रेलवे ने रेल लाइन ६ रेल कॉरिडोर के लिए ₹ 2268.03 करोड़ खर्च किया है एवं ₹ 163.10 करोड़ की शेष राशि को नोट 10 में कैपिटल एडवांस के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजनों के खिलाफ सीसीडीएसी से आज तक ₹605.05 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
वहन राशि:						
1 अप्रैल, 2018 को	142.04	48.05	1,499.73	166.23	—	1,856.05
जोड़	127.99	16.22	798.50	144.64	—	1,087.35
पूंजीकरण / विलोपन	(65.87)	(29.06)	(204.07)	(106.86)	—	(405.86)
31 मार्च, 2019 को	**204.16**	**35.21**	**2,094.16**	**204.01**	**—**	**2,537.54**
1 अप्रैल, 2019 को	204.16	35.21	2,094.16	204.01	—	2,537.54
जोड़	33.04	26.42	107.79	136.33	—	303.58
पूंजीकरण / विलोपन	(8.68)	(25.41)	(1,855.64)	(23.57)	—	(1,913.30)
31 मार्च, 2020 को	**228.52**	**36.22**	**346.31**	**316.77**	**—**	**927.82**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
वर्ष के लिए शुल्क	1.94	5.07	11.55	12.58	—	31.14
हानि	0.03	0.65	0.12	3.52	—	4.32
विलोपन / समायोजन	—	—	—	6.99	—	6.99
वर्ष के लिए शुल्क	(0.72)	(3.78)	(11.55)	(7.89)		(23.94)
31 मार्च, 2019 को	**1.25**	**1.94**	**0.12**	**15.20**	**—**	**18.51**
1 अप्रैल, 2019 को	1.25	1.94	0.12	15.20	—	18.51
वर्ष के लिए शुल्क	0.03	0.08	0.12	1.23	—	1.46
हानि	—	—	—	—	—	—
विलोपन / समायोजन	(0.69)	(0.55)	—	(4.87)	—	(6.11)
31 मार्च, 2020 को	**0.59**	**1.47**	**0.24**	**11.56**	**—**	**13.86**
निबल वहन राशि						
31 मार्च, 2020 को	**227.93**	**34.75**	**346.07**	**305.21**	**—**	**913.96**
31 मार्च, 2019 को	**202.91**	**33.27**	**2,094.04**	**188.81**	**—**	**2,519.03**

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।

	बिल्डिंग जल आपूर्ति सड़कों एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि::						
1 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	—	519.41
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2015 को	10.52	12.29	45.74	36.84	—	105.39
निबल अग्रणीत राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	**—**	**414.02**

2. मशीनरी / परिसंपत्तियों के मामले में, जिसका खरीद / अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्यह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि ₹ 1.46 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4.32 करोड़) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹. करोड़ में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2018 को	261.34
जोड़	75.35
विलोपन / समायोजन	69.41
31 मार्च, 2019 को	**406.10**
1 अप्रैल, 2019 को	406.10
जोड़	43.02
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2020 को	**449.12**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2018 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2019 को	**0.67**
1 अप्रैल, 2019 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2020 को	**0.67**
निबल वहन राशि	
31 मार्च, 2020 को	**448.45**
31 मार्च, 2019 को	**405.43**

भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01-04-2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।

सकल वहन राशि::	
1 अप्रैल, 2015 को	176.04
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2015 को	2.21
निबल वहन राशि	**173.83**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2018 को	5.22	1.71	—	6.93
जोड	4.19	—	—	4.19
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**9.41**	**1.71**	**—**	**11.12**
1 अप्रैल, 2019 को	9.41	1.71		11.12
जोड	0.01	—	—	0.01
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को	**9.42**	**1.71**	**—**	**11.13**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2018 को	4.77	—	—	4.77
वर्ष के लिए शुल्क हानि	0.61	—	—	0.61
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को	**5.38**	**—**	**—**	**5.38**
1 अप्रैल, 2019 को	5.38	—	—	5.38
वर्ष के लिए शुल्क हानि	1.38	—	—	1.38
विलोपन / समायोजन	—	—	—	—
	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को	**6.76**	**—**	**—**	**6.76**
निबल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2020 को	**2.66**	**1.71**	**—**	**4.37**
31 मार्च, 2019 को	**4.03**	**1.71**	**—**	**5.74**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसुला जाएगा।
2. **भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तत की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।**

सकल वहन राशि: :				
1 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	—	6.45
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2015 को	—	—	—	—
निबल अग्रेणित राशि	**4.74**	**1.71**	**—**	**6.45**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स		—	—
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
सिक्योर्ड बांड्स में		—	—
सहकारी शेयरों में		—	—
कुल		**—**	**—**
उद्धत निवेशों का निबल राशि :		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य :		—	—
अनुद्धत निवेशों का निबल राशि :		—	—
निवेश के मूल्य में निबल हानिः		—	—

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या चालू वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष	फेस मूल्य प्रति युनिट ₹ में	**31.03.2020** को	**31.03.2019** को
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्यूचुअल फंड	2265.864 / 515315.242	1019.4457	0.23	52.53
एसबीआई म्यूचुअल फंड	2459.477 / 271.885	1003.2500	0.25	0.03
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड			—	—
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड			—	—
बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड			—	—
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान)			—	—
(व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
बड़े राज्यों के आधार पर विश्लेषण				
– यूपी			—	—
– हरियाणा			—	—
कुल			**0.48**	**52.56**
उद्धत निवेश का संकलित मूल्य :			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य :			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्य :			0.48	52.56
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्य :			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमाच्य		प्राप्त लाभांश	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
यूटीआई म्यूचुअल फंड	12,67,355.39	129.20	17,94,112.23	182.90	13,707.47	1.40
एसबीआई म्यूचुअल फंड	19,31,721.90	193.80	19,46,972.34	195.33	17,438.02	1.75
कुल	**31,99,077.291**	**323.00**	**37,41,084.572**	**378.23**	**31145.484**	**3.15**

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड की इकाईयों के रूप में दैनिक लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एन.ए.वी. का मूल्य स्थिर रहता है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	0.55	0.66
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	0.55	0.66
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
वर्गीकरण	**0.55**	**0.66**
सुरक्षित, सुविचारित	0.55	0.66
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—
चालू		
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	—	—
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
क्षीण ऋण	—	—

* कर्मचारियों को ऋण उनके सेवा निबंधन के अनुसार सुरक्षित रखा गया है

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को		31.03.2019 को
गैर चालू				
बैंक जमा		—		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य				
– खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक में जमा		1,285.68		1,182.01
– अन्य जमा (खान बंद करने का खर्च)		239.68		145.09
– खान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउंट से प्राप्य		261.79		140.63
अन्य जमा एवं प्राप्य		—		—
कुल		**1,787.15**		**1,467.73**
चालू				
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य				
– अन्य जमा (खान बंद करने का खर्च)		—		—
– खान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउंट से प्राप्य		325.49		272.54
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		—		—
उपार्जित ब्याज		8.66		14.57
दावे और अन्य प्राप्य	266.59		346.03	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	9.30	257.29	4.76	341.27
कुल		**591.44**		**628.38**

1. चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए ₹ 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से ₹ 4.54 करोड़ की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। ₹ 4.54 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से ₹ 2.65 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और ₹ 1.89 करोड़ के शेष के विरूद्ध ₹ 1.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि ₹ 1285.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1182.01 करोड़) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर ₹ 321.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 253.91 करोड़) का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)।
3. बैंक जमा में अर्जित ब्याज के अंदर, खान बंदीकरण योजना के तहत ₹ 5.81 करोड़ (वि. वर्ष ₹ 5.38 करोड़) पर अर्जित ब्याज शामिल है।
4. **एस्क्रो खाता शेष**

प्रारंभिक दिनांक पर एस्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,182.01	1,019.85
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा शेष	113.13	112.46
जोड़ : वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	67.89	49.70
घटाव : वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	77.35	–
अंतिम दिनांक पर एस्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	1,285.68	1,182.01

5. सीसीओ के दिए गए टिप्पणियों के आधार पर, सीएमपीडीआईएल (ऑडिटिंग एजेंसी) ने 2011–12 से 2015–16 अवधि के लिए खान बंदीकरण व्यय पर अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया तदनुसार ₹ 251.7 करोड़ राशि का अतिरिक्त खान बंदीकरण प्राप्य को अन्य आय में क्रेडिट बनाया गया है।(नोट –25)।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10 : अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

			31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(i)	**पूंजी अग्रिम**		482.37		987.41	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.09	482.28	0.09	987.32
(ii)	**पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम**					
	(a)	उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	1.20		1.21	
		घटावः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	1.20	—	1.21
	(b)	अन्य जमा एवं एवं अग्रिम	0.02		—	
		घटावः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	0.02	—	—
	(c)	संबद्ध पार्टियों को अग्रिम		—		—
		कुल		**483.50**		**988.53**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक /सदस्य भी हैं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1. ₹ 482.37 करोड़ की पूंजी अग्रिम के अंदर टोरी–शिवपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए ईसी रेलवे को दिया गया, ₹ 163.10 करोड़ शामिल हैं। (टिप्पणी–4 देखें).

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: अन्य चालू परीसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(ए) राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	58.57		68.56	
घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.54	58.03	0.62	67.94
(बी) वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	155.70		440.49	
कमः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.89	154.81	0.13	440.36
(सी) संबंधित पक्षों को अग्रिम		—		—
(डी) अन्य अग्रिम एवं जमा	1,326.41		1,239.96	
घटावः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	20.27	1,306.14	18.17	1,221.79
(ई) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	880.25		845.13	
घटाव: प्रावधान	—	880.25	—	845.13
(एफ) मेट क्रेडिट पात्रता	—		—	
घटाव: प्रावधान	—	—	—	—
कुल		2,399.23		2,575.22

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक सदस्य भी हैं (कम्पनियॉ के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में ₹ 8.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.74 करोड़) का भुगतान किया गया है।

2. खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में उपकर एवं अन्य करों के अधिनियम के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 4 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर उपकर और बिक्री कर मद में ₹ 10033 करोड़ का पूरक बिल दिया गया। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रायल्टी और उपकर के लिए देय वैधानिक देय राशि में "अन्य वर्तमान देयताएं" के अंतर्गत शामिल किया गया है। (नोट : 23)।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 : **भंडार सूचियाँ**

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ए) कोयले का भंडार	1,103.27	1,229.85
विकासाधीन कोयला	—	—
	1,103.27	1,229.85
(ख) सामान एवं कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	121.09	110.39
जोड़: पारगमन पर भंडार	4.42	8.76
सामान एवं कलपुर्जों का निबल भंडार (लागत पर)	125.51	119.15
(सी) केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.29	0.58
(डी) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.29	4.08
कुल	**1,233.36**	**1,353.66**

* कोयला भंडार मूल्यांकन के तरीके को फीफो से वेटेड एवरेज में बदल दिया गया है और इस बदलाव का प्रभाव ₹ 15.18 करोड़ (कमी) का है ।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में)(मूल्य ₹ करोड़ में)

तालिका – ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले के इति भण्डार एवं खाता भण्डार के साथ मिलान

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2019 को प्रारंभिक भण्डार	138.66	924.78	1.21	–	137.45	924.78
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			–	–		
2. वर्ष में उत्पादन	668.89	14,734.28	–	–	668.89	14,734.28
3. उप–योग (1+2)	807.55	15,659.06	1.21	–	806.34	15,659.06
4. वर्ष में प्रेषण						
(क) बाहरी प्रेषण	585.62	13,561.53	–	–	585.62	13,561.53
(ख) वापसी को दिया गया कोयला	87.70	1,323.01	–	–	87.70	1,323.01
(ग) निजी खपत	–	0.05	–	–	–	0.05
योग (क)	**673.32**	**14,884.59**	**–**	**–**	**673.32**	**14,884.59**
5. प्राप्त भंडार	134.23	774.47	1.21	–	133.02	774.47
6. मापित भण्डार	130.77	755.97	1.18	–	129.59	755.97
7. अन्तर (5—6)	3.46	18.50	0.03	–	3.43	18.50
8. अन्तर का विवरण						
(क) 5%के अन्दर अतिरिक्त	0.02	0.33	–	–	0.02	0.33
(ख) 5%के अन्दर कमी	3.48	18.83	0.03	–	3.45	18.83
(ग) 5% से परे अतिरक्त	–	–	–	–	–	
(घ) 5% से परे कमी	–	–	–	–	–	–
9. खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6—8क+8ख)	134.23	774.47	1.21	–	133.02	774.47

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में)(मू. ₹ करोड में)

तालिका – बी

कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
			कोकिंग		नन–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	138.66	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	154.77	1,229.85
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला/मिश्रित कोयला	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भण्डार	137.45	924.78	0.70	29.59	0.28	2.38	15.13	273.10	153.56	1,229.85
उत्पादन	668.89	14,734.28	7.62	559.75	64.81	1,990.81	13.82	721.01	755.14	18,005.85
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	585.62	13,561.53	7.65	552.45	65.03	1,992.36	13.03	703.03	671.33	16,809.37
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	87.70	1,323.01	–	–	–	–		–	87.70	1,323.01
(ग) निजी खपत	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	0.05
इति भण्डार	133.02	774.47	0.67	36.89	0.06	0.83	15.92	291.08	149.67	1,103.27
घटाव : कमी	–	–			–	–			–	–
इति भण्डार (लिया गया)	133.02	774.47	0.67	36.89	0.06	0.83	15.92	291.08	149.67	1,103.27

1 अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर–कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर–कोकिंग स्लरी 50963 मी टन (विगत वर्ष 50963 मी टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर–कोकिंग दोनों) 961343 मी टन (विगत वर्ष 597364 मी टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2 31.03.2020 को कोकिंग और गैर–कोकिंग स्लरी तथा गैर–कोकिंग रिजेक्ट्स का इति भंडार 242279 मी टन (विगत वर्ष 258670 मी टन) और 6445721 मी. टन (विगत वर्ष 7232847 मी टन) क्रमशः तैयार बाजार के अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।

3 कोयले के इति भंडार का वॉल्युमीट्रिक माप लिया जाता है और रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमीट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकटन त्रुटि को तथा गणितीय रूपांतरण–कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपांतरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/–) 5 प्रतिशत का अन्तर कम्पनी को लेखा नीति के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.43 लाख टन के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की शुद्ध कमी जिसका मूल्य ₹ 18.50 करोड़ है, की असंगति बनी हुई है।

4 कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़ा हुआ 83795 मी टन दूषित स्वच्छ कोयला को इति भंडार में शामिल नहीं किया गया है और उसे शून्य पर मूल्यांकन किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	-		-	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	2,492.11		1,095.13	
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
ऋण में हानि	283.38		223.04	
	2,775.49		1,318.17	
घटाव : खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	283.38	2,492.11	223.04	1,095.13
योग		**2,492.11**		**1,095.13**

1.

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
अन्य कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशकगण, सदस्य या निदेशक भी है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. कोयला गुणवत्ता विचरण में ₹ 841.15 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 860.45 करोड़) के व्यापार प्राप्य को निबल छूट दिया गया है।

3. **व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता भेद
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	223.04	860.45
जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए	—	683.48
शेष प्रावधान	223.04	1,543.93
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	—	642.44
समायोजन	60.34	(60.34)
31.03.2020 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**283.38**	**841.15**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता में	0.39	0.90
चालू खाते में		
- ब्याज सहित	85.67	54.00
- गैर ब्याज सहित	97.94	216.53
नगद ऋण खाते में	—	—
(ख) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	—	0.01
(घ) हस्तगत नकद	—	—
(ड.) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(च) अन्य (परिवहन में धन प्रेषण)	—	—
उप–कुल नकद एवं नकद समान	**184.00**	**271.44**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**184.00**	**271.44**

नोट :

1. मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।
2. हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।
3. दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) के मामले में खातां सं. – 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई ₹ 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	490.85	841.51
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**490.85**	**841.51**

जमा में शामिल –

i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 6.74 करोड़ रु ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट : 23) के साथ तदनरूपी देयता के ₹ 2.28 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार ₹ 29.72 करोड़ जमा किए गए हैं।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत		
₹ 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर (₹ 1000/– प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹ 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर (₹ 1000/– प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	940.00

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।

2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कम्पनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/–)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/–₹ प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2018 को शेष	2,068.48	653.00	154.13	2,875.61
लेखा नीति में परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटि (निबल कर)	–	–	–	–
01.04.2018 को शेष	**2,068.48**	**653.00**	**154.13**	**2,875.61**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,705.22	(19.69)	1,685.53
विनियोग			–	–
हस्तांतरित / सामान्य संचय से	85.22	(85.22)	–	–
हस्तांतरित / अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभ	–	(297.04)	–	(297.04)
अंतिम लाभ	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(61.06)	–	(61.06)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक				
बाय–बैक पर कर				
पूर्व संचलित व्यय	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	–	–	–	–
31.03.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.90**	**134.44**	**4,203.04**
01.04.2019 को शेष	**2,153.70**	**1,914.90**	**134.44**	**4,203.04**
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	(0.03)	–	(0.03)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान कुल लाभ	–	1,848.53	(244.24)	1,604.29
विनियोग			—	—
हस्तांतरित / सामान्य संचय से	92.39	(92.39)	–	–
हस्तांतरित / अन्य संचय से	–	–	–	–
अंतरिम लाभ	–	(294.22)	–	(294.22)
अंतिम लाभ	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(60.48)	–	(60.48)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	–	–	–	–
बाय–बैक पर कर	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	–	–	–	–
31.03.2020 को शेष	**2,246.09**	**3,316.31**	**(109.80)**	**5,452.60**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर–चालू		
सावधी ऋण	–	–
अन्य ऋण	–	–
कुल	**–**	**–**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	–
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
- बैंको से	–	–
- अन्य पार्टियों से	50.00	–
कुल	**50.00**	**–**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	–

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ ₹ में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

नकद ऋण सुविधा

कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ₹ 55 करोड़ की नकद ऋण की सुविधा है उपर्युक्त सुविधाएं मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथीपीकेशन चार्ज लगाकर जिसमें बही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा ₹ 83.00 करोड़ है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए व्यापार देयताएं	0.46	–
अन्य व्यापार देयताओं के लिए		
भंडार एवं कलपुर्जे	104.55	122.12
विद्युत एवं ईंधन	33.79	33.63
वेतन और भत्ते	358.88	341.30
अन्य	907.10	763.13
कुल	**1,404.78**	**1,260.18**

वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	1,405.24	1,260.18

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएं

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कम्पनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	69.94	59.47
अग्रिम राशि	5.35	6.23
अन्य	5.92	4.91
कुल	**81.21**	**70.61**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	17.68	25.16
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	–	–
अदत्त लाभांश	–	–
प्रतिभूति जमा राशि	175.59	174.85
पूंजीगत व्यय के लिए देय	142.76	167.90
अग्रिम राशि	99.91	130.48
अन्य	3.27	4.36
कुल	**439.21**	**502.75**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	670.34	308.29
अवकाश नकदीकरण	269.84	166.30
अन्य कर्मचारी लाभ	194.72	133.61
	1,134.90	608.20
स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण	1,085.00	1,087.26
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,896.32	1,715.91
अन्य	—	—
कुल	**4,116.22**	**3,411.37**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	380.47	381.72
अवकाश नकदीकरण	39.38	47.38
एक्स–ग्रेसिया	236.72	225.25
परफोरमेंस लिंटेड पे	196.52	153.92
अन्य कर्मचारी लाभ	89.21	167.73
एनसीडब्ल्यू -X	—	13.57
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	—	18.20
	942.30	1,007.77
स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण	—	—
अन्य	—	—
कुल	**942.30**	**1,007.77**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान (जारी...)

टिप्पणी :

1. स्थल पुनःस्थापन / खान बंदीकरण सुधार का मिलान :

01.04.2019 / 01.04.2018 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	472.63	475.60
जोडें : प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 31.03.2019/ 31.03.2018	614.63	545.10
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	75.09	69.53
कम : वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	77.35	2.97
31.03.2020 / 31.03.2019 को खान बंदीकरण प्रावधान	**1,085.00**	**1,087.26**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के लिए अनुपात तौर पर 2018–19 के लिए दिया गया ₹ 64700 / – का प्रावधान किया गया है।

3. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निबल व्यय निर्धारण ₹ 206.14 करोड़ हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

4. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2020 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। ₹ 1085.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1087.26 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 1285.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1182.01 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें ₹ 321.80 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 253.91 करोड़) ब्याज सहित है।

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य गैर–चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	–	–
आस्थगित आय*	578.07	540.84
कुल	**578.07**	**540.84**

* रेल लाइन / रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए ₹ 605.05 करोड़ का अनुदान है एवं सड़क के सदृढीकरण के लिए ₹ 4.29 करोड़ दिया गया है। रेल कॉरिडोर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है और सड़क की 10 वर्ष है। परीसंपत्ति के उपयोगी जीवन को देखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में ₹ 31.27 करोड़ की राशि को आय के रूप में अभिज्ञात की गयी है।

नोट 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वैधानिक देय	768.32	879.49
कोयला आयात के लिए अग्रिम	–	–
ग्राहकों/अन्यों से प्राप्त अग्रिम	1,609.61	2,691.88
शेष समतुल्य लेखा	–	–
अन्य देयताएं	199.30	152.91
योग	**2,577.23**	**3,724.28**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 24 : संचालन से आय

(₹ करोड़ में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**कोयले की बिक्री**		16,768.33		16,343.92
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी		5,125.69		5,069.93
	कोयले की बिक्री (निबल)(क)		**11,642.64**		**11,273.99**
ख.	**अन्य संचालित आय**				
	लोडिंग एवं यातायात शुल्क	627.26		590.64	
	घटाव : जीएसटी	29.87	597.39	28.13	562.51
	निकासी सुविधा शुल्क	357.72		360.57	
	घटाव : जीएसटी	17.03	340.69	17.17	343.40
	अन्य संचालित आय (निबल)(ख)		**938.08**		**905.91**
	संचालन से आय (क+ख)		**12,580.72**		**12,179.90**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट–38 के अंक 6(एम) में उल्लेख लिया गया है।

कोयले की विक्रय में ₹ 41.04 करोड़ की कोयला गुणवत्ता विचरण का प्रावधान शामिल है। (विगत वर्ष प्रावधान ₹ 156.11 करोड़)

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	145.37	117.08
लाभांश आय	3.15	4.92
अन्य गैर संचालित आया		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	—	—
विदेशी मुद्रा के लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर में बदलाव	—	—
लीज लगान	4.09	4.06
वापस लिया गया देयता/प्रावधान	331.81	71.79
विविध आय	122.96	116.97
कुल	**607.38**	**314.82**
विविध आय		
पेनाल्टी/एल डी वसुली	43.10	41.49
साइडिंग शुलक की वसुली	9.26	8.63
कर्मचारियों से वसुली	17.84	25.63
अन्य	52.76	41.22
कुल	**122.96**	**116.97**

* बैंक जमा से ब्याज में एस्क्रौ एकाउन्ट का ब्याज ₹ 75.86 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 60.48 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज ₹ 5.81 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.38 करोड़) शामिल है। (नोट सं – 21 देखें)

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	188.07	194.09
लकड़ी	0.29	0.30
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	341.94	383.37
एचईएमएम् कलपुर्जे	176.33	146.21
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	56.31	72.31
कुल	**762.94**	**796.28**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 27 : तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,229.85	1,206.37
कोयले का शेष भंडार	1,103.27	1,229.85
ए. कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन	**126.58**	**(23.48)**
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	4.08	4.12
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	4.29	4.08
बी. कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन	**(0.21)**	**0.04**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी + सी) {कमी/(अभिवृद्धि)}	**126.37**	**(23.44)**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	3,866.92	3,755.20
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,171.53	1,139.28
कर्मचारी कल्याण व्यय	221.85	234.38
कुल	**5,260.30**	**5,128.86**

नोट 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	52.89	41.14
कुल	**52.89**	**41.14**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 42.73 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 45.78 करोड़)।

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(i) परिसम्पत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण	21.75	2.06	23.81
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए	26.84	2.24	29.08
कुल	**48.59**	**4.30**	**52.89**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : मरम्मतें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	196.80	245.57
सयंत्र एवं मशीनरी	128.30	111.47
अन्य	21.99	17.53
कुल	**347.09**	**374.57**

* ₹172.00 करोड़ के कार्यशाला खर्च के साथ निबलित (विगत वर्ष ₹ 149.90 करोड़)

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	347.90	285.94
वैगन लदायी	30.69	30.33
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,067.96	858.96
अन्य संविदात्मक कार्य	157.49	146.90
कुल	**1,604.04**	**1,322.13**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	5.16
छूट पर रियायत	75.09	69.53
अन्य	0.62	0.57
कुल	**75.71**	**75.26**

नोट 33 : प्रावधान (प्रत्यावर्तित का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) के लिए किया गया भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	155.80
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	7.52	1.60
भंडार एवं कल पुर्जे	—	1.11
अन्य (सी डब्ल्यू आई पी पर प्रावधान)	1.46	11.31
कुल (ए)	**8.98**	**169.82**
(बी) प्रतिवर्तित भत्ता/प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	73.89
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	1.98
भंडार एवं कलपुर्जे	1.36	—
अन्य	—	—
कुल (बी)	**1.36**	**75.87**
कुल (ए –बी)	**7.62**	**93.95**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	27.90	—
घटावः पहले दिए गए प्रावधान	—	—
	27.90	—
संदेहात्मक अग्रिम	—	—
घटावः पहले दिया गया प्रावधान	—	—
	—	—
कुल	**27.90**	**—**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	32.55	21.35
प्रशिक्षण व्यय	9.70	8.43
टेलीफोन एवं डाक	6.07	3.38
विज्ञापन एवं प्रकाशन	2.24	3.27
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	66.63	35.61
सुरक्षा व्यय	219.18	192.05
सीआईएल का सेवा शुल्क	66.89	68.72
किराया शुल्क	61.28	53.96
सीएमपीडीआई शुल्क	66.96	55.54
कानूनी व्यय	8.08	6.24
परामर्श शुल्क	0.81	1.43
अंडर लोडिंग शुल्क	165.34	171.35
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	3.05	9.92
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.21	0.21
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.23	0.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.09	0.12
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.21	2.58
पुनर्वास शुल्क	40.30	41.03
किराया	0.25	0.58
दरें एवं कर	248.22	285.06
बीमा	0.76	1.07
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.72	2.64
समाप्त किराया/सुरक्षा किराया	0.29	0.16
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	10.68	23.32
अनुसंधान एवं विकास व्यय	—	—
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	2.86	4.19
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय*	72.48	76.67
कुल	**1,091.08**	**1,069.11**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, ₹ 40.30 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 41.03 करोड़) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।

2. होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर 10 रू प्रति टन की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि ₹ 66.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 68.72 करोड़) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।

3. *अधिसूचना सं. 4/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क –एनटी, दिनांकः 21.08.2019 अधिसूचना सं. 05/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क –एनटी, दिनांकः 21.08.2019 एवं परिपत्र सं. 1071/4/2019–सीएक्स –8, दिनांकः 27.08.2019 के अनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, ने "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम 2019 [एसवीएलडीआरएस] पेश किया है।

   तदनुसार, सीसीएल ने इस योजना के तहत 52 मामलों की घोषणा की है, जिसमें ₹ 70.47 करोड़ की कुल विवादित कर का मांग शामिल है। उसी के संबंध में, ₹18.54 करोड़ की कुल राशि का भुगतान किया गया है एवं विरोध में ₹ 2.02 करोड़ के पूर्व भुगतान किये गए राशि को ₹ 49.91 करोड़ की राहत का लाभ उठाने के लिए प्रभार किया गया है।"

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	889.75	979.83
आस्थगित कर	195.65	8.49
मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट	—	—
पूर्व के वर्ष	—	—
कुल	**1,085.40**	**988.32**

कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा कर सामंजस्य

कर से पूर्व लाभ	**2,934.49**	**2,693.96**
कंपनी की घरेलू कर दर 34.944: (विगत वर्ष 34.608:) का उपयोग कर	738.54	941.38
का कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर व्यय	152.00	40.17
कर छूट प्राप्त आय	(0.79)	(1.72)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	—	
लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	**889.75**	**979.83**
प्रभावी आयकर दर	**25.168%**	**34.944%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं :		
अचल परिसंपत्ति से सम्बद्ध	18.04	(4.42)
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता	**18.04**	**(4.42)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियांः		
संदेहास्पद अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	290.85	386.92
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**465.63**	**514.01**
अन्य	**105.00**	**133.74**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**861.48**	**1,034.67**
निबल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(आस्थगित कर देयता)	**843.44**	**1,039.09**

31 मार्च, 2020 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 समाप्त वर्ष के लिए
(ए) (i)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनरू मापन	(326.38)	(30.27)
	कुल (ए)	**(326.38)**	**(30.27)**
(बी) (ii)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनरू मापन	(82.14)	(10.58)
	कुल (बी)	**(82.14)**	**(10.58)**
	कुल (सी = ए – बी)	**(244.24)**	**(19.69)**

नोट : 38
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

1. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	एफवीटी पीएल	परिशोधन लागत	एफवीटी पीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश * :	—	—	—	
अधिमान शेयर	—	—	—	—
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग		—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	0.48	—	52.56	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.55	—	0.66
जमा एवं प्राप्य	—	2378.59	—	2096.11
व्यापार प्राप्य	—	2492.11	—	1095.13
नकद एवं नकद समतुल्य	—	184.00	—	271.44
अन्य बैंक शेष	—	490.85	—	841.51
वित्तीय देयता				
उधार	—	50.00	—	—
व्यापार देय	—	1404.48	—	1260.18
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	350.79	—	371.03
अन्य देयताएं	—	169.63	—	202.33

(ख) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
म्यचुवल फंड/आईसीडी	0.48	—	52.56	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2020 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग		—	—	—
म्यचुवल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	0.55	—	0.66
जमा एवं प्राप्य	—	2378.59	—	2096.11
व्यापार प्राप्य	—	2492.11	—	1095.13
नकद एवं नकद समनुल्य	—	184.00	—	271.44
अन्य बैंक शेष	—	490.85	—	841.51
वित्तीय देयताएं				
उधार	—	50.00	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1404.48	—	1260.18
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	350.79	—	371.03
अन्य देयता	—	169.63	—	202.33

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1: चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

चरण 2: वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3: यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ङ) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- ➢ व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रस्तुति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- ➢ कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानों से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वयं के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एवं उधारों, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से उजागर है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन का देख–रेख करते हैं। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित है जो वित्तीय जोखिमों पर, कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचा पर सलाह देते हैं। जोखिम समिति, बोर्ड निर्देशकों को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल समीक्षा करती है और इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों पर सहमति देती है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों के बारे में बताता है जिनसे इकाई का संपर्क है और कैसे इकाई जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों में करती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम–ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगररानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

(क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो – आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं :

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन–पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित ''सीपीपी'')
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

हानि भत्ता प्रावधान का पुनःमिलान – व्यापार प्राप्य

31.03.2020 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	984.27	927.19	742.10	489.34	136.34	337.40	3616.64
अनुमानित हानि दर	6.77	21.29	17.51	53.02	117.46	92.18	31.09
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	—	—	—	126.16	48.24	108.98	283.38
– ग्रेड विचरण	66.60	197.36	129.95	133.30	111.90	202.04	841.15

31.03.2019 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	390.66	742.93	380.74	237.15	269.60	157.54	2178.62
अनुमानित हानि दर	23.85	32.21	44.94	79.41	87.54	98.74	49.73
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान – संदेहात्मक ऋण	—	—	126.16	48.24	18.63	30.01	223.04
– ग्रेड विचरण	93.19	239.30	171.12	131.80	217.37	7.67	860.45

(₹ करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2019 को हानि के लिए प्रावधान	223.04	860.45
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	60.34	(19.30)
31.03.2020 में हानि के लिए प्रावधान	283.38	841.15

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित किया गया है। कंपनी के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार कंपनी हानि की गणना के लिए, इन मान्यताओं के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(ख) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा रू. 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा रू. 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, रू. 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर–निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता प्रोफाइल को अनुबंधित अनदेखा भुगतानों के आधार पर सारांशित किया गया है।

	31.03.2020 को			31.03.2019 को		
	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक पर पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक पर पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	—	—	—	—	—	—
व्यापार देयताय	1404.78	—	—	1258.53	1.15	0.50
अन्य वित्तीय देयतायें	439.21	81.21	—	503.57	64.41	5.38

(ग) बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जाखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(ख) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक– 19)

(क) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य घटाव दायित्व योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में प्राप्त देयता या परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। अनुभव समायोजन और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि बीमांकिक को उस अवधि में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे होते हैं।

(ख) अवकाश नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। वे अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्टिंग के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में, अपेक्षित भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभ पर छूट दी जाती है जो दायित्व की शर्तों से संबंधित हैं। बीमांकिक मान्यताओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुनः माप को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

(ग) भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए ₹ 594.71 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 604.30 करोड़) के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

(घ) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार है:

(i) **निधिक**

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ii) **अनिधिक**

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

दिनांक 31.03.2020 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि ₹3582.13 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	**01.04.2019 को प्रारंभिक वास्तविक देयता**	**वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/समायोजन**	**31.03.2020 को अंतिम वास्तविक देयता**
ग्रेच्युटी	2459.04	227.82	2686.86
अर्जित अवकाश	421.54	33.05	454.59
अर्ध वेतन अवकाश	58.06	2.71	60.77
लाइफ कवर स्कीम	10.16	0.9	11.06
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	6.76	0.39	7.15
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.45	0.91	17.36
सामूहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.14	0.01	0.15
एलटीसी	44.6	0.11	44.71
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	177.66	85.13	262.79
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	6.94	2.2	9.14
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	23.97	3.58	27.55
कुल	**3225.32**	**356.81**	**3582.13**

(ङ) बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

31.03.2020 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020 को**	**31.03.2019 को**
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	2459.04	2388.71
चालू सेवा लागत	125.56	106.69
ब्याज लागत	149.35	171.01
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (पिछला सेवा)	—	—
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	185.12	28.56
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	160.16	11.48
भुगतान किया गया लाभ	392.37	247.41
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2686.86	2459.04

नोट : 38
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	1859.75	1516.49
ब्याज आय	122.74	114.49
नियोक्ता योगदान	130.90	466.41
भुगतान किया हुआ लाभ	392.37	247.41
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	18.89	9.77
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1739..91	1859.75

(₹ करोड़ में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
निधिक स्थिति	(946.95)	(599.29)
अवधि के अंत में उपेक्षित बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	1739.91	1859.75
निधि देयता	2686.86	2459.04

योजना पूर्वानुमान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट की दर	6.60%	7.75%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	6.95%	7.75%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारीयों-9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%	अधिकारीयों -9.00% गैर–अधिकारियों- 6.25%
मॉटिलिटी सारणी	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष

(₹ करोड़ में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के अंत में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अंत में
चालू सेवा लागत	125.57	106.69
पूर्व सेवा लागत (निहित)	—	—
निबल ब्याज लागत	26.60	56.51
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	152.17	163.21

नोट : 38
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	185.12	28.56
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर उचित (लाभ)/हानि	160.16	11.48
कुल उचित (लाभ)/हानि	345.28	40.04
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	18.89	9.77
निबल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	326.83	30.27

मृत्यु दर सारणी

उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

योजना सम्पत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू देयता	276.61	291.00
गैर चालू देयता	2410.25	2168.04
निबल देयता	2686.86	2459.04

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

31.03.2020 पर ग्रेच्युटी देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	**(रू. करोड़ में)**
1	285.59
2	253.20
3	231.71
4	226.84
5	234.61
6 से 10	1482.58
10 वर्षों से अधिक	2284.28
अतीत और भविष्य के सेवाओं के कुल गैर रियायती भुगतान	
अतीत के सेवाओं का कुल रियायती भुगतान	4998.81
ब्याज पर रियायत घटाव	2311.95
अनुमानित लाभ दायित्व	2686.86

ग्रेच्युटी देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020	
	(₹ करोड़ में)	
	वृद्धि	**कमी**
रियायत दर (-/+ 0.5%)	2586.61	2793.88
संवदेनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-3.731%	3.983%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	2734.04	2634.98
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	1.756%	-1.931%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	2689.36	2684.36
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.093%	-0.093%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	2703.74	2669.99
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.628%	-0.628%

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन 31.03.2020 को

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	479.60	409.01
चालू सेवा लागत	69.38	45.47
ब्याज लागत	27.70	26.24
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	4.33	6.79
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वद्धि)/हानि	171.68	115.10
भुगतान किया हुआ लाभ	271.28	123.01
अवधि के अंत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	515.36	479.60

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	265.92	267.23
ब्याज आय	17.55	20.18
नियोक्ता योगदान	200.00	121.70
भुगतान किया हुआ लाभ	271.28	123.01
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(60.46)	(20.18)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	206.14	265.92

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
निधिक स्थिति	(309.22)	(213.68)
निधि परिसंपत्ति	206.14	265.92
निधि देयता	515.36	479.60

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छूट की दर	6.60%	7.75%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	6.60%	7.75%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन बढ़ोत्तरी)	अधिकारीयों-9.00% गैर–अधिकारियों - 6.25%	अधिकारीयों-9.00% गैर–अधिकारियों - 6.25%
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृति	—	—

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू सेवा लागत	69.38	45.47
निबल ब्याज लागत	5.15	6.06
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	221.00	142.07
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	295.54	193.60

मृत्यु दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी का अंतिम मापन का विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
चालू देयता	39.38	47.38
गैर चालू देयता	475.98	432.22
निबल देयता	515.36	479.60

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

अवकाश नकदीकरण देयता का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020 (₹ करोड़ में)	
	वृद्धि	कमी
रियायत दर (-/+ 0.5%)	491.75	541.04
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	-4.582%	4.982%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	540.63	491.89
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	4.903%	-4.554%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	516.87	513.85
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.293%	-0.293%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	518.49	512.23
संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले परिवर्तन प्रतिशत	0.608%	-0.608%

31.03.2020 पर अवकाश नकदीकरण देयता का परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	40.66
2	43.80
3	39.55
4	40.60
5	46.12
6 से 10	248.89
10 वर्षों से अधिक	707.80
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान	—
अतीत और भविष्य की सेवा का कुल गैर रियायती भुगतान का कुल	1167.42
ब्याज पर रियायत छूट	652.06
अनुमानित लाभ दायित्व	5153.61

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इस चिकित्सा योजना को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कवर की गई है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कार्यकारी के लिए चिकित्सा लाभ की योजना को अलग से 'कार्यकारी ट्रस्ट के लिए सहायक पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम' के माध्यम से

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

प्रशाशित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। 01.01.2007 से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्त के लिए – 31.03.2020 को निधिक स्थिति ₹131.00 करोड (विगत वर्ष ₹98.79 करोड़) और 31.03.2020 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कुल देयता ₹262.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹177.66 करोड़) है।

पेंशन

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना–2007 के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03.2020 को निधिक स्थिति ₹257.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹129.89 करोड) और 31. 03.2020 को देयता की स्थिति ₹ 28.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹123.66 करोड़) है।

4. अनभिज्ञ मद

(क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	707.24	16748.14	—	559.26	18014.64
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	212.55	559.58	—	3.66	775.79
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	49.42	33.16	—	66.18	148.76
	बी. वर्ष के दौरान योग से	(0.45)	—	—	—	(0.45)
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान (ए + बी)	49.87	33.16	—	66.19	149.22
4	**31.03.2020 को अंतिम शेष**	**869.91**	**17274.57**	**—**	**496.73**	**18641.21**

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए ।

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है पुनर्रीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01. 2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश ₹13568.50 करोड़ (विगत वर्ष ₹13389.38 करोड़) पर स्थगन आदेश दिया है।

42 परियोजनाओं के संबंध में सीसीएल के पक्ष में डिमांड नोटिस जारी किया गया था और सीसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा इस मुद्दे को निपटाया जा रहा है, इसलिए, इसे सीसीएल के मुख्यालय के आकस्मिक दायित्व के तहत रखा गया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	केन्द्र सरकार :		
	आयकर	809.04	600.11
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	45.56	85.04
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	13.12	13.12
	केंद्रीय बिक्री कर	0.00	0.00
	सेवा कर	2.19	8.97
	अन्य	0.00	0.00
	उप – कुल	**869.91**	**707.24**
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी :**		
	अधिशुल्क	1668.28	1412.94
	पर्यावरण मंजूरी	13568.50	13389.38
	बिक्री कर/वैट	1523.39	1491.04
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	98.80	85.92
	एमएडीए	390.59	343.86
	अन्यः	0.00	0.00
	उप – कुल	**17274.57**	**16748.14**
3	केंद्रीय लोक उपक्रम	—	—
	मध्यस्थता कार्यवाही	0.00	0.00
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	उप– कुल	**0.00**	**0.00**
	अन्य		
4	विविध	496.73	559.26
	उप– कुल	**496.73**	**559.26**
	कुल	**18641.21**	**18014.64**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

II. गारंटी

31.03.2019 को जारी किया गया बैंक गारंटी ₹ 427.70 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 287.05 करोड़)

III. साख पत्र

31.03.2020 अदत्त साख पत्र ₹ 29.20 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1.02 करोड़)

(ख) प्रतिबद्धताएं

31.03.2020 को पूंजीगत खाते में व्यय हेतु अनुमानित करार राशि का मूल्य ₹ 946.02 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1143.72 करोड़)

31.03.2020 को अन्य प्रतिबद्धताएं : ₹ 8773.98 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9845.43 करोड़)

5. समूह सूचनाएं

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज %	
			31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	58.08 %	64 %

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची ।।। के अनुसार अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित की गई उद्यमों पर अतिरिक्त सूचना

उद्यमों के नाम	निबल परिसंपत्तियां यानि कुल परिसंपत्ति घटाव कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निबल परिसंपत्तियां का %	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित अन्य विस्तृत आय का %	राशि (₹ करोड़ में)
सेन्ट्रल कोलफीलड्स लिमिटेड	99.48	6359.53	99.96	1847.75	100	(244.24)
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	0.89	56.94	0.07	1.34	—	—
घटाव : अल्पसंख्यक हित	0.37	23.87	0.03	0.56	—	—
कुल	**100**	**6392.60**	**100**	**1848.53**	**100**	**(244.24)**

6. अन्य सूचनाएं

(क) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (करोड़ रुपये में)	1848.53	1705.22
(ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000 /– प्रति शेयर)	1966.52	1814.06

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(ख) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पक्षों की सूची

(i) होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड

(ii) सहयोगी कंपनियां

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(iii) अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद	इस तिथि से प्रभावी
श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.03.2012
श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	15.05.2018
श्री भोला सिंह	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	15.01.2019
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	18.07.2019
श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक)	24.01.2020
श्री मुकेश चौधरी निदेशक, कोयला मंत्रालय	सरकारी निदेशक	05.06.2020
श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव	सरकारी निदेशक	19.02.2018
श्री सुभाउ कश्यप	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018
श्रीमती जजुला गोवरी	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री हरबंस सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री शिव अरोड़ा	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

एक सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक 100% अनुषंगी कंपनी है, जो कि केंद्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसका अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है (नोट 16)। इस प्रकार भारत सरकार का इस कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, उनमें रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन हाथ की लंबाई के आधार पर बाजार की शर्तों पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय वक्तव्यों में सीमित खुलासे बनाये हैं।

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	लेन–देन	31.03.2020 को	31.03.2019 को
एनटीपीसी	कोयले का विक्रय	2854.07	2784.18
	बकाया शेष	635.68	346.81

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.46	3.17
	चिकित्सा लाभ	0.05	0.01
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
(ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.16	0.20
	ग्रैचुइटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.58	0.66
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	0.70	0.76
	एनपीएस में योगदान	0.54	0.58
(iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.37	0.52
	कुल	**4.86**	**5.90**

टिप्पणी :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशकों को सेवाभत्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	सिटींग शुल्क	0.20	0.21

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	देय राशि	—	—
(ii)	प्राप्य राशि	—	—

(बी) समूह के अंदर संबंधित पक्ष लेन–देन

संबंधित पक्षों से लेन–देन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	अन्य / चालू खाता लेनदेन	कुल
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	66.89	40.30	—	—	—	311.88	419.07
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.63	0.63
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.57	0.57
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.87	0.87
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.74
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	—	—	—	—	—	—	—	2.56	2.56
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम्सीएल)	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.28
केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	115.16	115.16
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	2.27		2.27
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	—	—	—	—	—	—	—		—

(सी) हाल के लेखांकन घोषणाएं

(i) भारतीय लेखा मानक 116–पट्टे

निगमित मामलों मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2019 के भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 116 अधिसूचना के अनुसार, कंपनी के लिए भारतीय लेखा मानक 17 के स्थान पर पट्टे, 01.04.2019 से प्रभावी हो गए हैं। भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार, पट्टों पर लेखांकन नीति में बदलाव किया गया है। भारतीय लेखा मानक 116 में मुख्य परिवर्तन, लेखांकन उपचार में पट्टों को वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किये गए पट्टों के पट्टेदार में बदल दिया जाता है। पट्टे समझौतों ने कंपनी के पट्टेदार होने की स्थिति में उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मान्यता एवं भविष्य के पट्टे भुगतान के लिए पट्टे देयताएं को जन्म दिया है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

ट्रांजीशन के बाद, कंपनी ने संचयी विधि का पालन किया है यानी शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता दी है एवं प्रतिधारित आय के प्रारंभिक शेष के लिए समायोजन के रूप में और शुन्य करोड़ को समायोजित की गई प्रारंभिक प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है। तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टे देयता की गणना के लिए, शुन्य% को पट्टेदार की उधार की वृद्धिशील दर के रूप में उपयोग किया गया है।

31.03.2018 को परिचालन पट्टे के संबंध में शुन्य करोड़ का पट्टे देयता प्रतिबद्धता, ऊपर वर्णित पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायत दिया गया, जबकि 01.04.2019 को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टा देयता शुन्य करोड़ है। इसलिए, भविष्य की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ii) योजना संशोधन, पर्दा या निपटान– भारतीय लेखा मानक 19 में संशोधन

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, वक्रता और भुगतान के लिए लेखांकन के संबंध में भारतीय मानक 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप में संसोधन को अधिसूचित किया है।

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि :

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं का उपयोग करने के लिए ; तथा
- पिछले सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में किसी भी कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली थी।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

(iii) आयकर–भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 12, 'आयकर', लाभांश के आयकर परिणामों की पहचान और आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता के संबंध में संशोधन को अधिसूचित किया है।

संशोधन का पहला अनुच्छेद

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- जब लाभांश के भुगतान करने के लिए एक दायित्व को पहचाना जाता है, तब भारतीय लेखा मानक 109 में परिभाषित लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानने के लिए ;

इस संशोधन के लिए आवेदन की प्रभावी तिथि, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

संशोधन का दूसरा अनुच्छेद

संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- यह विचार किया जा सके कि क्या यह संभावित है कि इस अनिश्चित कर उपचार को एक कराधान प्राधिकरण स्वीकार करे ;
- यदि इकाई निष्कर्ष निकालती है कि यह संभावित है कि कराधान प्राधिकरण एक अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा, तो इकाई कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर ऋण या कर दरों का लगातार कर उपचार के साथ उपयोग करके या आयकर फाइलिंग में उपयोग करने की योजना निर्धारित करेगी।
- यदि कोई इकाई यह निष्कर्ष निकालती है कि यह संभव नहीं है कि कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा, तो इकाई संबंधित कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण या कर दरों का निर्धारण करने में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाएगी।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

इस संशोधन के लिए आवेदन की प्रभावी तिथि, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं है।

(iv) उधार लेने की लागत– भारतीय लेखा मानक 23 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 23, 'उधार के लागत' में, उधार के लागत में पूंजीकरण के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन संशोधनों के लिए निम्न आवश्यक हैं;

- इस हद तक कि एक इकाई आम तौर पर धनराशि उधार लेती है एवं एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, इकाई उस पूंजीकरण पर उधार लेने की लागत का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्ति के व्यय पर पूंजीकरण दर लागू करके करेगी।
- पूंजीकरण दर उस अवधि के दौरान बकाया इकाई के सभी उधारों पर लागू उधार लेने की लागत का भारित औसत होगा।
- हालाँकि, इकाई विशेष रूप से एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उधार पर लागू उधार लेने की लागत को इस गणना से बाहर रखना होगा, जब तक कि इसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए उस संपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी न हो जाएं।
- एक अवधि के दौरान इकाई द्वारा उधार लेने की लागत राशि उस अवधि के दौरान किया गया लागत राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए;

कंपनी के पास कोई उधार नहीं है इसलिए वर्तमान में कंपनी पर संशोधन लागू नहीं है।

(v) सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश–भारतीय लेखा मानक 28 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 28, 'सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' में, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में दीर्घावधि निवेश के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन अधिसूचित किए हैं। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

- एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अन्य वित्तीय साधनों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने के लिए जिसमें इक्विटी पद्धति लागू नहीं है। इनमें लंबी अवधि के हित शामिल हैं, जो सार में, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के शुद्ध निवेश का हिस्सा हैं;
- भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने में, इस मानक को लागू करने से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक हितों की वहन राशि के लिए किसी भी समायोजन का हिसाब नहीं रखता है;
- 45 एच–के पंक्तियों में उल्लेखित के अलावे, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से उन संशोधनों को लागू करने के लिए;
- संशोधनों के आवेदन को प्रतिबिंबित करने के लिए पूर्व अवधि को पुनः बयान करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई पूर्व अवधि को केवल तब पुनः बयान कर सकती है यदि यह बिना दृष्टि के उपयोग से संभव हो।

कंपनी के पास कोई सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम नहीं है इसलिए कंपनी में फिलहाल संशोधन लागू नहीं है।

(vi) वित्तीय साधनों– भारतीय लेखा मानक 109 में संशोधन

निगमित मामलों के मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 2019 के अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक 109, 'वित्तीय साधनों' में, नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधाओं के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता है ताकि ;

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

- ऋणात्मक क्षतिपूर्ति तब उत्पन्न होती है, जहां वित्तीय साधन के अनुबंध की शर्तें, धारक को पुनर्भुगतान करने की अनुमति देती हैं या ऋणदाता या जारीकर्ता को अनुमति देती हैं की यंत्र को उधारकर्ता को दिया जाये ताकि वह परिपक्वता से पहले चुकौती पूर्व मूलधन और ब्याज से कम राशि पर भुगतान कर सके। ;
- यदि संबंधित शर्तें निर्दिष्ट की जाती हैं तो इस प्रकार के उपकरणों को परिशोधित लागत, या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा, या ऋणदाता या जारीकर्ता द्वारा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी के पास वित्तीय साधन का कोई अनुबंध नहीं है, जिसमें वर्तमान में संशोधन लागू है।

(डी) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(ई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(एफ) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(जी) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(एच) चालू देयताएं

जहाँ वास्तविक देयताएं, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(आई) शेष का स्थायीकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(जे) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी –2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

(के) लीज

(i) मेसर्स इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्त्तों के आलोक में, इसे, कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 80.19 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 80.19 करोड़) है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास ₹ 77.69 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 77.69 करोड़) है एवं डब्ल्यूडीवी ₹ 2.50 करोड़ (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 24.48 करोड़ है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	15.36	15.36
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	5.28	9.12
कुल		**24.48**	**28.32**

(ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड़ भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹7.90 करोड़) है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास ₹7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7.90 करोड़ का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 3.17 करोड़ है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	0.19	0.19
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.77	0.77
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	2.21	2.40
कुल		**3.17**	**3.36**

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि ₹ 1.20 लाख है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	एक वर्ष तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.48	0.48
(iii)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	0.60	0.72
कुल		**1.20**	**1.32**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

(एल) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय मानक 108 परिचालन सेगमेंट के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन सेगमेंट को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके तहत बोर्ड द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जानकारी की पहचान की जाती है। भारतीय मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया है और फैसला लिया है कि वर्तमान में,कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है । वित्तीय प्रदर्शन और परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ और हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11642.64	शून्य

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निबल) वाले प्रत्येक दलों के नाम	राशि	देश
ग्राहक– 1	1961.73	भारत
ग्राहक– 2	1857.64	
अन्य	7823.27	
कुल राजस्व (निबल)	**11642.64**	

स्थान के अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	7453.93	शून्य

(एम) असंकलित राजस्व सूचना

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
– कोयला	11642.64	11273.99
– अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**
ग्राहकों के प्रकार		
– बिजली क्षेत्र	8210.67	7539.22
– गैर–बिजली क्षेत्र	3431.97	3734.77
– अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**
संविदा के प्रकार		
– एफएसए	8863.81	8174.29
– ई–नीलामी	2778.83	3099.70
– अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवाओं का समय		
– एक समय में स्थानांतरित माल	11642.64	11273.99
– समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
– एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
– समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**11642.64**	**11273.99**

(एन) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक –37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2019 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन/वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2020 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :					
परिसंपत्ति पर हानि :	30.97	21.40	4.87	—	57.24
नोट 4: प्रगति पर पूंजी कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ :	18.51	1.46	(6.11)	—	13.86
नोट 5: अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति :					
प्रावधान एवं हानि :	0.67	—	—	—	0.67
नोट 8 : ऋण					
अन्य ऋण :	—	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ति					
अन्य जमा एंव प्राप्य	—	—	—	—	—
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	—	—	—	—	—
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	4.76	4.54	—	—	9.30
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	0.09	—	—	—	0.09
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.62	0.05	(0.13)	—	0.54
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.13	0.76	—	—	0.89
अन्य अग्रिम एवं जमा	18.17	2.12	(0.02)	—	20.27
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधान:	223.04	60.34	—	—	283.38
नोट 21 : गैर चालू एवं चालू प्रावधान					
एक्स–ग्रेसिया	225.25	236.72	225.25	—	236.72
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	153.92	80.32	(37.72)	—	196.52
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के प्रावधान	13.57	—	(13.57)	—	—
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान	18.20	—	(18.20)	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	1087.26	—	(77.35)	75.09	1085.00

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले के विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने ₹ 2.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 2.55) की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी, परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 19.05.2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3 (ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में ₹ 94.33 करोड़ के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से ₹ 83.03 करोड़ ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः ₹ 75 करोड़ एवं ₹ 25 करोड़ तदर्भ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 सें मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, ₹ 94.33 करोड के अतिरिक्त, ₹ 23.25 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 3.26 करोड़ अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी ₹ 0.26 करोड़ के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i) मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii) अप्रैल, 08 से मार्च 14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़.
(iii) पुरानी समझी ऊर्जा शुल्क के संबंध में रखी पुरानी राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv) वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v) वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
	₹ 152.46 करोड
घटाव : तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
निबल शेष राषि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के ₹134.20 करोड़ सहित ₹ 302.63 करोड़ के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.1.83 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक जीएम(ई एंड एम)/डीएलएफ/14/3530–36 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात,
₹ 38.69 करोड़ है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पावर खरीद समझौता दिनांक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालांकि वित्त वर्ष 2015–16 में ₹ 38.69 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.46 करोड़) रूपए हैं।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नहीं था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात ₹49.68 करोड़ की मांग के खिलाफ, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में अंतिम निपटान के रूप में ₹12.58 करोड़ की राशि का भुगतान किया है।

7.7 मेसर्स आई एफ पी एल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 में 20 वर्षों की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप में ₹ 32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नहीं किया है। नतीजतन, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की ₹ 4.02 करोड़ की अंतर राशि एवं ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय ₹ 2.42 करोड़ के लिए किया गया है। 2019–20 में समाप्त वर्ष के लिए प्राप्य किराये के लिए ₹3.84 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।

7.8 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूंजी ₹ 5.00 करोड़ की है। बाद में अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ कर दिया गया है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। तुलन–पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने ₹ 32 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, ₹ 13 करोड़ एवं ₹ 10.10 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2020 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 55.10 करोड़ रू का है।

नोट : 38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जेसीआरएल को ₹ 1.77 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1.77 करोड़) का नुकसान हुआ है।

7.9 सीसीएल ने बोकारो और करगली एरिया में कोनार साइडिंग के निर्माण के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ दिनांक 05/06/2017 समझौता सं. डब्ल्यू466/लैंड लीज/कोनार साइडिंग के तहत एक पट्टा समझौता किया है। लीज समझौता, 01.04.2016 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल ने पूरी अवधि के लिए ई.सी. रेलवे को ₹27.19 करोड़ का एक–बारगी पट्टा किराया जमा किया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'राइट टू यूज (लीज)' के तहत भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार दर्शाया गया है।

7.10 संपत्ति–सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.11 भंडार और पुर्जों की सूची का भौतिक लेखा, भंडार परीक्षकों द्वारा नियत समय पर सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण, वर्ष के दौरान सत्यापन नहीं किया जा सका।

7.12 क) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसीएल को आवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 50ः ₹20.65 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में ₹9.91 करोड़ की राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की ₹286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया । ₹30.56 करोड़ (₹20.65 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं ₹9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट–5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि दूसरे और तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ₹20.65 करोड़ की शेष राशि पूंजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 के अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पक्ष में ₹14577.20 लाख की राशि के बैंक गारंटी को सिलेक्टेड ढोरी जीओएम, ढोरी क्षेत्र और कारो ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र के संबंध में जारी किया गया।

ग) सहायक विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सब स्टेशन चतरा जेबीवीएनएल को आम्रपाली ओसीपी (बिंग्लट) एवं मगध ओसीपी (कुंडी पैच) के संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति सर्कल, हजारीबाग द्वारा जारी किया गया आदेश संख्या 1957/इएसइ(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 और 1955/इएसइ(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 के खिलाफ, ₹53.90 लाख की राशि का बैंक गारंटी जारी किया गया।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सिविल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा ₹286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से ₹226.74 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और ₹59.57 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

7.14 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध ₹106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर ₹ 71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक ₹75.69 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं ₹30.87 करोड़ रुपये की शेष राशि अभी भी अवास्तविक है।

उपरोक्त ₹30.87 करोड़, में से ₹26.85 करोड़ 01.04.2012 से 30.06.2012 की अवधि से संबंधित है जब कोयले पर कोई टीसीएस नहीं था। चूंकि टीसीएस को 01.07.2012 से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोयले पर लागू किया गया था, त्रुटि को सुधरने ले लिए एक सुधार याचिका यू/एस 154 पहले से ही 02.02.2018 को दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई विभाग को कई स्मरणपत्र देने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालाँकि, सीसीएल ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर विभाग की अनुभाग 206 सी के अनुसार किये मांग को चुनौती दी है। यह मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

7.15 क्षेत्रों द्वारा किये गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, मार्च 2020 में समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रगतिशील खान बंदीकरण व्यय के लिए प्राप्तियों का ₹94.59 करोड़ की राशि का दावा का हिसाब किया गया एवं उन्हें अन्य जमाओं के तहत दर्शाया गया है (खान बंदीकरण समवर्ती व्यय), नोट 9 (गैर–चालू)। सीसीओ की सलाह के परिणामस्वरूप सीएमपीडीआईएल द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि किए गए ₹251.47 करोड़ के अतिरिक्त दावे को अन्य आय के लिए ऋण के अनुरूप अन्य जमा (खान बंदीकरण समवर्ती व्यय) के रूप में माना गया है। प्रगतिशील खान बंद करने के वर्ष के दौरान व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य के खिलाफ ₹77.35 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

7.16 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी। सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में डब्ल्यूएमसीसी की कीमत ₹ 11,500 प्रति टन 14.01.2017 के प्रभाव से अधिसूचित की थी. यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस/पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

चूंकि एमओयू 31.03.2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14.01.2017 को जारी की गई थी, 14.01.2017 से 31.03.2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचित मूल्य पर प्रेषण के लिए ₹155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में ₹126.16 करोड़ और आरआईएनएल के संबंध में ₹29.64 करोड़) का एक प्रावधान, वर्ष 2018–19 के दौरान बनाया गया खातों में प्रावधान किया गया ।

मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.07.2018 को ₹ 6,500 प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल/आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं। तदनुसार धुलाई वाले मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) के लिए मौजूदा मूल्य तंत्र की समीक्षा करने के लिए दिनांक 08.07.2019 को मेसर्स पीडब्लूसी प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश सं. वाशरी (सीसीएल)/डब्ल्यूओ/प्राइस मैकेनिज्म(डब्ल्यूएमसीसी)/2019/745–50 जारी किया गया है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

7.17 कोरोनावायरस (कोविड –19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन, राजस्व, नकदी प्रवाह आदि पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

7.18 कंपनी की संशोधित नीति के अनुसार, सूचि(कोल) की लागत की गणना के तरीके को एफआईएफओ विधि से वेटेड एवरेज विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018–19 के समापन भंडार के मूल्यांकन पर निरर्थक प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के वर्णन किए गए आंकड़ों को बहाल नहीं किया गया है।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी–1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2020 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी– 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

ह./–.	ह./–	ह./–	ह./–
(रवि प्रकाश)	(जे. पी. विश्वकर्मा)	(एन. के. अग्रवाल)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डी. आई. एन.– 0008525175	डी. आई. एन.- 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में.
कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. 000216C)
ह./–
(अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 079005)
यूडीआईएन: 20079005AAAAAF4777

स्थान : राँची

दिनांक : 13 जून, 2020

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति, सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, **भारतीय लेखा मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन** **अभिमत** हमने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात''नियंत्रक कंपनी'') एवं इसकी अनुषंगी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगियों को 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) इसके सहयोगीगण और संयुक्त नियंत्रित इकाइयों, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक समेकित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी, समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरणी, समेकित महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक की समेकित विवरणी पर नोट (इसमें इसके पश्चात ''समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित है। हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण अनुसार, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की समेकित लाभ/हानि, समेकित नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समापत होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की समेकित दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। **अभिमत्त का आधार** हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हामरी जिम्मेदारियां वर्णित है। आईसीएआई की आधार संहित के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हमने अपनी अनय नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत्त–आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। **मामलों की प्रमुखता** निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित कराते हैं :	
ए) 42 खानों में पर्यावरणी स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ में आकस्मिक देयता के मद में रू. 13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रू. 13389.38) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणी का नोट सं. 38 अुनच्छेद 4 (ए)(1) देखें)।	वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में आकस्मिक देता के तहत इसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है(नोट 38 क अनुछेद 4(ए) के सन्दर्भ)
बी) ऋण की कुछ शेष राशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर–चालू आस्तियों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय देनदारियों एवं अन्य वर्तमान देनदारियों की पुष्टि लंबित हैं, हालांकि, पुष्टिकरण हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है, पुष्टि/सामंजस्य/समायोजन के परिणामस्वरूप कोई प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत्त में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	पार्टियों को व्यापर प्राप्ति, व्यापर के भुगतान और अग्रिमों के सम्बन्ध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किये गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सामंजस्य बयां पर भी हस्ताक्षर किये जाते हैं।
सी) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 38 के संख्या 7.16 देखें)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
कोकिंग–कोल (डब्लूएमसीसी)) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्यक किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। दिनांक 1/4/2017 से, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडी पी) के अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी का मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके तहत सीसीएल, सेल/आरआईएनएल को अधिसूचित मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा इसके पश्चात, एमओयू नहीं होने के कारण सेल/आरआईएनएल ने मूलय निर्धारण तंत्र हेतु बाह्य एजेंसी नियुक्त करने का अनुरोध किया। सीसीएल ने एक पारदर्शी आयात–समता आधारित मूल्य–तंत्र के विकसित करने हेतु बाह्य एजेंसी की नियुक्ति निर्णय लिया, जिसके लिए मेसर्स पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया गया है और दिनांक 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सीसीएल ने 6500/– प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की है। बाह्य एजेंसी द्वारा पारदर्शी आयात–समता आधारित मूल्य तंत्र के निर्धारण के लंबित होने पर सेल ने मूल्य–प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशों को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागू करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सीसीएल ने निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता से पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचित मूल्य के आधार पर माना जायेगा। (समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 38 में अनुच्छेद 7.16)। उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनसल को की गई आपूर्ति के मद पर कीमत में अंतर पर रू. 414.87 करोड की अदत्त राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत्त में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।	
डी) कथारा वाशरी में 1995–96 से पड़े हुए 83795 मिलियन टन संदूषित कोयले की रेणी का निर्धारण लंबित है, वर्तमान में जिसका मूल्य शून्य है (समेकित भारतीय लेखा मानक विवरण को संलग्नक – नोट संख्या 12)।	यह नोट–12 के अनुलग्नक में फुट नोट संख्या 4 में पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है।
ई) समेकित भारतीय लेखा मानक की टिप्पणी–38 के अनुच्छेद 7.17 अनुसार हम वित्तीय विवरणी पर ध्यान आकर्षित करते है, जो आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान सूचकों और उक्त की समीक्षा के आधार पर व्याख्यायित करता है, कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा और कंपनी भविष्य की स्थितियों और इसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न किसी भी भौतिक परिवर्तन की निकट पर्यवेक्षण जारी रखे। प्रबंधकीय विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हुआ कोविड–19 महामारी के प्रकोप के प्रभाव पर, वर्तमान वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई वृहत प्रभाव नहीं पड़ा है । हालाँकि, कोविड–19 की अनुमेय गतिविज्ञान अभी भी विश्व स्तर पर विकसित हो रही है और विभिन्न निवारक उपाय (भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध आदि जैसे) अभी भी लागू हैं, जो की एक अत्यधिक अनिश्चित आर्थिक वातावरण का नेतृत्व कर रही है और परिणामस्वरूप, बाद की अवधि में सामान्य आर्थिक गतिविधियों का विघटन हो सकता है जो कंपनी के व्यापार संचालन, राजस्व नकदी प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त विषय पर हमारा मत संशोधित नहीं है।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 38 के संख्या 7.17 देखें)
एफ) समेकित भारतीय लेखा मानक के नोट 2 के पारा 2.24.1.2 के वित्तीय विवरण "भौतिकता" – दिनांक 01.04.2019 से प्रभावित पूर्व अवधि के त्रुटियों/ चूक को अभौतिक माना जाएगा और	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट– 2 के संख्या 2.24.1.2 देखें)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वर्तमान वर्ष मे समायोजित किया जाएगा। यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक का कुल राजस्व 0.5% संचालन से अधिक नहीं हैं, सीआईएल के अंतिम समेकित लेखा परीक्षित विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व का 1% (सांविधिक का कुल एकत्र करना) कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार।

जी) भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 में कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए का नया प्रावधान पेश किया है(2019 की संख्या 15, जो कि 01.04. 2020 से या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष के लिए लागू है। तदनुसार, कंपनी ने नए कर व्यवस्था की दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019– 20 के लिए आयकर की गणना की है, जो कि 22% है, और 10% अधिभार है, और उपकर (पिछले वर्ष –30% और 12% अधिभार और उपकर)।

(समेकित भारतीय लेखा मानक के नोट 36 में वित्तीय विवरण को देखें)।

मुख्य अंकेक्षण मामले

हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार समेकित भारतीय लेखा मानक के संदर्भ मे किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत्त निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

क्र स	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	अंकेक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन** खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट (''अधिभार'') हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को ख्वादान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है। अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्श की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात–प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी–कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है। तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर–चालू प्रावधान/अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है। अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचि मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि :** हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया : स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य क आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। विश्लेषणात्मक प्रक्रियोओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिनन गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखंकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **<u>अंकेक्षण निष्कर्ष</u>** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।

प्रबंधन का उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'** समेकित भारतीय एएस में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं। किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते / ई–नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल / स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है। अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरण के लिए नोट 24 को देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि :** — हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय एएस 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है। — हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल / स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्व संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है। — प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है । **<u>अंकेक्षण निष्कर्ष</u>** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों** का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रावधान के स्तर के आकलन में उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चितता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरण के लिए नोट 38 अनुच्छेद 4(ए)(i) को देखें।	**प्रमुख लेखांकन प्रक्रियाएं:** हमारा ऑडिट विचाराधीन तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक निर्णय / व्याख्या के अंतर्गत विश्लेषण करने पर केंद्रित था। — विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक फोरम से प्राप्त अद्यतन आदेशों और / या पत्राचार की जांच तदनंतर कृत कारवाई। — मुकदमे / कर निर्धारण की अद्यतन स्थिति को समझना। — यहाँ प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह। — चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और संभावित बहिर्वाह। **<u>अंकेक्षण निष्कर्ष</u>** — हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों की है। अन्य सूचनाओं के अंतर्गते वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित सूचनाएं हैं, परन्तु समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी एवं हमारे उक्त अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत हैय हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमारे लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित लोगों से संवाद करना होगा।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन–प्रभारी की जवाबदेही

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, नियंत्रक कंपनी के निदेशकीय मंडल वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए जवाबदेह है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार कंपनी, इसके सहयोगीगण एवं संयुक्त नियंत्रित इकाइयों की समेकित वित्तीय स्थिति और समेकित नकदी प्रावह पर सतय एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। उक्त समूह में सम्मिलित कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य नियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रवधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जवाबदेह है। समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राक्कलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को कार्यानवयन एवं रख–रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, समेकित भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण और प्रस्तुति हेतु सतय व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से डतपन्न मेटेरिअल अशुद्धियों से मुक्त है, जिनकी प्रयुक्ति नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वाक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के निर्माण की गयी है। समेकित भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, समूह में सम्मिलित कंपनी, उसकी सहयोगी और संयुक्ततः नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकी मंडल कार्यशील संस्थाओं क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागू हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक संचालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाए, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो, समूह से सम्मिलित कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित इकाइयों से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है कि समूह एवं सहयोगियों एवं संयुक्त नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

समेकित वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवदेन जारी करें, जिसमें हमारा अिभमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नही है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है।

लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम :

- समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्रापत करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है।
- प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितत्ता विधमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परीस्थितियों के अनुसार कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना समाप्त कर सकती है।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय–सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
मटेरियलिटी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।	
अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ–साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन–प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है।	
हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बंधित प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है।	
शासन–प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है।	
अन्य मामले	
ए) हमने सहायक कंपनी का वित्तीय/ वित्तीय जानकारियों का अंकेक्षण नहीं किया है, जिसका वित्तीय वक्तव्य/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2020 तक 243.54 करोड़ की कुल संपत्ति दर्शाता है, कुल राजस्व रू. 1.92 करोड़, और निबल नकदी प्रवाह 39.17 करोड़ उक्त तिथि को समापत वर्ष के लिए, जैसा समेकित वित्तीय विवरणी में माना गया है। इन वित्तीय वक्तव्यों/ वित्तीय जानकारी का लेखा–जोखा अन्य अंकेक्षण द्वारा किया गया है जिनकी प्रतिवेदन हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत अब तक इस अनुषंगी के सम्बन्ध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं और सहयोगी, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ हमारी प्रतिवदेन, अब तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप सं नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित केवल उस तरह के अन्य अंकेक्षक की प्रतिवेदन पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
बी) सरकार द्वारा कोविड–19 के कारण लागू लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में, यात्रा प्रतिबंधों के कारण सख्त समयसीमा के भीतर अंकेक्षण कार्य हेतु मूल दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा नहीं किया जा सका, अतः कुछ क्षेत्रों का अंकेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया गया है, और क्षेत्र प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, तथ्यों और स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर अभिमत व्यक्त किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
सी) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियों शामिल करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय विवरणों पर 13 जून, 2020 की रिपोर्ट संशोधित की जा रही है एवं मामलों की प्रमुखता के मद (सी) अंतर्गत अनुच्छेद "उपर्युक्त के आलोक में, 01.04. 2107 से 30.06.2018 की समायावधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को डबल्यूएमसीसी की आपूर्ति के एवज में भुगतान, यदि हो तो, वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सकता। (समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के नोट 38 अनुच्छेद 7.16)" के स्थान पर "(समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के नोट 38 अनुच्छेद 7.16) संशोधित किया जा रहा है। उपर्युक्त के आलोक में, 01.04. 2107 से 30.06.2018 समायावधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनएल को 414.87 करोड़ की डबल्यूएमसीसी की आपूर्ति के एवज में लंबित अभुक्त शेष राशि का समायोजन नहीं किया गया ।" तथा "मामलों की प्रमुखता" अंतर्गत मद (जी) में "कंपनी भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 (2019 का सं 15) के आयकर अधिनियम की धारा 115बीएए का नया प्रावधान लागू किया है, जो अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू आकलन वर्ष के विगत 1 वर्ष के लिए प्रासंगिक है। तदनुसार, कंपनी ने नए कर दर व्यवस्था अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आयकर की गणना की, अर्थात, 22% से अधिक अधिभार 10% और उपकर (पिछला वर्ष – 30% से अधिक अधिभार 12% और उपकर)। (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणी का नोट 36 देखें)।" जोड़ा गया। तथा "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद (3)(ए) में "खंड (ए),(बी),(सी),(डी),(ई) एवं (एफ)" के स्थान पर "खंड (ए),(बी),(सी),(डी),(ई),(एफ) एवं (जी)" तथा "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के "अधिनियम की धारा 143(3) की अवश्यकताओं के अनुसार, जहां लागू हो, हम प्रतिवेदित करते हैं, कि" से प्रारंभ होने वाले वाक्य को काट कर तथा "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुच्छेद (3)(एच)(i) में "कंपनी के लंबित मुकदमों का प्रकटीकरण किया है" के स्थान पर "समूह के लंबित मुकदमों का प्रकटीकरण किया गया" संशोधन, तथा "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुच्छेद(3)(एच)(ii) के "कंपनी के प्रावधान निर्मित किए हैं" के स्थान पर "प्रावधान किया गया है" संशोधन किया है। इस ऑडिट रिपोर्ट का समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ऑडिट रिपोर्ट जून 13, 2020 के समेकित वित्तीय विवरणों पर मूल ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करती है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी ऑडिट प्रक्रिया केवल 'मामलों की प्रमुखता' के बिंदु (सी) और बिंदु (जी) के तहत अनुच्छेद में संशोधन/ परिवर्धन तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक के समेकित वित्तीय विवरणों पर "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा (3) (ए) (एच) (i) और एच(ii) में "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के विवरण पर रिपोर्टिंग करने तक ही सीमित है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणें के बारे में हमारी अभिमत, एवं नीचे दी गई अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी प्रतिवेदन, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो किये गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य अंकेक्षकों की प्रतिवेदन और वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय जानकारी, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन के संबंध में है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य विधिक और विनियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा– 143 (5) की आवश्कताओं के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महाअंकेक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देशों और उप–निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त पर हमारी टिप्पणी, समूह की समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी एवं कृत करवाई **अनुलग्नक–ए** में वित्तीय पर कारवाई और प्रकाश डालते है।

2. अधिनियम की धारा 143 के सब–सेक्शन (11) के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (''आदेश''), समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होते है जैसा की उक्त आदेश के **अनुच्छेद 2** के प्रावधान में निर्दिष्ट है।

3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि :

ए) हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वात्तम है, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त मामलों की प्रमुखता के मद सं. (ए), (बी) (सी), (डी), (इ), (एफ) एवं (जी) के साथ पढ़ा जाए।

बी) हमारे अभिमत में, समेकित आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही–खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही–खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

सी) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत नियंत्रक कंपनी (शाखा अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का अंकेक्षण सहित) का अंकक्षण हमारे द्वारा किया गया है एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा भारत में निगमित अनुषंगी कंपनी के अंकेक्षित खातों का प्रतिवेदन हमें प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।

डी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि एवं नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के निर्माण के उद्देश्य के लिए बनाए गए बही–खातों से मेल खाते हैं।

ई) हमारे अभिमत में, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

एफ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणें के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में **''अनुलग्नक–बी''** में हमारी प्रतिवेदन देखें।

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

एच) अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी के नियम 11 (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के अनुसार हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. समूह की समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट–38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब पड़ेगा जब उक्त पर फैसला आएगा।

ii. कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान से बचाव हेतु, यदि हो तो, डेरीवेटिव संविदा सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए है।

iii. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, किसी भी प्रंकार की राशि को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)
यूडीआईएन : 20079005AAAAAI8055

स्थान : राँची
दिनांक : 24.07.2020

प्रबंधन का उत्तर

''अनुलग्नक – ए'' जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन'' के अनुच्देद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा समस्त लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो तो घोषित करें। यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें। ***कंपनी के पास लेनदेन के प्रक्रिया को प्रसंस्कृत करने हेतु कोलनेट प्रणाली विद्यमान है जिसे विभिन्न वित्तीय माड्यूलों को समाहित करने के लिए निर्मित किया गया है, यह वित्त, विक्रय एवं विपणन, पे–रोल, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक एवं अन्य क्षेत्रों को समाहित करता है। हालांकि, इन मद्दो के लिए इसका पूर्ण–रूपेण समाकलन नहीं किया गया है:*** ***1. अचल परिसंपत्तियों से संबंधित सभी गणना को स्प्रेडशीट प्रारूप में रखी गई हैं।*** ***2. आपूर्तिकर्त्ताओं या ठेकेदारों को बिल भुगतान के दौरान जीएसटी (आरसीएम) एवं टीडीएस की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है और बाद में इसे सिस्टम में दर्ज किया जाता है तत्पश्चात इसे आईटी प्रणाली में संसाधित किया जाता है।*** ***3. पेरोल प्रणाली को खाते के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। लेखांकन प्रणाली में संबंधित प्रविष्टियों को मैनन्युअली पारित किया जाता है।*** ***4. विक्रय माड्युल को कोयला प्रेषण के साथ बद्ध नहीं किया गया है। तथा कोयला संचलन का स्टॉक पंजी को आईटी प्रणाली के तहत संसाधित नहीं किया जाता।*** ***सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की अपर्याप्तता को हमारे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में दर्ज किया गया है। जैसा प्रबंधन द्वारा सूचित है, कंपनी ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया में है जो न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विभिन्न मॉड्यूलों में डेटा के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय मॉड्यूल के साथ सभी परिचालन प्रक्रिया को एकीकृत करेगा।*** **वित्तीय प्रभाव, यदि है, तो अज्ञात है।**	सभी लेखांकन लेनदेन कोलनेट प्रणाली के माध्यम से संसाधित होते हैं।
2. क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये। ***मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या अधित्याग/ऋण पर बट्टा/ऋण/ब्याज आदि का किसी भी मामले में ऋणदाता द्वारा इस वर्ष या किसी अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता का कोई मामला है, अतः यह लागू नहीं होता है।***	कोई टिप्पणी नहीं।
3. केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब या गया या नहीं? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें। ***हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को सीसीडीएसी योजना के अंतर्गत रेलवे साइडिंग/पू.म. रेलवे द्वारा निर्मित सड़क के मद में प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है, उक्त का केंद्रीय सरकार द्वारा निधारित नियम एंव शर्तों के अनुसार हिसाब एवं सदुपयोग किया गया।***	कोई टिप्पणी नहीं।

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान मे रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	
हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र के विभाजन और विलय/ पुन–संरचना का ऐसा कोई मामला नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 64 खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खदान की गतिविधियों के लिए 77.35 करोड़ रुपये (वि.व–शून्य) प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, 2 खदानों टैपिन साउथ ओसी और राजहरा ओसी के संबंध में एस्क्रो खाता अभी तक नहीं खोला गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है?	
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13568.50 करोड़ रू. (वि. व 13389.38 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष संशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

"अनुलग्नक–बी" जो 31 मार्च, को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों हेतु स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की :

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2020 तक "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड"("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधृत कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख–रखाव, कंपनी प्रबंधन, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्ररूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित अझैर कुशल संचालन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण।

अंकेक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यापतता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरकि वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख–रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसंपत्तियों के सटीक एवं उचित लेन–देन और निपटान को दर्शाते है, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन का जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य या नीति या प्रक्रिया के अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है।

हालाँकि, इनमें और सुधार की आवश्यकता है प)जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण, बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करने के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रलेखन, पप)खर्चों, अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण निगरानी को मजबूत करना, ऋणों के संतुलन की पुष्टि/सुलह/समायोजन, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य चालू, गैर–समवर्ती संपत्तियां, व्यापार देयताएं, अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य वर्तमान देनदारियां, पपप) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, अनुप्रयोग नियंत्रणों की अपर्याप्त डिजाइन जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण और एकीकृत जानकारी प्रदान करने से रोकती है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते **के. सी. टाक एण्ड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
(फार्म पंजीकरण संख्या 000216सी)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.07.2020

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(मेम्बरशीप संख्या 079005)
यूडीआईएन : 20079005AAAAAI8055

प्रबंधन का उत्तर

प्रपत्र ए ओ सी – 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के संदर्भ में)

अनुषंगियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

खण्ड 'ए' : अनुषंगियों

(प्रत्येक अनुषंगी से सम्बद्ध राशि (करोड़ रू. में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत)

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	अनुषंगी के अधिग्रहण के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागु नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागु नहीं
6.	शेयर पूंजी	:	रू. 55.10 करोड़
7.	भंडार और अधिशेष	:	रू. 1.84 करोड़
8.	कुल सम्पत्ति	:	रू. 243.54 करोड़
9.	कुल देनदारी	:	रू. 186.60 करोड़
10.	निवेश	:	—
11.	कारोबार	:	—
12.	कर से पहले लाभ	:	रू. 1.77 करोड़
13.	कर का प्रावधान	:	रू. 0.43 करोड़
14.	कर के बाद लाभ	:	रू. 1.33 करोड़
15.	प्रस्तावित लाभांश	:	—
16.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	58.08 %

कंपनी सचिव **महाप्रबंधक (वित्त)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
एक मिनीरत्न कम्पनी
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)
दरभंगाा हाउस, राँची – 834 029
झारखंड

www.centralcoalfields.in